

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

जन्म-भूमि विवाद
AYODHYA CONTROVERSY

जन्म-भूमि विवाद

AYODHYA CONTROVERSY

(Past, Present & Future)

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त

(हिस्टोरिकल कांग्रेस कमिमेोरेशन, मगलदास पत्रवासा' स्वर्णपदक विजेता,
नागपुर यूनिवर्सिटी)



उर्मिला पब्लिकेशन्स
दिल्ली (भारत)

प्रकाशक : उमिता पब्लिकेशन्स
सी-३०२, सुतोपी माता मन्दिर
सर्वोदय गली, पश्चिमी करावल नगर
दिल्ली-११००६४

वितरक :

उमिता बुक सर्विस
मेनरोड (पुल्ला) बन्शीसिंह मार्किट
पश्चिमी करावल नगर
दिल्ली-११००६४

परिर्वद्धित एव सशोधित द्वितीय संस्करण १९६२

© प्रकाशनाधीन

मूल्य - २०० ००

मूद्रकः पद्मज प्रिंटर्स द्वारा आई० के० प्रिंटर्स, विजय पार्क, दिल्ली-११००५३

आमुख

जीवन की हर समस्या सारतः सामजस्य की समस्या होती है। श्रीराम जन्मभूमि-बावरी मस्जिद विवाद राष्ट्र-जीवन की ऐसी ही एक समस्या है। दूसरे, हर समस्या के र्म में उसका समाधान भी निहित होता है। अर्थात् समस्या उत्पन्न ही इसलिए होती है कि उसका समाधान हो और जीवन आगे बढ़े। जन्म-भूमि विवाद इस समय राष्ट्र के लिए एक ज्वलंत चुनौती है और साथ ही साथ एक दुर्लभ अवसर भी।

इन्ही मान्यताओं के साथ इस पुस्तक में इस विवाद में संबंधित भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुतीकरण में एक वस्तुनिष्ठ तटस्थता बरतने का पूरा-पूरा प्रयास है। समस्या के वाह्य लक्षणों के साथ, उसके पीछे काम करने वाली, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक शक्तियों का विश्लेषण भी है, ताकि सूझ पाठकों को अपनी एक अतर्दृष्टि उपलब्ध करने में सहायता मिले। अन्त में एक सम्यक् समाधान का सकेत भी है और उसके उपलब्ध न होने पर आमन्त सभावनाओं की परिकल्पनाएँ भी प्रस्तुत की गयी हैं।

संभव है कि हमारे न चाहते पर भी कुछ पाठकों को इस पुस्तक में छद्म प्रचार या एकांगिता का आभास हो सकता है, किन्तु यदि ऐसा हुआ भी हो तो वह जानबूझ कर नहीं बल्कि वास्तविकता को पूरा वजन देने के प्रयास में हुआ है।

इस पुस्तक के आविर्भाव का सर्वाधिक श्रेय प्रकाशक श्री दीपनारायण पाण्डेय जी को है, जिन्होंने इसी कृति के साथ प्रकाशन के जगत् में माहृतिक पदार्पण किया है। मैं उनकी सफल यात्रा के प्रति आश्वस्त हूँ और कृतज्ञ भी।

इस पुस्तक का प्रारम्भिक अध्याय 'हिन्दू पक्ष' मित्रवर श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी जी की ही अभिव्यक्ति है, जिसे मैंने मात्र शब्दबद्ध किया है। पुस्तक के लिए साहित्य जुटाने में भी उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। लेकिन उनका आभार मानने की औपचारिकता कहेंगे तो वे नाराज हो सकते हैं। पुस्तक में प्रस्तुतीकरण का संतुलन बनाने में मेरे अन्य परममित्र श्री महेश्वर मौर्य ने

महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

जिन महानुभावों, चिन्तकों और कार्यकर्ताओं के विचार उद्धरणों के रूप में इस पुस्तक में संग्रहित हैं, उनका चिरकृतज्ञ हूँ, साथ ही उन पुस्तकों और समाचार पत्रों का, जिनका सन्दर्भ साहित्य के रूप में मैंने उपयोग किया है।

पुस्तक के टंकण आदि में बेटी क्रांति तथा दहूरानी शीला ने तत्पर योगदान दिया जिससे पाण्डुलिपि शीघ्र तैयार हो सकी। मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद ही दे सकता हूँ।

शेष शुभ !

सादतपुर,

२० दिसम्बर, १९६०

लेखक

भूमिका

जन्मभूमि विवाद का सीधा सम्बन्ध हिन्दुओं के स्वाभिमान व मुसलमानों के स्वाभिमान से है। इस टकराव का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में आग लगी है। यद्यपि आग लगाने वाले को भी इस बात का अहसास नहीं होता कि वह अपने ही घर में अपने ही भाई को जला रहा है क्योंकि दगाई किमी जाति या धर्म के नहीं होते उनका धर्म या मजहब दंगा भड़काना ही होता है।

राम और खुदा दोनों हमारी सृष्टि के पर्याय हैं जिनका विरोध न हिन्दू करते हैं न मुसलमान, न ही उन्हें करना चाहिए। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था यह तथ्य भी इतिहास द्वारा प्रमाणित है। फिर राम या बाबर को लेकर तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं। मन्दिर या मस्जिद का विवाद चल रहा है।

अयोध्या वह भूमि है जो युद्ध के योग्य नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ भी इसी प्रकार है—'न योद्धु शक्या सा भूमि. अयोध्या' अर्थात् जो भूमि युद्ध करने योग्य नहीं है, अयोध्या है। वह भूमि जो कभी युद्ध से जीती नहीं जा सकती अयोध्या है। परन्तु इसका अर्थ अतियोध्या होता जा रहा है क्योंकि लेखक के अनुसार इस विवाद को लेकर अब तक ७३ युद्ध हो चुके हैं। यह समय भी यदि युद्ध का मानें तो ७४वाँ युद्ध होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारे युद्ध भी अयोध्या या फैजाबाद के स्थानीय लोगों द्वारा नहीं शुरू किये गये। लेखक ने दोनों पक्षों पर तथ्यात्मक गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। अयोध्यावासियों ने इस विवाद को हिन्दू या मुसलमान-स्वाभिमान का प्रतीक कभी नहीं माना। अयोध्या में आज भी ऐसे अनेक धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहाँ हिन्दू व मुसलमानों की समान सहभागिता है।

प्रो० रमेश चन्द्र गुप्त ने प्रस्तुत पुस्तक में हवाई बातें न करके शोधार्थी की भाँति पुरातात्विक प्रमाणों व सन्दर्भों को आगे रखकर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए इस पूरी समस्या पर गहन विचार प्रस्तुत किये हैं। अदालतों के फैसले तो इसीलिए होते हैं कि उन पर अमल हो। कानून इसीलिए बनते हैं कि उनका पालन किया जाय, परन्तु जब कोई वर्ग किसी कानून या फैसले को स्वीकार

ही न करना चाहे तो उसकी खुशामद करके कब तक हम उसे मनाते रहें। सचमुच भारतमाता का मन्दिर श्रीराम मन्दिर या बाबरी मस्जिद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु क्या श्रीराम मन्दिर बनने से भारतमाता का मन्दिर टूट जाएगा ? यदि हाँ तो विवादग्रस्त स्थल को राष्ट्रीय स्मारक ही क्यों नहीं बना दिया गया ?

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो यह है कि किसी भी धर्म को सरकार या संविधान महत्व नहीं देगा। सबका एक मानवताही धर्म होगा। फिर इस प्रकार का विवाद क्यों ? सरकारें भी जब तब धार्मिक मामलों को लेकर अपने वोट बटोरती रही हैं। धर्म-निरपेक्षता की खादी को नेताओं ने इस प्रकार पहना कि आज किसी भी पार्क में चार हिन्दू एक पत्थर रखकर मन्दिर बना लेते हैं और उस भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं या चार मुसलमान या सिख मिलकर किसी सरकारी जमीन पर अपने धार्मिक स्थान बना लेते हैं और सरकारें चुप-चाप सरफ़ जाती हैं। विवाद खड़े होने हैं, झगड़े होते हैं, कर्पूर लगाये जाते हैं, पुलिस की आलोचना होती है। पुनः नेतागण अपनी धर्मनिरपेक्षता की खादी पहनकर बड़ी-बड़ी तकरीरें करते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, प्रेस व बुद्धिजीवी इन परिचर्चाओं का लाभ उठाते हैं। आम आदमी जो महज आदमी है, सब कुछ खुली आँत्रों से देखा रहता है। क्योंकि वह 'योगिनाः रमन्ति यस्मिन् स राम', सन नाम बाहेगुरु या अल्लाह के सच्चे रूप को ठीक से या तो समझ गया है या उसे दो बक्त की रोटी के सत्य के सामने सब कुछ असत्य लगता है। आम आदमी को न तो शकराचार्य के 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' से कोई सरोकार है न ही सुफियो के कौल—'बा मौजूद इललिल्लाह' से। यद्यपि इन दोनों ही वाक्यों का हिन्दी अनुवाद एक ही है, चाहे कोई 'हमः ऊर्त' कहे या 'सबं धलु इद ब्रह्म' कहे अर्थ तो एक है। इस विवाद के पीछे अधिष्ठा या स्वल्पशिक्षा एक प्रमुख कारण है। आज का बुद्धिजीवी भी अपने स्वार्थों के चश्मे के निष्चित कोण से इस विवाद को देख रहा है। वह कभी तो सरकार को पूर्ण दोषी ठहराने पर आमादा हो जाता है और कभी सरकार का सीधा प्रचारक बन जाता है।

आज की इस समस्या का आरम्भ देश की आजादी से मोघा जुड़ा है। बटवारे के बाद हिन्दुमान और पाकिस्तान की नीवें तो रखी गयीं किन्तु इस द्वेष भावना का परिणाम महात्मा गाँधी की हत्या सहित भीषण नरनहार के रूप में सामने आया था। यह विवाद भी उसी बटवारे की नीति का एक हिस्सा है। सन् १८५७ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने सम्पूर्ण राम जन्मभूमि में हिन्दुओं को अधिकार देने का वायदा किया था। लेखक के अनुसार सन् १८५७ की फ्रांटि विफल करने के बाद अंग्रेजों ने अलगाव के बीज बोए ताकि हिन्दू मुसलमान एक न हो सकें। अंग्रेज जज का इस विवाद के सम्बन्ध में फैसला प्रकाश डालता है— अंग्रेजी जज एम०ई०ए० चैमियर ने अपने आदेश पत्र में लिखा था (१८८६) "यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्थल पर मस्जिद बनाई गई है जो कि हिन्दुओं का पवित्र स्थल रहा है। लेकिन आज ३५६ वर्ष हो चुके हैं। इस दिशा में कदम

उठाने के लिए अब देर हो चुकी है।”

अदालत का रास्ता इस प्रकार के विवाद हल नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में सहानुभूति सहअस्तित्व के बोध को ही जब लोग महत्त्व देंगे तभी कोई मार्ग निकलेगा। लेखक ने इस विवाद के पक्ष व विपक्ष दोनों को मौलिक ढंग में प्रस्तुत किया है। आशा है इस पुस्तक के प्रकाशन से दोनों सम्प्रदायों को वास्तविक जानकारी मिलेगी और यह परिस्थिति सुधरेगी। दुष्यंत कुमार के शब्दों में—

“सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी फितरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिये।”

दिल्ली

२२-१२-६०

—भारतेन्दु मिश्र

प्रकाशकीय

समय की परिवर्तनशीलता की सत्यता सर्वव्यापी है। इस तथ्य का उदाहरण अतिशयोक्ति नहीं है। भूत, वर्तमान की दृष्टि में भविष्य की झलक स्पष्ट हो चुकी है। जिनका उल्लेख उदाहरण "जन्म-भूमि विवाद" है। सम्प्रति जाहिर होने के साथ आज का मानव समाज इसमें उलझा हुआ है। आये दिन एक दूसरे की होड़ में टकराव के अनिरिक्त कुछ नहीं है। अपने समय को यूँ ही बर्बाद करना व्यर्थता का प्रतीक है। एक दूसरे की आदर्श देना गौरव है। रक्त एक है। धरती माता की गोद में पल रहे मनुष्य तो मनुष्य समस्त जीव मात्र का खून लाल है। इस माहौल से जीव मात्र में मनुष्य की कृतियाँ सूझ-बूझ की दृष्टि से अग्रसर हुई हैं। जब प्रत्येक वर्ग के मनुष्य का रक्त एक है, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं तो विचार एक क्यों नहीं? मानवाधिकारों को बचाते हुए समता की दृष्टि से एक सच्चे नागरिक को 'भारत महान' बनाने के लिए प्रेरक सिद्ध होगी। "जन्म-भूमि" मर्यादा पुरुषोत्तम रामजी के शासन काल में सम्बन्धित है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, को मोटाहरण अपनाइये एव जिस सूझ-बूझ की दृष्टि में 'प्रजातन्त्र' राज्य में शासकगण देश को अग्रसर करते चले आ रहे हैं उनकी नीतियों को स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकारें हैं तब तक सफलता आप के चरण तले रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी ने देश के लिए क्या नहीं किया। कौन-सा पिता ऐसा है जो अपने परिवार को एक दृष्टि से देखने में हिचक करता रहेगा एव उन्हें अलग-अलग पथ मार्ग दर्शित करता रहेगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कौशिल्य देश में समता पनपाने की कौशिल्य रही है। तथा वर्तमान श्री चन्द्रशेखर का अटल विश्वास सदैव राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का है। इसमें सबके समक्ष एक न एक कठिनाइयाँ आती रही हैं जिसे आम समाज कह देता है सरकार की विफलता है, नहीं। सरकार की कभी भी विफलता नहीं होती, सरकार तो देश को एक सच्चे की भाँति माता-पिता की हैसियत से निभाती है।

बच्चों की अनेक रुचियाँ होती हैं, जिद्दवाजियाँ होनी हैं जिसे कोई भी माता-पिता सदैव पूति नहीं कर पाता है, ठीक उमी प्रकार जिन-जिन महोदयों ने सरकार बलाई वे अपनी सूझ-बूझ में कमी नहीं रखे और यह कहना भी भूल नावित होता है कि कोई सरकार विफल हो गयी है। जिस प्रकार माता-पिता के मामने बच्चे विफल व सफल होते हैं उसी प्रकार सरकार को सफल या विफल का दर्जा देश के नागरिक के हाथ में होता है। प्रकाशन के क्षेत्र में कार्यशील रहते हुए लगभग १५ वर्षों के अनुभव में यह पहली पुस्तक मैंने "जन्म-भूमि विवाद" प्रकाशन करने की इच्छा प्रकट करते हुए प्रथम पुष्प के रूप में मैं ममस्त पाठक-गणों को अर्पित करना हूँ एवं ऋतिपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ तथा विश्वास करना हूँ कि पुस्तक में जो कमियाँ दिखाई पड़े उसे अवश्य मुझे सम्बोधित करें जिसमें अन्य सस्करण में सुधार किया जा सके। पुस्तक प्रकाशन हेतु मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला पाण्डेय का विशेष सहयोग रहा है एवं इनकी प्रेरणाश्रोत के जन्म में पुस्तक प्रकाशित कर रहा हूँ अथक त्याग एवं कठिन मार्ग को तप कराने के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी के पिता श्री विद्याशंकर पाण्डेय ग्राम-भलुवाही, पोस्ट-बदलापुर, जिला-जौनपुर, उ०प्र० का आभारी हूँ क्योंकि उनके द्वारा दिया गया मेरे लिए निर्देश साहसपूर्ण एवं सफल सिद्ध हुआ है। मेरे अग्रज श्री अनिरुद्ध प्रमाद पाण्डेय एवं पिता श्री आघाचरण पाण्डेय तथा माता श्रीमती करमा देवी पाण्डेय का अमिट आशीर्वाद मदैव रहा है एवं वर्तमान कार्यरत रक्षा लेखक नियन्त्रक कार्यालय इलाहाबाद के अपने अग्रज श्री नरसिंह पाण्डेय, पी-७, गोविन्दपुर (नजदीक इजीनियरिंग) बालिज, इलाहाबाद, उ०प्र० के द्वारा अजित एवं वचपन से गौड़ में खेनने से लेकर आज तक की भभस्त शिक्षाओं को इनके कठिनतम त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने के फलम्बम्प यह पहली पुस्तक प्रकाशित की गयी। मैं श्री नरसिंह भइया के चरण में अर्पित कर ऋणात्मक आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा हूँ, आशा है भइया मेरे लिए कतई नहीं टिचकिचायेंगे। अनुज श्री जयनारायण पाण्डेय किमी भी कठिनाई को झेलते हुए मेरी छाया बनकर मदैव मेरे साथ रहने के लिए हठी है, मैं इन्हे प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने हेतु हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ। पुन ममस्त पाठक गणों को "जन्म-भूमि" विवाद नामक पुस्तक रचिकर ही इम भावना में प्रकाशित कर रहा हूँ। आशा एवं विश्वास है कि पाठकगण अपनी रचि अवश्य "जन्मभूमि विवाद" नामक पुस्तक में लगाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

धन्यवाद सहित ।

दीपनारायण पाण्डेय
 प्रकाशक

अनुक्रम

पृष्ठ नम्बरा

१. विवाद कयो हिन्दू पक्ष	१
२. युद्धभूमि अयोध्या	६
३. ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य	२०
४ अदालत-दर-अदालत	३८
५. जन आन्दोलन	४७
६. मुस्लिम पक्ष	७३
७. पक्ष घर्मनिरपेक्षतावादियो का	६१
८. स्थिति सापेक्ष घर्मनिरपेक्षतावाद	१००
९. सम्यक् समाधान की दिशा	१२६
१०. सभावना कुछ पटकथाएं	१५३
११. उभरता नव-हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद	१६१
१२. वी०पी० से पी०वी० तक	१७३
१३. राम रघु यात्रा से एकता यात्रा तक	१८७

अयोध्या में विवादास्पद पूजा स्थल



(नवभारत टाइम्स के सौजन्य से)

१. विवाद क्यों : हिन्दू पक्ष

श्रीराम जन्मभूमि-बावरी मस्जिद विवाद का बीज अथवा मूल कारण क्या है ?

हिन्दू पक्ष के प्रतिपादन (जिम्के बारे में पुस्तक में आगे विस्तृत विवेचना की गई है) का निचोड़ यह है कि विवाद का बीज जन-साधारण के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। हिन्दुत्ववादियों के अनुसार पिछले पाँच सौ वर्षों में ७३ बार इस जन्म-स्थली को लेकर खतपाती युद्ध हुआ और इस बार के युद्ध को मिला लिया जाये तो ७४ बार युद्ध हो चुका है। इसमें अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक लोग मारे गये हैं या अपना वलिदान दे चुके हैं। ६० हजार लोग औरगजेब काल में युद्धस्थल पर मारे गए, जिसमें औरगजेब का शाहजादा भी था। इसी तरह इस मन्दिर के स्थान पर मस्जिद जब तक है, तब तक युद्ध चलता रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध हिन्दू स्वाभिमान से है।

यदि यह भूल सोमनाथ की तरह सुधार ली गयी होती तो अब तक लोग बाबर या बावरी मस्जिद को सामान्यतया भूल गये होते। लेकिन मुस्लिम स्वाभिमान अब उसे गिराने नहीं देता और हिन्दू स्वाभिमान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।

क्या यथास्थिति में इसका समाधान नहीं है? अवश्य है—किन्तु यह यथास्थिति वह है जो बाबर काल से पहले थी। तब वहाँ जो कुछ भी रहा हो, वही स्थिति फिर बहाल होनी चाहिए। तभी यह युद्ध टलेगा, जैसे सोमनाथ का युद्ध टल गया।

प्रश्न उठाया जाता है कि इस स्वाभिमान की सीमा क्या है? क्या इस मस्जिद को हटाकर राममन्दिर बना देने के बाद हिन्दू स्वाभिमान मथुरा का कृष्णजन्म मन्दिर और काशी विश्वनाथ मन्दिर पर भी अपना दावा नहीं करेगा?

जहाँ तक दावा करने की बात है, दावे का तो प्रश्न ही नहीं उठना। क्योंकि वह तो हिन्दू संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक बर्बर सस्कृति ने जो बर्बरता दिखाई और उसके प्रति हिन्दुओं ने जो उदारता अपनायी, उसके परिणाम स्वरूप ही इस

समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। विश्वनाथ मन्दिर की ही बात लें तो यह स्पष्ट है कि जहाँ नन्दी जी होते हैं, उसके बिलकुल सामने शिवनिगि होता है। लेकिन काशी में वावा विश्वनाथ के मन्दिर में, नन्दी वावा के सामने मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण के मूल में एक ईर्ष्या थी, अन्यथा काशी में और भी जगहें पड़ी हैं, जहाँ मस्जिद बनाई जा सकती थी।

लेकिन आज हिन्दू जो इस स्थान की माग कर रहे हैं, उसमें ईर्ष्या नहीं है। वे अपने स्वाभिमानवश पौराणिक तथा ऐतिहासिक यथास्थिति की माग कर रहे हैं। यदि उनकी माँगों पर गभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो दिल्ली में जिस तरह माडे तीन हजार मन्दिर और गजेव काल में तोड़ दिए गए थे, वैसे ही प्रतिक्रिया, आने वाली पीढ़ी में नामूर बन कर उभर सकती है।

प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि हम जिसे हिन्दुओं की उदारता कहते हैं, क्या वह उनकी कमजोरी या मजबूरी नहीं थी? जी नहीं, यह हिन्दुओं की न तो कमजोरी, न ही मजबूरी थी, बल्कि मात्र उदारता थी। इसका मूल कारण भारत की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। यहाँ नगम भौगोलिक स्थितियों में तमाम मनुष्यों की जातियाँ हैं। जैसे हूण, यवन, आर्य आदि अनेक जातियाँ, अनेक जातियों की अनेक संस्कृतियाँ, अथवा उनमें आये विकारों के सुधारकों के विभिन्न मन-पथ, इन सबकी मिली-जुली संस्कृति को यहाँ के जन साधारण ने सर्वमान्य स्वीकार किया।

वर्तमान समय में भी एक ही व्यक्ति, राम, शिव, हनुमान, विष्णु और इन्द्र आदि का उपासक पाया जाना है जबकि ये सब देव अलग-अलग संस्कृति से संबन्ध रखते हैं। इन संस्कृतियों के जो मनीषी, ऋषि और मत हुए उनकी धर्म का आधार प्रकृति, आत्मा और परमात्मा रहा है। लेकिन कालान्तर में इस्लाम या ईसाई नामक जिन संस्कृतियों ने इस देश में प्रवेश किया, उनके मूल में सत्ता, शासक और अदृश्य सत्ता रूप एक काल्पनिक ईश्वर रहा है। स्पष्ट है कि दोनों की अर्थात् भारतीय और बाहरी संस्कृतियों की ईश्वर की परिभाषा में जमीन-आममान का फर्क है। प्रथम, भारतीय संस्कृति का ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। द्वितीय, सभी उपासना के मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। इसके विपरीत इस्लाम का या ईसाई ईश्वर ससीमित, किसी काल्पनिक सातवें आममान का निवासी है। पूजा विधियों की विविधता को इस्लाम कुफ़ कहता है और अपने आममानों एक्केवरवाद में भिन्न विचार रखने वाले को काफ़िर। वह ऐसे काफ़िर के वध का न केवल निर्देश देता है—बल्कि साथ ही ऐसे वधिका को पुरस्कृत करने का वादा भी करता है। जरा अलग सदर्भ में 'मलमान रगदी' की हत्या का निर्देश उसका ताजा उदाहरण है।

अगर गहन अध्ययन किया जाये तो उक्त दोनों—इस्लाम तथा ईसाई-ग्रंथों

के ग्रंथ मात्र राजनैतिक ग्रंथ हैं। इनका आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्मतम अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये अपने अनुयायियों को काल्पनिक संसार के लोभ और भय से इतना घमांघ्र बना देते हैं कि उनका अपना विवेक शून्य हो जाता है।

उपरोक्त कारणों से ये सस्कृतियाँ अन्य भारतीय सस्कृतियों में अब तक घुल-मिल न सकी, न भविष्य में ही इसकी सम्भावना है। दोनों के चिन्तन में अन्तर है। जैसे ये शाकाहार पर बल देती हैं, वे मासाहार पर। ये निवृत्तिमार्गी हैं तो वे सवृत्ति मार्गी। निवृत्तिमार्गी का अर्थ है "तेन व्यक्तेन भुंजीथा" यानी उम ईश्वर का दिया हुआ, उमके नाम से त्याग कर, यथा प्राप्त भोगों और दूसरे के धन की कभी इच्छा न रखो। जबकि सवृत्तिमार्गी का अर्थ होता है, जिसकी प्रवृत्तियों में तामसिक वृत्तियों ने प्रवेश कर लिया हो। अर्थात् सब कुछ पाने के लिए सब कुछ दौंव पर लगा दो।

दोनों के आदर्श में भी अन्तर है। हिन्दू का आदर्श त्याग है। यहाँ बादशाहों का बादशाह सन्यासी होता है जब कि इस्लाम और ईसाइयत के असवाब शासन और सुन्दरी हैं। इस्लाम की जन्मत में शराब की नदियाँ बहती हैं। ईसाई इससे भी आगे बढ़ कर हैं। उनके पोप धरती में ही स्वर्ग की सीट रिजर्व कर देते हैं। कुल मिलाकर इन कबीलाई, ऊनजलूल सस्कृतियों का समन्वय भारतीयों की खोजपूर्ण, बुद्धिनिष्ठ सस्कृतियों से नहीं किया जा सकता। धीरे-धीरे ११०० वर्षों की मुलामी के पश्चात् मात्र ४० वर्षों में जो हिन्दुओं का क्षात्रधर्म जगा है, वह अगले दस वर्षों में विश्व से तमोवृत्ति मयाप्त कर देने की स्थिति तक शक्तिशाली बन जाने की सम्भावना है।

यहाँ इस्लाम और ईसाइयत के जिन दोषों को गिनाया गया है, हमारे कुछ बुद्धिजीवी यह शका उठाते हैं कि चिन्तन और आदर्श की कसौटी पर तो ऐसे दोष हिन्दू धर्म में भी विद्यमान हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के मूल संस्थापक तो भारतीय ऋषि मुनियों, सन्यासियों और अवतारों की तरह ही परम पवित्र थे। ईसा स्वयं एक संन्यासी थे और कहते थे कि 'एक सूई के नड़े से ऊट गुजर सकता है किन्तु ईश्वर के स्वर्ग द्वार से कोई अमीर अन्दर नहीं जा सकता।' मुहम्मद पैगम्बर जिन दिन मरे तो उनके घर में तेल नहीं था और उनके कपड़ों में कम से कम सात पैबंद लगे हुए थे। यानी वे अपने राज्य के उपभोग शून्य स्वामी थे और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने तलवार उठायी एव राज्य स्थापित किया था, जिस प्रकार गीता के भगवान के आदेश में अर्जुन ने शस्त्र उठाया और राज्य जीता। फिर हिन्दुओं के स्वर्ग में भी देवगण सोम पीने हैं, और अप्सराओं के माय स्वच्छन्द भोग करते हैं। फिर किस प्रकार अनुयायियों के भ्रष्टाचार में हिन्दू धर्म अछूना नहीं है। पोप लीला जैसे छूत-छूत जैसे पाखण्ड हिन्दूधर्म के पोगा पड़ितों ने भी बड़तेरे चलाये हैं। जिनका धर्म-मुधारको ने विरोध भी किया है। फिर कैसे हम हिन्दू

धर्म को सर्वश्रेष्ठ चिन्तन और आदर्श का प्रमाणपत्र दे सकते हैं और कैसे इस्लाम और ईसाइयत को हेप मान सकते हैं ?

बुद्धिजीवियों में ऐसे प्रश्न - प्रतिप्रश्न, शका-कुशंकाएँ, तर्क-कुतर्क उठना स्वाभाविक है। हिन्दू धर्म उनका स्वागत भी करता है और तदनुसार सुधार के लिए सदैव तत्पर भी रहता है। क्या इस्लाम के साथ यह बात है ? फिर जो किसी समाज का नेतृत्व समालते हैं उनका जीवन उनके अनुयायियों का आदर्श होता है। उदाहरण के लिए हिन्दुओं में राम को अगर लिया जाये तो पुत्र का माँ और बाप से, भाई का भाई से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से, निर्बल का सबल से, शत्रु का शत्रु से, शत्रु का मित्र से, पति का पतिन से, न्यायाधीश का न्याय से, जो आदर्श सम्बन्ध हो सकता है, वह उन्होंने अपने जीवन में ढाल कर अमिट आदर्श अपने अनुयायियों को दिया। इन्हीं आदर्शों का परिणाम है, कि भारत, भारत के रूप में जीवित है। तमाम सामाजिक बुराइयों के बावजूद हम यहाँ मुक्त विचार, महिष्णुता और लोकतंत्र की खुली हवा में साँस ले रहे हैं। कथित धर्म-निरपेक्षता की बात यहाँ इमीलिए की जाती है क्योंकि यहाँ हिन्दू बहुमूल्यक हैं। हम शक्तिशाली होने पर भी किसी विदेशी राज्य पर आक्रमण की कभी सोचते तक नहीं। यह हिन्दू जीवन के समग्र दृष्टिकोण का ही प्रतिफल है जो उसकी तमाम बुराइयों का पलड़ा हलका कर देता है।

इसके विपरीत इस्लाम ने जो धर्मग्रन्थ — अपने अनुयायियों को दिये, उसके उपदेशको ने जो विचार अनुयायियों के मस्तिष्क में भरे, उनके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर निकल पड़े। विश्व के कोने-कोने तक उन्होंने कुकृत्यों का नंगा नाच किया। मानव और मानवता की हजारों वर्षों की खोजपूर्ण उपलब्धियाँ इन बर्बर अत्याचारियों ने संभवतः समाप्त ही कर दीं। अगर ईसाइयत को लिया जाए तो उसने भी प्रकृति के धर्मों का जगह-जगह उल्लंघन किया है। उदाहरणार्थ अनेक खुशी के प्रसंगों पर वहाँ निरीह पशुओं के वध की आज्ञा दी गयी है। उनके आदर्श में निरीह पशुओं या अन्य जीवों के लिए अहिंसा का प्रयोग भूलकर भी नहीं किया गया, जिनका मूल कारण कदीलाई और भौगोलिक परिस्थितियाँ ही रही होंगी। इसी संस्कृति ने हमें दो-दो विश्वयुद्ध और सवंनाशी अणुबम दिये हैं। साम्राज्यवादी क्षोपण तन्त्र सम्बन्धः मानवता को उसकी सबसे बहुमूल्य देन रही है। हिन्दुत्ववादियों के अनुसार जिस समय इस्लाम की आँधी चली, मोन का नंगा नाच विश्व में होने लगा, तो उसके प्रभावक्षेत्र के राज्य एक-एक कर इस्लाम की गोद में चले गये। तलवार की नोक पर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन भारतवर्ष के योद्धा तीन सौ वर्षों तक इस देश में इस्लाम को प्रवेश न करने देने में सफल रहे। समय बश लुटेरों को हैसियत से इस्लाम के अनुयायी लोग दो चार

चार आए और गए। समयवश ही यहाँ के हिन्दू राजा विकेन्द्रीकरणवादी हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति आपसी युद्धों में मगाना प्राप्त कर दी। तब आक्रामक लुटेरों को पैठने और पैर जमाने का मौका मिला। यहाँ की भौतिक संपदाओं के लोभ से उन्होंने सोचा यहाँ अपनी सत्ता किसी न किसी तरह स्थापित करनी चाहिए। हमके लिए उन्होंने अपनी कट्टरता में ढील दी और सत्ता स्थापना में सफल रहे। धीरे-धीरे भारतीय विद्वानों के प्रति दुष्प्रचार, पड़्यत्रो द्वारा उनका वध, कमजोरी पर जजिया टैक्स, लोभियों का जागीरें और अहकारी प्रवृत्ति के लोगों को शासकीय पद देकर उन्होंने धर्मपण्डितों की शुरुआत की। इसका नगा नाच औरगजेव के समय में देखा गया।

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के भारतीय मुसलमानों के पूर्वज अत्याचार के सामने घुटने टेक कर, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हुए। आज उनकी मतानों को गर्व के साथ इस मैले चोले को उतार कर फेंक देना चाहिए। और जो भारतीय उन्हें स्वीकार करने से इन्कार करें, उन्हें, उन्हीं के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। क्योंकि अपने पूर्वजों से लेकर आज तक ये बराबर जो हिंसक अत्याचार, सामाजिक भेदभाव और मानसिक घृणा सहन करते आये हैं, उसे मिटाने का एक मात्र साधन पुनः अपने घर की वापसी ही हो सकती है। अपने घर में तात्पर्य यहाँ हिन्दू धर्म में है। यदि सारे कश्मीरी पूर्व ब्राह्मण पुनः ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लें, या तोहार, घुनिया, बर्दई, कहार, कुम्हार जो जजिया टैक्स वश मुसलमान बने थे, या जो सुन्नी खानजादे, ताल्लुकदार, अत्याचार या लोभवश घर छोड़ कर चले गये थे, या घर से निकाल बाहर किए गए थे, उन्हें पूर्ण अधिकार के साथ अपने बतन-वापसी की माग करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हम कार्य के लिए नियुक्त अथवा प्रवृत्त 'आर्यसमाज' भी मात्र 'अहम्' का अड्डा बन चुका है।

धर्म का तात्पर्य

यहाँ प्रश्न उठेगा कि धर्म से हिन्दू बिनत का तात्पर्य क्या है? हिन्दुत्ववाद का मानना है कि 'धर्म मानव जीवन को सतुलित विधि से जीने की वह परम्परा है जो सर्वमान्य और जीवनत्रयी की हितैषी हो। भारतीयों का जीवन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं है। इसमें वह सामयिक नियम भी हैं, जिनकी खोज तमाम समाजशास्त्रियों ने की। इस धर्म में वह व्यक्तिगत और शारीरिक नियम भी हैं, जिन्हें तमाम योगाचार्यों और बौद्धों की खोज ने प्रचलित किया। इस धर्म में जीवन के उन तमाम अंगों को छूने वाले रीतिरिवाज मस्यापित हैं, जिनको समय-समय पर अनेक मप्रदायों के ऋषि मनीषियों ने मानव मात्र के लिए खोजा और विकसित किया। जीवन का प्रथम खण्ड स्वास्थ्य और शिक्षा, जीवन का

दूसरा छण्ड व्यवहार और व्यापार, तीसरा छण्ड समाज-सुधार और चौथा छण्ड आत्मोद्धार के लिए निश्चित किया गया है। संभवतः मानव की सम्पूर्ण कामनाएं उपरोक्त चतुर्वर्ग में समा जाती हैं। यह तो हुआ मनुष्य धर्म। इसके विपरीत हम उसे धर्म नहीं मानते, जो अहिंसा, सत्य, समता और सदाचार की अवहेलना करता हो। धर्म किसी धर्मग्रन्थ की निजी वपनी नहीं है। धर्म का ऋतिक विकास होता है, जो जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है और धर्म के ही अधीन सृष्टि क्रम भी चलता रहता है।

इसके विपरीत यदि कोई धर्म के नाम पर किसी को काल्पनिक विचारों से बहकाता है, जिन्हें विवेक, तर्क और परिणामों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता और जिनका परिणाम मानवमात्र का विकास या जीवमात्र का हित नहीं है, तो वह धर्म नहीं, अधर्म है।

यहाँ एक प्रश्न उठना है जो सामाजिक धर्म में सम्बन्धित है। अहिंसा और न्याय के तालमेल की जब समस्या होती है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि जहाँ अहिंसा का पालन किया जाता है तो न्याय संकुचित हो जाता है, और यदि न्याय का पालन होना है तो अहिंसा आकुंचित हो जाती है, तो वहाँ क्या किया जाए? किसे वरीयता दी जाए?

भारतीय परम्परा के अनुसार, जघन्य अपराधों के न्याय में जहाँ शास्त्र मौन हो जाता है वहाँ विवेक के आधार पर ही न्याय या दण्ड दिया जाता है। सरकार के आधार पर भोग अवश्यभावी है। इस नीति का उल्लंघन भारतीय संस्कृति में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जैसे राम के पिता दशरथ ने श्रवणकुमार के पिता के शापवश शरीर त्यागा। उदार राम ने कौए की आँख फोड़ी। सौ जन्म से पूर्व किये अपराधवश भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे। घृतराष्ट्र द्वारा पूर्व जन्म में हिरण की आँख निकाल लेने पर उन्हें जन्मान्ध बनना पडा। पुराणों के ये दृष्टांत संभवतः न्यायविधि को प्रभावित करने के लिए ही दिये जाते हैं। यह भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। वर्तमान राजनीतिक या गैरराजनीतिक दुराचारियों को, भारतीय संस्कृति के साथ बिलबाड़ करने के अपराध में लिप्त होने पर, उपरोक्त कठघरे में स्वयं को खड़ा करके सोचना चाहिए। अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन से, यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू पञ्च के अनुसार, पिछले पाँच सौ वर्षों से चला आ रहा यह युद्ध छद्म धर्मनिरपेक्षता की तोता रटन से, मुस्लिमों के खोखले, स्वार्थपूर्ण तुष्टिकरण-से, गोलियों की बीछार से वभीसमाप्त नहीं होने वाला है। और अयोध्या की इस बलिवेदी पर जो साठे तीन लाख सिर चढ़े हैं उनकी संख्या को बढ़ाने या यही पर रोक देने का कार्य यहाँ के प्रबुद्ध धर्माचार्यों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवकों एवं जन-सामान्य का है।

२. युद्धभूमि अयोध्या

'अयोध्या' का शाब्दिक अर्थ है, 'वह (नगरी) जहाँ युद्ध नहीं होता या जो युद्ध में जीती नहीं जा सकती।' इतिहास की विडम्बना है कि वहीं विगत ५०० वर्षों से युद्धभूमि बनी हुई है।

वेदोक्त प्रागैतिहासिक काल से लेकर वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक काल से यह एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही है। कही इसे सृष्टि की आदि नगरी कहा गया है। कहीं देवताओं द्वारा निर्मित नगरी के रूप में उसका उल्लेख है। उसे पावन सप्तपुरियों में से एक माना गया है। यह नगरी भी अन्य नगरियों की तरह उत्थान और पतन के कई दौरों से गुजरी। कई बार बसी और उजड़ी और फिर बसी।

ऋग्वेद में पहली बार सिंधु और सरस्वती नदियों के साथ उस सरयू नदी का उल्लेख आया है, जिसके तट पर यह नगरी बसी है। ऋग्वेद का १०, ६४, ६ मंत्र है 'सरस्वतीः सरयू सिंधुर्हमभिः महोमयी रवासायतु वक्षणीः'। इसके बाद अथर्ववेद के द्वितीय खण्ड में अयोध्या का सीधा उल्लेख आया है। कहा गया है कि देवताओं द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी में ८ चक्र (मण्डल) नीं द्वार तथा अपार धनवैभव है। यह नगरी स्वर्ग की भाँति समृद्ध थी। 'अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूज्य अयोध्या।' इमका अधिराजि चित्ररथ था। वाल्मीकि रामायण में भी इस कौशल देश के चित्ररथ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार राज्यसंस्था के प्रादुर्भूत हो जाने के बाद मनु आर्यों का पहला राजा था। इस उत्तम-वैदिक कालीन आदि-काव्य-ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को 'मनु-निर्मित नगरी' कहा गया है। 'अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोकविश्रुता। मनुना मानवेन्द्रेण पुरवं निर्मिता स्वयं'। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। पौराणिक अनुभूतियों के अनुसार मनु के वंशज इक्ष्वाकु, माघाता आदि ने अयोध्या में राज्य किया। उन्होंने अयोध्या की सम्बाई १२ षोडश और चौडई लीन षोडश बसाई है। रामायण के अनुसार इस नगरी की रक्षा के लिए चारों ओर एक कोट था। कोट के ऊपर नाना प्रकार के शतघ्नी

(तोप जैसे) आदि मारक यंत्र सैकड़ों की संख्या में रखे रहते थे। किले की दीवार के साथ एक छाई भी थी। उस समय अयोध्या के चार द्वार थे जिनमें एक का नाम वैजयन्त द्वार था।

इक्ष्वाकु की इकतीस पीढ़ी पीछे राजा हरिश्चन्द्र अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। आगे चलकर इसी वंश में राजा दिलीप, भगीरथ, रघु, अज, दशरथ आदि प्रतापी राजा हुए। ६५वीं पीढ़ी में दाशरथि राम ने वहाँ राज्य किया। प्रतिद्वन्द्व इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार तो ऋग्वेद कालीन आर्यों से बहुत पहले सूर्यवंश की ये ऐतिहासिक घटनाएँ घट चुकी थीं। क्योंकि ऋग्वेद में 'इक्ष्वाकु' तथा 'माघाता' आदि सूर्यवंशी राज्यों का स्पष्ट उल्लेख आया है। इससे अयोध्या के राजाओं का इतिहास पूर्ववैदिक सिद्ध होता है।

महाकाव्य काल में—उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास एक तरह में अयोध्या के इतिहास से जुड़ा रहा है। वैदिक कालीन समाज में ही अयोध्या को मनु के वंशज भरत तथा सूर्यवंशी राजाओं के कारण धार्मिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हो चुका था। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के तीतरीय आरण्यक में देवानाम पुरी 'अयोध्या' का वर्णन मिलता है।

ऐनरेय ब्राह्मण में शूनः शेष ने अयोध्या की आवासीय बस्ती का उल्लेख किया है। साख्यायन श्रौत सूत्र, आरुण्योपनिषद् मुक्तिकोपनिषद् में भी इसका उल्लेख है।

वाल्मीकि रामायण कालीन जिस कोशल देश की राजधानी अयोध्या थी वह उत्तरकोशल तथा दक्षिणकोशल इन दो भागों में विभक्त था। राजा दशरथ की रानी कौशल्या दक्षिणकोशल की राजकुमारी थी। पर अयोध्या नगरी उत्तरकोशल में अवस्थित थी। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ यह एक धनधान्यपूर्ण राज्य था। मनु के द्वारा निर्मित उसकी राजधानी का विस्तार लम्बाई में चारह योजन और चौड़ाई में तीन योजन था। कनिष्ठम के अनुसार प्राचीन कोशल देश सरयू तथा घाघरा द्वारा दो भागों में विभक्त था। जहाँ अयोध्या स्थित थी वही उत्तरी भाग कोशल के रूप में जाना जाता था और दक्षिणी भाग 'वनौध' कहलाता था। भरत और शत्रुघ्न ने अपने मामा के यहाँ गिरिव्रज से लौटने हुए वैजयन्त द्वार से ही अयोध्या में प्रवेश किया था। विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण पूर्व द्वार से गये थे। सीता जी को वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी दक्षिण द्वार से गये थे। अयोध्या की जनता नरयू तट पर उत्तर द्वार से जाया करती थी।

श्रीराम के शासन काल में राजमहल और किले की रक्षा इम प्रकार की गयी थी, प्रासाद के मुख्य द्वार पर हनुमानजी, उनके दक्षिण में सुग्रीव और अगद, दुर्ग के दक्षिण द्वार पर नील और सुषेण, पूर्व द्वार में यवाश; पश्चिम द्वार पर दधिब्रह्म, शतवली, गंधमादन, ऋषभ, शरभ और पनम, तथा उत्तर द्वार पर विभीषण और उनकी पत्नी सरमा रहते थे। उनके पूर्व में द्विविद, मयन्द, दक्षिण

भाग में नामवत और केसरी रहते थे। इनमें से अब केवल चार स्थानों की पहचान बची है—हनुमान गढ़ी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मत्तगजेन्द्र।

श्रीराम ने अपने सामने ही अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था। अपने एक पुत्र कुश को कुशावती (विद्याचल के आसपास का क्षेत्र) और दूसरे पुत्र लव को सरावती (श्रावस्ती)—मध्यक्षेत्र—दिया था। भरत के पुत्रों में से तक्ष को तक्षशीला और पुष्कल को पुष्कलावती (पेशावर)—पश्चिम क्षेत्र दिया था। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्लदेश और अगद को काक्षपथ—मध्यपूर्व क्षेत्र—सौंपा था। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती को क्रमशः मथुरा और विदिशा का क्षेत्र दिया था। दानों के पुत्र अगद को किष्किंधा और दक्षिण पथ तथा विभीषण को लका का राज्य दिया था।

भगवान् श्रीराम के सरयू में आत्मार्पण के बाद ही अयोध्या को सरयू नदी ने बाढ़ में समेट लिया और उसका समस्त वैभव नष्ट हो गया। वायु पुराण के अनुसार महाराजा कुश ने, जो कि विद्याचल क्षेत्र में कुशस्थली नामक राजधानी से राज्य करते थे, बाढ़ के बाद फिर अयोध्या को बसाया और वहाँ श्रीराम की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लोमश रामायण के अनुसार यह मंदिर कसौटी पत्थर के ८४ खम्भों पर बना हुआ था। कालिदास के रघुवंश से विदित होता है कि अयोध्या की दोन-हीन दशा देखकर कुश ने पुनः उसे बसाया और अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या वापसी के दौरान उनकी मुठभेड़ नागराजा कुमुद से हो गयी थी। जनश्रुति के अनुसार कुश ने उसे पराजित कर उसकी बहन कुमुदती से विवाह किया।

महाभारत काल में कोशल के मिहामन पर बृहद्बल नामक राजा था जो महाराज नव की वंश परंपरा में से था। अर्थात् कुश की वंश-परंपरा महाभारत काल आते-आते लुप्त हो चुकी थी। बृहद्बल ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। चरभ्यूट भेदते समय अभिमन्यु के हाथों उगका बध हुआ था। उनके बाद अयोध्या में सूर्यवंश का अस्त हो गया।

इसके बाद अयोध्या का इतिहास अज्ञात हो जाता है—बौद्ध काल तक। महात्मा बुद्ध के आतिर्भाव के बाद पुनः इसका उल्लेख मिलने लगता है। लेकिन साथ ही उसका नाम और स्थान, आधुनिक इतिहासविदों की दृष्टि में विवादास्पद बन जाता है। इस विवाद की चर्चा हम आगे करेंगे। किन्तु गौतमबुद्ध का संपूर्ण जीवन कोशल प्रदेश में ही बीता था। उनका जन्म कपिलवस्तु में, निवास मुख्यतः सरावस्ती (श्रावस्ती) में, धर्मप्रचार सारनाथ (वाराणसी में) और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये सभी क्षेत्र कोशल प्रदेश में ही आते थे। बुद्ध के समय में कोशल की राजधानी सरावस्ती थी, जिसे लव ने बसाया था। गौतम बुद्ध अयोध्या में आये थे। उस समय अयोध्या एक वैश्वशाली नगरी नहीं रही थी। गौतमबुद्ध

दा।" बाबर इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फकीर ने जिद की ओर कहा कि—“यदि तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे बद्धुआ दूंगा।” इसी बात पर बाबर ने मीरवाँकी को मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया था।*

२. तारीख बारीना मदन तुल औलिया के अनुसार बाबर अपनी किशोरा-वस्था में पहले भी हिन्दुस्तान आया था। उस समय वह अयोध्या के दो फकीरो—कलदर और मूमा आशिकान से मिला था। बाबर ने दोनों से प्रार्थना की कि वह उसे हिन्दुस्तान का बादशाह हो जाने की दुआ दें। फकीरो ने कहा कि तुम जन्म-स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करें। बाबर ने उनको बात मान ली और अपने देश लौट गया। इसी वचन की पूर्ति उमर १५२८ में मीर वाँकी को मंदिर तुड़वाने का आदेश देकर की।

महात्मा बालकराम दिनाथक कृत ‘कनक भवन रहस्य’ में मस्जिद बनाने का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है :

“मीर वाँकी ने सेना लेकर मंदिर पर चढ़ाई की। १७ दिनों तक लड़ाई होती रही। अंत में हिन्दुओं की हार हुई। जब वाँकी ने मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तो पुजारी चौकट पर खड़ा हो गया और बोला, ‘मेरे जीते जी तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर झुल्लाकर वाँकी ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जब वह मंदिर के अन्दर गया तो पाया कि मूर्तियाँ वहाँ नहीं हैं। बाद में ये मूर्तियाँ लक्ष्मण घाट के पाम सरयू नदी से किसी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मिल गयीं। स्वर्गद्वार के मंदिर में इन्हीं को प्रतिष्ठित किया गया था।”

मीर वाँकी ने मंदिर की सामग्री में ही मस्जिद का निर्माण कराया था। मीर वाँकी का प्रतिरोध करने वालों के अग्रणी थे भीटी नरेश महताब सिंह, हंमवर के राजगुरु प० देवीदीन पाण्डेय, हंसवर नरेश रणविजय सिंह और महारानी जयराज कुमारी।

१/३० में १५५६ ई० तक हुमायूँ के समय में १० बार युद्ध हुए। स्वामी महेश्वरानंद साधु-मना लेकर लड़े और शहीद हुए। रानी जयराज कुमारी स्त्री सेना लेकर लड़ी। १५५६ से १६०५ ई० तक अकबर के काल में २० बार युद्ध हुए। स्वामी बलरामाचार्य लड़े व वीरगति प्राप्त की। अकबर ने राजा वीरवल और राजा टोडरमल की मध्यस्थता में हिन्दुओं को चबूतरों पर मंदिर निर्माण की आज्ञा दे दी थी।

१६५८ में १७०७ ई० तक औरंगजेब के काल में ३० बार युद्ध हुए जिनमें दशमेश मुखर्जी, गोविंद मिहजी, बाबा बंणवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा

* देखिए ‘अयोध्या का इतिहास’—लाला सीताराम बी.ए. (अवध) कृत

सिंह आदि ने लोहा लिया। अंतिम युद्ध को छोड़कर शेष सभी में हिन्दू विजयी रहे।

१७७० से १८१४ ई० तक अवध के नवाब सआदत अली के समय में ५ बार आक्रमण हुए। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने मुकाबला किया। युद्धों से तंग आकर इन्होंने भी अकबर की भाँति हिन्दुओं और मुसलमानों को साथ-साथ पूजन और नमाज की अनुमति दे दी।

१८१४ से १८३६ ई० तक नवाब नामिरुद्दीन हैदर के समय में ३ बार युद्ध हुए जिनमें मकरही के राजा ने मुकाबला किया।

१८४७ से १८५७ ई० तक नवाब वाजिद अली शाह के समय में दो बार लड़ाई हुई, जिसमें बाबा उद्दवदास और भीटी नरेश ने भाग लिया।

नवाब वाजिद अली शाह ने ३ व्यक्तियों का—एक हिन्दू, एक मुसलमान और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि—एक आयोग बैठाया। इस आयोग का निष्कर्ष था कि वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। वास्तव में भीर बाकी ने मस्जिद तोड़कर जो भवन बनाया उसके पत्थर पर स्पष्ट लिखा है कि वह “फरिश्तो के अवतरण का स्थल है।”

इस संघर्ष में कुछ मुस्लिम अनुश्रुतियाँ भी हैं। मुसलमानों का कहना था कि सृष्टि के आरंभ से ही अयोध्या मुसलमानों के अधिकार में रही है। अल्ला ताला ने पहले आदम को बनाया और जब उसने शैतान के कहने में आकर गेहूँ खा लिया तो उन्हें फिरदौस (स्वर्ग) से गिरा दिया गया। वे लंका द्वीप में गिरे। वहाँ एक पर्वत पर आदम के पैर के निशान दिखाये जाते हैं। ये निशान ३ गज लंबे हैं। आदम के विशाल झील-झील का अनुमान पैर के निशान में लगाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि आदम हज करतं मक्का जाने थे। उनके दो बेटे—अयूब और शीश की कब्रें अयोध्या में बनाई गई थीं। अबुल फजल ने भी लिखा है कि इस नगर में दो बड़ी कब्रें थीं—एक ६ गज और दूसरी ७ गज लम्बी। साधारण लोग इन्हें अयूब और शीश की कब्रें मानते हैं, और इनके बारे में तरह-तरह की अजीबो गरीब बातें कहते हैं। संभवतः यही कथित ‘फरिश्तो का अवतरण’ रहा हो।

अयोध्या में एक स्थान पर मक्का खुदं (छोटा मक्का) भी माना गया है। याने के पीछे तूफान वाले नूह की कब्र ८ गज लम्बी है। इतिहासकार इसे ‘गजे शहीदा’ मानते हैं।*

हिन्दुओं का इस बारे में कहना है कि यह मन्गदत्त कहानियाँ इसलिए प्रचलित की गयीं ताकि यह सिद्ध हो कि मुसलमान औलियो और फकीरों का यहाँ कदीमी

* अयोध्या का इतिहास—लाला सीताराम

अधिकार रहा है।

अयोध्या पर ज्यादातर कब्जा मुसलमान बादशाहों का ही रहा। अकबर ने यहाँ एक तख्ती की टकमाल स्थापित की थी।

पंडित माधव प्रसाद शुक्ल ने 'सुदर्शन' पत्र में लिखा था—“मुसलमानों के शासन काल में अयोध्या की महिमा घट गयी थी। मुसलमानों ने इसे अपने मुद्दों के लिए करवाया बनाकर इसका स्वरूप ही बदल दिया। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण खूब हुआ। माधु-सन्ध्यासी और पुजारियों के अनुपात में मुत्ला मौलवियों की संख्या बढ़ गई।

अकबर के मरण्य हिन्दुओं ने मस्जिद के बाहर चबुतरे पर श्रीराम मंदिर का निर्माण करा लिया था। नागेश्वरनाथ, चंद्रहरी आदि मंदिर भी पुनः बनवा लिए गये थे। औरंगज़ेब ने उन्हें पुनः तुड़वाकर मस्जिदें बनवा दीं। हिन्दू इनके लिए निरंतर मघप करते रहे। मुगल बादशाह इन हमलों में परेशान हो गये थे। दिल्ली की बादशाही कमजोर हुई तो अवध की नवाबी स्वतंत्र हो गयी। दक्षिण में मराठों का जोर बढ़ गया। पंचाव में मिख प्रबल हुए। तब नवाबी को अपनी-अपनी चिन्ता हो गयी। इधर साधुओं को भगवद्भजन के साथ अयोध्या के उद्धार की भी चिन्ता थी। इमीलिए उन्होंने अखाड़े चलाए। उनमें कुशती लठना, हथियार चलाना और अन्य सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा।

अयोध्या ऐसे लड़ाकू सन्ध्यासियों या वीरानियों का घर रहा है। हनुमानगढ़ी इनका दुर्ग है। वीरगी परंपरा में हिन्दू धर्म के रक्षक ब्रवी कहलाते हैं। अपने धर्म पर वे सदा जान देने को तैयार रहते रहे हैं। कई लड़ाइयों में उनके अखाड़ों ने डट कर हिस्सा लिया था।

सन १७३१ में दिल्ली के बादशाह ने अवध के झगडालू क्षत्रियों से घबरा कर अवध का सूबा सञ्चालन अली खान को दे दिया। तब से वहाँ नवाबी की जड़ें जमीं। मसूरअली के समय अवध की राजधानी फैजाबाद हो गई। मुसलमानों के राज्य-काल में अयोध्या में मुसलमान काफी संख्या में बस गए थे। लक्ष्मण घाट में चक्र तीर्थ तक मुसलमानों के मोहल्ले रहे हैं।

अंग्रेजों राज में अयोध्या ५-६ हजार का एक बस्वा मात्र रह गया जो सरयू के तट पर बसा हुआ था। इस समय यहाँ की सड़कें पक्की और चौड़ी कर दी गयीं। रेल निकलवाई गई। यात्रा की सुविधा के कारण लाखों लोग तीर्थयात्रा पर यहाँ आने लगे। रामनवमी, झूलन आदि मेले लगने लगे। पंचत्रांशी आदि परिक्रमाएँ होने लगीं। आजकल अयोध्या मंदिरों का नगर है। धर्मशालाएँ और मंदिरों की विपुलता है। यह उत्तर भारत की धार्मिक राजधानी बन गई है। श्रीराम-जन्मभूमि अपने समाज-मनोवैज्ञानिक महत्व के कारण एक नये मुक्ति-संश्रम और नये हिन्दू जागरण-अवार का केन्द्र बन गयी है। जन्म-भूमि विवाद के

साथ अयोध्या की ऐतिहासिकता, और जन्म-भूमि की वास्तविकता के बारे में भी एक विवाद उठ खड़ा हुआ है।

नया ऐतिहासिक, विवाद

जन्मभूमि-मस्जिद विवाद की गर्माहट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉ० रोमिला थापर तथा अन्य कुछ इतिहास अध्यापकों ने राम, रामायण और अयोध्या की ऐतिहासिक सत्यता पर ही प्रश्न उठाने वाले निबंध प्रकाशित किये।

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञ रामायण को इतिहास का खून मानने में अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार, "राम की कहानी से संबंधित घटनाएँ, वास्तव में 'रामकथा' नामक पुस्तक में बताई गईं, जो बहुत समय में उपलब्ध नहीं है, और यही कथाएँ एक महाकाव्य के रूप में वाल्मीकि द्वारा रामायण में पुनर्लिखित हैं। चूँकि यह एक कविता है, इसमें बहुत कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, जैसे विशिष्ट स्थान, व्यक्तित्व, घटनाएँ, आदि, जिन्हें इतिहासकार अपेक्षाकृत अधिक विश्वमनीय स्रोतों के अभाव में स्वीकार नहीं कर सकते। दृढ़ता ऐतिहासिक साक्ष्य लोकप्रिय मतों का खण्डन करते हैं।"

हिंदुत्ववादी इतिहासकारों ने इस मूल आपत्ति का खण्डन करते हुए, इसे उसी सिलमिले की नवीनतम कड़ी बताया जो भारतीय इतिहास को विह्वल करती आयी है। इनके अनुसार "ज० ने० वि० के इतिहास विदों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ, साम्यवादी दृष्टिकोण और सोद्देश्य लेखन उनके इतिहास पर लीपापोती करा रहा है।"

डॉ० कुबर्लाल अपने 'पुराणों में इतिहास' नामक शोधपूर्ण ग्रंथ में कहते हैं, "आमलप्रभुओं ने अपनी पश्यन्पूर्ण मैकाले योजना के अंतर्गत ऐसे समय में भारत का इतिहास लिखना प्रारंभ किया जब कि भारत देश अपने अतीत के गौरव एवं प्राचीनतम इतिहास को अद्यतन अज्ञानावर्त में डाल चुका था। आमलप्रभुओं ने अपने मिथ्या ज्ञान के द्वारा उस पर और गर्द चढ़ाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि भेद (फट) और अज्ञान के बीज भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से थे और अब भी हैं। विदेशी शासकों द्वारा भारत के भेदमूलक तत्वों तथा जातिवाद, भाषावाद, मध्दायवाद और (अव वर्गवाद) अज्ञान का लाभ उठाना स्वाभाविक था, अतः उन्होंने इनका विस्तार किया।

"अंग्रेजों ने भारतीय एकता के उपादानों या घटनाओं का अपने इतिहास ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं किया। यथा अगस्त्य या पुलस्त्य, राम, हनुमान, श्याम (या कृष्ण) को उन्होंने ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं माना। इनकी ऐतिहासिकता की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा ही की। आर्य-अनार्य या आर्य-वस्यु या आर्य-द्रविड समस्या

खड़ी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतवर्ष सदा से ही विदेशी जातियों का उपनिवेश या अड्डा रहा है।

“अगस्त्य-पुलस्त्य के दक्षिण अभियान की उन्होते चर्चा ही नहीं की जो उत्तर-दक्षिण भारतीय एकता का महान प्रतीकात्मक उपक्रम था। वेद, जो न केवल भारतवर्ष वरन् विश्व सस्कृति का मूल है, उसे केवल उत्तर-भारतीय या पंजाब या पाचाल (उत्तर प्रदेश) की संपत्ति सिद्ध किया गया। सस्कृत भाषा, जो मानव-जाति की आदिभाषा या मूल भाषा है, उसका उद्गम एक काल्पनिक या बाह्य-इंडो-यूरोपियन भाषा से माना गया।

“पाश्चात्यो का पद्यत्र और मिथ्याज्ञान तो स्वाभाविक ही था, परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् भी उत्तरी पाश्चात्य आग्न् विद्या का गुणानुवाद और पठन-पाठन चल रहा है। आज भी स्वतंत्रता के ४० वर्ष पश्चात् हमारे विद्यालयो, महाविद्यालयो एवं विश्वविद्यालयो मे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति सबधो पाश्चात्य लेखको के ग्रन्थ ही परम प्रामाणिक ग्रन्थो के रूप मे पढाये जा रहे हैं जो पाश्चात्यो ने भारत पर शासन करने की दृष्टि से लिखे थे। हमारे विश्व-विद्यालयो के प्राध्यापको मे वे ही अंग्रेजीकाल के सड़े-गले विचार भरे हुए हैं। वे इन्ही भ्रष्ट एव मिथ्या पाश्चात्य ग्रंथो को पढते हैं और उन्ही के आधार पर पढाते हैं। न केवल इतिहास के क्षेत्र मे, वरन् राजनीति, मनोविज्ञान, गणित, ज्यामिति, शिल्प, यत्रविज्ञान, दर्शन या चिकित्साविज्ञान आदि क्षेत्र मे अभी तक परम प्रामाणिक भारतीय लेखको या ग्रंथो का प्रवेश तो क्या, स्पर्श तक भी नही है। पाट्यत्रयो के राजनीतिक शास्त्र ग्रंथो मे अरस्तू या प्लेटो की बहुधा चर्चा होती है, परन्तु शुक्राचार्य, विशालाक्ष, बृहस्पति, व्यास या चाणक्य का नाममात्र भी नही मिलेगा। इतिहास के क्षेत्र मे रामायण, महाभारत और पुराणो को तो कीथ आदि की कृपा मे अछूत ही बना दिया गया है। हमारा मत यह है कि प्राचीन भारत का मूल इतिहास पुराणो मे ही लिखा मिलता है”

भारतीय इतिहास की विकृतियों के कारण डॉ० कुबेरलाल ने इस प्रकार बताया है। एक, मकाले योजना के अवर्गत पाश्चात्यो द्वारा इतिहास लेखन का उद्देश्य-विजेता (व्यक्ति या जाति) द्वारा विजित की परंपरा (इतिहास) और गौरव को या तो पूर्ण नष्ट कर देना या उसमे तोड़-मरोड़ करना। दो, पाश्चात्यो का संस्कृत विद्या से इमी उद्देश्य से परिचय ताकि भारतीयो की गोलपट्टी खोली जाये। तीन, विकासवाद का भ्रमजाल, जो 'ईश्वर ही ब्रह्माण्ड है' के प्राचीनतम भारतीय सिद्धान्त से मेल नही खाता है। चार, अनेक बार प्रलय—जिनमे कृष्णयुग या त्रिमयुग के कारण आशिक या पूर्ण जीवसृष्टि नष्ट हुई और पुनरुत्पन्न हुई। प्राचीन साहित्य मे केवल दो प्रलय स्मृति शेष हैं। महाभारत के शल्यपर्व तथा द्रोणपर्व मे प्रथम अग्निप्रलय का उल्लेख है। रामायण के अरण्यकाण्ड मे जनप्रलय

का उल्लेख है, जिसके बाद स्वायम्भुव मनु ने नवीन मानव सृष्टि की। पाँच, मन्वन्तरो और अवतारो में विकासवाद की मिथ्या कल्पना : भाषा, आर्यजाति, आदि संबंधी मिथ्या कल्पनाएँ, देव, दैत्य, असुर आदि जातियों के बारे में मिथ्या कल्पनाएँ। छह, मिथ्या कालविभाग या भ्रामक युग विभाजन, इतिहास पुराणों के अष्ट पाठ, आदि...

इनमें कुछ तो बाह्य और कुछ आंतरिक रहे हैं। ज० ने० वि० के इतिहास विदो द्वारा भारतीय इतिहास परबश और जन-भावना को झुठाने का प्रयास पहली कोटि में आता है। इन साम्यवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी इतिहासकारों की मुख्य ऐतिहासिक आपत्तिया इस प्रकार हैं—

कोई भी व्यक्ति ४००० ई० पू० की अयोध्या—जहाँ राम का निवास स्थान माना जाता है और राम के इतिहास के बारे में निश्चित मत नहीं रख सकता। साथ ही अयोध्या के अपेक्षाकृत जन्मस्थान के बारे में भी मर्तक्य स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में भी कोई विश्वमनीय स्रोत नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण राममंदिर को नष्ट करके किया गया। यह भी संदेहास्पद है कि बाकी ने मस्जिद संबंधी कोई कदम उठाया भी या नहीं।

बाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा राम त्रेता युग में जन्मे थे। जो कि कलियुग, जिसका आरंभ ३१०२ ई० पू० में माना जाता है, से हजारों वर्ष पहले का काल है। कोई ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि इतने पुरातन काल में उस क्षेत्र में, जहाँ वर्तमान अयोध्या है, लोग बस गये थे। अधिक में अधिक पुरातन तिथि इस सदर्भ में ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी मानो जा सकती है। पुरातात्विक अवशेषों से जिस जन-जीवन का पता चलता है, वह बाल्मीकि रामायण में वर्णित जीवन से अधिक प्राचीन है।

रामायण में नगरीय स्तर पर महलों और भवनों का व्यापक वर्णन पर सकेत दिया गया है जिसकी पुष्टि दशवीं शताब्दी ई० पू० के पुरातात्विक साक्ष्यों से नहीं होती।

अयोध्या की स्थिति में भी मर्तक्यता नहीं है। प्रत्येक बौद्ध पुस्तक में श्रावस्ती और साकेत के नाम आते हैं, अयोध्या के नहीं, जो कि कौशल के विशाल नगर हैं। जैन पुस्तकों में भी साकेत का उल्लेख कौशल की राजधानी के रूप में आता है। अयोध्या के बारे में बहुत कम प्रसंग ही हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित बताई गई है, न कि सरयू के, जिसके किनारे वर्तमान अयोध्या बसी है।

साकेत गुप्त राजा द्वारा रक्षित अयोध्या थी। पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्कंद गुप्त ने अपना आवास साकेत में बना लिया और उसे अयोध्या कहने लगा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसे अपने मोने के सिक्कों में प्रयुक्त किया। अतः रामायण में वर्णित काल्पनिक अयोध्या साकेत से अपेक्षा-

कृत काफी वाद में प्रादुर्भूत हुई। इससे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्त राजा राम के भक्त थे। साकेत से अयोध्या नाम रखने का उनका उद्देश्य सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को धारण कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना था।

सातवीं शताब्दी के बाद अयोध्या के प्रसंग पुस्तकों में श्रेणीबद्ध हैं। पुराण, जो (इन इतिहासविदों के मत में) एक हजार वर्ष पुराने हैं, रामायण को मानते हैं और अयोध्या को कौशल की राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्थानीय परम्परा से अयोध्या की उत्पत्ति का संदिग्ध या अस्पष्ट इतिहास ही प्रकट होता है। जनश्रुति यह है कि अयोध्या का अन्त त्रेतायुग में ही हो गया था और इसकी पुर्नखोज विक्रमादित्य के द्वारा हुई। विक्रमादित्य ने उस स्थान की पहचान की लेकिन स्थान के पहचान की यह प्रक्रिया अनिश्चित और कपोल-कल्पित लगती है।

इसलिए डॉ० रोमिला थापर, प्रभृति ज. ने. वि. के इतिहास विद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आज की अयोध्या पाँचवीं शताब्दी के पूर्व की साकेत नगरी है तथा वाल्मीकि के रामायण की अयोध्या काल्पनिक है। अतः राम जन्म-भूमि का स्थान अयोध्या मानना भ्रष्टा प्रेरित है, ऐतिहासिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं।

अयोध्या केवल वैष्णव धर्म का ही नहीं, बहुत से धर्मों का पवित्र केन्द्र रहा है। अतः उक्त इतिहासकारों के मत में राम की आराधना के महान् केन्द्र के रूप में इसका उद्भव अपेक्षाकृत अत्यधिक नवीन एवम् समसामयिक है।

पाँचवीं से आठवीं शताब्दी और इसके बाद के शिलालेखों, अभिलेखों आदि से अयोध्या का पता तो चलता है, लेकिन उनमें से किसी से भी राम के पूजास्थल के प्रमाण में इसकी पुष्टि नहीं होती।

ह्वेन सांग अयोध्या को बौद्ध धर्म का महान् केन्द्र बताता है जहाँ कई एक मठ थे। कुछ अबौद्ध भी वहाँ थे। बौद्धों के लिए अयोध्या एक पवित्र स्थान है, क्योंकि भगवान् बुद्ध कुछ समय के लिए, उन लोगों की मान्यतानुसार यहाँ ठहरे थे।

बौद्ध स्त्रोतों में अयोध्या और साकेत दो अलग-अलग नगर हैं और अयोध्या गंगातट पर बसा है। बौद्ध स्त्रोतों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिनसे अयोध्या का साकेत से भिन्न होना सिद्ध होता है। ऐसा कहा गया है कि अयोध्या गंगा किनारे स्थित थी और बुद्ध वहाँ दो बार गये। एक समय उन्होंने फेन सुत्त का प्रवचन किया और एक अन्य समय में दारुखण्ड सुत्त का।

जैन तीर्थ यात्रियों के लिए भी अयोध्या एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जैनों के लिए यह स्थान पहले और चौथे तीर्थंकरों की जन्मभूमि रहा है। चौथी में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई एक पुरातात्विक जैन स्मृति अब तक की सभी

स्मृतियों में पुरानी है।

द्वारहवीं सदी का इतिहास अयोध्या में गोपतरु तीर्थ की पुष्टि तो करता है लेकिन राम जन्मभूमि का कोई संकेत नहीं देता। राम की उपासना तेरहवीं शताब्दी से लोकप्रिय हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कि रामानन्दी संप्रदायी जिसने राम की उपासना को लोकप्रिय बनाया—पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में अयोध्या में पूर्णरूपेण नहीं बसे थे। शैवमत राम की उपासना से अधिक महत्वपूर्ण था। अठारहवीं शताब्दी से ही व्यापक पैमाने पर रामानन्दी साधुओं के बसने का प्रमाण मिलता है। तभी से अगले वर्षों में उन्होंने अयोध्या में अपने मंदिर बनवाये।

इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, रामजन्म के इतिहास, ई० पू० ४००० में अयोध्या का उद्भव और साथ ही साथ अयोध्या में जन्म के उस स्थान से सर्दमित उन सभी तथ्यों के प्रति निश्चित दृष्टिकोण स्थापित नहीं कर सकता।

इन इतिहास विद्वानों का खण्डन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रो० ए० आर० खान तथा पुरातत्व विद्वानों स्वराज्य प्रकाश गुप्त, पूर्व निदेशक, इलाहाबाद संग्रहालय ने किया है। अपने प्रतिपादन की पुष्टि में जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किये हैं—उनकी समीक्षा उपयुक्त होगी।

३. ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य

एक—उक्त इतिहासकार रामायण को इतिहास का स्रोत मानना अस्वीकार करते हैं ।

यह तो मही है कि रामायण अथवा प्राचीन भारतीय वेद-इतिहास-पुराण ग्रंथों में सब कही सभी कुछ अकाट्य सत्य नहीं है। अष्ट पाठ, चारण भाटों के लोभभय तथा प्रतिलिपिकारों की गलतियों से उनमें बहुत सारी कपोल कल्पित बातें, अतिरंजनाएँ तथा अविश्वसनीय बातें गणनाएँ प्रक्षिप्त हो गयी हैं।

इस अतिहासिक प्रतीत होने वाली विकृति का एक उदाहरण युगगणना है। प्राचीन भारत में युगगणना के निम्न प्रकार प्रमुख थे—*

१. पंच मवत्सरात्मक युग; २. ऐसे पंच वर्षात्मक युगों के १२ पंचक मिल कर एक षष्ठिमवत्सर या बार्हस्पत्ययुग बनता था, वेद और आरण्यक ग्रन्थों में इनका उल्लेख है। ३. मानुष युग—यह शत वर्षीय होता था। इतिहास पुराणों में तिथि गणना मानुष युगों में ही होती थी। ४. दिव्ययुग—यह ३६० सौर अथवा मनुष्य वर्षों का होता था न कि ३६० मानुषयुगों का—जैसा कि प्रतियुग पुराणों में बाद में प्रक्षिप्त हो गया। ५. सप्तपियुग—यह २७०० वर्ष का होता था—सप्तपि मण्डल के सप्ततारा, मघादि नक्षत्रों में १००-१०० वर्ष ठहरते हैं। इस गणना से २७ सौ वर्षों का एक युग होता था। ६. ध्रुवयुग—यह ६०६० वर्ष का था जो कि तीन सप्तपि युगों के बराबर होता था। ७. चतुर्युग—इसे महायुग भी कहते थे जो १२,००० वर्ष का होता था; न कि प्रक्षिप्त गणना के अनुसार ४३ लाख २० सहस्र वर्षों का। महाभारत, मनुस्मृति एवं प्रायः सभी पुराणों में चतुर्युग कृत, त्रेता, द्वापर और कलि का मान क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष और १२०० वर्ष गणित है। इस गणना के अनुसार ३६०० वर्ष वाले त्रेतायुग का आरम्भ विक्रम पूर्व ६२०० वर्ष होता है और अंत ५६०० विक्रम पूर्व। इसके बाद २४०० वर्षों का द्वापर युग आया जो विक्रम पूर्व ३०८० में वामुदेव वृष्णि के ब्रह्मनिर्माण के दिन समाप्त हुआ था।

* डॉ० कवरलाल—पुराणों में इतिहास पृ० १३५

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्तमान पुराणपाठों में कितनी अशुद्धि एवं पाठ-
श्रुति या पाठ भ्रष्टता है। यही कारण है कि उन पर अनैतिहासिकता का आरोप
आसानी से लगा दिया जाता है।

प्रो० ए० आर० खान के अनुसार "रामायण में निश्चित रूप में ऐतिहासिक
पुट है। रामायण वाल्मीकि के पहले से भी शताब्दियों से साहित्यिक, गौरव का
केन्द्र बिन्दु रही है।" वाल्मीकि के रामायण में व्यक्तित्व, चरित्र आदि की
अतिशयोक्ति मान लेने पर भी वर्तमान अयोध्या का राम से सम्बद्ध होने का खण्डन
कोई भी इतिहासकार चाहे जितने नीचे स्तर का हो, स्वीकार नहीं कर सकता।

"यह किंवदन्ती कि रामायण की घटना नवीं शताब्दी ई०पू० में घटी, और
वाल्मीकि द्वारा पीछे इसका वर्णन किया गया—इस बात का मूल्यांकन नहीं किया
जा सकता।"

"ज० ने० वि० के इतिहासकारों के निरीक्षण के अनुसार 'द्विंशती शताब्दी
ई० पू० में अयोध्या के पुरातात्विक अवशेषों से अयोध्या के जिस जन-जीवन का
पता चलता है, वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या से भिन्न है। वाल्मीकि
ने रामायण की घटनाओं को समलकृत करने के लिए ऐसा किया होगा।"

"जहाँ तक युग का प्रश्न है, 'त्रेता' उनकी अलंकारिक अभिव्यक्ति या कोई
अन्य विशिष्ट अर्थ रखता है, जिसे बहुत से पंडितों ने स्वीकार किया है। इसका
अर्थ राम का जन्म कलियुग के ठीक पहले नहीं बल्कि द्वारपर युग के पहले (सैंकड़ों
हजारों वर्ष पहले) मानना चाहिए।"

"अयोध्या के बारे में ज० ने० वि० इतिहासकार बताते हैं कि बौद्ध और जैन
ग्रंथों में कम उल्लेख मिलते हैं। कोशल के दो महान नगर उनमें श्रावस्ती और
माकेत बताये गये हैं। जिस अयोध्या का उल्लेख है वह गंगा के किनारे बसी हुई
है न कि सरयू के जो वर्तमान अयोध्या तट से गुजरती है। केवल इस आधार पर
ऐतिहासिक साक्ष्यों को अस्वीकार करना कि वे बहुत थोड़े हैं 'इतिहास' के प्रति
सम्मान को ठेस पहुंचाना है। प्रथम तथ्य तो यह है कि अयोध्या का उल्लेख मिलता
है। द्वितीय यह है कि सम्भव है, भौगोलिक स्थिति के बारे में प्राचीन लेखकों ने
भूल कर दी हो। या हो सकता है कि लेखक सम्पूर्ण गंगावर्ती क्षेत्र को ही 'गंगा-
नदी' समझ बैठा हो—क्योंकि वह भारत का अन्य क्षेत्र का था। एक बौद्ध ग्रंथ में
साकेत को भी गलती से गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बताया गया है। यह
मत्स्य है कि बौद्ध ग्रंथों ने साकेत को अयोध्या की बहन बताया है। जैन ग्रंथों में भी
इस नगर का यही नाम दिया गया है और इसे विनीता कहा गया है।—यह
अधिक संभाव्य है कि शताब्दियों पहले से वाल्मीकि तक कोशल की राजधानी
को वैकल्पिक रूप से साकेत, विनीता एवं अयोध्या के नाम से जाना जाता रहा
हो।"

“ज०ने०वि० के इतिहासज्ञ अपना मत व्यक्त करते हैं कि-‘यह पूर्व मुस्लिम युग में बौद्धों और जैनियों का धार्मिक केन्द्र-थी। इसका राम के पूजास्थल के रूप में उद्भव अभी हाल का है। ये अपने ही सिद्धान्त का अपने ही दूसरे सिद्धान्त से विरोध करते हैं। क्योंकि एक स्थान पर वे यह उल्लेख स्वयं करते हैं कि इस कारण (सूर्यवंश की प्रतिष्ठा) से स्कंदगुप्त ने अयोध्या का नाम रखा होगा। उनके अनुसार ऐसा करके स्कंदगुप्त अपने को सूर्यवंशी राजाओं की उस श्रेणी में होने की प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था जिसमें राम का जन्म हुआ था। इससे यही सिद्ध होता है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व भी लोगों के मस्तिष्क में राम के प्रति श्रद्धा थी। जिसके आधार पर राजा स्कंदगुप्त एक नगर के नामकरण से ही अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था।”

डॉ० स्वराज्य प्रकाश गुप्त के अनुसार, “वाल्मीकि रामायण का रचना काल, विद्वानों द्वारा आम तौर पर ईसापूर्व दूसरी शताब्दी से दूसरी सदी तक माना गया है। (जब कि परम्परा के अनुसार वाल्मीकि राम के समकालीन थे, यानी उन्होंने ईसापूर्व कम से कम ६००० वर्ष पहले रामायण की रचना की—ले०) वे मानते हैं कि पहले उनकी रचना मौखिक रूप में हुई तथा गुरु-शिष्य परम्परा से मौखिक रूप में ही उसका हस्तांतरण हुआ। कथा के विविध तथ्यों के छिटपुट उल्लेख—जैसे अयोध्या शब्द का आविर्भाव आदि, उत्तर वैदिक, बुद्ध पूर्व (अथवा ६०० ईसापूर्व से पहले) कालीन साहित्यिक कृतियों—जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में मिलते हैं। कथा का कम से कम एक रूप बौद्ध साहित्य में यहाँ तक कि चीन में ‘दशरथ जानक’ के रूप में भी उपलब्ध है।

“अयोध्या में मानवीय निवास स्थानों का सर्वाधिक निचले स्तर का पुर्ण-तात्विक काल ईसा पूर्व आठ से नौ सदी पहले तक चला जाता है। यदि इस स्थल की सबसे प्राचीन तिथि को वाल्मीकि तथा उनके रामायण का काल माना जाये, या वह कुछ बाद का भी मान लिया जाये, तो यह परम्परा कम से कम ३००० वर्ष पुरानी हो जाती है। यह बताना होगा कि कथा के कुछ भाग महाभारत में भी आते हैं, जिसका मूलरूप, ज्योतिष शास्त्रीय गणना के आधार पर ईसा पूर्व १४५० के आसपास रचित माना गया है। इस तरह रामकथा अधिक नहीं तो ३५०० वर्ष प्राचीन है।”

“रोमिला थापर जैसे कुछ इतिहासकार यह प्रतिपादित करते हैं कि असली मुद्दा उस त्रेता-युग का तिथि-निर्णय है, जब राम का जन्म हुआ बताया जाता है। त्रेता-युग (द्वापर तथा) कलियुग से पहले आता है और कलियुग ईसापूर्व ३१०२ से शुरू हुआ बताया जाता है। इन लोगों के अनुसार, चूँकि पुरातात्विक दृष्टि से अयोध्या का स्थान ईसा पूर्व ८०० से पहले आबाद ही नहीं था, हिन्दुओं का दावा ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है।”

“किन्तु इस मुद्दे पर प्राचीन इतिहास के कुछ विद्वान मानते हैं—जैसे डी०डी० कोसम्बी जो भारत के ज्येष्ठतम मार्क्सवादी इतिहासविद् रहे हैं—कि ‘युग’ की अवधारणा, एक ही वर्ष के चार भिन्न खण्डों के रूप में समझी जानी चाहिए, जो कि चार मुख्य ऋतुओं तथा उनकी तात्कालिक कठिनाईयों एवं सुखों से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में श्रेया उन ऋतु का प्रतिनिधित्व करेगा, जब राम का जन्म हुआ। जैसा भी हो, हम इतिहासविद् बिना कोई पक्ष लिए साफ मस्तिष्क से यह मानते हैं कि चूँकि रामायण एक महाकाव्य है, उसका विकास विश्वकोश की तरह हुआ है। उदाहरणार्थ बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड उसमें अन्य काण्डों की अपेक्षा बाद के काल में जोड़े गये। अन्य कुछ हिस्से भी इस तरह विकास की प्रक्रिया में जोड़े गये हो सकते हैं। हम यह तथ्य भी अच्छी तरह समझते हैं कि यह एक काव्य-साहित्य की रचना है, अतः मुख्य कथा का काव्यात्मक अलंकरण पूर्णतया स्वाभाविक है। इसी तरह हम जानते हैं कि सभी महाकाव्यों में लौकिक तथा अलौकिक (अति प्राकृतिक) का अनिवार्य मिश्रण होना है, चाहे वे भारतीय हो या अभातीय। हम यह भी मानते हैं कि प्रत्येक युग में जब ऐसी केन्द्रीय कथाओं का पुनर्कथन होना है, तो उनमें समकालीन स्थिति के चित्र आसानी से प्रक्षिप्त हो जाते हैं। यह तुलसीदास के रामचरित मानस के मामले में हुआ है और रामायण के अन्य संस्करणों में भी ऐसा हुआ है। महाभारत तथा बाइबिल भी इसके अपवाद नहीं हैं। इनमें से हर रचना समय क्रम में संशोधनों तथा परिवर्तनों के जरिये विकसित होती आयी है।”

“अतः हम इतिहासविद् लौकिक से अलौकिक को छाटने, अलग करने की कोशिश करते हैं। ‘मूल’ से ‘प्रक्षिप्त’ को और ‘बीज’ से ‘विकास’ को पृथक् पहचानने का ध्यान करते हैं, ताकि मूल केन्द्रीय आशय का पता चल सके। इसके बाद प्रमाणों के मूल्यांकन हेतु हम निम्नलिखित प्रश्न उठाते हैं”—

“क्या संपूर्ण कथा काल्पनिक है, या कम से कम मूल, केन्द्रीय या बीजरूप कथा, सत्य घटना हो सकती है ?”

“इन सदर्भ में पहले हमें रामकथा के अलौकिक अथवा धर्मशास्त्रीय अंश की अलग श्रेणी बनानी होगी। इन्हे कठोर ऐतिहासिक शर्तों पर, यानी काल और स्थल की दृष्टि में न तो हम प्रमाणित कर सकते हैं, न अप्रमाणित। लेकिन इतिहासविदों से इसकी अपेक्षा भी नहीं की जानी। इतिहासविद् तथा जन-साधारण साफ तौर पर यह जानते हैं कि सामाजिक यथार्थताएं इन अलौकिक या धर्मशास्त्रीय विश्वासों पर व श्रद्धाओं पर आधारित होती हैं—वनिस्वतः ऐतिहासिक घटनाओं के। यह हिन्दू महाकाव्यों—रामायण तथा महाभारत के बारे में ही नहीं है, बल्कि सभी यूनानी और रोमन महाकाव्य ऐसी अलौकिक श्रद्धाओं, आस्थाओं से भरे हुए हैं। फिर भी ऐतिहासिक सत्यों और सामाजिक

यथार्थों को इन काव्यों में भे अलग छाँटा जा सकता है। इस तरह काम करते हुए, हम यह भलीभाँति जान लेते हैं कि राम के जन्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता, कम से कम त्रेता युग में जन्म को। अतः उससे यह समझ कर बरतना होगा कि यह महाकाव्य का ऐसा हिस्सा है, जो मूल को अथाह प्राचीनता प्रदान करता है।”

“ठीक यही बात तब होनी है, जब हम ‘अवतार’ की अवधारणा पर विचार करने लगते हैं। यह इतिहास का ऐसा विषय न तो कभी रहा है, न रह सकता है, जो पचाह्र के वर्षों की कालगणना के दायरे में आ सकता हो।”

“कभी किसी इतिहासविद् ने, किसी भी धर्म में, गणना का यह माप लागू नहीं किया है, चाहे वह ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम या जैन अथवा बौद्ध। ईसा मसीह कैसे पैदा हुए? पवित्र मेरी द्वारा पुरुष-संयोग के बिना हुई अलौकिक गर्भ-धारणा से। बुद्ध कैसे पैदा हुए? माया देवी के नितंब भाग से। अब डॉ० थापर या डॉ० गोपाल को ही इन्हें ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में सिद्ध (अथवा असिद्ध) करने दीजिए। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ईसा और बुद्ध मानव प्राणी के रूप में विद्यमान रहे, चाहे वे कितने ही श्रेष्ठ और अलौकिक रहे हों। ईसा को भी देवत्व प्रदान किया गया, जैसे राम को देवत्व पद मिला। बुद्ध को भी भगवान या ‘देव’ कहा गया। इस तरह हम इतिहासविदों ने ‘अलौकिक’ को छाँट कर अलग कर दिया (हम जानते हैं कि मानव प्राणियों को अपने श्रेष्ठ सामाजिक अथवा धार्मिक नेताओं पर अलौकिकत्व आरोपित अथवा प्रक्षिप्त करने की आदत होती है।) ताकि दो तरह के मृत्यो तक पहुँचा जा सके—ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक यथार्थों तक। हमारे लिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। दोनों ही सामाजिक इतिहास के तथ्य हैं। वस्तुतः अधिकांश सामाजिक यथार्थ जो कि धार्मिक आस्थाओं और आचरणों से उत्पन्न होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा भी ज्यादा ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं, क्योंकि सामाजिक यथार्थ, अधिकांश जन साधारण को, अधिकांश समय छूते रहते हैं, जबकि ऐतिहासिक घटनाओं का ऐसा प्रभाव विरला ही होता है। राम के सत्य को मानव इतिहास में विद्यमान इन तुलनीय रियलियों की रोशनी में ही देखा जाना चाहिए।”

जैन-तीर्थंकरों को परम्परा के आधार पर भी ६वीं शताब्दी ई० पू० तक के अयोध्या के अस्तित्व तथा इतिहास की स्थापना के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

जैनो के २४ तीर्थंकर हुए हैं जिनमें अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए। इन्हें बुद्ध के समकालीन (६ वीं शताब्दी ई० पू०) माना जाता है। उनके एक पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्हें ८वीं या ९वीं शताब्दी ई० पू० के ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि

तीर्थंकरों की परम्परा ऐतिहासिक है। इसी जैन परम्परा के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और चौदहवें तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्मे थे। ये सब ईश्वरकुवश के ही थे जिनके श्रीराम भी थे। जैन परम्परा में वैदिक युग से, मौर्य व गुप्तवश एव तुर्क अफगानों तक निरन्तरता के संकेत मिलते हैं। जैनो की अयोध्या में उपस्थिति से संबंधित पुरातात्विक अभिलेख ४ शताब्दी ई० पू० के हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि उनके प्रथम तीर्थंकर जहाँ उत्पन्न हुए उसे काल्पनिक ढंग से खोजा गया। और यह समझना हास्यास्पद मान्यता है कि अपनी निरन्तर उपस्थिति के साथ वे अपने पाँच तीर्थंकरों के स्थान को ही भूल गये और भूल से यह प्रतिष्ठा अयोध्या को दे बैठे। क्या जैन तीर्थंकरों ने अपनी परंपरा को स्वयम् ही खण्डित कर दिया? और क्या उसी समय राम तथा विक्रमादित्य ने भी वही किया? इस प्रकार का अनुमान, अयोध्या नगरी के हजारों वर्षों के प्राचीन महत्व की सभावनाओं और सामान्य बुद्धि से निरूपित करने पर समीचीन नहीं लगता।

अतः हम इन निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वाल्मीकि की रामायण के पीछे राम की कोई भी कहानी क्यों नहीं हो, लेकिन ५वीं शताब्दी से, जब विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम (विष्णु) मन्दिर का निर्माण कराया और इस नगर का नाम कथित रूप से अयोध्या रखा, चाहे वह पूर्व परम्परा के अनुसार हो या किसी नयी स्थापना के लिए हो, अयोध्या राम की पूजा का केन्द्र रहा है। अतः जब बाबर के लोग अयोध्या पहुँचे, तो उन्हें शताब्दियों पुराने और कट्टर रामोपासक वहाँ मिले।

यहाँ हम मनने के ऐतिहासिक हिस्से पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है : समूचे विवाद में विभाजन रेखा खींचने वाली वह तिथि कौन-सी है ?

यह है ई० म० १५२८ का वर्ष, जब बाबरी मस्जिद बनी।

दूसरा प्रश्न है : क्या मस्जिद के निर्माण स्थान पर पहले मंदिर था ? यदि हाँ तो उसकी निर्माण तिथि क्या है ?

इस संबंध में ज० ने० वि० के इतिहासज्ञ निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अभी तक कोई भी ऐसे विश्वसनीय स्रोत प्राप्त नहीं हो सके हैं कि बाबरी मस्जिद को एक महत्वपूर्ण राममंदिर तुड़वाने के बाद बनवाया गया। यह भी संदेहास्पद है कि इस संबंध में बाबर की भी कोई भूमिका थी। इस विषय में भी कोई माक्ष्य नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर कराया गया, जहाँ पहले मंदिर बना हुआ था।

"मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर जो द्वारत पाई जाती है, उसके अलावा ऐसा कोई और साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बाबर की ओर से किसी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। श्रीमती बीवरिजने—जिन्होंने सर्वप्रथम 'बाबरनामा' का अनुवाद किया, उपरोक्त लिपि के अनुवाद को प्रस्तुत

किया है। उसमें इस प्रकार उल्लेख है कि, “बादशाह बाबर की आज्ञा से—जिसका इसाफ स्वर्ग की ऊँचाइयों को छूता है, मीर बकशी ने अद्भुत दैवी स्यान—फरिश्तो के स्थान का निर्माण कराया।”

“अभिलेख में केवल एक सामंत मीर बकशी का उल्लेख मिलता है। उसमें यह कही भी नहीं मिलता कि मस्जिद को मन्दिर के स्थान पर बनवाया गया और न ही बाबर की आत्मकथा में अयोध्या में किसी मन्दिर को ध्वस्त करने का उल्लेख है।”

“आइने अकबरी में अयोध्या को ‘रामचन्द्र की पावनस्थली’ के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें त्रेता में जन्मे राम के आध्यात्मिक एवं राजसी दोनों ही रूपों का समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कही भी अकबर के बाबा बाबर द्वारा मन्दिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण का उल्लेख नहीं है।”

“यह और भी दिलचस्प है कि अकबर के समकालीन तुलसी दास जो इसी क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं, तथा रामभक्त हैं, राम जन्म-भूमि के स्थान पर वने किमी मन्दिर के तोड़े जाने का उल्लेख नहीं करते।

“मन्दिर गिराकर मस्जिद बनाने की यह कहानी उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित हुई और सरकारी वहीखातो में आयी और यही तथ्य अन्य लोगों द्वारा वैध ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उद्धृत किए गए। ब्रिटिश अभिलेखों के आधार पर इस क्षेत्र के संबंध में मन्दिर गिराने की कहानी, बिना किसी खोज के, एक ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में परिणित कर दी गई।

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञों ने इसे ‘फूट डालो और राज करो’ वाली ब्रिटिश प्रणाली का प्रतिफल बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि, मुस्लिम शासक मदैव, स्वाभाविक रूप से हिन्दुओं के तीर्थस्थानों का विरोध व विध्वंस करते रहे हैं—यह धारणा ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा सदैव प्रमाणित नहीं होती।

“मुस्लिम नवाबों की संरक्षकता में अयोध्या का विस्तार हिन्दू तीर्थ केन्द्र के रूप में हुआ। नवाबी शासन कायस्थों पर निर्भर था और उनके सैन्य बल में शैव पंथी नागा बैरागियों का प्रभुत्व था। नवाबी शासन पद्धति की यह विशेषता थी कि वे मन्दिरों और हिन्दू-तीर्थस्थलों को उपहार प्रदान किया करते थे। नवाब सफ़दरजंग के दीवान ने अयोध्या के मन्दिरों का निर्माण करवाया और उनका जीर्णोद्धार भी करवाया। सफ़दरजंग ने अयोध्या में हनुमान पहाड़ी पर मन्दिर बनाने के लिए निर्वाण अखाड़ा को जमीन प्रदान की—हिन्दू-मुस्लिम झगड़े के समय भी मुस्लिम शासकों ने दृढ़ता से मुसलमानों का ही साथ दिया हो, ऐसा नहीं है। “आदि”

इस पर हिन्दू पक्ष का कहना यह है—

“हिन्दूधर्म को विनष्ट करने और इस्लाम का प्रचार करने के दृष्टिकोण से

मुस्लिम शासक हिन्दू मन्दिरों को नष्ट कर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करते रहे हैं—यह ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी, नालदा आदि पर आक्रमण किया और वहाँ पावन स्थलों और मन्दिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाईं। उन्हीं के पदचिह्नों पर चलते हुए बाबर ने अयोध्या में १५२८ ई० में जन्मभूमि मन्दिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया।”

“प्रामाणिक मुस्लिम अभिलेखों से यह तथ्य प्रमाणित है कि १८५५ से पहले भी इस मस्जिद को ‘मस्जिद-ई-जन्मस्थान’ तथा ‘सीता रमोई मस्जिद’ कहा जाता था। सीता रमोई इमी परिसर में एक पावन स्थान है। इस तथ्य का ब्रिटिशों की फूटनीति और कूटनीति में कोई तबध नहीं रहा है।

मस्जिद में प्राचीन मंदिर के अवशेष

डॉ० स्वराज्य प्रकाश गुप्ता ने मन्दिर को तुड़वाकर मस्जिद बनाने के गभीर पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। ये इस प्रकार हैं—

“बाबर पूर्वकाल में यहाँ मन्दिर होने के कलात्मक एवं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। मस्जिद में ऐसे १४ स्तंभ मौजूद हैं, जिन पर इस मस्जिद की इमारत का एक ऊपरी हिस्सा टिका हुआ है। ये स्तंभ स्लेट किस्म के काले ‘कसौटी पत्थर’ के हैं। यह पत्थर हिमालयनि क्षेत्र में चम्पा से गढ़वाल और कुमाऊ तक पाया जाता है। इन क्षेत्रों के मंदिरों में इसी पत्थर से गढ़ी हुई मूर्तियाँ रखी गयी हैं। ये १२वीं से १२वीं शताब्दी में बनी हैं। इसी तरह के दो और स्तंभ जो काले पत्थर से बने हैं, एक मुस्लिम औलिया फजले अब्बास उर्फ मूसा आशीखान के मकबरे की बगल में ऊपरी हिस्सा नीचे करके गाड़े हुए हैं। इस औलिया पर परंपरा से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने ही तत्कालीन हुक्मरानों को जन्मस्थान का मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने के लिए उकसाया। विभिन्न आधुनिक इतिहासकारों ने, जिनमें ‘अयोध्या’ के लेखक हैंस देकर भी शामिल हैं, इसका उल्लेख किया है।

स्तंभों के तलवर्ती हिस्सों में ‘पूर्णघट’ या कुम्भ अथवा पवित्र-जलपात्र उत्कीर्ण हैं। उन पर बेलों और फूलपतियों की शैलीयुक्त नक्काशी है। इनमें से एक सजावटी कमल उगता दिखाया गया है। एक स्तंभ के अष्टकोणीय अंगों में से एक पर एक नारी आकृति (लगभग १५-२० सें० मी० ऊँची) त्रिभुज मुद्रा में अब भी दृश्यमान है, हाथाकि वह काफी भग्न स्थिति में है। द्वार-स्तंभ भी, इन्हीं स्तंभों वाले पत्थर का बना है। यह ११५ सें० मी० लम्बा है और ऊपर से नीचे तक उत्कीर्ण आकृतियों से अलंकृत है। तल में एक छोटा कमानीदार आला है जिनमें एक खड़ी मनुष्याकृति दिखाई देती है। मृत्ति के हाथ में त्रिशूल तथा सिर

पर मुकुट है। गले में वनमाला है। आले के ऊपर दो सजावटी बंद बने हुए हैं। दाहिना बंद उगली हुई बेल का निर्देश करता है, बायें में पाँच देव-कन्याओं अथवा अम्पराओं की आकृतियाँ हैं। सबसे ऊपर वाली आकृति वास्तव में 'शालभजिका' की है। इस नारी-मूर्ति ने एक पुष्पित वृक्ष की डाली को झुकाते हुए पकड़ रखा है। प्राचीन भारत में यह बौद्धों तथा गैर बौद्धों द्वारा समान रूप से प्रयुक्त एक लोकप्रिय प्रतीक था।"

वि० हि० प० प्रवक्ता के अनुसार इन मूर्तियों तथा कला-प्रतीकों को देखकर ही मौके की पड़ताल करने आये, जैन आचार्य सुशील मुनि ने कहा था—“कौन कहेगा कि यहाँ मन्दिर नहीं था” यही वान इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह ने हमारे शब्दों में दोहराई थी—“इसे आप मस्जिद कहते क्यों हैं, यह तो रामलला का मन्दिर है।” हालाँकि बाद की राजनीतिक उठा-पटक में उन्होंने, मासदों के स्तर के जिम्मेवार व्यक्तियों के सामने व्यक्त अपने इन उद्गारों से पल्ला झाड़ लिया।

डॉ० गुप्ता ने आगे लिखा है—“इन सभी का तिथि निर्णय उस विज्ञान के आधार पर हो सकता है, जिसे कला-शैली-विज्ञान कहते हैं। यदि हम सजावट के इन विभिन्न तत्वों को सावधानी से देखें—जैसे बेलों की किस्म को, कलश के आकार को, वनमाला को, नारी-आकृतियों को, कमलों के आकार तथा पलस्तर जैसे स्थापत्य शास्त्रीय लक्षणों को—तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि ये स्तम्भ निश्चित रूप से ११वीं-१२वीं सदी में उत्कीर्ण किये गये थे, लगभग आठ-दो सौ वर्ष पहले शैली-विज्ञान की दृष्टि से ये आकार कला-इतिहास के उत्तर-प्रतिहार या गहड़वाल शैली के माने जाते हैं क्योंकि यह शैली गहड़वाल शासकों के काल में आविष्कृत हुई।”

इस पर ज० ने० वि० के इतिहासकारों ने आपत्ति की कि, “मान लेते हैं कि ये स्तम्भ ११-१२वीं सदी के हैं, इसका क्या प्रमाण है कि ये स्तम्भ तथा द्वार-स्तम्भ उसी मन्दिर के हैं, जो उसी स्थल पर बना था और अन्यत्र कहीं में नहीं लाये गये हैं?”

डॉ० गुप्ता के अनुसार इस तरह के प्रश्नों का सतोषजनक उत्तर क्षेत्र-पुरातत्व विज्ञान द्वारा ही दिया जा सकता है।

“कुछ पुरातत्वविदों द्वारा इस स्थल पर किये गये पुरातात्विक उत्खनन क्या प्रकट करते हैं ?

“१९६६ तथा १९७० में प्रो० ए०के० नारायण (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) ने अयोध्या के स्थल का उत्खनन करवाया। उन्होंने अयोध्या में तीन विभिन्न स्थानों पर तीन घटक खुदवाये। १९७५ से १९८० तक प्रो० वी० वी० साल, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक तथा निदेशक, इन्दियन

इन्स्टिट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज ने अयोध्या के विभिन्न स्थलों में १४ तक खंदक खुदवाए, जिनमें एक जन्मभूमि स्थल पर तथा एक बावरी मस्जिद के ठीक पीछे था। पुरातात्विक अनुसंधान के लिए यह कार्य पुरातत्त्व के सर्वेक्षण के सहयोग से एक विशाल राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप में कराया गया था। इसे केन्द्रीय सरकार ने तब प्रायोजित किया था, जब प्रो० नूरुल हसन शिक्षा और संस्कृति मंत्री थे। इस परियोजना का नाम 'रामायण स्थलों का पुरातत्त्व' था। इन खंदकों से निम्न तथ्य उजागर हुए जो हमारे विचाराधीन मसले पर सीधी रोशनी डालते हैं—

"प्रथम, इन उत्खननों में सबसे पहला निवास-स्थानीय स्तर प्राकृतिक भूमि पर पाया गया जहाँ भारतीय मृद्भाण्ड कला के सुन्दर नमूने मिले। इन्हें स्पष्टही और सुनहली आभा से युक्त उत्तरी काले चमकदार पात्रों की श्रेणियों में रखा जाना है। इन्हें अति उच्च तापमान की (१ हजार सेंटीग्रेड) भट्ठी में पकाया जाता था। इससे न सिर्फ़ उनमें अनोखी चमक पैदा होती थी बल्कि धातु जैसी अनोखी ध्वनि भी पैदा होती थी। कई तरह की वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा, जिनमें मस्का' संशोधन युक्त रेडियो-कार्बन डेटिंग भी शामिल है—इनका तिथि निर्णय किया गया। इन मृद्भाण्डों का काल ईसा पूर्व ८वीं-६वीं, शताब्दी से बाद का नहीं सिद्ध हुआ है।

"द्वितीय, जन्मभूमि मस्जिद क्षेत्र में लगभग लगातार मानव विकास के १०वीं सदी तक के स्तर-चिह्न पाये जाते हैं।

"तृतीय, ११वीं सदी में पकी हुई ईंटों के स्तम्भनुमा ढाँचों या चौकोर—आधार-स्तलों की मालिका निर्मित पायी गयी है। यह १०वीं सदी से पूर्व की इमारत के अवशेषों को तराश कर बनायी गयी है। इन तलों का उपयोग नीव की खाइयों में भराव के तौर पर किया गया, ताकि स्तम्भों का भारी बोझ जमीन आसानी से संभाल सके। ये आधार-स्तल—(वश) नियमित ढंग से स्थापित किये गये हैं, जो कि जन्मभूमि में शोधकार्य हेतु खदक खोदते समय उजागर हुए। यदि खदक को और बढ़ाया जाता है, तो इस तरह के और साक्ष्य मिल सकते हैं।

"चतुर्थ, एक सुनिर्मित फर्श, जो सफेद मुलाबी चूने का बना हुआ है, तथा ईंटों के तलों के सबसे ऊपरी सिरो से कुछ ऊँचे स्तर पर है, पूरे खदकक्षेत्र में आरपार फैला हुआ पाया गया।"

"यह सब इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि, मंदिर का ढाँचा इन ईंटों के तलों पर बना हुआ था और पाषाण-स्तम्भों के निर्दल, उमका पक्का चूने का फर्श बना हुआ था। यह एक अत्यंत विशाल स्तम्भांगार का हिस्सा था। हम मीके पर उपस्थित पुरातत्त्वविद् निश्चित रूप से मानते हैं कि यदि यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन का अवसर मिल जाये तो और भी स्तम्भ-तलों के साक्ष्य उजागर हो सकते

हैं, साथ ही मन्दिर के चूने से बने फर्ण के भी। इस प्रकार के कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण दो बातों को सिद्ध करते हैं।”

एक : अयोध्या स्थल की प्राचीनता आज से अधिक नहीं तो ३००० वर्ष पूर्व की है।

दो : ११वीं-१२वीं सदी में इस स्थल पर एक हिन्दू मन्दिर बना हुआ था। यह स्थल जन्मभूमि के नाम से विख्यात रहा है। यहाँ अब १६वीं सदी की एक मस्जिद है, जिनमें एक हिन्दू मन्दिर के काले पत्थर के स्तंभ लगे हुए हैं। यह स्तंभ सुन्दर बेल-वृट्टी तथा अधिकांश टूटी-फूटी मानवाकृतियों से अलङ्कृत खड़े हैं।

ये कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण सकेत करते हैं कि यदि रामायण की केन्द्रीय कथा किमी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, तो राम के जन्म समेत ये घटनाएँ ३००० वर्ष के कालखण्ड में अवश्य घटी थीं। आगे, मन्दिर के कुछ स्तंभ जबकि अब भी यथास्थान नज़र आते हैं, कई सारे लापता हैं और बाकी पूर्णतया ध्वस्त कर दिये गये हैं। मभवन मस्जिद के लिए चूना गारा बनाने हेतु उन्हें कूट-पीटकर चूरा कर दिया गया था। कई स्तंभों का लुप्त हो जाना समझा जा सकता है, क्योंकि मन्दिरों को तोड़ने के पीछे एक पद्धति पायी जाती है, पहले गभं-गूह (भैरवमसैक्टोरम) मुख्य मूर्ति के साथ ध्वस्त किया गया और स्तंभों को अन्यत्र उपयोग के लिए हटा लिया गया। फिर स्तंभागार को नष्ट किया गया।

डॉ० गुप्ता ने विवाद के इस दूसरे बिन्दु पर भी प्रकाश डाला है कि वर्तमान अयोध्या स्थल, सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं—के तट पर फैजाबाद जिले में बसा हुआ है—यह वाल्मीकि रामायण की अयोध्या नहीं हो सकती है। इस सन्देह के पक्ष में उक्त इतिहासविद् कुछ बौद्ध साहित्यिक रचनाओं के उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें इस स्थली को अयोध्या नहीं बल्कि साकेत कहा गया है। अधिकांश जैन साहित्यिक स्रोत भी प्रायः इस स्थान को अयोध्या नहीं, बल्कि ‘विनिता’ और ‘साकेत’ की सज्ञा देते हैं। केवल ब्राह्मण साहित्य में अयोध्या को वही-वही साकेत कहा गया है। इन विद्वानों की दृष्टि में यह दो नाम एक दूसरे से बहुत दूर स्थित दो भिन्न नगरों के नाम हैं।

“वहनी वान यह है कि, साकेत (जैन व बौद्ध पुस्तकों में) नामक प्राचीन नगर कौशल नामक प्राचीन राज्य की राजधानी थी, उसी कौशल की जो बुद्ध-काल के मंगल महाजनपदों में एक था। अर्थात् ई० पू० ६वीं शताब्दी, शायद उससे भी १०० साल पहले—जैन व बौद्ध मठिन अनेक साहित्यिक स्रोतों के अनुसार यह महाजनपद बुद्ध पूर्वकाल के थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ राम के पिता दशरथ सहित इक्ष्वाकु राजवंश के अनेक पराक्रमी नरेशों ने राज किया था।”

‘तो क्या कौशल सहित अन्य महाजनपदों में दो भिन्न-भिन्न राजधानियाँ रखने का प्रचलन था? इस प्रकार का कोई उदाहरण तो हमारे पास नहीं है। अतः वे दोनों एक ही नगर के दो नाम होने चाहिए। कुछ बौद्ध सूत्र ऐसे भी हैं जो कहीं-कहीं साकेत के लिए ‘अयोध्या’ शब्द का इस तरह प्रयोग करते हैं, जैसे दोनों नाम परस्पर परिवर्तनीय हों। असल में ७वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानसांग ‘अयोध्या’ शब्द का चीनी संस्करण प्रस्तुत करते हैं, साकेत का नहीं; वह है ए-यो-टो। साफ है कि यदि साकेत बौद्ध नगरी थी, जो हिन्दू नगरी अयोध्या से अलग स्थान पर मौजूद थी तो बौद्ध सन्यासी ह्वानसांग ‘साकेत’ शब्द का चीनी संस्करण प्रस्तुत करते न कि ‘अयोध्या’ का। आखिरकार वह मुख्यतः नगर के बौद्ध प्रतिष्ठानों का वर्णन कर रहे थे।

इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वाराणसी नगर को ‘काशी’ भी कहा जाता रहा है और सारनाथ काशी क्षेत्र में स्थित था। जब कि प्रयाग उस स्थान का नाम था, जहाँ आश्रम और मन्दिर बने थे, प्रतिस्थानपुर वह स्थान था, जहाँ आम जनता रहती थी, दोनों ही स्थान प्रयाग क्षेत्र में स्थित थे। इसी प्रकार पाटलिपुत्र अर्थात् बिहार के आधुनिक पटना को प्राचीन साहित्य में कुमुमपुर के नाम से जाना जाता था। असल में अयोध्या का एक नाम और भी था। विनिता जिसे जैनियों ने कई बार प्रयुक्त किया था। उसे प्रथम तीर्थंकर का जन्मस्थान कहा जाता है, जिन्हें आदिनाथ या ऋषभदेव कहते थे। कहते हैं कि बुद्ध की तरह महावीर भी उक्त स्थान पर आये थे। अतः इन सभी समानताओं के साथ, अयोध्या नगरी व क्षेत्र के अपने खण्ड थे। कुछ धर्म किसी एक खण्ड का (section) संरक्षण करते थे, तो अन्य धर्म किसी अन्य खण्ड का, और उन्हें पृथक् नाम दिये जाते थे। किन्तु वे सभी मूल रूप से एक ही मानव-निवास क्षेत्र से संबंधित होते थे।

भारत में बौद्ध, जैन व ब्राह्मण साथ-साथ, अगल-बगल, और एक नहीं अनेक स्थानों पर रहते थे। एलौरा में इन तीनों धर्मों के चट्टान काट कर बनाये गये अनेक मन्दिर मौजूद हैं। मथुरा, कौशाम्बी व काशी में भी इन तीनों धर्मों के अवशेष हैं। यदि साकेत-विनिता-अयोध्या में भी यही स्थिति हो तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।

दस्तुनः ११वीं सदी के मुप्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति रघुवंशम् में दोनों नाम परस्पर विकल्प के रूप में प्रयोग किये हैं। ११वीं सदी के गुप्त राजवंश के मन्त्राट समुद्रगुप्त ने अयोध्या में विष्णु मन्दिर की नींव रखी थी, यह बात उदकीर्ण लेख में अंकित है। वह भगवान् सदिगिन अर्थात् धनुष्य-बाण से सुमज्जिन भगवान् का भक्त था, अर्थात् स्पष्ट है, राम का। इस तरह हमारे पास ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो सिद्ध करते हैं, १५०० वर्षों में अयोध्या को प्रभु राम का जन्म स्थान माना गया था, और साकेत शब्द इसी नगरी के लिए

प्रयुक्त होता था। यह दोनों नाम एक ही स्थान के हैं।

“इसी तरह ‘गंगा’ शब्द पाली—बौद्ध ग्रंथों में, कई बार अन्य नदियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ ‘गंगा’ नदी के लिए ही नहीं। एम-मोनिवर विलियम्स के सस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोष में ‘गंगा’ का अर्थ बताया गया है, ‘स्विफ्ट गोवर’ अर्थात् तेजी से भागने वाली। स्पष्टतया गंगा शब्द किसी भी नदी के लिए प्रयुक्त हो सकता था और होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक मिथकों द्वारा गंगा का मानवीकरण हुआ और यह शब्द एक नदी-विशेष के लिए प्रयोग में आने लगा। किंतु यह बंधन बौद्धों के लिए कभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। जन-साधारण में पहले भी और आज भी ‘गंगा’ शब्द का प्रयोग ‘पवित्र नदी’ के लिए ही किया जाता है, केवल मात्र उस नदी के लिए नहीं किया जाता जो गंगोत्री से निकल कर गंगा-सागर में जा मिलती है।”

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञों की राय में तुलसी दास वस्तुतः एक महान रामभक्त थे। यह दृढ़तापूर्वक एवं तर्कसंगत रूप से कहा जा सकता है कि राम-मन्दिर की ध्वस्तता को लेकर तुलसी को शोक-संतप्त स्वर में आक्रोश एवं निषेध करना चाहिए था। इस पर प्रो० खान का कहना है—

“तुलसी ने असंख्य मन्दिरों के विनाश और मस्जिदों के निर्माण को स्वाभाविक रूप से दर्शाया होता तो उनका बाबरी मस्जिद के प्रति शान्त रहना महत्व का विषय होता। लेकिन अब इस बिध्यात कवि की रचनाओं पर इस सदर्थ में दृष्टिपात करना महारा मरुस्थल में पेंगुइन पक्षियों और अंटार्कटिका में ऊंटों को खोजना है।”

डॉ० थापर का कहना है कि डॉ० गुप्ता के दावे के विपरीत प्रो० लाल ने अपनी रिपोर्ट में इन स्तंभाधारों का जिक्र नहीं किया है। इस पर डॉ० गुप्ता ने लिखा कि जिस रिपोर्ट की बात डॉ० थापर कर रही हैं, वह डॉ० लाल की १९७६-७७ में छपी अति सक्षिप्त रपट है। २७ जून, १९६६ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिए गए प्रो० लाल के आधिकारिक, अधिक विस्तृत रिपोर्ट: ‘आर्कैलाजी आफ दि रामायण साइट्स प्रोजेक्ट—इट्स जेनेसिस एण्ड ए सामरी आफ दि रिजल्ट्स’ के पृष्ठ १० पैरा में प्रो० लाल ने स्पष्ट लिखा है—

“इन दि जन्मभूमि एरिया, दि अपरमोस्ट लेवेलस आफ ए ट्रेन्च, दंत ले इनी-डिएटली ट दि साउथ आफ दि बाबरी मस्जिद, ब्रॉट टु दि लाइट, ए सिरीज ऑफ थ्रिक् विल्ट बेसेज विच एविडेंटली कौरीड पिलर्स देयर आन। इन दि कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी बाबरी मस्जिद ए फ्यू स्टोन पिलर्स हैड बीन यूज्ड व्हिच में हेव कम फ्राम दिस प्रेसीडिंग स्ट्रक्चर।” अर्थात् “श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र में दक्षिण की ओर बाबरी मस्जिद के ठीक बगल में पीछे की छुदाई में ऊपर के स्तरों से कई एक ईंटों के घने आधार प्रकाश में आये हैं जो स्वयं सिद्ध है कि इन पर स्तंभ

खड़े किये गए हैं। बाबरी मस्जिद के बनाने में पत्थर के जो थोड़े से स्तंभ काम में लाए गए थे, वे इससे पहले के बने भवन से लिए गए होंगे।”

प्रो० आर० एम० शर्मा ने डॉ० गुप्ता पर यह आक्षेप लगाया कि अयोध्या में हुई दोनों खुदाइयों की किसी टीम में वे नहीं थे। इस पर डॉ० गुप्ता का कहना है, “मैं ‘चश्मदीद गवाह’ रहा हूँ कि नहीं इस बात की पुष्टि वे स्वयं प्रो० नाल से दिल्ली के पुराने किले में स्थित पुरातत्व उत्खनन विभाग में जा कर लें। जिन दिनों श्रीराम जन्मभूमि की ऊपरी पत्तों की खुदाई हो रही थी, जिसमें कुश्नेत्र विश्वविद्यालय के डॉ० केसरवानी भी थे, उनके पास की बन रही धर्मशाला में कनातो के बीच में रहा था या नहीं।”

डॉ० थापर का बचाव यह है—ईंटों के बने स्तंभधारों की बिना पर मन्दिर का दावा नहीं किया जा सकता। ये स्तंभधार किसी हॉल या बरामदे के हिस्से भी हो सकते हैं, जो मस्जिद के साथ बनाए गए हों।

जिन स्तंभों पर बने हिन्दू धार्मिक चिन्हों का डॉ० गुप्ता ने जिक्र किया है, उनके बारे में डॉ० थापर का कहना है कि ये चिह्न किसी भी तरह रामायण या राम से जुड़े हुए नहीं हैं। स्तंभों पर यक्ष, देवकन्या, गण आदि के चिह्न हैं, जो किसी जैन मन्दिर में भी पाये जा सकते हैं। प्रो० शर्मा के अनुसार स्तंभों पर गण, त्रिशूल आदि के स्थान हैं, जो शैव मन्दिरों में आमतौर पर पाये जाते हैं। इसलिए यह राममन्दिर तो क्या कोई वैष्णव मन्दिर भी नहीं था। प्रो० शर्मा के अनुसार अयोध्या में बौद्ध मठ-मन्दिरों की भरमार थी। बाबरी मस्जिद के जिन स्तंभधारों को हिन्दू-मन्दिर का अवशेष कहा जा रहा है, वे बौद्ध स्तूपों की तरह हैं। स्तंभों पर ‘सालभजिका’ जैसे बौद्ध चिह्न इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि बाबरी मस्जिद का परिमर कभी बौद्ध-मठ रहा होगा।

किन्तु प्रो० शर्मा के साथ डॉ० थापर के वामपथी धर्मनिरपेक्षवादी पक्ष को मजबूत नहीं करते। वे स्वयं भी कम से कम इतना तो स्वीकार करती हैं कि कोई न कोई मन्दिर या गैर-इस्लामी पूजा स्थल वहाँ था। अब चाहे वह जैन या शैव रहा हो या बौद्ध। और मस्जिद में उसके अवशेषों का उपयोग हुआ था।

४. अदालत-दर-अदालत

जैसा कि हमने पीछे देखा है, नवाब वाजिदअली शाह और अंग्रेज रेसिडेंट की मध्यस्थता से दोनों संप्रदायों के मुख्य लोगों में समझौता हो गया। समझौते के अनुसार वहाँ दोनों सम्प्रदाय के लोगों को पूजा की अनुमति दे दी गई। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन तक चल न सका। १८५७ की क्रांति के समय यह व्यवस्था फिर अस्त-व्यस्त हो गयी।

नवाब ने संपूर्ण राम जन्मभूमि में हिन्दुओं को अधिकार देने का वायदा किया था। लेकिन ५७ की क्रांति कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग रखने की सोची-समझी नीति बनाई। इसी के तहत संपूर्ण जन्मभूमि पर हिन्दुओं को अधिकार देने के बदले उन्होंने महन्तो को 'नाजुल भूमि' पर अधिकार दे दिया और उन्हें बावरी मस्जिद के सामने एक चबूतरा, राम जन्मस्थान के रूप में बनाने की आज्ञा दे दी। बावरी मस्जिद से इस स्थान को दूर रखने के लिए एक दीवार खड़ी की गई। १८८६ के बाद मुसलमानों को केवल उत्तरी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई।

इस विवादास्पद स्थान पर हिन्दू मन्दिर बनाने का प्रयास जनवरी सन् १८३५ में किया गया। एक हिन्दू महंत रघुवीर राम ने उपन्यायाधीश फेजाबाद से, उसी स्थान पर, जहाँ बावरी मस्जिद के बाहर हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई थी, एक मन्दिर बनाने की अनुमति माँगी। फरवरी १८८५ को सब जज ने यह माँग खारिज कर दी और कहा कि मन्दिर मस्जिद के अत्यधिक समीप हो जायेगा। इसके बाद इस आदेश के लिए जनपद न्यायाधीश से, मार्च १८८६ में अपील की गई। जनपद न्यायाधीश ने भी अपील निरस्त कर दी। अंग्रेजी जज एफ० ई० ए० चैमियर ने अपने आदेशपत्र में लिखा था—“यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्थान पर मस्जिद बनाई गई, जो कि हिन्दुओं का पवित्र-स्थल रहा है। लेकिन आज ३५६ वर्ष हो चुके हैं, इस दशा में कदम उठाने के लिए, अब बहुत देर हो चुकी है।”

मस्जिद को लेकर साम्प्रदायिक दंगे सन् १९१२ ई० और सन् १९३४ ई० में

हुए। १९३४ का 'दगा' बकरीद त्योहार पर की गई गोहत्या को लेकर हुआ।* इसमें सैकड़ों मुसलमानों और हजारों हिन्दू मारे गये। हिन्दुओं के आक्रमण से मस्जिद को क्षति पहुँची। सरकार ने मस्जिद के जीर्णोद्धार का खर्च वहन किया और इस खर्च को वसूल करने के लिए दण्डस्वरूप हिन्दुओं पर एक विशिष्ट कर लगाया गया।

सन् १९३६ तक मस्जिद को स्थानीय मुस्लिम सम्प्रदायों द्वारा उपासना-स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। बाद में आर्थिक कारणों से अनेक मुसलमान फैजाबाद के निकट आ बसे। अयोध्या में मुसलमानों की स्थिति में गिरावट आई। यही नहीं, जो परिवार मस्जिद की देखभाल के लिए तैनात था, वह भ्रष्ट पाया जाने के कारण, उससे यह प्रभार छीन लिया गया किन्तु किसी अन्य को वह नहीं सौंपा गया। मस्जिद का अनुपयोग नभी से प्रारम्भ हुआ। कुछ स्वोतो के अनुमार मुसलमानों ने इसे इस कारण से अपवित्र मानकर वहाँ नमाज पढ़ना बन्द कर दिया, कि उसके अन्दर हत्याएं हुई थी।

उ०प्र० मुस्लिम वक्फ अधिनियम के अनुसार बैठाए गए जांच आयोग ने यह निर्णय दिया कि बावरी मस्जिद, बावर, जो कि सुन्नी मुसलमान था, के द्वारा बनवाई गई थी। यह रिपोर्ट राजपत्र में २० फरवरी १९४४ को प्रकाशित हुई। १९४५ में शिया केन्द्रीय वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में मुकदमा चला। सिविल जज एस० ए० अहसान ने अपने निर्णय में २३ मार्च १९४६ को कहा कि, मस्जिद का निर्माण बावर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन भाक्ष्यो के अनुसार मस्जिद, शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम सम्प्रदायों के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई है।

सन् १९३६ से मस्जिद का अप्रयुक्त रहना झगड़े का सकेत देता है। २३ मार्च १९५१ को लिखे सिविल जज के आदेश पत्र के अनुसार, "कम से कम सन् १९३६ से न तो मुसलमानों ने इस मस्जिद का प्रयोग किया है, और न ही वहाँ नमाज पढ़ी है और जब कि हिन्दू विवादास्पद स्थान पर निरन्तर अपनी पूजा करने रहे हैं।"

मस्जिद के बारे में मुस्लिमों की उपेक्षा के विपरीत हिन्दू बराबर उसी महत्व के साथ इस स्थान को भगवान रामचन्द्र जी के जन्म-स्थान के रूप में पूजते रहे। दिसम्बर सन् १९४९ में कई सौ रामभक्तों ने भवन के सामने पाक्षिक (पँखवाड़े भर) कीर्तन किया। हिन्दू जनश्रुति और विश्वास के अनुसार, इस आराधना के परिणाम स्वरूप २२ दिसम्बर सन् १९४९ को वह पावन रात्रि आई जब भगवान राम की प्रतिमा अद्भुत रूप से मस्जिद में प्रकट हुई। इसी प्रतिमा ने मस्जिद को हिन्दू विश्वास के अनुसार मंदिर में बदल दिया और मुसलमानों

* डा० बी० आर० आबेडकर : पाकिस्तान अथवा पार्टीशन ऑफ इंडिया।

के शब्दों में 'मस्जिद अपवित्र हो गई।'।

इस घटना की रिपोर्ट एक पुलिस सिपाही माना प्रसाद ने अयोध्या थाने में प्रातः ६ बजे दी। तब एक रेडियो प्रसारण द्वारा मुख्यमंत्री ने सूचना प्रसारित करवाई।

"कुछ हिन्दुओं ने बावरी मस्जिद में रात्रि को उस समय प्रवेश किया, जब मस्जिद सुनसान थी। उन्होंने वहाँ एक देवता की प्रतिस्थापना कर दी। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और आरक्षी बस मौके पर है। स्थिति नियंत्रण में होने के कारण वहाँ १५ व्यक्तियों की पुलिस टुकड़ी तैनात थी, लेकिन उसमें किसी ने ठीक से कार्य नहीं किया।"

अब जिलाधीश के ऊपर लखनऊ से मूर्ति को हटवाने और शान्ति बनाये रखने के लिए दबाव डाला जाने लगा। इधर मस्जिद में प्रवेश करने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ने लगी। २३ दिसम्बर, १९४९ को जिलाधीश महोदय ने लिखा।

"भीड़ ने मस्जिद में प्रवेश के लिए अथक प्रयास किये। ताला तोड़ दिया गया। सिपाहियों के पैर कुचलते हुए वह आगे बढ़ी। हम सभी अधिकारियों और आदमियों ने किसी प्रकार भीड़ को पीछे धकेला और द्वार पर पहुँचे। साधुओं पर आदमियों और हथियारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बड़ी ही कठिनाई से हमने द्वार पर कब्जा किया। द्वार की रक्षा की गई। और उममें बाहर से लाकर ताला ढाल दिया गया। पुलिसबल और मजबूत किया गया।"

नेहरू सरकार ने इस मामले को न्यायप्रविष्ट छोड़ दिया। मूर्ति तो नहीं हटाई गई, लेकिन ताला ढाल दिया गया। तब से पुजारी लोग पूजा बाहर से ही करते रहे। राम जन्मभूमि सेवा समिति ने मूर्ति को वर्ष में एक बार 'प्राकृत्य' दिन (रामनवमी) के अवसर पर पूजा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। हिन्दू कार्यकर्ताओं ने वहाँ अखण्ड कीर्तन आरम्भ कर दिया। मूर्ति अभिषेक के बाद प्रशासनिक आदेश के तहत साम्प्रदायिक दंगों की आशंका से भवन में ताला ढाल दिया गया। मूर्ति को न हटाने का कारण देते हुए आयुक्त को जिलाधीश ने लिखा कि इससे पुनः साम्प्रदायिक सहर दौड़ सकती है: "यदि सरकार किसी भी तरह मूर्ति को हटवाती है तो मेरे जाने के बाद जो भी अधिकारी आयेगा, हो सकता है, वह अपने गुणों के आधार पर कोई ऐसा समाधान ढूँढ निकाले, जो मैं नहीं निकाल पाया। लेकिन जहाँ तक मेरी भूमिका का प्रश्न है, तो मेरे द्वारा इस सदम में जो वैधानिक समाधान हो सकता है वह यही (मूर्तियाँ यथास्थान रखना) है। क्योंकि मुझे स्पष्ट आभास है कि इससे व्यापक साम्प्रदायिक दंगे एवं जनहानि हो सकती है।"

जिलाधीश का समर्थन संभागीय आयुक्त ने भी किया। उन्होंने उसी दिन मुख्य सचिव को पत्र लिखा, "मैंने स्थिति का अच्छी तरह जायजा लिया है और

जनमत के दृष्टिगत मैं अपनी पूर्ण मंतुष्टि के साथ एवं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि सरकारी अधिकरण द्वारा मूर्ति का हटाया जाना ध्यापक पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों को उभाड़ना होगा। पी०मी० १४५ के तहत हम अपना कदम उठावेंगे और वर्तमान पुजारियों के स्वाम पर अनुकूल पुजारियों को नियुक्त किया जायेगा। लेकिन भोग और कलेवा को बंद करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसी दौरान हल दूढ़ निकालने के लिए हम सर्वैधानिक तरीको और दोनों सम्प्रदायो को शान्ति मर्मर्यक प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि मेरा विचार है, समय के साथ-साथ लोगों की उत्तेजना कम हो जायेगी और तब इस समस्या के अन्त के लिए हम कोई साहसपूर्ण समाधान दूढ़ निकालेंगे।”

तब अतिरिक्त नगर मैजिस्ट्रेट फैजाबाद को जब पुलिस तथा अन्य विश्व-सनीय स्रोतो से सूचना मिली कि “राम जन्म भूमि विवाद पर हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे, इसके मालिकाना हक न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने तक शान्त हैं, और रामकोट अयोध्या मे शान्ति एवम् व्यवस्था की स्थिति कायम है।” उन्हें भवन से सम्बन्धित सारे कार्य मौपे गये। फैजाबाद सह अयोध्या नगरपालिका के अध्यक्ष को प्राप्नकर्ता नियुक्त किया गया। उन्हें २६ दिसम्बर १९४६ को विवादास्पद संपत्ति की रक्षा का भार मौपा गया। अध्यक्ष ने ५ जनवरी, १९५० को अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

जनवरी सन् १९५० को सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय मे श्री गोपाल सिंह विशारद ने एक अपील दायर की। इसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें जन्मभूमि एवं अन्य संबद्ध स्थानों में पूजा की अनुमति दी जाये।

“कि वह सनातन धर्मों अयोध्या का निवासी है। वह सदैव ही भगवान रामचन्द्रजी की पूजा करता रहा है और जन्मभूमि मे दर्शन हेतु जाता रहा है। १४-१-५० को उसे पूजा करने से तथा राम जन्मभूमि मे प्रवेश करने से (अधिकारी क्र० ६ के) अधिकारियों द्वारा रोका गया। उक्त स्थानीय अधिकारी हिन्दुओ पर रामजन्म-भूमि पर न जाने के लिए अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। इन अधिकारियों की क्र० १ मे ५ तक के अधिकारियों द्वारा मदद की जा रही है। न तो क्र० ६ न ही ७ से ६ को जन्मभूमि जैसे धार्मिक मामलों मे दखल करने का अधिकार है।

“उसके द्वारा मांगी गयी रिपायमें इस प्रकार हैं :

- (क) उसे बिना किसी व्यवधान एवं अवरोध के भगवान रामचन्द्र के स्थान तक जाने दिया जाये।
- (ख) भगवान रामचन्द्र और अन्य देवताओं की मूर्ति को रामजन्मभूमि स्थान मे हटवाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाये।

इस सम्बन्ध में उन्होंने साक्ष्य के द्वारा समर्पित पृथक आवेदन पत्र भेजा,

जिसके तहत १६-१-५० को निर्णय दिया गया कि "सभी पक्षों पर मूर्ति को स्थान से हटाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाया जाता है और पूजा आदि से भी प्रतिबन्ध हटाए जाने चाहिए।"

अधिकारी क्र० १ से ५ तक—(१) जहूर अहमद (२) हाजी फेकू (३) मोहम्मद फालिक (४) मोहम्मद सामी (५) मोहम्मद अब्दुल मियाँ ने निम्न आधारों पर १३-२-१६५७ को उपरोक्त निर्णय का विरोध प्रस्ताव दाखिल किया— (१) बाबरी मस्जिद का भाग जो बाबर के द्वारा बनवाई गयी थी; (२) मुसलमानों के प्रयोग में आरम्भ से ही रही है। (३) तब से वहाँ हिन्दुओं ने कोई पूजा नहीं की। (४) उममें जो मूर्तियाँ हैं, उन्हें हाल ही में प्रतिस्थापित किया गया है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि (५) यह अभियोग नोटिस यू/एस ८० सी० पी०सी० के अभाव में दोषपूर्ण था। २५-३-५० तक अधिकारी क्र० ६-६ तक कोई भी विरोध प्रस्ताव नहीं दाखिल किया गया। ये अधिकारी थे—(६) उ० प्र० सरकार (७) उपायुक्त फौजाबाद (८) सिटी मैजिस्ट्रेट फौजाबाद (९) पुलिस अधीक्षक फौजाबाद।

"वास्तव में सही निर्णय के लिए भर इकबाल अहमद जो अधिकारी (१-५ तक) के विरोध पर विचार करने आये थे, ने भवन के मानचित्र की आवश्यकता पर जोर दिया।

आयुक्त को नियुक्ति की तिथि को १ से ५ तक के अधिकारियों ने भवन के फोटोग्राफ लेने की अनुमति माँगी जो उन्हें मिल गयी। इसका मानचित्र और छायाचित्र लिया गया जो आज रिकार्डों के रूप में उपलब्ध है। २४-४-५० को ८० सी०पी०सी० के अभाव में वहाँ भी इसे दोषपूर्ण ठहराया गया। इस विषय में यह भी कहा गया कि ८० सी०पी०सी० अधिकारी क्र० १ से ५ तक के समक्ष स्पष्ट नहीं थी।"

उन्होंने अपने तर्कों की कृष्णेश्वरी बनाम सैय्यद अहमद का आधार दिया।

इस उद्देश्य के लिए पहले तो यह समझना आवश्यक था कि वादी ने अपने अधिकार का दावा किया है या उसका अधिकार खतरे में है व असुविधाओं में अभिप्रेरित होकर उसने अभियोग हेतु प्रार्थना की है जिसके सम्बन्ध में यह मुक्ति आदेश जारी किया गया है। यह बात तो प्रत्येक ओर से सिद्ध थी कि मुकदमा दायर करने के पहले से ही मस्जिद में मूर्ति स्थापित थी। और कुछ मुसलमानों ने भी अपनी दलील में कहा था कि मस्जिद को सन् १६३६ से मुसलमानों के द्वारा नमाज आदि में नहीं प्रयुक्त किया गया था और हिन्दू निरन्तर इस विवादास्पद स्थान पर पूजा अर्चना आदि करते रहे थे। अधिकारी क्र० १ से ५ तक को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया जिनके आधार पर इन बातों को पुष्टि होनी थी।

कि विवादास्पद स्थान सर्वद्व ही मस्जिद रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक समस्त साक्ष्य मौखिक और लिखित दोनों रूप में से ही स्पष्ट नहीं हो जाते, किसी भी निर्णय पर पहुंचना असम्भव है। यह निर्विवाद सत्य है कि जिस दिन वादी ने अभियोग दायर किया उस दिन उसने अन्य व्यक्तियों के साथ (यद्यपि प्रतिवन्धित रूप में) रामजन्मभूमि में पूजा की। इससे मूर्ति के प्रामाणिक आधार की पुष्टि होती है।

जहाँ तक न्यायिक सन्तुलन का प्रश्न है तो इस अन्तरिम निर्णय को ऐसी अवस्था में वापस लेना वादी की भावनाओं के प्रति ठेग होगी। पक्षों के होने का प्रश्न है तो मोहूला (राजकोट) में कई अनेक मस्जिदें भी हैं। अतः स्थानीय मुसलमानों को इस निर्णय को अभियोग के न्यायिक निर्णय तक लागू रखने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसी अन्तराल में गोपाल सिंह विशारद की अपील २ (१९५०) के अतिरिक्त तीन और अपीलें सप्राहक और वक्फ को लेकर की गईं। निर्मोही अखाड़े ने भी इस पर अपना मालिकाना दावा ठोका जिसे निर्णय की तिथि तक प्रतीक्षित माना गया।

मुन्नी वक्फ बोर्ड ने १९६१ में जब वाद नम्बरा १२/१९६१ दायर किया तो बोर्ड के दावे के साथ महत का दावा सबद्ध कर दिया गया। उन्होंने अपने दावे में उ० प्र० सरकार, जिलाधीश फैजाबाद तथा पाँच मुसलमानों को विपक्षी बनाया था जिसमें सभी मुस्लिम प्रतिपक्षी मर चुके हैं। मात्र राज्य सरकार और जिला-धिकारी ही प्रतिपक्षी शेष रहे।

२५ जनवरी सन् १९६६ को अयोध्या के एक वकील उमेशचन्द्र पाण्डेय ने मुसिफ के न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमें उन्होंने अपने द्वारा और हिन्दुओं के सभी समुदायों के द्वारा जन्मभूमि की पूजा पर प्रतिवन्ध न लगाने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र को नियमित रूप से सूट न० २-१९५०, (समेकित रूप से अपील १२-१९६१, २५-१९५० और ३६-१९५४ को अग्रिम मामले १२-१९६१ में) सम्बद्ध कर लिया गया। मुसिफ ने २८ तारीख को आदेश जारी करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि चल रही कार्यवाही के तहत ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।

३१ जनवरी सन् १९६६ को मुंसिफ के आदेश के विरोध में जिला न्यायाधीश को एक अपील दी गई। न्यायाधीश ने १ फरवरी सन् १९६६ को अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों, उ० प्र० सरकार, जिलाधीश, सिटी मजिस्ट्रेट, और फैजाबाद के पुलिस अधीक्षक को ताला खुलवाने का निर्देश दिया और दर्शन तथा पूजा में किसी भी प्रकार अवरोध उत्पन्न न करने के लिए (आवेदकों और अन्य समुदायों के लिए सामान्यतः) आदेश जारी किए। न्यायाधीश ने अपने आदेश

मे कहा—“यह स्पष्ट हो गया है कि शान्ति व्यवस्था और मूर्ति सुरक्षा के लिए द्वारों पर ताला डालना कतई आवश्यक नहीं है।

“मूर्ति और भक्तों के बीच किसी भी कृत्रिम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल उसी पुराने निर्णय के आदी रहे हैं। किसी ने यह निर्णय ले लिया कि ताला डाल दिया जाए लेकिन ताला डालने के बाद किसी ने भी इस ओर दृष्टि निक्षेप नहीं किया कि यह निर्णय कहाँ तक और किस समय तक के लिए उचित है, और इसकी आवश्यकता भी है या नहीं।” आगे भी न्यायाधीश ने कहा कि—

“ताला खुलवाने और उसके अन्दर विद्यमान मूर्ति की पूजा की अनुमति से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब हिन्दू सम्मानजनक और शान्तिपूर्ण ढंग से ३५ वर्ष से इस स्थान पर पूजा कर रहे हैं तो द्वारों के हटाये जाने से स्वर्ग तो गिर नहीं जाएगा। जिलाधीश ने आज मेरे समक्ष कहा है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादास्पद स्थान में जाने की और किसी भी प्रकार नमाज आदि पढ़ने की अनुमति नहीं है।” न्यायाधीश ने आगे कहा कि—

“ताला हटाने से किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के आसार नहीं हैं और यदि कमावेश कुछ है भी तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिलाधीश और चरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फौजाबाद, प्रयास करेंगे। इसके लिए ताले का मन्दिर में लगा रहना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।”

इस प्रकार इस निर्णय के कुछ ही समय पश्चात् राम-जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया गया।

फौजाबाद न्यायालय ने शान्ति और व्यवस्था की दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए। लेकिन मालिकाना अधिकार से मघधित मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन पड़ा हुआ था।

भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री वूटासिंह द्वारा कुछ मुसलमान नेताओं को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र देकर सभी मुकदमों को मगाकर शीघ्र सुनवाई करने की मांग अदालत से की। इसके तहत १० जुलाई १९८६ को सभी मुकदमों को एक साथ सुनने के लिए मंगा लिया गया। सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की विशेष पूर्ण खण्डपीठ का गठन किया गया।

फरवरी १ को बाबरी मस्जिद का ताला हिन्दू पूजा के लिए खोला गया। हिन्दुओं ने मस्जिद के अन्दर प्रवेश किया और बड़े उत्साह के साथ पूजा आयोजन किया।

१४ अगस्त सन् १९८६ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, एक साथ पांच मुकदमों—जो जन्मभूमि से सम्बन्धित थे, पर विचार किया। इसने मालिकाना अधिकार पर अपना अन्तिम निर्णय दिया “सभी पक्ष—अपनी सम्बन्धित सम्पत्ति की प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाएंगे।” तब से इसमें सम्मिलित पक्ष रहे हैं—मुन्नी बक्क बोर्ड, उ०प्र० राज्य सरकार, राम-जन्मभूमि न्यास, और विभिन्न हिन्दू और मुस्लिम पदाधिकारी, जिसमें एक प्रतिनिधि पास में स्थित निर्मोही अखाड़ा से भी था। बाबरी मस्जिद सहयोग समिति ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। इसने जनता को सन् १९५१ के निर्णय को भी याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि मूर्ति तो नहीं हटाई जाएगी लेकिन इसके (बाबरी मस्जिद के) ढांचे को भी नहीं बदला जाएगा। अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ऐसे तीन न्यायिक सदस्यों को बरीयता देगी जो दक्षिण भारतीय हों, न तो वे हिन्दू हों और न ही मुसलमान। विश्व हिन्दू परिषद ने सम्पत्ति की प्रकृति और शान्ति तथा सद्भावना सम्बन्धी प्रस्ताव में, २७ सितम्बर १९८६ को केन्द्रीय गृहमन्त्री की सलाह पर हस्ताक्षर भी कर दिए।

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि वह अदालत के फैसले के अनुसार ही समस्या को हल करने में योगदान करेगी। इस विचार में असहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन प्रश्न है कि न्यायालय का निर्णय कब सामने आएगा।

हमारे देश में अदालती प्रक्रिया इतनी लम्बी और दुरूह है कि फैसले जल्द नहीं होते खासकर दीवानी मामलों में वर्षों का समय लगना साधारण सी अवधि है।

राम-जन्मभूमि विवाद ने अदालत की महत्ता को एक बार पुनः प्रतिष्ठापित होने का अवसर दिया है, जिसकी गारन्टी उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने ली है। साथ ही इस विवाद ने यह सोचने को मजबूर भी किया है कि आखिर हमारी व्यवस्था में कौन-सी खामियाँ हैं, जो विवादित मामलों को जल्द निपटाने में बाधक हैं। यह विवाद पिछले चालीम वर्षों से अधिक समय से ललित पड़ा है लेकिन इसकी सुनवाई १९८६ के पूर्व तक नहीं होती थी और जब यह अपने धार्मिक रंग में आया तो सैकड़ों इन्सानों की बलि इसी न्यायालय के विलम्ब के कारण हो गई।

नवम्बर ६० के अंतिम सप्ताह में वी०पी० सिंह सरकार ने एक आकस्मिक अध्यादेश द्वारा इस मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे सौंपने तथा संपूर्ण विवादित स्थल का अधिग्रहण करने की घोषणा की, किन्तु भाजपा नेताओं की अनुकूल प्रतिक्रिया के बावजूद बाबरी एक्शन कमेटी तथा विश्व हिन्दू परिषद के निपेधात्मक रुख के कारण उसी तेजी से अध्यादेश वापस ले लिया।

कांग्रेस (इ) समर्थित चन्द्रशेखर सरकार केन्द्र में बनी तो कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी ने फिर इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों को इसी स्तर पर जाँच पड़ताल की जाए।

न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती ने इस विवाद में व्यक्तिगत स्तर पर पहल की। अनौपचारिक कानूनी सलाह देते हुए उन्होंने दोनों पक्षों के दावों के दस्तावेज माँगने को सरकार से कहा। दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे पेश करने पर सहमति व्यक्त की। गृह मंत्रालय को जो दस्तावेजों के दावे दिए जायेंगे, न्यायमूर्ति भगवती अपनी न्यायबुद्धि से उनकी पड़ताल करेंगे। उसके बाद वह गृह मंत्रालय को अपनी सलाह देंगे। यह स्थिति दिसम्बर १९६० के प्रथम सप्ताह की है।

केन्द्र सरकार मस्जिद सरकार के क्षणों में उच्चतम न्यायालय की राय चाहती है। यदि इरादा राष्ट्रीय समाधान का है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बार दीवानी अदालत की तरह नहीं, बल्कि बरगद के नीचे बैठे पंच-परमेश्वर की तरह अथवा लोक अदालत की तरह फैसला देना होगा। शायद उसे यह भी तोलना होगा कि क्या यह जगह हिन्दुओं के मन में बरसो से असाधारण आस्था एवं उद्बलन का विषय रही है और क्या मस्जिद भी मुसलमानों के लिए उतनी ही ऐतिहासिक चीज है। उच्चतम न्यायालय का फैसला अधिक से अधिक छह-आठ महीनों में प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह भय भी नहीं है कि इक्कीसवीं सदी तक कानूनी दावपेंच ही चलते रहेंगे। विश्व हिन्दू परिषद १९८६ में शिलान्यास के समय ब्रूटारिह और नारायणदत्त तिवारी को यह लिखित आश्रयान दे चुकी है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थान आदेश में बाधा न डालकर यथास्थिति को बनाए रखेगी। हो सकता है कि यह प्रतिज्ञा सिर्फ शिलान्यास कार्यक्रम तक सीमित हो और आज वह लागू न हो। लेकिन जो वचन उसने पिछले साल दिया था, वह केन्द्र सरकार के ताजा स्वागत योग्य कदम के बाद एक बार फिर क्यों नहीं दिया जा सकता। भगवान राम इतनी प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं।

किन्तु विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने विवादित मामले में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि वह राम-जन्मभूमि दावरी मस्जिद विवाद के सबंध में न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले का तभी स्वागत करेगी जब निर्णय उनके पक्ष में होगा। इसके विपरीत स्थिति को मानने के लिए वे कतई तैयार नहीं हैं। अपने पक्ष में उनका कहना है कि शाहवाणी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को बदला जा सकता है, तब इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।

एक तरह से विहिप पक्ष व भाजपा के तर्कों में दर्जन है। यह इसलिए ठीक

प्रतीत होता है कि पूर्व में न्यायालय के निर्णय को खारिज किया गया है, और सासद द्वारा उसे बदला गया है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है। एक देश में दो नागरिकों पर दो तरह के भौतिकवादी कानून को धर्म की आड़ देकर तुष्टीकरण का जो खेल खेला गया है, उमी का परिणाम है कि आज माप्रदायिक तनाव में पूरा देश जकड़ा हुआ है।

शाहवानों का मामला किमी भी रूप में धार्मिक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यह मनुष्य होने के रूप में "समानता के अधिकार" का मामला था, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे मामले को धार्मिक रंग दे दिया गया और उमी का उदाहरण देकर इन संगठनों के नेता आज अदालत के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

कम से कम यह तर्क कि राम-जन्मभूमि का सवाल अदालत के फैसले से बाहर है, सही है। भाजपा का दावा है कि यह हिन्दुओं की भावना का सवाल है, जिस पर अदालत विचार नहीं कर सकती। शुरू में हिन्दुवादी संगठन इस तर्क को आधार बनाकर चले कि अयोध्या में जहाँ आज बावरी मस्जिद है, वहाँ पहले मंदिर था। इस तर्क को लेकर जब विवाद छिड़ा तो लगने लगा कि यहाँ आपत्ति की काफी सम्भावना है। नव हिन्दुओं ने तर्क बदल दिया और किसी अदालती फैसले को नामंजूर करने का इरादा बना लिया।

निश्चय ही जनभावना जैसी अमूर्त चीज को अदालत में परखा नहीं जा सकता। अदालत में हम इस विवाद को तीन स्तरों तक पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन उनसे समाधान निकालना मुश्किल है। सबसे पहला स्तर यह है कि विवादित जमीन पर किसका मालिकाना हक है। शिलान्यास के वक्त यह मामला चला था और आज भी चल रहा है। लेकिन यह मुद्दा गर्भगृह में नहीं मस्जिद की बाहर की जमीन से संबद्ध है, फिर जमीन की मिल्कियत आप एक सीमा तक ही जान सकते हैं। मसलन आज कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जो एक हजार साल पहले की स्थिति बता सके।

दूसरे स्तर पर अदालत में इस बात का फैसला करने को कहा जा सकता है कि क्या मस्जिद बनने से पहले वहाँ मंदिर था। या वह स्थान कितनी भी रूप से हिन्दू धर्मभावना का केन्द्र था। यहाँ अगर अदालत कहती है कि मंदिर नहीं था तो हिन्दू संगठन इस फैसले को अवमानना करने की ठान चुके हैं। विचार का तीसरा स्तर यह हो सकता है कि उस विवादित स्थल पर ही राम का जन्म हुआ था या नहीं। हमारे छयाल से विवाद को इस स्तर तक ले जाने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। पुराण पुरुषों की ऐतिहासिकता साबित करनी पड़े तो सिर्फ राम ही नहीं, दूसरे तमाम देव पुरुषों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा।

बहरहाल फिर उसी दूसरे स्तर पर लौटें। अगर अदालत मस्जिद में पहले मंदिर होने की बात मान लेती है तो हिन्दू संगठन इस फैसले को निश्चय ही अपनी

जीत बताएंगे। अगर फैसला खिलाफ जाता है तो जाहिर है उनका जवाब होगा कि मंदिर रहा हो या नहीं, कंगेडो हिन्दू राम के भजन इसे राम-जन्मभूमि मानते आए हैं, लिहाजा उस भवना का आदर होना चाहिए।

करोडो हिन्दू इसे जन्मभूमि मानते आए हैं, क्या इस दावे को परखने का कोई तरीका है। मान लिया आठ सौ हजार साल पहले। नहीं, इस बारे में इतिहास हमारी मदद नहीं कर पाएगा और कम से कम आज तो इस विवाद के चलते हिन्दू ऐसा मानते ही हैं।

जनभावना के इस मुद्दे को चुनौती तो दी जा सकती है, लेकिन उससे फिल-हाल कुछ साबित नहीं हो सकता। जन्मभूमि के अस्तित्व पर विश्वास वैसा ही विश्वास है, जैसा पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह या अन्य किसी भी दूसरे देव पुष्ट को लेकर है। अगर करोडो लोग वैसा मानते हैं तो आप ऐतिहासिक प्रमाणों के नाम पर उनकी मान्यता की अवमानना नहीं करते। कम से कम आजकी दुनिया में, जहाँ धर्माचरण को कानूनी स्वीकृति है, यह स्थिति है।

जब जनभावना वाले इस तर्क को नकारा नहीं जा सकता तो सहज रूप से इसके बाद सवाल उठता है कि ऐसे स्थल पर उस घटना (राम जन्म) का स्मारक क्यों नहीं बनने दिया जाए। और क्यों सिर्फ इसलिए इस कोशिश को रोका जाए कि वहाँ कभी किसी ने एक मस्जिद खड़ी कर दी थी।

ये तर्क काफी प्रबल है और जिस किसी को भी यह सूझा, वह निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति है : इन तर्कों के आधार पर बहस चले तो कोई उससे पार नहीं पा सकते।

भाजपा के तर्क को स्वीकार करने पर हम नतीजे पर पहुँचते हैं कि मंदिर निर्माण की कोशिश अतीत के एक कृत्य को सुधारने की कोशिश है। इस पूरे विवाद की कोई परिभाषा अगर देनी हो तो वह यही होगी। निज्जी जीवन में भी मानव के बहूत से काम इसी श्रेणी में आते हैं। समाज और राज्यों के स्तर पर भी हर स्थान और हर काल में अतीत को सुधारने की कोशिशें जारी रहती हैं। सोवियत संघ के वाल्टिक गणराज्यों की अशान्ति, कुवैत पर इराक का हमला, जर्मन एकीकरण और निम्बत का स्वतंत्रता सघर्ष कुछ परिचित उदाहरण हैं। अन्तराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द है—इरेडेंटिज्म, जिसका मतलब है इतिहास के आधार पर किसी देश के भाग पर दूसरे देश का दावा। इरेडेंटिज्म के दसियों उदाहरण मिलेंगे। ये सब अतीत के कृत्यों को सुधारने की कोशिशें हैं। हमारे देश में ऐसी कोशिश के कई उदाहरण पहले से ही हैं, जैसे कश्मीर विवाद।

तीस अक्टूबर के टकराव के बाद अयोध्या विवाद उस दौर में पहुँच गया है, जहाँ अक्लमदी की सलाह और बहस मुकाबलों से शिकजे डीले नहीं पड़ते। अगला मोड़ अब इतिहास की हलचलो, भारतीय समाज की इच्छा और राष्ट्रीय परिवर्तन

से तय होगा। यानी जितनी बड़ी ज़िद, उतना बड़ा प्रहार उसे तोड़ने के लिए चाहिए। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि अगले चुनाव में भाजपा को क्या मिलता है, हिन्दू समाज की व्यापक प्रतिक्रिया क्या रहनी है और हिन्दू नेताओं के विचार कहीं पर टकराते हैं ?

इसका जवाब यह दिया जाता है कि—

“जनभावना (भडके या भडका दी जाए) इन सुधारों की प्रेरक हो सकती है, लेकिन एकमात्र प्रेरक वह नहीं है। वह एकमात्र प्रेरक होती तो इस देश में हमें हर दूसरे दिन हर मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने होते। हर हफ्ते सरकार काश्मीरियों और सिखों से पूछ रही होती कि आपको साथ रहना है या नहीं। तब दुनिया में शायद ही कोई देश या समाज या व्यवस्था चौबीस घंटे से ज्यादा चल पाती। तो कौन है जो तय करता है कि सुधार हो या नहीं, और हो तो किम नरह हो।

इसकी कसौटी जनभावना नहीं है। सरकार भी नहीं है और पाटिया भी नहीं। इसकी कसौटी है वे मूल्य, सिद्धान्त या आदर्श, जो समाज ने अंगीकार किए हैं। जरूरी नहीं कि वे सिद्धान्त सविधान में भी हों, लेकिन वे सामान्य जनमानस में मौजूद होने चाहिए।

यानी पहले यह देखिए कि इस देश में कौन-सी बातें हैं, जो हम सब हर हाल में कायम रखना चाहेंगे। फिर यह देखिए कि अतीत को सुधारने की कोशिश इन आदर्शों में मेल खा रही है या नहीं। अगर टकराव हो रहा है तो निश्चय ही यह कोशिश जायज नहीं है।

ऐसे कौन-से आदर्श हो सकते हैं, जिन पर इस देश की सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग एकमत हो सकते हैं। हमारे ख्याल से ये आदर्श हैं, शांति, राष्ट्रीय अखण्डता और आर्थिक विकास। किसी समाज या राष्ट्र के सर्वांग कल्याण की तीन शर्तें भी हैं। एकदम सामान्य बुद्धि वाला नागरिक भी इन तीन परिस्थितियों से इन्कार नहीं करेगा।

समाज में शान्ति बनाए रखने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं, समानता और स्वतंत्रता। इन जरूरतों की पूर्ति के लिए सविधानों और संहिताओं में कई रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ता लोकतंत्र है। एक रास्ता धर्मनिरपेक्षता है, जो लोकतंत्र और शान्ति के लिए जरूरी है।

वह्रहाल शान्ति, अखण्डता और विश्वास के आदर्शों से किसी को इन्कार नहीं है, भाजपा को भी नहीं। ३० अक्टूबर के आसपास जारी भाजपा के एक विज्ञापन में ये पंक्तियाँ छपा देने लायक हैं, भाजपा भारत की एकता और अखण्डता के लिए कटिबद्ध है। भाजपा चाहती है कि सभी सभ्यताओं की मित्रता के मजबूत धरातल पर भारत के उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो। यह पहले मुजला मुफला बने।

यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मुहिम से भागपा का यह महान लक्ष्य किस तरह पूरा होता है। अलबत्ता कोई भी व्यक्ति अपनी साम्प्रदायिक राजनीतिक पक्षधरता को कायम रखते हुए खुद यह विचार कर सकता है कि मंदिर निर्माण का इन तीन मौलिक आदर्शों से क्या रिश्ता है।

“अयोध्या विवाद से समाज की शान्ति भंग हुई है। देश में फसाद का नया दौर छिड़ा है। इससे समाज में अलगाव पैदा हुआ है, जो राष्ट्रीय अखण्डता के लिए नई चुनौती बन सकता है। इस अशांति से विकास का अवरोध होना लाजमी है। शायद यह अकेला विवाद है, जो हमारे सुखी जीवन की किसी भी आवश्यक शर्त से मेल नहीं खा रहा। फिर इसके अमर यही तक सीमित नहीं हैं। अशान्ति के एक सिलसिले की यह शुरुआत हो सकती है।

भागपा का तर्क सही है। हो सकता है मस्जिद जहाँ बनी है, वही राम का जन्म स्थल हो। हो सकता है अतीत में यह अन्याय हुआ हो। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उस अन्याय की भरपाई आज बीसवीं सदी के अंतिम दौर में ही की जाए। भारत आज वह नहीं, जो मीरवांकी के समय था। आज के भारत की जरूरतें दूसरी हैं। अन्याय की भरपाई से न्याय ही हो यह गणित उन समाजों के लिए है, जहाँ सैकड़ों सालों में भी कुछ नहीं बदलता। अन्याय की भरपाई और भी बड़ा अन्याय हो सकता है। क्योंकि भारत श्रीराम का जन्म स्थल ही नहीं है, यह मंदिर-मस्जिद के अलावा भी बहुत कुछ है। यह दसवाँ औद्योगिक देश, सातवाँ उपग्रह देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे भीड़ भरा राष्ट्र भी है। यह अपने ढ़ड़ोस का सबसे ताकतवर, आधुनिक प्रगतिशील और समृद्ध देश है। इसे निस्संदेह न तो श्रीलंका बनना चाहिए, न लेवनाम न पाकिस्तान। भारत के लिए सबसे बेहतर सेवा यही है कि इसे भारत ही रहने दिया जाए।”

५. जन-आन्दोलन

देश की स्वाधीनता के बाद हिन्दू-पक्षीय जन-आन्दोलन के इस मोड़ तक पहुँचने की जो यात्रा रही है उसकी कालदर्शिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है—

१५ अगस्त, १९४७ को देश आजाद हुआ। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने देश में गुलामी के चिह्नों को हटाने का संकल्प किया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से सौराष्ट्र में महमूद गजनवी द्वारा तोड़े गए भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया।

२२-२३ दिसम्बर १९४६ की रात को फँजाबाद के जिलाधीश श्री कृष्ण-कुमार नैयर के काल में अयोध्या में जन्मभूमि पर श्रीराम की मूर्ति विराजमान हुई, जिसकी पूजा सरकार द्वारा नियुक्त पुजारी प्रतिदिन दोनो समय आज भी करते हैं।

१९४६ में वहाँ श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के मुख्य मंत्रित्व काल में लोहे के सरिण लगाकर उम पर ताला लगाया गया, किन्तु पूजन प्रतिदिन होता रहा।

१९६४ में जन्माष्टमी के दिन विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना सादीपनी आश्रम में धर्माचार्यों द्वारा की गई।

७-८ अप्रैल, १९८४ को दिल्ली में आयोजित प्रथम धर्मसंसद में देश भर से सभी सम्प्रदायों के ५२८ सन्त पधारे। सभी ने एकमत से श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति का निर्णय लिया।

२५ सितम्बर, १९८४ को 'राष्ट्र चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से' सी-नामडी (बिहार) से श्रीराम जानकी रथ यात्रा प्रारम्भ हुई।

६ अक्टूबर, १९८४ को हजारों संतों और लाखों राम भक्तों द्वारा सरयूतट पर अयोध्या में संकल्प लिया गया और लखनऊ तक पद यात्रा की गई। विशाल धर्मसभा में अवैध ताला खोलने की माँग की गई।

८ अक्टूबर, १९८४ को श्रीराम जानकी रथ यात्रा अयोध्या से लखनऊ को चली।

१४ अक्टूबर, १९८४ को लखनऊ में यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उसी दिन एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जन्मभूमि की मुक्ति के सम्बन्ध में मिला।

१६ अक्टूबर, १९८४ को श्रीराम-जानकी रथ की दिल्ली यात्रा प्रारम्भ हुई किन्तु ३१ अक्टूबर १९८४ को इन्दिरा जी की निर्मम हत्या के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

२६ मार्च, १९८५ को ५० लाख राम भक्तों के बलिदानी जल्ये तैयार करने का निर्णय लिया गया।

१८ अप्रैल, १९८५ रामनवमी तक ताला नहीं खुला तो महंत रामचन्द्रदासजी धारमदाह करोगे, ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की गई। आन्दोलन को विश्वव्यापी बनाने की योजना तैयार की गई।

२३ अक्टूबर, १९८५ विजयादशमी से पुनः रथ यात्राओं को प्रारम्भ किया गया।

३१ अक्टूबर, १९८५ को उडुप्पी (कर्नाटक) में द्वितीय धर्मसंसद अधिवेशन और सन्त सम्मेलन में ८५१ सत पधारे जिन्होंने भावी सघर्ष की योजना बनाई।

१८ दिसम्बर, १९८५ को "दजरग दल" द्वारा उत्तर प्रदेश बन्द का आह्वान किया गया।

१६ जनवरी, १९८६ को सम्पन्न उत्तर प्रदेश के संतों के सम्मेलन में महा-शिवरात्री से सघर्ष प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

१ फरवरी, १९८६ को फैजाबाद के जिला न्यायालय ने ताला खुलवा दिया। देश भर में प्रसन्नता की लहर फैली।

ताला खुलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर निर्माण आदि के लिए श्रीराम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ।

१४ फरवरी, १९८६ को मुसलमानों ने विरोध में काला दिवस मनाया। कश्मीर में १०० मंदिर नष्ट कर दिए गए।

जनवरी, १९८७ में शहाबुद्दीन के नेतृत्व में बावरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा की। संविधान का विरोध किया गया और वोट क्लब, दिल्ली में सभा का आयोजन किया गया।

१९८७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जानकी रथों की यात्रा को प्रति-बन्धित किया।

१९८७ में देश भर में श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति समितियों का गठन किया गया।

जुलाई १९८८ में हरिद्वार सन्त सम्मेलन में मार्चों का ढटकर विरोध करने का निर्णय हुआ।

१२ अगस्त, १९८८ को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा अयोध्या में मिनी मार्च और २२ अक्टूबर को लॉग मार्च करके श्रीराम मंदिर पर नेमांज पढ़ने की घोषणा की गई।

८ अक्टूबर, १९८८ को बजरंग दल द्वारा लॉग मार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षा संस्थाएं बन्द कराई गईं।

१४ अक्टूबर, १९८८ को लॉग मार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बन्द हुआ। दिल्ली में बजरंग दल द्वारा जामा मस्जिद पर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी युवा संस्थाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदों में कीर्तन करने का आह्वान किया गया।

१३ अक्टूबर, १९८८ की रात को शहाबुद्दीन ने बिना शर्त लॉग मार्च का निर्णय वापस लिया।

१ फरवरी, १९८८ को प्रयागराज कुंभ में संत महासम्मेलन, तृतीय धर्मसंकेत अधिवेशन में एक लाख सन्तों द्वारा श्रीराम शिलापूजन व ६ नवम्बर, १९८६ को श्रीराम मंदिर की आधारशिला रखने की घोषणा की गई।

२७-२८ मई, १९८६ को हरिद्वार में ११ प्रान्तों में सन्तों की बैठक में निर्णयों की पुष्टि हुई।

१३-१४ जुलाई, १९८६ को अयोध्या में विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में बजरंग शक्ति दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ। इसमें ६००० बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीक्षा ली।

२६-२७ जुलाई, १९८६ को नागपुर में देश भर के ऐसे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जो ५-५ प्रखण्ड पूजों के कार्यकर्ताओं को शिला पूजन कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन दे सकते थे।

शिलान्यास कार्यक्रम के विरोध में बहुत कुछ कहा गया और किया गया। इसमें सरदार बूटा सिंह, नागपणदत्त तिवारी आदि विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियों, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री वी०पी० सिंह आदि राजनीतिक नेताओं ने ही नहीं, द्वारका के जगद्गुरु स्वामी स्वरूपानन्द जी ने भी परिषद की इस योजना को सफल न होने देने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए।

सरकारी स्तर पर इसे रोकने के प्रयास चालू रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने १४ अगस्त, १९८६ को प्रयाग उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ से शिला पूजन कार्यक्रमों का निषेध प्राप्त करने का असफल प्रयास किया।

स्वामी स्वरूपानन्द जी द्वारा यहाँ तक कहा गया कि शिलान्यास का मुहूर्त शुभ नहीं है। दक्षिणायन में शिलान्यास नहीं होना चाहिए। काशी की विद्वत् परिषद् से निर्णय कराया गया। उसके अनुसार दक्षिणायन में शिलान्यास में कोई

साधा नहीं बताई गई। साथ ही ६ नवम्बर को १०-१२ बजे से पूर्व भूमि उत्खनन और १० नवम्बर, १९८६ को १-३३ से १-३८ बजे तक शिलान्यास के लिए उत्तम काल बताया गया।

१७ से २२ सितम्बर, १९८६ तक "इन्द्रप्रस्थ धर्म यात्रा" का कार्यक्रम चला। इसमें १८५० साधुओं ने भाग लिया। सन्तगण प्रतिदिन दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में २० से २५ कि०मी० की यात्रा करते थे। भारी तादाद में जनता उनके दर्शनों और आशीर्वाद पाने के लिए एकत्र होती थी।

२२ सितम्बर, १९८६ को दिल्ली के बोट क्लब की जनमभा में देश के प्रमुख सन्त उपस्थित थे। इस सभा में शिला पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में वाधा उपस्थित होने पर सरकार को भीषण संघर्ष की चेतावनी दी गई।

तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटा सिंह द्वारा महन्त अबैचनाथ जी, महन्त नृपयोगपाल दास जी, श्री दाऊ दयाल खन्ना श्री अशोक सिंघल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के घर वार्ता के लिए निमन्त्रित किया गया।

वार्ता के फलस्वरूप परिषद के ३० सितम्बर, १९८६ से होने वाले कार्यक्रमों को सरकारी सुरक्षा और सहयोग देने की सूचना देशभर के पुलिस विभाग को दी गई।

३० सितम्बर, १९८६ में पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार शिलापूजन के कार्यक्रम ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में होने लगे।

१३ अक्टूबर, १९८६ को लोकसभा के आकस्मिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया कि सरकार शिलापूजन के कार्यक्रम से सहयोग नहीं करे। विश्व हिन्दू परिषद से माँग की गई कि वह शिलापूजन कार्यक्रम को रद्द कर दे।

१५ अक्टूबर, १९८६ को श्री तारकुण्डे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित शिलापूजन की यात्राओं पर रोक लगाई जाए।

१६ अक्टूबर, १९८६ को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई।

१७ अक्टूबर, १९८६ को विहिप द्वारा श्री बूटा सिंह जी से मिलकर स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जाएगा।

१८ अक्टूबर, १९८६ को श्री राम जेटमलानी की अपील विश्व हिन्दू परिषद के नाम निचली गई कि शिलान्यास कार्यक्रम हर दशा में वापस ले लिया जाए।

१८ अक्टूबर, १९८६ को श्रीमती शीला दीक्षित को विहिप ने बता दिया कि वे प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को सूचित कर दें कि वे अनावश्यक विवाद से बचने के लिए शिलान्यास होने दें।

१८-१९ अक्टूबर, १९८६ को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति द्वारा

मनोनीत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आकस्मिक बैठक हुई।

१९ अक्टूबर, १९८६ दिल्ली के प्रेस क्लब में महन्त अबैधनाथ ने घोषणा की कि शिलान्यास हर परिस्थिति में प्रस्तावित स्थान तथा निश्चित समय पर होगा।

२७ अक्टूबर, १९८६ को उच्चतम न्यायालय ने श्री तारकुण्डे की याचिका पर निर्णय दिया कि धार्मिक जलूस निकालना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। अतः श्रीराम शिलाओ को अयोध्या तक लाना रोक नहीं जा सकता।

२ नवम्बर, १९८६ को काशी के विद्वान शिलान्यास का स्थान निश्चित करने अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य स्थपति श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा भी उपस्थित थे। सभी की महमति से विग्रह से १६२ फीट पूर्व दिशा में एव वहाँ से दक्षिण दिशा में साढ़े सत्रह फीट पर स्थान निश्चित हुआ।

२ नवम्बर, १९८६ की राय निश्चित स्थान पर ८ फीट का चतुर्भुज बनाकर लीप कर झण्डा गाड़ दिया गया।

५ नवम्बर, १९८६ में हजारों की सङ्ख्या में सन्त और महन्त तथा स्थान-स्थान से पूजित श्रीराम शिलाओ से भरे रथ अयोध्या पहुंचने लगे।

६ नवम्बर, को १९८६ तत्कालीन प्रधान मंत्री, गृहमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि ने पूज्य देवरहा बाबा से भेंट करके शिलान्यास का स्थान परिवर्तन करने की पेशकश की।

७ नवम्बर, १९८६ को बाबा से वार्ता में निर्णय हुआ कि जहाँ पर झण्डा लगा दिया गया है वही शिलान्यास होगा।

७ नवम्बर, १९८६ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस रिट पर कि न्यायालय शिलान्यास के स्थान को विवादित बताकर शिलान्यास पर रोक लगाने के आदेश जारी करे, फौमला दिया कि सरकार ही फौमला करे कि यह स्थान विवादित है या नहीं।

६ से ८ नवम्बर, १९८६ तक अयोध्या में सरयू तट पर बने विशाल नगर में सम्पूर्ण देश से भारी सङ्ख्या में आए वजरग दल के कार्यकर्ताओं और सन्तों के जो उद्गार व्यक्त हो रहे थे उससे यह निश्चित था कि ६ नवम्बर को मार्ग-दर्शक मण्डल के प्रमुख धर्माचार्य, विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारीगण और १५ हजार कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वातावरण बहुत क्षुब्ध हो गया।

८ नवम्बर, १९८६ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि शिलान्यास स्थल विवादित भूमि नहीं है। शिलान्यास स्थल पर लगा पुलिस बल हटा लिया गया। अयोध्या के आकाश पर घिरे विषाद के काले बादल एकदम हट गये।

९ नवम्बर, १९८६ को १०-१२ बजे से पूर्व ही महन्त अबैधनाथ जी,

वामदेव जी महाराज, महन्त श्रीरामचन्द्र परमहंस जी उपस्थित हो गए। हजारों दशकों के बीच भूमि उत्खनन का कार्य सम्पन्न हुआ।

१० नवम्बर, १९८६ को लाखों की संख्या में उपस्थित जनता के तुमुलनादों और शंखध्वनियों के बीच ठीक समय पर बिहार के हरिजन बन्धु श्री कामेश्वर चोपाल द्वारा भारत एवं विश्व के लगभग हर देश के ४५० प्रेस-प्रतिनिधियों के समक्ष प्रथम शिला रखी गई। बाद में विभिन्न सन्तो-महन्तों की २०० शिलाओं से शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ठीक १.३५ बजे अयोध्या की ओर मुंह करके सम्पूर्ण देश में पुष्पाजलि अर्पित की गई।

१० नवम्बर, १९८६ की रात्रि को मार्गदर्शक मण्डल की बैठक में विचार हुआ कि शिलान्यास कार्यक्रम की स्वाभाविक परिणति निर्माण में होनी है और इस निर्माण कार्य के लिए कार सेवा हेतु ११ नवम्बर, १९८६ को संतगण जाएं। यदि रोका गया तो देश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर सत्याग्रह जैसा कठोर कदम न उठाए।

११ नवम्बर, १९८६ को ७ हजार से ऊपर सन्त और गृहस्थ सरयू तट में कुदाल, फावड़ा आदि लेकर चले। जन्मभूमि पर जद निर्माण कार्य जिलाधीश की आज्ञा से रोका गया तो संतगण वापस आ गए।

२७-२८ जनवरी, १९६० को प्रयाग में आयोजित सन्त सम्मेलन में १४ फरवरी, १९६० के दिन शुभ मुहूर्त निकाल कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। साथ ही ६ फरवरी, १९६० तक वातचीत के लिए द्वार खुला रखा गया।

६ फरवरी, १९६० को प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ समिति की सर्वाधिकार समिति के सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के पश्चात् प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों से चर्चा करने के लिए समय मांगा। बाद में गृह सचिव न सूचित किया कि प्रधानमंत्री ने समस्या के समाधान के लिए कुछ और समय मांगा है तथा इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करना स्वीकार कर लिया है।

सरकार के रख से समिति सन्तुष्ट नहीं थी। अतः सत्याग्रह की तैयारी ७.०० में सब प्रकार से पूर्ण हो गई। इधर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि वे ४ माह में समस्या का समाधान निकालने का विश्वास रखते हैं।

दिल्ली में उपस्थित सर्वाधिकार समिति के सदस्यों की बैठक हुई। निश्चय किया गया कि ६ फरवरी, १९६० को समिति की आपात् बैठक बुलाई जाए। बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री से मिलकर समस्या के समाधान की आशा का आधार समझ लिया जाए।

८ फरवरी १९६० को समिति के दिल्ली में उपस्थित सदस्य प्रधानमंत्री से

मिलने गए। प्रधानमंत्री ने अपना ४ मास में समस्या के निदान का विश्वास दोहराया। इस विश्वास ने समिति के सदस्यों को उनकी अपील पर पुनः विचार के लिए प्रेरित किया।

६ फरवरी, १९६० को सर्वाधिकार समिति की दिल्ली में हुई आपात् बैठक में यह सोचकर कि जो समस्या ४५० वर्षों से उलझी हुई है उसके लिए ४ मास और प्रतीक्षा की जा सकती है, प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार कर लिया गया।

२८ मार्च को मंदिर निर्माण की तिथि के बारे में विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार को अल्टिमेटम दिया।

१ मई को जन्मभूमि विवाद के रगमच पर एक नए पात्र का प्रवेश हुआ। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानन्द, जो वि०हि०प० के झंडे से अलग खड़े होकर, शास्त्रीय आधार के साथ आज निर्माण कार्य शुरू करना चाहते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिक्रिया मामूली रही। ६ मई को उन्हें रिहा कर दिया गया।

७ जून को राम-जन्मभूमि-बाबरी-मस्जिद आन्दोलन से संबंधित पक्षों की उच्च स्तरीय वार्ता फिर शुरू हुई। लेकिन ३१ जुलाई तक वह विफल हो गई। २४ जून को मंदिर-निर्माण के लिए कारसेवा-समिति बनी। २५ ता० से सत्याग्रह की तैयारी शुरू हुई। उधर बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए भी समिति बनी। ३१ जुलाई को गृहमंत्रालय की संनदीय सलाहकार समिति में विवाद को लेकर सातद डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी और डॉ० विजयकुमार मलहोत्रा में तीखी झड़प हुई। डॉ० स्वामी ने मांग की कि सरकार हिन्दू नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करे। डॉ० मलहोत्रा ने इस पर चुनौती देते हुए कहा कि जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। स्मरणीय है कि डॉ० स्वामी कभी सध के स्वयंसेवक तथा भा०ज०पा० कार्यकारिणी में रह चुके हैं किन्तु जनता पार्टी में भाजपा घटक के अलग होते समय वही बने रहे।

प्रधानमंत्री वी०पी० सिंह ने २ अगस्त को बैठक बुलाई। लेकिन दोनों पक्षों ने उसकी उपेक्षा की। उत्तर प्रदेश जनता दल ने फैसला किया कि वह अयोध्या में मंदिर निर्माण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वि०हि०प० द्वारा दी गई चुनौती से सरकार के साथ-साथ जनता दल का सगठन भी निपटेगा। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।

५ अगस्त को विहिप महासचिव अशोक सिधल ने घोषणा की कि परिषद पूरे देश में पांच हजार वाहिनी (ब्रिगेड) तैयार करेगी। मंदिर-निर्माण में सरकार ने बाधा खड़ी की तो ये वाहिनियाँ गिरफ्तारी देंगी। प्रत्येक वाहिनी में १०१ व्यक्ति

होगे। ये लोग ३० अक्टूबर से पहले अयोध्या पहुँच जायेंगे—जहाँ उस दिन से कारसेवा शुरू होनी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विरोध किया तो आंदोलन अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा।

केन्द्र में वार्ता विफल हो जाने के बाद उ० प्र० के पुलिस और गुप्तचर तंत्र को मुस्तैद किया गया। गुप्तचरों की खबर यह थी कि यदि २६ सितम्बर, ६० (त्रिजयदशमी) से प्रारंभ होने वाली साधु संतो की विजय यात्राएँ निकलीं तो उसी प्रकार दगे भडकेंगे जैसे ८५-८६ में रामजानकी रथों के निकलने पर भड़के (या भडकाए गए) थे। गुप्तचरों की रपट यह भी थी कि इस बार विजय यात्राओं पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले होंगे। इस दौरान सरकार को डावाडोल करने की कोशिश कुछ राजनैतिक दल करेंगे।

इस पर प्रदेश सरकार ने विजय-यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना तय किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भाजपा के बड़े नेताओं और जिलो-तहसीलो में सक्रिय जुझारू हिन्दूवादी नेता और कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की। सूची में उन लोगों का नाम था, जो समय-समय पर संघर्ष करते रहे हैं, और जेल जाने का भी हौसला रखते हैं।

२० सितम्बर के आसपास संघ के सरकार्यवाह प्रो० राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति अध्यक्ष सासद महंत अर्बचनाथ, उच्च-न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवकीनन्दन अप्रवाल, वि० हि० प० के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुहरि डालमिया, महासचिव अशोक सिंघल, सत संघर्ष समिति प्रमुख स्वामी चिन्मयानन्द, वि० हि० प० के प्रदेश अध्यक्ष श्रीगणेश चंद्र दीक्षित, रा० स्व० संघ के बौद्धिक प्रमुख एच० वी० शेषाद्रि, महंत नृत्य गोपाल दास आदि लोगों को बंदी बना लेने की योजना तैयार की गयी। ये सारी गिरफ्तारियाँ उ० प्र० सीमा में जो जहाँ है—जैसे है के आधार पर होनी थी।

२६ सितम्बर ६० से सतो और परिषद के नेताओं के नेतृत्व में सौ प्रमुख धर्म स्थानों व महत्वपूर्ण शहरों से विजय यात्राएँ अयोध्या के लिए रवाना होनी थी। इन्हे रोकने के लिए एहतिधान के तौर पर शालीनता के साथ, उक्त सगठनों के अलावा, कार सेवा समिति, धर्मस्थान मुक्तिप्रज्ञ समिति, राम जन्मभूमि मन्दिर पुनरुद्धार न्यास, हिन्दू जागरण मंच, वजरग दल, शिवसेना, विश्व हिन्दू अधिवक्ता सघ, मन्दिर निर्माण समर्पक भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी होनी थी। साथ ही बावरी मस्जिद एक्शन समिटी के उन जुझारू लोगों की भी सूची तैयार हुई, जो परिषद के कार्यक्रमों को देखते हुए कुछ उपद्रव कर सकते थे या कोई जवाबी कार्यक्रम बना सकते थे।

उक्त नेताओं के कार्यक्रमों व दौरों पर सरकारी गुप्तचरों की पंजी नजर थी। उधर हिन्दू नेता तीन बातों पर बडिग थे, एक—मन्दिर निर्माण की तिथि तिरुँ

मुद्द की स्थिति में टाली जायेगी। दो—प्रस्तावित शिलान्यास स्थान और मन्दिर के नक्शों में कोई फेरबदल नहीं होगा, जहाँ इस समय मूर्तियाँ रखी हैं। इन तीनों कार्यक्रमों को पूरा करने का निर्णय वृन्दावन में सती ने लिया। गुप्त बैठक में यह तय किया गया कि सरकार हिंसा पर उतरी तो गुरिल्ला शैली से निपटा जाये।

इस बीच बजरगदल ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे स्वतंत्रता दिवस को चेतावनी दिवस के रूप में मनाएँ। इस दिन रात नौ बजे से सवा नौ बजे तक सारे देश के हिन्दू अपने घर की छतों पर घटा घड़ियाल शब्द बजाकर सरकार को चेतावनी देंगे, कि मन्दिर बना तभी हम मानेंगे कि देश असली मायने में स्वतंत्र हुआ है।

भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुहम्मद अब्बास नकवी ने सौ राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ कार सेवा में हिंसा लेने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

८ अगस्त को डॉ० स्वामी ने माँग की कि रामुका के तहत विश्व हिन्दू परिषद पर रोक लगे तथा बड़े सघ नेताओं की गिरफ्तारी हो।

राज्यसभा में 'विशेष उल्लेख' के तौर पर बोलते हुए उन्होंने यह माँग की व विहिप के 'फासिस्ट्स व हिन्दू विरोधी' नजरिए पर चिन्ता जताई। उन्होंने कहा कि हिन्दुओं की सहिष्णुता की परंपरा के मुताबिक इस बारे में व्यापक राष्ट्रीय सहमति है कि विवाद समझौता वार्ता अथवा अदालतों के जरिए तय हो। मुस्लिम लीग ने भी इस नजरिए को माना है। विहिप के नजरिए को चारों शकराचार्य तक नामजूर कर चुके हैं, इसलिए उस पर दो साल के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाए।

११ अगस्त को प्रधानमंत्री वि० प्र० सिंह ने मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों की एक राष्ट्रीय गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विवाद पर न्यायालय के फैसले को अंतिम रूप से मानेगी। न्यायालय का आदेश चाहे अंतरिम हो या अंतिम, सरकार उसका पालन करेगी। यहाँ न्यायपालिका का स्थान सरकार से ऊपर है। जहाँ दो धर्मों के लोग एक बिन्दु पर मतान्तर रखते हों, वहाँ दोनों समुदायों की भावना को बिना ठेस पहुँचाए कोई हल निकालने का सही रास्ता, न्यायालय का निर्णय है, इसे मानना होगा। ऐसी स्थिति न्यायपालिका के लिए भी एक चुनौती है। अगर एक बार जनता ने न्यायपालिका में विश्वास छोड़ दिया तो उसकी दूरगामी प्रतिक्रियाएँ होंगी।

१४ अगस्त को विवाद का समाधान तलाशने के लिए केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय बाबरी सघर्ष समिति को वार्ता के नये दौर का निमन्त्रण भेजा। गृह राज्यमंत्री सुबोधकांत सहाय ने चर्चा के लिए १७ अगस्त तारीख तय की। वार्ता के पिछले दौर में सघर्ष समिति ने उसमें भाग नहीं लिया था। समिति बैठक में

भाग लेने पर राजी हो गई। एवशन कमेटी के उपाध्यक्ष—सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि देशभर से लगभग १५ सदस्य बैठक में भाग लेंगे।

बैठक में इन मुस्लिम नेताओं ने सुझाया कि सरकार पाँच बड़े धार्मिक नेताओं की एक समिति को विवाद का हल सुझाने का काम सौंप दे। इसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतिनिधि हों। उन्होंने विहिप के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत की तैयारी बताई वशत कि वे खुले मन से बात कर रास्ता निकालें। उन्होंने प्रस्ताव किया कि अगर मुस्लिम नेता राम जन्मभूमि स्थान पर मन्दिर निर्माण में सहयोग देते हैं तो वे हिन्दू नेताओं से अपील करेंगे कि वे श्रीकृष्ण जन्म-भूमि और काशी विश्वनाथ मन्दिर पर बनी मस्जिदों को हटाने का आग्रह छोड़ दें।

२३ अगस्त को अयोध्या के ८० वर्षीय महंत परमहंस रामचन्द्र दास ने अपना ४० साल पुराना मुकदमा वापस लेने की पेशकश कर विवाद में एक नाटकीय मोड़ सा लाने की कोशिश की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खण्डपीठ के सामने पेश अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि प्राथमिक मुद्दों के आधार पर मामले का निर्णय किए जाने संबंधी आवेदन नामन्जूर होने से, उन्हें इस मुकदमे के जल्द निपटने की आशा अब नहीं रही। जब मैंने दावा पेश किया था तब मेरी आयु ४० साल थी। अब मैं ८० बरस का हो गया हूँ। अब मेरे जीवन में शीघ्र निर्णय की आस टूट गई है, इसलिए मैं अदालत से अपने दाव सख्या २५ सन १९५०, नया नम्बर २, सन १९५६ की अनिर्णित वापस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

२५ अगस्त को प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब देने के अन्दाज में विहिप ने भारत सरकार से अपील की कि वह राम जन्मभूमि निर्माण के 'ऐतिहासिक आन्दोलन' में सहयोगी बने। इसके साथ ही परिषद ने मन्दिर पुनरुद्धार की कार्य-योजना घोषित कर दी। विहिप ने तिहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ वह सरकार से हो रही बातचीत में शरीक थी तो दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ में मुकदमा भी लड़ रही थी। इन दोनों पर उभे पूरा भरोसा नहीं था। अतः इन मोर्चों और मंचों से अलग हुए बिना उसने तीसरा विकल्प जन आन्दोलन का भी खुला रख छोड़ा था। अब इसे उसने 'राम जन्म-भूमि पुनरुद्धार आन्दोलन' का नया नाम दे दिया।

विहिप के महासचिव ने बताया कि 'पुनरुद्धार की कार सेवा पूजा का अंग है। हिन्दू समाज का यह अधिकार है। उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। विहिप की कार्ययोजना के अनुसार व्यापक और गहन जन सम्पर्क किया जायेगा। उसके एक चरण में नवदुर्गा के दिन १६ सितम्बर को श्रीराम ज्योति जलाई जायेगी। हर ज्योति एक रथ में रधी जायेगी। एक ज्योति काशी विश्वनाथ की ओर तो दूसरी मथुरा की ओर ले जाने की योजना है।

“१२ अक्टूबर से १८ अक्टूबर तक यह ज्योति प्रदान सप्ताह मनाया जायेगा। उसी दौरान ११ से १५ अक्टूबर तक विभिन्न शिविरो मे कार-सेवकों के 'वाहिनीप्रमुखों' को प्रशिक्षित किया जायेगा। एक वाहिनी मे १०० कार सेवक होंगे। ऐसी ५००० वाहिनियाँ बनेंगी।”

श्री सिंघल और श्रीशचन्द्र दीक्षित ने दावा किया कि उनके आन्दोलन से शांति भंग नहीं होगी। वे लोग शांति भंग कर सकते हैं, जो इसके खिलाफ हैं। सरकार उन्हें रोके। महत रामचन्द्र दास द्वारा मुकदमा वापस लेने के बारे में उन्होंने कहा कि 'न्याय में देर का अर्थ है, न्याय से इन्कार। हमारी धारणा पक्की हो रही है कि हमें इन्साफ नहीं मिल रहा है। अदालत के फैसले के इन्तजार की अपील (प्रधानमंत्री की) अत्यंत भ्रामक है।

“इसके कारण में एक नया ही बंध मुद्दा उन्होंने प्रस्तुत किया, “अदालत में राम जन्मभूमि मन्दिर के देवता के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है जब कि कानूनन देवता ही उस संपत्ति का अधिकारी एवं मालिक है। जब तक देवता को मुकदमे में एक पक्ष नहीं बनाया जाता, तब तक अदालत का कोई भी फैसला उस पर लागू नहीं हो सकता। इन्साफ में देर और देवता का मुकदमे से बाहर रहना, ये दो कारण हैं, जिससे महत रामचन्द्र दास ने मुकदमा वापस लेकर सरकार को एक सबक सिखाया है।”

इसी दिन मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री से भेंट कर माग की कि विश्व हिन्दू परिषद पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधि मण्डल में श्री बनानवाला और इब्राहिम मुलेमान सेठ थे।

भाजपा नेता कलराज मिश्र ने दोहराया कि भाजपा विश्व हिन्दू परिषद के साथ है। भाजपा भी अपने कार सेवक अयोध्या भेजेगी। कार सेवकों की भर्ती के काम में भाजपा पूरा सहयोग देगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव को राममन्दिर के निर्माण का विरोध छोड़कर कार सेवक बनकर अयोध्या जाना चाहिए।

३० अगस्त को, अयोध्या में प्रस्तावित राम मन्दिर के निर्माण के लिए विहिप द्वारा विदेशों से अनुदान स्वीकार करने के लिए अनुमति देने का आवेदन भारत सरकार ने ठुकरा दिया। गृह राज्यमंत्री सुबोधकान्त सहाय ने लोकसभा में बताया कि मन्दिर निर्माण स्थल विवादास्पद होने और पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अनुदान स्वीकार करने की अनुमति देना उचित नहीं समझा गया।

१ सितम्बर को भाजपा विधायकों की सखनऊ में हुई बैठक में कार सेवा आंदोलन तथा सितम्बर के निर्माण अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम को देखते हुए अन्य सभी कार्यक्रम रोक दिए गये। उ० प्र० भाजपा

नेता कल्याण सिंह कालवी के अनुसार "जन-जागरण अभियान गाँवों, कस्बों में बहुत तेजी से चल पड़ा है। सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक हर न्याय पंचायत में इस अभियान के तहत् सम्मेलन कर दिए जाएंगे। कार सेवा की भी भर्तों का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा है। विधायक और सांसद भी कार सेवा में शामिल होंगे।"

१२ सितम्बर को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मन्दिर में निर्माण के लिए जन-आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। पार्टी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि और इससे संबंधित मुद्दों पर भाजपा का दृष्टिकोण समझाने तथा जनमानस को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए गुजरात में सोमनाथ मन्दिर से अयोध्या तक दस हजार किलोमीटर की रथयात्रा करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि, "यह यात्रा २५ सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होगी तथा गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होती हुई ३० अक्टूबर को अयोध्या (उ० प्र०) पहुँचेगी।"

उन्होंने कहा कि वे रथ के रूप में मजी जीप में प्रतिदिन लगभग तीन सौ किलोमीटर यात्रा करेंगे। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया।

उसी दिन लखनऊ में भाजपा ने उ० प्र० में १ लाख कार सेवकों की भर्ती करना तय किया। पार्टी के महामंत्री प्रो० शामनदन सिंह ने बताया कि यह संख्या आर० एस० एस० व विश्व हिन्दू परिषद द्वारा की जा रही भर्ती के अतिरिक्त होगी। इन सभी को ३० अक्टूबर को अयोध्या पहुँचने के लिए कहा जायेगा।

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रथयात्रा का विरोध घोषित किया। इसे उसने 'भड़काने वाला कदम' बताया।

बजरगदन ने दो लाख कार सेवक भेजने का फैसला किया। 'वे विशूल, तलवार व डंडे से लैस होंगे।' उधर अयोध्या से राम ज्योति यात्राएं देश के प्रमुख नगरों के लिए रवाना हो गईं।

उ० प्र० सरकार ने पारम्परिक चौदहकोसी तथा पंचकोसी धार्मिक परिष्कारों पर रोक लगा दी। केन्द्र सरकार से आर० पी० एफ० की और अधिक कम्पनियों की माँग भी की।

१५ सितम्बर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्री आडवाणी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उसने एक वक्तव्य में कहा कि इससे विहिप नेताओं का कट्टरपन बढ़ेगा जबकि उन जैसे राष्ट्रीय महत्व के नेता को उनके कठोर रवैये को नमं बनाने का प्रयास करना चाहिए।

१४ सितम्बर को श्री दाडवाणी ने मोर्चा सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वह यह मान कर न चले कि हमारा समर्थन मिलता ही रहेगा।

विवाद पर धार्मिक नेताओं की बैठक बुलाने का सरकार ने विचार किया। गृह मंत्रालय में काची कामकोटि पीठ के शकराचार्य के इस प्रस्ताव का स्वागत किया कि दोनों धर्मों के नेताओं की बैठक हो। प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। १५ सितम्बर को शाही इमाम मौलाना सैयद अब्दुला बुखारी ने आपसी बातचीत के इस सुझाव का समर्थन किया।

सत्कालीन जनता दल के दिग्गज नेता चन्द्रशेखर ने कहा कि मंदिर बनाने की योजना इस प्रकार बनाएं जिससे बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहे। भाजपा नेतागण अपने प्रभाव से यह संभव बनाएं।

१७ सितम्बर को राजधानी के कई बुद्धिजीवियों ने प्रस्तावित रथयात्रा को 'असामयिक' बनाया। उन्होंने कहा कि 'पंजाब, कश्मीर और असम' के मौजूदा हालात देखते हुए यह राष्ट्र की एकता व अखण्डता को नुकसान पहुँचा सकती है।

दलाहाबाद उच्च न्यायालय की बखनऊ खंडपीठ ने प्रधानमंत्री श्री वी०पी० सिंह, उ० प्र० के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह तथा अन्य पक्षों को पंचकोमी परिक्रमा के बारे में नोटिस जारी किया। यह नोटिस मर्हूम अवधेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया, जिसमें इन व्यक्तियों को अयोध्या में पंचकोमी परिक्रमा को प्रतिबंधित करने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया था।

१८ सितम्बर को राष्ट्रीय एकता परिषद की उच्चस्तरीय समिति ने राय जाहिर की कि विवाद में अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए और अदालती प्रक्रिया में जल्दी होनी चाहिए।

मन्दिर निर्माण के प्रश्न पर विहिप के आर० एस० एस० और गैर आर० एस० एस० विचारधारा वाले पदाधिकारियों में मनभेद के फलस्वरूप परिषद के उपाध्यक्ष श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने पदत्याग की इच्छा व्यक्त की। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री अग्रवाल विहिप में गैर सधीय धारा के प्रतिनिधि और विहिप के कानूनी सलाहकार रहे हैं। वे अदालतों में परिषद का पक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी धारणा है कि अदालतों में विलम्ब भले ही हो रहा हो, लेकिन देश की न्यायव्यवस्था से आस्था हटा लेना देश और समाज के लिए घातक होगा। न्याययुद्ध में अततः विजय परिषद के पक्ष की ही होगी क्योंकि सत्य हमारे साथ है और कानून को हाथ में लेने की कोई शक्यता नहीं है।

१८ सितम्बर को ही पंडित परमहंस रामचन्द्र दास को अपना मुहूर्तना वापस लेने की अनुमति मिल गयी।

- १९ सितम्बर को श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने 'मनभेद' सम्बन्धी समाचार का खण्डन करते हुए बताया कि उन्होंने मनभेद के कारण इस्तीफा नहीं दिया है।

अदालती प्रक्रिया में शरीक होने के कारण यह कदम जरूरी था, क्योंकि उससे भ्रम पैदा हो रहा था। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निजी हैमियत से रामजन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं।

१६ सितम्बर को श्री आडवाणी ने साम्प्रदायिक सद्भाव पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की उष-समिति की बैठक की कार्यवाही सम्बन्धी सरकारी विज्ञप्ति का खंडन किया। उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति में भाजपा के दृष्टिकोण को पूरी तरह से भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पार्टी का दृष्टिकोण है कि अयोध्या जैसे विवाद का फैसला मुकदमे के द्वारा नहीं हो सकता। न्यायालय केवल स्वामित्व अथवा अतिक्रमण इत्यादि के मामले ही निपटा सकते हैं। वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि क्या अयोध्या में सोलहवीं शताब्दी के दौरान वह मन्दिर था या नहीं जो बाबर ने गिरा दिया था, या फिर क्या उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था तथा यदि ऐसा था तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

एक वयान में उन्होंने कहा, "हमारे पालमपुर के प्रस्ताव में भाजपा ने सरकार से आग्रह किया था कि वह अयोध्या के सम्बन्ध में भी वही सकारात्मक रुईया अपनाए जो नेहरू सरकार ने सामनाथ के बारे में अपनाया था। लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए राम जन्मस्थान को हिन्दुओं को सौंप दिया जाये। यदि संभव हो तो समाधान बातचीत द्वारा कराया जाए या कानून बनाकर। मुकदमेवाजी निश्चय ही इसका कतई समाधान नहीं है। पार्टी के इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

"हमें खेद है कि सरकार जो लगातार न्यायालय के निर्णय की वान करती रही, न्यायालय द्वारा मामले को शीघ्रता से निपटाने में पूरी तरह विफल रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विहिा के कुछ प्रतिनिधियों ने सविस्तार तर्क दिये थे कि क्या यह मामला इस योग्य ही नहीं कि इसे आगे चलाया जाये।"

२० सितम्बर को श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने परिषद् की उच्चाधिकार प्राप्त सद्भाव समिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकार के तौर-तरीके के विरोध में यह कह कर इस्तीफा दिया कि सरकार ने समिति की सिफारिशों को उजागर कर और उसकी गलत व्याख्या कर सहमति को तोड़ा है।

उसी दिन केन्द्रीय गृहमन्त्री मुफती मुहम्मद सईद ने यमुनापार करावल नगर में एक जन सभा में कहा कि मन्दिर बनाने के नाम पर सरकार किसी भी तरह की हिंसक कार्यवाही सहन नहीं करेगी।

भाजपा ने २२ सितम्बर से मद्रास में होने वाली एकता परिषद् की बैठक का बहिष्कार किया। सुभाषिनी अली और रोमिला थापर ने वाजपेयी जी के इस्तीफे को अनौचित्यपूर्ण बताया। बैठक में अदालती फैसला शीघ्र कराने का प्रस्ताव

सर्वसम्मति से पास हुआ। बैठक में भाजपा के मुद्दे पर चन्द्रशेखर व राजीव गांधी का रुख समान था। उनकी नजर में भाजपा द्वारा बहिष्कार राजनीतिक भेदभाव और सरकार की छीछालेदर का एक ढंग था। शहाबुद्दीन ने परिपक्व प्रस्ताव का स्वागत किया।

२४ मिनम्बर को केन्द्र सरकार ने उ०प्र० में सुरक्षा बलों की १६० कंपनियाँ भेजने की घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष ने अहमदाबाद में समर्थन वापस लेने की धमकी दोहराई।

२५ सितम्बर को सोमनाथ मन्दिर प्राण (प्रभास पाटण, जिला जूनागढ़, गुजरात) से आडवाणी जी ने मन्त्रोच्चार के बीच रथयात्रा आरम्भ की। उन्होंने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा, "राम और रामायण किसी धर्म-विशेष के नहीं बल्कि समूची भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। जब इण्डोनेशिया का मुसलमान अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए रामायण और राम का सम्मान कर सकता है तो भारतीय मुसलमान क्यों नहीं करता?" स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि "राम मन्दिर का विरोध भारत का सच्चा मुसलमान नहीं कर रहा है बल्कि वे कुछ लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीति व महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए धर्म का भी इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर चुके हैं।"

"सोमनाथ - अयोध्या रथयात्रा में राष्ट्रीयता का भावना उसी ढंग से सजबूत होगी जिम ढंग से स्वतंत्रता सघर्ष के दौरान महागण्ट में आयोजित गणेशोत्सव से हुई थी। अगर छद्म एवं विकृत धर्मनिरपेक्षतावादी बीच से हट जाए तो आज भी इस समस्या का समाधान संभव है। वर्तमान कश्मीर समस्या भी विकृत धर्म-निरपेक्षता की देन है।"

"धर्म निरपेक्षता दूसरे धर्मवालों की भावनाओं को सहन करने तक सीमित नहीं है। उसका अर्थ है उनकी भावनाओं का सम्मान भी करना। भाजपा ने वोट या चुनावों में किसी किसिम के फायदे के लिए यह मुद्दा नहीं उठाया है। उसके लिए यह मुद्दा कहीं अधिक ध्यापक और गंभीर है।" भाजपा के उपाध्यक्ष सिकन्दर बख्त ने कहा, "जो लोग राम मन्दिर को हिन्दुओं का मवाल बताते हैं, वे झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार सोमनाथ पर हुए हमले से समूचे हिन्दुस्तान की रूह जधमी हुई थी, ठीक उसी ढंग से किसी बाबर या उनके किसी सिपहसालार द्वारा मन्दिर के स्थान पर मस्जिद बना देने से हुई तथा जैसे सोमनाथ का मन्दिर फिर रु बना है, वैसे ही राम मन्दिर भी बनना चाहिए।"

दूसरे दिन श्री आडवाणी ने कहा, "हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है यह रामरथ। और अगर यह रथ रोक भी लिया गया तो भारत की जनता का रथ कौन रोकेंगा?... लेकिन हमें यह जड़ाई तलवार से नहीं, बलिदान और त्याग से

खड़नी है।... हमे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि इस अभियान से भाजपा को बड़ा फायदा होगा। किसी राजनीतिक लाभ की खातिर, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए हमने यह अभियान नहीं छोड़ा है। मुझे ऐसी भी कोई गलतफहमी नहीं कि इससे मेरी छवि बनेगी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं रूहूँ न रूहूँ, राम मन्दिर बनेगा और बन कर रहेगा। क्योंकि राम समूचे भारत के अंतःकरण में विद्यमान हैं और यही वजह थी कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों को हटाकर कांग्रेस का राज्य स्थापित करने की वजाय रामराज्य की स्थापना की परिकल्पना की थी।”

गुजरात प्रदेश भाजपा के महासचिव नरेन्द्र भाई मोदी ने २ अक्टूबर को कहा कि इस यात्रा से श्री आडवाणी एक लोक लाडले नेता के रूप में उभरेंगे। हालाँकि वह इसे इस यात्रा का उपफल ही मानते हैं। ‘इस यात्रा से दो फल मिलने वाले हैं। राम मन्दिर का निर्माण और राष्ट्रीय एकता की परिपुष्टि।’

नव भारत टाइम्स के मवाददाता रमेश गौड़ के अनुसार, “गुजरात में सोमनाथ से सूरत तक की चार दिवसीय यात्रा को देखते हुए यह बात बिना किसी हिचक के साय कही जा सकती है कि कल शहरी पार्टी मानी जाती रही भाजपा की पंठ अब दूर-शराज के गाँवों तक हो गई है। सूरत नगर का दृश्य तो स्वप्नानीत था। जिसमें वह नहीं देखा, वह उस पर आसानी से यकीन नहीं करेगा। लगता था जैसे समूचा नगर ही घर-बार छोड़ कर शहर से ७-८ किलोमीटर दूर से ही सड़क के दोनों किनारे आ जुटा है।”

श्री आडवाणी ने दावा किया, “मैंने अपने सावंजनिक जीवन में किसी भी आन्दोलन को ऐसा जन-समर्थन मिलते नहीं देखा है।” संवाददाता रमेश गौड़ ने लिखा, “और जिस ढंग से परम्परावादी मानी जाती गुजराती महिलाओं ने अपने घरों से निकाल कर सड़क किनारे घण्टों श्री आडवाणी के रथ का इन्तजार किया था, शहरी और ग्रामीण युवकों ने जो गर्मजोशी दिखाई थी, हिन्दुओं के विभिन्न सम्प्रदायों से सम्बद्ध मुनि-महंज जिस ढंग से जन-सभाओं में इन्हें आशीर्वाद देने के लिए गुजरात में उनके मंच पर एक साथ आ मिल बैठते थे—और तो और, जिस ढंग से एक जैन मुनि अपने चातुर्मास के नियमों को दरकिनार कर उन्हें शुभ-कामनाएँ देने एक सभा में पहुँच गए थे, उस सबको देखते हुए श्री आडवाणी का यह दावा कोई बहुत गलत या आधारहीन भी नहीं था।”

भाजपा और विहिप दोनों की उपाध्यक्षा राजमाता विजयाराजे सिधिया ने यह उद्घोष करते हुए श्री आडवाणी को विदाई दी, “मृतप्राय हिन्दू समाज में आज एक नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई जागृति और नई प्राणशक्ति आई है तथा हिन्दुओं को नामर्द और नपुंसक समझने वालों को जान लेना चाहिए कि वे न तो नामर्द हैं न नपुंसक।”

उधर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने अयोध्या की किलेबंदी अपने हाथ में ले ली। सेना के अधिकारियों ने अयोध्या का मुआयना कर लिया। विहिप ने इस किलेबंदी से बचते हुए अपने कारसेवक अयोध्या में प्रवेश कराने की किलेबंदी का संकल्प किया। प्रशासन ने अयोध्या के सभी शिक्षा संस्थान कब्जे में लेकर वहाँ अर्धसैनिक बलों को ठहराने की व्यवस्था की। विहिप ने अपनी गतिविधियों का संचालन अयोध्या की बजाय किमी गुप्त स्थान से शुरू किया।

३ अक्टूबर को बावरी एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष इमाम सैयद बुखारी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऐसे किमी भी फार्मूले को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें अयोध्या की दिवादास्पद इमारत के भीतर मूर्तियाँ रखने की बात हो। मौलाना अब्दुल हसन अली नकवी और मौलाना कल्बे सादिक की मुलाकात ४ अक्टूबर को तय हुई जिसमें दोनों बड़े मौलाना आपसी गुप्तगू कर कोई फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्रमशः सुन्नी और शिया मुसलमानों के छोटी के धार्मिक नेता हैं।

४ अक्टूबर को राज्यसभा में मन्दिर - मस्जिद विवाद को लेकर जद, कांग्रेस व माकपा सदस्यों ने भाजपा पर तीखे हमले किए। उधर राजस्थान में रथयात्रा की तैयारी भाजपा को तथा कारसेवा का जिम्मा आर०एस०एस०को सौंपा गया। कारसेवा का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया।

५ अक्टूबर को दिन भर की बहस के बाद राज्यसभा ने सदन के सदस्य श्री अटलबिहारी वाजपेयी से अपील की कि वे रथयात्रा को रुकवाने में मदद करें। वाजपेयी मौन रहे।

६ अक्टूबर को प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर १२ अक्टूबर तक सरकार रथयात्रा को नहीं रोकती तो वे खुद इसे रोकने सामने आ जायेंगे।

६ अक्टूबर को ही रथयात्रा ने श्री झाड़वाणी ने मध्यप्रदेश में प्रवेश किया। तब कहा कि "राजीव गाँधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश दिया था कि रथयात्रा को आगे न बढ़ने दें। इसके बावजूद, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आई। मुसलमानों सहित सभी लोगों ने गजब का उत्साह दिखाया। जो दगे हो सकने की बात फैला रहे थे, गलत साबित हुए।"

८ अक्टूबर को मुस्लिम नेताओं की 'उक्त घमकी' पर सरकार की 'चुप्पी' पर भाजपा नेता प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा तथा जगदीश प्रसाद माथूर ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी से यह धारणा बनती है कि सरकार की इन 'मुस्लिम घमियों' के साथ साँठ-साँठ है।

९ अक्टूबर को भाजपा ने रथ रोके जाने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी। मध्यप्रदेश में रथयात्रा को भारी जनसमर्थन मिला।

१० अक्टूबर को विवाद निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्ययोजना

प्रस्तावित हुई। महंत अवैधनाथ ने कोच्चि में चेतावनी दी कि रथयात्रा रोकनी तो सरकार गिरेगी।

३० प्र० में ११ अक्टूबर तक २००० हिन्दू नेता गिरफ्तार हुए। अयोध्या के दो विधायक शिव प्रताप शुक्ला (भाजपा) ओमप्रकाश पासवान (हिन्दू महासभा) भी गिरफ्तार हुए। १२ अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी के नतीजे गम्भीर होंगे। उन्होंने कहा, 'रथयात्रा का स्वागत मेरे अनुमान से अधिक है। इसने देश को जोड़ने की एक अद्भुत शक्ति पैदा की है।'

१३ अक्टूबर को रथयात्रा ने देश की राजधानी में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री ने १७ को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस ने संकेत दिया कि वह इस बैठक का बहिष्कार करेगी। रोहतास में रथयात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई। राजधानी में रथयात्रा देखने लोग उमड़ पड़े। सरकार द्वारा सुलह की कोशिश जारी रही। श्री आडवाणी ने कहा कि "यह हिन्दू-मुसलमान का विवाद नहीं, एक राष्ट्रीय मसला है। हम कथित मस्जिद के ढाँचे को तोड़ना भी नहीं चाहते। उसे ज्यों का त्यों उठाकर पाँच किलो मीटर दूर रखा जा सकता है।"

१४ अक्टूबर को मुस्लिम नेताओं ने रथयात्रा रोकने का इरादा फिलहाल के लिए छोड़ दिया। यह प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के मद्देनजर किया गया कि सरकार वावरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेगी।

१५ अक्टूबर को अयोध्या विवाद पर श्री अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से मिले। स्तम्भकार खुशवन मिह ने रथयात्रा को हिन्दू परम्परा के विपरीत बताया। भाजपा ने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार की घोषणा की।

दिल्ली में पथराव, तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। १६ ता० को श्री आडवाणी की प्रधानमंत्री से मुलाकात निष्फल रही।

१७ अक्टूबर को भाजपा ने समर्थन वापस लेने का अल्टिमेटम दिया। जब नए नतीजे के लिए तैयार रहने का दावा किया। कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में अलग रही।

राममन्दिर के मुख्य पुजारी लाल दास ने रथयात्रा को रोक देने की कहा। उन्होंने कहा कि "अयोध्या व फौजाबाद के हिन्दू व मुस्लिम समस्या का हल स्वयं ढूँढ सकते हैं। इसे राजनीतिक रंग न दिया जाये।" बिहार में रथयात्रा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने रथयात्रा के जवाब में 'मैथिलीयात्रा' निकालने की घोषणा की।

१८ अक्टूबर को बिहिष के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु हरि ढालमिया ने तीनों मन्दिरों पर हिन्दुओं के अधिकार की मांग दोहराई। अयोध्या में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों को रामरक्षा स्तोत्र व जनेऊ दिये। राम भक्तों ने छेतों और पगडंडियों से अयोध्या जाने की रणनीति बनाई ताकि सम्पूर्ण नाकेबन्दी से

बचा जाये।

केन्द्र सरकार ने १६ अक्टूबर को देर रात जारी एक अध्यादेश द्वारा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विवाद से जुड़ी तथा सबद्ध भूमि का अधिग्रहण कर लिया। विवाद को सविधान की धारा १४३ के तहत उच्चतम न्यायालय में ले जाया जायेगा तथा उसका फैसला आने तक सरकार यथास्थिति बनाये रखेगी। विहिप तथा बाबरी मस्जिद समिति ने यह तीन सुत्री फार्मूला ठुकराया। श्री आडवाणी रथयात्रा व मन्दिर निर्माण पर अडिग बने रहे। बिहार में श्री आडवाणी के खिलाफ वारण्ट तैयार।

२० अक्टूबर से अयोध्या में स्कूल कालेज ४ नवम्बर तक बन्द। शिलान्यास की जमीन भी विवादित जमीन में शामिल। फैजाबाद में सेना का फ्लैग मार्च। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सीमा पूरी तरह सील। अयोध्या में कार सेवा न होने देने की सरकारी घोषणा।

२१ अक्टूबर को सरकार ने अयोध्या अध्यादेश पर विरोध के कारण अमल रोक। आडवाणी का शान्तिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान। संभावित टकराव को लेकर उत्तर प्रदेश में चेचनी।

२२ अक्टूबर को रथयात्रा पर रोक सम्बन्धी याचिका नामजूर हुई।

२३ अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने विवाद हल के लिए छह महीने का समय मांगा। छह मुख्यमंत्रियों की समिति उपाय खोजने को नियुक्त। कई शहरों में तनाव को देखते हुए सेना ने फ्लैग मार्च किया। मोरारजी ने रथयात्रा रोकने की अंगील की। रथयात्रा में 'कमल' चिह्न के प्रयोग के विरोध में दाखिल आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा को नोटिस भेजा। अयोध्या अध्यादेश रद्द हुआ। भाजपा ने अध्यादेश रोकने के लिए निन्दा की।

२३ अक्टूबर को बिहार में श्री आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने समर्थन वापस लिया। नाराज भाजपा द्वारा भारत बन्द का आह्वान किया गया। रामरथ सरकार ने ज्वल किया। गिरफ्तारी से बिहार में राजनीतिक खलबली मची। देश के कई भागों में हिंसा, गुजरात में ४ मरे। भारत बन्द को शिवसेना का पूर्ण समर्थन। मुलायम ने लालू को बधाई दी।

दिल्ली बन्द के दौरान २४ अक्टूबर को शान्ति रही। राष्ट्रपति ने वि० प्र० का बहुमत सिद्ध करने को कहा। भारत बन्द के दौरान हिंसा में १८ मरे।

२५ अक्टूबर को सहारनपुर में मन्दिर निर्माण को लेकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। जयपुर में जब तक ४२ सहित देश में ६१ मरे। राजस्वान, गुजरात में जद-भाजपा गठजोड़ टूटा। शिलान्यास स्थल से टीन की छत हटा दी गई। सभी रास्ते सील कर दिये गये। अयोध्या में आशका और अमुरक्षा का माहौल।

२६ अक्टूबर को आन्ध्र के राम भक्तों को परिष्कार की अनुमति मिली। अयोध्या में कर्फ्यू लगा। देश में श्री आडवाणी की गिरफ्तारी पर भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या ८२ हुई। बाबरी समिति के नेता जावेद हबीब ने राम के नाम पर मीनार बनाने का प्रस्ताव रखा। गाजियाबाद में रेलों से कार-सेवकों को उतारा गया।

२७ अक्टूबर : विहिप नेता डालमिया व अवैधनाथ गिरफ्तार।

रांची की हिंसा में एक मरा, ७० प्र० में 'बन्द' रहा। मदन लाल खुराना सहित १४७५ कार-सेवक गिरफ्तार हुए। नजरबन्द आडवाणी ने अपने वकील श्री गटाडे को बुलाया। देवीलाल ने जन्मभूमि में 'सर्वधर्म परिमर' बनाने का सुझाव दिया। अयोध्या की १४ कोसी परिष्कार कर्फ्यू के कारण वीरान रही।

२४ अक्टूबर ७० प्र० व मध्य प्रदेश की सीमा सील। वि० प्र० सिंह ने रथ-यात्रा को 'मनयात्रा' कहा।

२८ अक्टूबर : राजमाता सिधिया सहित १५ हजार गिरफ्तार।

इटावा में कारसेवकों पर गोलो चली। रांची में हिंसा के बाद कर्फ्यू, सेना तैनात। अयोध्या में कर्फ्यू तोड़ा, अनशनकारी गिरफ्तार।

२९ अक्टूबर, ७० प्र० में हिंसा की लहर। पांच मरे, लखनऊ में सेना तलब, कई अन्य नगरों में कर्फ्यू। अयोध्या में जिला प्रशासन ने कार सेवा से निपटने की तैयारी की। हिंसा और आगजनी हुई। राजस्थान के प्रमुख शहरों में सेना तैनात। दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में आडवाणी उपास पर। बाजपेयी सहित हजारों कार सेवक गिरफ्तार। मध्यस्थ व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहते थे। शिलान्यास स्थल में तोड़-फोड़ की जाँच हेतु उप-कमिश्नर नियुक्त। भाजपा द्वारा ७ दिसम्बर तक देश भर में सत्याग्रह की घोषणा। भाजपा महासचिव भुरलीमनोहर जोशी ने कहा कि ७० प्र० के इतिहास में कभी इतनी गिरफ्तारियाँ नहीं हुईं। भाजपा की मान्यता खत्म करने के लिए याचिका।

३० अक्टूबर, अयोध्या में कार सेवकों ने घेरा तोड़ा। मस्जिद के गुंबद पर छत्रारोहण। पुलिस की गोलियों से ११ मरे, सैकड़ों घायल। देश में जगह-जगह हिंसा। शामली में ५ मरे। भाजपा ने दावा किया कि अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद केन्द्र और ७० प्र० की सरकारें, कार सेवा रोकने में कामयाब नहीं हो पायी। दो लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंचने में सफल रहे।

३१ अक्टूबर, कई शहरों में प्रीयण हिंसा, ४२ मारे गए, सैकड़ों घायल। अयोध्या में कार सेवकों का जमाव कायम। भाजपा की आपात बैठक। मन्दिर निर्माण जारी रखने की घोषणा। बाबरी मस्जिद सुरक्षित। विहिप, भाजपा ने धक्का दिवस मनाया। वाग्लादेश में अयोध्या को लेकर दंगे भड़के। मुलायम

सिंह ने अयोध्या में सरकार के सफल रहने का दावा किया। कारसेवकों की रिहाई का सिलसिला शुरू।

३० अक्टूबर, को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका आँखों देखा हाल नभाटा के पत्रकार रवीन्द्र सिंह ने इस प्रकार लिखा—

“गम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल के पास ३० अक्टूबर को सबेरे से ही हजारों कारसेवक और रामभक्त इकट्ठा होने लगे थे। भारी बन्दोबस्त और नाकेबन्दी के कारण अयोध्या-फैजाबाद के नागरिकों और देश-विदेश से पहुंचे अखबार वालों को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि नाकेबन्दी में कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि के आसपास फटक पाएगा।

मैं अपने साथियों के साथ सबेरे पाँच बजे निकल कर शहर की सड़कों पर पाँचकोठी परिक्रमा के लिए निकल आए राम भक्तों की उत्साहित टोलियों का जायजा ले रहा था। इतने में खबर मिली कि सरयू पुल पर उस पार राम भक्तों और पुलिस बल के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। हम लोग पुल पर पहुँचे तो उस पर घुँए के काले बादल उठते देखे। कारसेवकों ने तीन चार वाहनों में आग लगा दी। लगभग १५ हजार कारसेवकों की भीड़ का दबाव बढ़ा और पथराव हुआ तो पुलिस और अर्ध सुरक्षा बल के जवान पीछे हटने लगे। मैं और टाइम्स आफ इंडिया के साथी पथराव में फस गए। कारसेवकों ने फोटो खींच रहे नेशनल हेराल्ड के फोटोग्राफर मुन्ने बक्षशी का कॅमरा छीन लिया और हाथ में काट लिया। इमी बीच कई बार गोलियाँ चली। हम बीच में घिरे हुए थे। इतने में गोलियों से घायल लोगों को पुल पर लाया जाने लगा।

पत्रकार अश्वनी भटनागर ने बताया कि राम जन्म-भूमि पर बवाल हो गया है। उसने यह संदेश पुलिस गाड़ी के वायरलेस का सुना। हम तुरन्त राम जन्म-भूमि की ओर रवाना हो गए।

लगभग सवा ११ बजे मैं राम जन्म-भूमि मन्दिर की ओर जाने वाली गली में पहुँचा तो मन्दिर की ओर उमड़ते लोगों में चर्चा थी कि लोग अन्दर घुस गए हैं और मस्जिद टूट गई, लेकिन मन्दिर का मुख्य द्वार बन्द था। वहाँ जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। पूरा इलाका नारों से गूँज रहा था। दुनिया भर के फोटोग्राफर और पत्रकार इधर-उधर मकानों या मन्दिरों पर मोर्चा संभाले हुए हर क्षण को कॅद करने की कोशिश में थे। लोगों का मँलाब बैरियर पर टक्कर मार रहा था। मैं भी वहीं पहुँच कर हालात के हवखू होना चाहता था। भीड़ को चीरता मैं आगे की ओर बढ़ा तो भीड़ के रैले ने पलक झपकते बैरियर तक पहुँचा दिया। यह राम भक्तों और जन्म-भूमि के बीच का अंतिम अवरोध था। मेरे साथ एक हिन्दी पत्र के संपादक भी थे। एक परिचित पुलिस अधिकारी ने हमें बैरियर के बगल के रास्ते से अन्दर कर

लिया।

राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचने को आतुर हजारों की भीड़ बैरियर को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। अगली पकित के राम भक्त बैरियर से लटके हुए थे तो कुछ जमीन पर बैठकर उसे पैरों से हिला रहे थे। पुलिस उन्हें लाठियों से ठोकर देकर पीछे हटा रही थी।

यह सब देखने के बाद मैंने मुख्य द्वार के बाहरी कोने में सीढ़ी पर अपने लिए जगह बनाई और खड़ा हो गया। अभी दो मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ठीक ११ बजकर ५५ मिनट पर बैरियर टूट गया और कारसेवकों ने अन्दर जाने के लिए लोहे की ग्रिल के मोटे दरवाजे को हिलाना शुरू किया। मैं डर गया कि यदि दरवाजा गिरा तो दब जाऊंगा।

ठीक बारह बजे यह द्वार भी टूट गया और भीड़ पागलों की तरह श्रीराम की जय करती हुई अन्दर की ओर दौड़ पड़ी। पुलिस बल उन्हें लाठियों से बाहर की ओर ठेलने लगा। इसी बीच ग्रिल के पीछे खड़े अधिकारियों को गोली चलाए जाने के बारे में चर्चा करते सुना तो रोगटे खड़े हो गए। मैंने सामने भीड़ में खड़े अपने पत्रकार साथियों को इशारा कर पीछे हटने को कहा। तब तक अन्दर गोलियाँ चलने की आवाज आई। उनमें तीन फायर बन्दूक से थे तथा बाकी रबर की गोलिया थी।

इन कुछ ही क्षणों में लगभग हजार लोगों का रेला अन्दर की ओर बढ़ा और मैं भी उसी रेले के साथ अन्दर चला गया। इस रेले के अन्दर घुसने के बाद मुख्य द्वार फिर बन्द हो गया।

अन्दर का दृश्य तो बहुत अजीब था। मुख्य द्वार से गर्भ गृह तक के रास्ते में राइफ्लें ताने खड़े अर्ध सुरक्षा बलों के जवान रास्ते से हट कर एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी राइफ्लें कंधे से चिपका ली। राम भक्त और कारसेवकों की भीड़ पूरे गर्भ गृह में फैल गई। जिसे जो मिला उसी से तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते गर्भ गृह की बाहरी दीवार टूट कर गिरने लगी। कुछ साधु तो ईंट उठा कर गर्भ गृह की दीवारों के प्लास्टर को ही तोड़ने लगे।

कुछ साधु और कारसेवक पलक झपकते गुम्बद पर चढ़ गए और कलश को उखाड़ने लगे। कारसेवकों ने पीछे पहुंच कर कटीली बाड़ को भी तोड़ा। गर्भ गृह की विछली दीवार में बड़ा छेद कर दिया। लोगों के सिरों पर जुनून सवार था। चारों ओर म धूल के बादल उठ रहे थे। वहाँ मौजूद १५ जवान खामोश थे। उनकी बन्दूकें राम भवतो की ओर नहीं नीचे झुकी थीं। खुशी से नाचते एक राम भक्त ने इस सवाददाता को गोद में उठा लिया।

बदहवासों और सदमे से उबरने पर अफमरो ने बड़ी सख्या में अर्ध सैनिक बलों को अन्दर दाखल कराया। उन्होंने अन्दर आकर कारसेवकों को बाहर

निकालना शुरू किया। कारसेवकों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्रतिरोध नहीं किया। विवादित स्थल पर चार मिनट तक कारसेवकों के कब्जे के बाद एक बार फिर पुलिस काबिज हो गई।”

२ नवम्बर, अयोध्या में ३० कारसेवक मारे गये, २०० घायल हुए। जन्म-भूमि परिसर से दूर तक लाठियाँ, गोलियाँ चली और आसूँ गैस के गोने फूटे। भाजपा सांसद उमा भारती और हरेन पाठक गिरफ्तार हुए। देगव्यापी हिंसा में ५० मरे। बिजनौर में मृतक संख्या ४५ से अधिक हुई। मेरठ दंगे में ६ मारे गए। त्रिहिप ने कारसेवा जारी रखने का ऐलान किया।

“अयोध्या में इस खुद काण्ड की शुरुआत आज सबेरे लगभग दस बजे हुई। जब मनौराम को छावनी, डाकखाना मार्ग तथा दिगम्बर अखाड़े की ओर से कारसेवकों के जत्थे रामधुन व कीर्तन करते हुए राम जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते अयोध्या कोतवाली के निकट हजारों की सङ्घा में कारसेवक इकट्ठे हो गए। वे राम जन्मभूमि स्थल की ओर रामलला के दर्शन करने जाना चाहते थे। कारसेवकों की इस भीड़ को पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों ने कोतवाली से पहले ही रोक लिया। उधर दिगम्बर अखाड़े की ओर से आए कारसेवकों की भीड़ हनुमान गढी चौर पर जमा हो गई। कारसेवक कीर्तन कर रहे थे तथा रामधुन गा रहे थे।”

कारसेवक सड़क पर ही बैठ गए और कीर्तन करने लगे। केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों और सरकारी अफसरों ने इन कारसेवकों को सड़क से उठा कर छावनी की ओर जाने का आदेश दिया। जब कारसेवक नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद कारसेवकों को भीड़ दिगम्बर अखाड़े की ओर जाने वाली गली में घुस गई। उन्होंने वहाँ पुलिस पर पथराव किया। इस पर सुरक्षा बलों ने पहले तो जम कर आसूँ गैस के गोने छोड़े और लाठीचार्ज किया। उनके बाद गोलियाँ चलाईं। सुरक्षा बलों ने दिगम्बर अखाड़े से लगी पतली गलियों में लगभग पचास गोलियाँ चलाईं, जिससे उस गली में अनेक लोग मारे गए। पुलिस बलों ने लाशों को खीच-खीच कर आसपास की गलियों में डाल दिया।

गली के मुहाने पर खड़े देश विदेश के तमाम सवाददाताओं व प्रेस फोटोग्राफरों ने जब गोलियों के बीच जाकर असलियत का देखना चाहा तो केन्द्रीय सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने पत्रकारों को धकिया कर पीछे कर दिया। फोटोग्राफरों को भी पीछे धकेला गया। जिला आयुक्त और एक डी० आई० जी० आदि ने भी पत्रकारों को आगे बढ़ने से रोकना चाहा। पुलिस अफसर गलियों में बिछी लाशों को छिपाना चाहते थे। इस बीच सी० आर० पी० के एक जवान ने आकर बताया कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो सारे पत्रकार व फोटोग्राफर गोलियों और लाठियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ गए।

दिगम्बर अखाड़े के सामने नारायणी आश्रम में छुपकर बैठे सहमे हुए कारसेवको ने सवाददाताओं को बताया कि अन्दर गोली से घायल चार कारसेवक पड़े हैं। इतने में पुलिस अधिकारियों की फौज आ गई तो कारसेवकों ने फाटक बन्द कर लिया। पुलिस के जवान फाटक पर टूट पड़े। पहले तो फाटक तोड़ने की कोशिश की गई, फिर एक छिड़की तोड़कर पुलिस दाते अन्दर घुसे और उन्होंने फाटक खोल दिया। घायलों को एक भँटाडोर में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जमा बाकी कारसेवको को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोतवाली के निकट गोलीबारी से उत्तेजित कारसेवको की भीड़ जैसे ही आगे बढ़ी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीड़ फिर भी हिली नहीं तो पुलिस ने उन पर आँसू गैस छोड़ी। कोतवाली के आगे की सड़क के दोनों ओर के मकानों पर सी०आर०पी० के जवान राइफलें ताने खड़े थे। मकानों की छतों पर बैठे नागरिक जैसे ही आँसू गैस का गोला चलता तो उसका प्रभाव कम करने के लिए बाल्टी से पानी फेंक देते थे। इसके बावजूद भीड़ में रामजन्मभूमि स्थल की ओर जाने के लिए हल्ला बोला। तभी पुलिसकर्मियों ने गोलियाँ चला दी। यहाँ भी कई लोग मारे गए। आँसू गैस को प्रभावहीन करने के लिए छत से पानी फेंक रहे एक साधु को ऊपर ही निशाना बना दिया। वह गोली लगते ही नीचे आ गिरा और उत्तने दम तोड़ दिया।

अयोध्या और फैजाबाद के अस्पतालों में घायलों की लाइन लगी है। मरने वालों में से कानपुर के अवकाश प्राप्त कैप्टन एम० एल० अरोड़ा, सुजागंज दारावकी के राम अचल गुप्त को तो पहचान लिया गया है। बाकी मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मरने वालों में कई साधु हैं।

जब पुलिस वालों ने एक आदमी को मारा तो उसके दो भाई उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिर पड़े। पुलिस ने उन दोनों को भी भून दिया।

इस दो घण्टे की करंवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मण्डल आयुक्त ने बड़-बड़ कर भूमिका निभाई। जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव असहाय से नजर आए। एक स्थान पर उन्होंने जवानों को गोली चलाने से जव रोकना चाहा तो उनकी बात किनी ने नहीं मानी। कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि कुल कितनी गोलियाँ चलाई गईं और कितने लोग मारे गए। नभाटा सवाददाताओं ने सभी जगहों का मुआयना करने के बाद यह अनुमान लगाया है कि मरने वालों की संख्या ३० से ऊपर है। अभी जो व्यक्ति गम्भीर रूप में घायल हैं उनके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है।

कारसेवको ने गोली काण्ड के बाद कई साशों को अखाड़े, छात्रनियो तथा मंदिरों में ले जाकर रख लिया। कुछ साशों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। इस घटना के बाद पूरा शहर दहशत और सदमे की हालत में है और कार-

सेवक फिर मे छावनियों में लौट गए हैं। वहाँ अगली रणनीति पर विचार चल रहा है।”

३ नवम्बर : बंगला देश के हिन्दू विरोधी दंगो मे १ मरा, मन्दिरों की मरम्मत शुरू। पाकिस्तान मे हिन्दू विरोधी प्रदर्शन। बिहार मे भाजपा का चुनावी नारा घोषित-राममन्दिर और रामराज। अयोध्या मे सेना का फ्लैग मार्च। २० प्र० मे अखबार जलत। कर्णू के विरोध मे अयोध्या में जुलूस १० शव बरामद।

देशभर मे हिंसक घनटाएं जारी, ५७ मरे, हापुड मे सेना तैनात। भाजपा द्वारा अयोध्या मे जांच दल भेजने की घोषणा। दिल्ली मे ११ भाजपा सामदो सहित हजारो ने गिरफ्तारी दी।

४ नवम्बर : देश व्यापी हिंसा मे १७ जाने गईं। आडवाणी रिहा, ७ नवम्बर के बाद अयोध्या जायेंगे। जनता दल टूटने के कगार पर। सभी कार सेवको को लौटने के निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओ का सामूहिक उपवास।

५ नवम्बर कारसेवको की रिहाई शुरू। जनता दल टूटा। वाजपेयी व अन्य रिहा। विवादास्पद धर्मस्थान पर 'रामयज्ञ' आरम्भ। वजरंग दल मे १० लाख स्वयंसेवको की भर्ती की घोषणा।

६ नवम्बर : वाजपेयी, आडवाणी राष्ट्रपति से मिले।

७ नवम्बर राष्ट्रीय मोर्चा मरकार का पतन। अविश्वाम मत पास होने के बाद वि० प्र० सिंह का इस्तीफा। आडवाणी ने लोकमभा मे कहा, वि० प्र० सिंह भी कारसेवा करना चाहते थे।

८ नवम्बर भाजपा का मरकार बनाने से इन्कार। शेखावत ने विश्वाम मत जीता।

११ नवम्बर. नए प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर विवाद का हल ढूँढने राजमाला व सिंघल से जाकर मिले। आडवाणी प्रधानमंत्री से मिले। टकराव से बचन की अपील।

१२ नवम्बर : अयोध्या मे ६ दिसम्बर मे पुन. कारसेवा शुरू करने की घोषणा। बाबरी एक्शन कमेटी द्वारा कारसेवा पर रोक लगाने की मांग।

१४ नवम्बर. पुरानी दिल्ली मे साम्प्रदायिक हिंसा, ५ मरे, कर्णू लागू।

१६ नवम्बर : राष्ट्रवादी युवा मुस्लिम फोरम ने विवाद के हल हेतु राष्ट्रपति को एक तीन सूत्री फार्मूला पेश किया—विवादित इमारत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसका नाम राम-रहीम स्मारक रखा जाए। अयोध्या के बलिदानियो का अस्थिकलश देश भर घुमाना तय। वामपंथी दलो ने इस पर रोक लगाने की मांग की।

३० नवम्बर : अयोध्या विवाद पर उच्चस्तरीय वार्ताएँ। उधर शेखावत शामिल।

१ दिसम्बर : चन्द्रशेखर ने अयोध्या पुलिस कार्रवाई को उचित बताया। राजीव गांधी द्वारा जांच आयोग गठन का सुझाव। जद (स) ने सुझाव को विचारणीय बताया।

४ दिसम्बर : विवाद का हल ढूँढने त्रिपक्षीय बैठक। दोनों पक्ष सख्त पेश करेंगे।

५ दिसम्बर : केन्द्र ने अयोध्या में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह को अनुमति दी। साध्वी श्रद्धांभरा कैसेटों पर दिल्ली में रोक लगी।

६ दिसम्बर : अयोध्या में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह जारी। पहले दिन १५०० लोगों ने गिरफ्तारी दी।

७ दिसम्बर : चन्द्रास्वामी अयोध्या पहुंचे। विहिप ने अलिप्तता जाहिर की। सत्याग्रह में ७६७ गिरफ्तार।

११ दिसम्बर : शिवसेना का कारसेवक डाइनामाइट से मस्जिद को उड़ाने की कोशिश में गिरफ्तार।

६. मुस्लिम पक्ष

मुसलमान भी इस मामले में किसी से भी पीछे नहीं हैं। बाबरी मस्जिद को आर्डिनेशन कमेटी के आधीन सगठित मुसलमान अल्पसंख्यो पर बहुसंख्यको के द्वारा खतरे के प्रति सदैव सचेत रहे हैं और इस दिशा में मुस्लिम भावनाओं को प्रबलता प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही फैजाबाद के जनपद न्यायाधीश ने भवन को, हिन्दुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश जारी किया मुस्लिम नेताओं ने फरवरी सन् १९८६ में बाबरी मस्जिद को आर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया। इसने शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी मुस्लिम “मोनिंग” का गठन भी कर लिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुस्लिम विधायकों ने ६ फरवरी, १९८६ को ज्ञापन दिया

हम, राज्य विधान मण्डल के निम्नलिखित सदस्य इन दिनों राजकीय माध्यमों द्वारा श्रीराम-जन्मभूमि या जन्मस्थल के रूप में प्रचारित किये जाने वाले स्थान बाबरी मस्जिद अयोध्या जिला फैजाबाद के संबंध में निम्नांकित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आपसे देश की धर्मनिरपेक्षता व प्रजातांत्रिक संरचना के मुस्लिमों एवं अन्य अल्पसंख्यको का विश्वास स्थापित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह करते हैं।

(१) यह कि तुजुके-बाबरी या बाबर की संक्षिप्त जीवनी महित इतिहास की अन्य प्रमाणिक पुस्तकों से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि बाबर ने अयोध्या में कभी कोई मंदिर नहीं बनवाया था और यह कि बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर जमीन के खाली टुकड़े पर किया गया था और उसे ही ४५० वर्षों में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता रहा है। अयोध्या में किसी भी विध्वंस का और इसके खण्डहर पर किसी मस्जिद के निर्माण का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आइन-ए-अकबरी या आलमगीर नामा में भी नहीं।

(२) यह कि १८८५ में स्वयं को “जन्म स्थान” का महंत होने का दावा

करने वाले एक महत रघुवर दास ने फैजाबाद उप-न्यायाधीश की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था (मुकदमा सं० ६१/२८०, सन् १८८५) और मुकदमे के बाद पत्र में उसने दयान दिया था कि "जन्म-स्थान" का चबूतरा पूर्व पश्चिम की ओर २१ फीट व उत्तर-दक्षिण की ओर १७ फीट का था और चूँकि वहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ था अतः उसे वहाँ अन्य पुरोहितों को गमियो में अनिश्चय गर्मी और सर्दियों में अतिशय ठण्ड तथा बरसात के कारण अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और कथित २१ × १७ फीट चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। इसी १६-१-१८८५ के बाद पत्र में पैरा-४ में यह बताया गया कि मार्च या अप्रैल १८८३ में फैजाबाद के उपायुक्त ने कुछ मुस्लिमों के ऐतराज करने पर कथित मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया था।

(३) कि १८८५ का मुकदमा, संख्या ६१/२८०, २४-१२-१८८५ को उप-न्यायाधीश, फैजाबाद ने खारिज कर दिया और मुद्दा संख्या ६ का निपटारा करते हुए न्यायालय ने गोपाल सहाय अमीन द्वारा बनायी गयी स्थल-योजना के आधार पर प्रेक्षण दिया था कि "मस्जिद व चबूतरे के बीच में एक दीवार थी और स्पष्ट है कि मस्जिद व चबूतरे के बीच एक चारदीवारी मौजूद है और उस तथ्य को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि लगान विवाद के मामले में सरकार द्वारा सीमा रेखा बनायी गयी है।" इसी फैसले में यह प्रेक्षण भी दिया गया कि उसके गिर्द मस्जिद की दीवार है और उस पर शब्द "अल्लाह" लिखा है। यदि ऐसे स्थान पर स्थित चबूतरे पर न्यूनतम मंदिर बनाया जाता है तो घटानाद व शखनाद गूजेगा, हिन्दू और मुस्लिम दोनों एक ही रास्ते में गुजरेंगे और यदि हिन्दुओं को मंदिर बनाने की इजाजत दी जाती है जो किसी न किमी दिन कोई अपराधिक काण्ड हो जाएगा और हजारों लोग मारे जायेंगे" और यह कि "ऐसे स्थल पर मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देना और कल की बुनियाद डालने के मद्दश होगा, इसलिए... नौतिके मद्दे नज़र और न्याय का विचार करते हुए बाधित अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" उक्त उप-न्यायाधीश, फैजाबाद और कोई नहीं एक हिन्दू पंडित थे, पंडित हरिकिसन।

(४) यह कि अपरोक्त फैसले के विरुद्ध की गयी अपील व २४-१२-१८८५ की डिप्री को जिला न्यायाधीश, फैजाबाद ने २६-३-१८८६ को खारिज कर दिया (सिविल अपील सं० २७ सन् १८८६—महत रघुवीर दास बनाम राज्य सनिव एव अन्य)।

(५) यह कि कथित बावरी मस्जिद का कुछ भाग १६८४ के सांप्रदायिक दगों में गूट हो गया था जिसका सरकारी लागत पर पुनर्निर्माण व मरम्मत की गयी थी।

(६) २६-१२-१९४४ के सरकारी गजट में वक्फ के आयुक्त ने अपनी रपट

में भी सुन्नी वक्फ माना था।

(७) यह कि १९६० के सील बन्द रजिस्टर में उक्त मस्जिद को मस्जिद वावरी के रूप में दर्ज किया गया है।

(८) यह कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर कथित मस्जिद व उससे सलग्न भूमि को, उ०प्र० मुस्लिम अधिनियम १९३६ के तहत वक्फ के उ०प्र० सुन्नी केन्द्रियमण्डल ने वक्फ (वक्फ स० २६ फौजाबाद) के रूप में दर्ज किया गया है।

(९) यह कि २१-१२-१९६९ तक कथित मस्जिद में निर्वाह रूप से नमाज अदा की जाती रही और १९४९ में २२/२३ दिसम्बर की रात को मस्जिद में छलपूर्वक व गलत तरीके से श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ रख दी गयी। यह तथ्य सिविल न्यायाधीश की अदालत, फौजाबाद में उ०प्र० राज्य की ओर से उपायुक्त (श्री जे०एन० उग्र) द्वारा मुकदमा सख्या २ सन् १९५० (गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद व अन्य) में दायर २४-४-१९५० के लिखित वयान से भी प्रमाणित होता है। १९५० के नियमित मुकदमा सख्या २५ में (श्री परमहंस रामचन्द्र दाम बनाम जहूर अहमद व अन्य) में भी राज्य सरकार ने यही रख अपनाया था इसमें भी फौजाबाद के उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से जनवरी १९५१ में लिखित वयान दायर किया था। इनसे यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि राज्य सरकार कथित निर्माण को श्री रामचन्द्र जी का मन्दिर नहीं बल्कि वावरी मस्जिद मानती आ रही थी। अचानक १-२-१९८६ को फौजाबाद के एस०एस०पी० व जिला न्यायाधीश ने फौजाबाद जिला न्यायाधीश के समक्ष १९८६ के विविध सिविल अपील सं० ८ में विपरीत रख अपनाया (उमेश चन्द्र पाण्डे बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य) जो १९५० के नियमित मुकदमा सं० २ में तिथि २५-१-१९८६ की उमेशचन्द्र पाण्डेय की अर्जों पर पारित २८-१-१९८६ के मुमिफ सरकार फौजाबाद के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि उक्त-उक्त उमेशचन्द्र पाण्डेय न तो उस मुकदमे के पक्षकार हैं और न ही उन्हें १९५० के मुकदमा सं० २ का पक्षकार बनाया गया था।

(१०) कि यह यहाँ भी उल्लेखनीय है कि १९५० के नियमित मुकदमा सं० २ के वादी गोपाल सिंह विशारद की वपों पहले मृत्यु हो चुकी थी और उनका स्थान किसी ने नहीं लिया था। इस तरह मुकदमा अपने आप खारिज हो गया था तथा कानूनी भाषा में कहा जाए तो वह २५-१-१९८६ को या १-२-१९८६ को विलकुल भी निलम्बित नहीं था। इस तरह मस्जिद का तासा खोलने या दर्शन अथवा पूजा पर रोक लगाने के मुकदमे में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका था किन्तु अजीब बात है कि राज्य परिषद जिला न्यायाधीश व न्यायालय में उपस्थित एस०एस०पी० या जिला न्यायाधीश ने मामले को इस पक्ष पर ध्यान ही नहीं

दिया और ऐसा लगता है कि बहुमध्यक समुदाय के आक्रोश भरे समूह को खुश करने के लिए पूर्वनियोजित रूप से जिना प्रशासन द्वारा १-२-१९८६ का आदेश प्राप्त किया गया और यह सब कार्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति या इस मामले के मूत्रधार व्यक्तियों व उच्च पदस्थ अधिकारियों की सलाह व स्वीकृति के बिना किया गया हो यह बात हमारे गले नहीं उतरती है।

(११) यह कि १-२-१९८६ का कथित आदेश, जिस तरीके से मुस्लिमों के पीछे और किसी भी मुस्लिम को कथित अपील का पक्षकार बनाए बिना तथा कुछ मुस्लिमों का पक्षकार बनाए जाने की अर्जी को नामंजूर करके प्राप्त किया गया उससे देश के सारे मुस्लिम हक्क-बक्के रह गये हैं और उससे सरकार और साथ-साथ न्याय पर से भी उनका भरोसा उठ गया है। यह और भी हैरानी की बात है कि १९६१ के नियमित मुकदमा सं० १२ के उ०प्र० सुन्नी वक्फ केन्द्रीय बोर्ड लखनऊ तथा अन्य वादियों तक को जिन्होंने फरीदाबाद सिविल न्यायालय में इसी मस्जिद की वास्तु घोषणा व कब्जे के लिये मुकदमा दायर किया था और जिसका मामला अभी निलम्बित है, न तो १९८६ की अपील का पक्षकार बनाया गया और न ही इस मामले में कोई नोटिस दिया गया हालांकि १९६१ का मुकदमा सं० २ के तहत सहित तीन अन्य मुकदमों जोड़ दिये गये हैं।

(१२) यह कि मस्जिद का ताला खोलने और उसे पूजा आदि के लिये खुला छोड़ने का कार्य देश भर के मुस्लिमों में रोष व्याप्त हो गया है और हमें भी इससे जबरदस्त धक्का लगा है और इसके मद्देनजर हम आपसे न सिर्फ मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करने के लिये बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक तानेबाने व कानूनी प्रणाली में मुस्लिमों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए भी तत्काल उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करते हैं।

इसलिए हम राज्य सरकार से अविलम्ब निम्नलिखित कदम उठाने की माँग करते हैं।

(१) बाबरी मस्जिद की उसकी मलगन वक्फ संपत्ति के साथ रक्षा की जाये और उन्हें उनके २२-१२-१९४९ में मौजूद स्वरूप में संरक्षण प्रदान किया जाए।

(२) विश्व हिन्दू परिषद व वजरंग दल आदि के उत्तेजक नारों वा भाषणों पर ध्यान देकर उन्हें रोकने और अपराधी ब्यक्तियों को दंडित करने की फौरन कार्यवाही की जाए।

(३) मस्जिद में या उसकी सीमा रेखा में पूजा करने वा मूर्ति स्थापना करने पर तत्काल रोक लगायी जाए।

(४) मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद में बिना रोक-टोक के नमाज अदा करने और उससे सम्बद्ध मामलों की देख-रेख की अनुमति दी जाए।

(५) मस्जिद का कब्जा कानून द्वारा या मामले पर फौरन फौजदारी करके

मुस्लिमों को पुनः सौंपा जाए।

१. मो० मसूद खान, विधायक, २. काजी कलकमुर्रहम, विधायक, ३. सफीकुर्रहमान बर्क, विधायक, ४ मो० आजम खान, विधायक, ५. काजी मोहिउद्दीन, विधायक, ६. अब्दुल वहीद कुरैशी, विधायक, ७. अमीर आलम खान, विधायक, ८. खुर्शीद अहमद, विधायक, ९. अब्दुल बदूद, विधायक, १०. बुनियाद हुसैन अंतारी, विधायक, ११. फरीद महफूज किदवई, विधायक, १२. फजलुल बरी, विधायक, १३. फसीउर्रहमान उर्फ मुनान खान, विधायक, १४. हाजी मो० हयान, विधायक, १५. एम० रिजवानुल हक, विधायक, १६ मो० अकील, विधायक, १७. मुस्तमद अली खान, विधायक।

मुस्लिम सांसदों ने प्रधानमंत्री को ३ मार्च, १९८६ को इस प्रकार ज्ञापन दिया—

जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा हाल ही में बावरी मस्जिद, अयोध्या के बारे में दिया गया मुस्लिम जमात के लिए बहुत अफसोसजनक रहा है, तथा इससे मुल्क में संगीन हालात पैदा हुए हैं। इससे अगर सावधानी के साथ नहीं निपटा गया तो एक लाइलाज राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता है।

हम समद के मुस्लिम सदस्य आप के सामने तथ्य प्रस्तुत करते हुए अर्ज करना चाहते हैं। शुरुआत में ही हम आपको आश्वस्त करते हैं कि निम्न तथ्यों का वर्णन बावरी मस्जिद के इतिहास तथा उसकी कानूनी स्थिति में सम्बन्धित विपुल एवं अकादमिक प्रमाणों पर आधारित है।

(१) कि, मस्जिद बादशाह बाबर के राज्यकाल में उसके एक राज्यपाल मीर बाँकी द्वारा वर्ष १५२८ में एक खाली भूखण्ड पर बनायी गयी।

(२) कि, एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इतिहासकार ए०एस० बीवरिज, जिमने तुजुक-ए-बावगी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है तथा बहुत सारी पाद-टिप्पणियाँ दी हैं, ने अपनी पुस्तक "बाबर के सम्मरण" (खण्ड २, लंदन, १९२४, पृष्ठ ६७९-८०) में बाबर के अवध में होते हुए गुजरने का उल्लेख किया है। बीवरिज ने विषय को बारीक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत किया है लेकिन बाबर के अयोध्या में आने का कोई उल्लेख नहीं है। अवध का वाणी गवर्नर शेख मायजीद से निपटने के बाद बाबर ने वाणी बेंग ताफ़ुदी (मीर बाँकी) को अवध का राज्यपाल बनाया और लौट गया। यह मन्चाई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बरफ, फैजाबाद की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है जो उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त बरफ को १६ सितम्बर १९३८ को प्रस्तुत की गयी थी। यह मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों से भी यह प्रमाणित होता है। इन्हे इतिहासविद ए०एम० बीवरिज द्वारा मानी गयी है। पश्चिम हरिकिशन, गय जत्र फैजाबाद ने मुकदमा न० ६११/२८००

१८८५ में अपने २४-१२-१८८५ को दिये गये फैसले में भी यह माना है। पं० हरिकृष्णन के फैसले की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के परिशिष्ट "ए" के तहत संलग्न है।

(३) जिला वक्फ आयुक्त की उपरोक्त रिपोर्ट से साबित होता है कि सन् १८६४ में दो गाँव, भराईपुर तथा शोलेपुर मस्जिद के रख रखाव के लिए वार्षिक ६० रु० नकद अनुदान में बदले, राजस्व मुक्त भ्रामों के रूप में दिये गये, जो मूलतः बादशाह बाबर द्वारा मन्जूर किए गए थे, तथा बाद में अवध के राजा द्वारा रु० ३०२/३१६ की रकम तक यह अनुदान बढ़ा दिया गया था।

(४) वर्ष १८८५ में एक महत रघुवर दास ने मधु जज, फैजाबाद के कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया (मु० न० ३१२८०-१८८१) और यह आरोप लगाया कि राम जन्मस्थान के चबूतरे पर छत या भवन नहीं है तथा पुजारी को बड़े अत्यधिक गर्मी सर्दी और बारिश जैसी मौसमी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। अतः उसने प्रार्थना की उक्त २१ × १७ फीट में चबूतरे पर एक मंदिर बनाने दिया जाए। यह दावा १६-१-१८८५ को दायर किया गया। दावे के परिच्छेद ४ में कहा गया था कि अप्रैल १८८३ में फैजाबाद के उपायुक्त ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के मद्देनजर उक्त मन्दिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी थी।

(५) कि मधु जज, फैजाबाद पंडित हरिकृष्णन ने उक्त मुकदमा न० ६१/२८०-१८८५ अपने आदेश से २४-१२-१८८५ को खारिज कर दिया। कोर्ट के अमीन श्री गोपाल सहाय द्वारा तैयार किये गये मौका-नक्शे के आधार पर कोर्ट ने कहा कि "मस्जिद तथा चबूतरे के बीच एक दीवार है, और यह स्पष्ट है कि मस्जिद तथा चबूतरे के बीच अलग-अलग चौहद्दियाँ हैं। यह तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि हाल के विवाद से पहले सरकार द्वारा निमित्त चौहद्दी रेखा मौजूद है।" न्यायालय ने आगे कहा कि "इसके गिर्द मस्जिद का कुआ है जिन पर "अस्लाह" लफ्ज खुदा हुआ है। यदि हिन्दुओं को मन्दिर बनाने की अनुमति दे दी जाती है, तो किसी न किसी दिन कोई फौजदारी मामला बन सकता है और हजारों लोग मारे जा सकते हैं।" और यह कि "ऐसी स्थिति में मन्दिर निर्माण की अनुमति देना दगो व कल्लो की बुनियाद रखना होगा अतः राहत का दावा मन्जूर नहीं किया जाना चाहिए।"

(६) कि, उपरोक्त ता० २४-१२-१८८५ के फैसले के खिलाफ जिला न्यायाधीश, फैजाबाद के न्यायालय में अपील दायर की गयी (दीवानी अपील न० २७ मन् १८८५ महत रघुवर दाम बनाम राज्य सचिव तथा अन्य) अदालत ने ता० २६-३-१८८६ के अपने आदेश के तहत यह अपील खारिज कर दी।

(७) कि, १९३४ के साम्प्रदायिक दगो के दौरान मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई जिसकी तत्कालीन यू०पी० सरकार ने मरम्मत करवायी।

(८) १८६० के "मिसलबन्द" रजिस्टर में उक्त मस्जिद बाबरी के नाम में दर्ज है।

(९) कि, वक्फ आयुक्त की, २६-२-१९४४ की सरकारी राजपत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में इस मस्जिद का उल्लेख मुन्नी वक्फ के तौर पर किया गया है।

(१०) कि, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यू०पी० मुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फस ने उक्त मस्जिद को वक्फ के तौर पर इस प्रकार दर्ज किया है—वक्फ न० २६, फैजाबाद, यू०पी० मुस्लिम वक्फ कानून, १९६० के तहत।

(११) कि, २२-१२-१९४६ तक उक्त मस्जिद में मुस्लिमों द्वारा नियमित रूप से नमाज अदा की जाती रही। २२/२३-१२-१९४६ की रात मुस्लिम-विरोधी जनूनियों की एक हिंसक भीड़ ने, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मि० के०के० नैयर की मिल्नीभगत से मस्जिद पर जबरन कब्जा कर लिया। इस गरीब वारदात के बाद उक्त मजिस्ट्रेट को इस्तीफा देना पड़ा था। श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ मस्जिद में चोरी से प्रस्थापित कर दी गयीं। मौका-ए-वारदात पर तैनात कॉन्स्टेबल श्री माता प्रसाद द्वारा दर्ज अयोध्या पुलिस थाने की सूचना रपट में इस सच्चाई की पुष्टि होती है कि मूर्तियाँ २२/२३।

(१२) कि, २३ डिसेम्बर १९४६ की रात चोरी में स्थापित की गयी। उक्त एफ०आई०आर० की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट वी के तौर पर सलग्न है। डिसेम्बर, १९४६ को दण्ड विधान संहिता की धारा १४४ के तहत फैजाबाद तथा अयोध्या में लागू आदेश के बाद मस्जिद को भा०द०वि०न० धारा १४५ के तहत कुर्क कर लिया गया।

(१३) कि, १६-१-१९५० को एक श्री गोपाल सिंह विशारद ने मुनिफ सदर, फैजाबाद की अदालत में मुकदमा नं० २-१९५० दायर किया। यहाँ यह सब बताना प्रासंगिक होगा कि, सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में डिप्टी कमिश्नर, फैजाबाद, श्री जे०एन० उग्र के मुकदमा नं० २-१९५० में प्रस्तुत लिखित बयान में तथा राज्य सरकार के आर०एस० नं० २५-१९५० में दर्ज लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ मस्जिद में बतौर शरारत रखी गयी थी। श्री जे०एन० उग्र, उप आयुक्त, फैजाबाद द्वारा मुकदमा नं० २/१९५० में लिखित बयान की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के परिशिष्ट ई में सलग्न है। उसी तरह एक अन्य मुकदमा निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर किया गया। अन्ततः एक चौथा मुकदमा उत्तर प्रदेश मुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फस, लखनऊ द्वारा फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में दायर किया गया जिसका पत्रिकरण क्रमांक १२—१९६१ है। इन चारों मुकदमों को मिलाकर रजि० सूट नं० १२—१९६१ को—जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा दायर किया गया था, अग्रगो मुकदमा बनाया गया।

उपरोक्त सभी लिखित बयान जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, यह पूर्णतया स्थापित हो जाता है कि राज्य सरकार उक्त इमारत को बराबर बावरी मस्जिद ही मानती रही है, न कि श्री रामचन्द्र जी का मन्दिर।

(१४) मस्जिद के प्रापकत्व (रिसीवरशिप) से सम्बन्धित एक मामले में उक्त अपणी मुकदमें न० १२-१९६१ की फाइल इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा रख ली गयी थी। यह अब भी उमी अदालत (लेखनऊ खण्डपीठ) के पास है।

(१५) कि, अकस्मात् २५-१-१९८६ को एक श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता फैजाबाद ने मुकदमा नं० २-१९६० में, मुंसिफ की अदालत में, आवेदन किया कि फैजाबाद के डी० एम० तथा एस० पी० को परिसर का ताला, खोलने का निर्देश दिया जाए ताकि वह तथा हिन्दू समाज के अन्य सदस्य वहाँ पूजा कर सकें। २८-१-१९८६ को विद्वान मुंसिफ ने आदेश दिया कि चूंकि मामला उच्च न्यायालय के सामने है, आवेदन अगली निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाए।

(१६) फिर भी, उक्त मुंसिफ के आदेश के खिलाफ ३०-१-१९८६ को जिला न्यायाधीश के सामने एक अपील दायर की गयी। इसकी सुनवाई १-२-१९८६ को हुई। इस तारीख को कुछ मुस्लिमों को इस कार्रवाई का पता चला और उन्होंने इस अपील में एक पक्ष बनने के लिए आवेदन किया, क्योंकि श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय ने, मुकदमे के किसी पक्षकार को अभियोजित नहीं किया था। मूल मुकदमे में जो मुस्लिम पहले से पक्षकार थे उन्होंने भी पक्ष बनने के लिए आवेदन किया। किन्तु जिला न्यायाधीश द्वारा असमर्पणीय रूप से इन प्रार्थनाओं का अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने असम्बद्ध रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा एस० पी० से पूछताछ की जो शरारती लोगों के साथ मिले हुए लगते थे। उनके अतर्कसंगत तथा अप्रजातान्त्रिक बयान के आधार पर कि मस्जिद का ताला खोल दिये जाने पर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। जिला न्यायाधीश ने अपील मन्जूर की तथा डी० एम० एवं एस० पी० को निर्देश दिया कि विवादग्रस्त स्थल परिसर से ताला खोल दिया जाए। उसी दिन शाम ५-१५ बजे ताला तोड़ दिया गया।

(१७) यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि, जो आदेश साजिश के जरिए तथा, मुस्लिम के पीठ पीछे किया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पर ये खामियाँ हैं—

(१) विचाराधीन आवेदन का आवेदक, उक्त किसी भी मुकदमे में पक्षकार यही है, अतः उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है।

(२) कि, उक्त मूल मुकदमे में जो मुस्लिम पक्षकार रहे हैं, तथा जिन्होंने अपील में पक्षकार बनने का आवेदन भी किया था, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया।

(३) जिला न्यायाधीश ने जैसा कि गलती से किया है, अपील में बयान

कभी दर्ज नहीं किये जाते।

(४) मुस्लिम द्वारा जारी आदेश अपील योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी मुकदमे का फैसला नहीं किया है।

(५) अपोल जिला न्यायाधीश द्वारा सुनी गयी तथा इकतरफा आदेश जारी कर, उसी दिन उस पर अमल किया गया।

(६) सबसे बड़कर, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता था, जबकि मूल मुकदमे के अभिलेख इमाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ) के पास पड़े हुए हैं।

(१८) कि, जिला न्यायाधीश के आदेश का नतीजा है— “दंगे, मुल्क के कई हिस्सों में लागू संचारबन्दी, तथा सामूहिक गिरफ्तारियाँ। इस आदेश से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जिनमें मुस्लिमों का न्यायप्रणाली में भरोसा हिल गया है।

(१९) कि, हम यह आरोप लगाने पर विवश हैं, कि राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क ने इस विवाद में एक पक्ष बन जाने जैसा रवैया अपनाते हुए मस्जिद में हिन्दू भक्तों के प्रवेश का दृश्य प्रसारित किया है तथा विवादित परिसर को “राम जन्मभूमि” कहा है। अखिल भारतीय आकाशवाणी का भी यही रुख रहा है।

(२०) कि, मुस्लिम समुदाय की तरफ से किये गये शान्तिपूर्ण व प्रजातान्त्रिक विरोध पर कानून और व्यवस्था तंत्र का समर्थन प्राप्त बहुसंख्यक समुदाय ने रोप प्रकट किया।

(२१) दरअसल चुभने वाली बात यह है कि भारत की वास्तविक प्रजातान्त्रिक व धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली को कायम रखने और समृद्ध करने वाले मूल्य विकृत हो रहे हैं और यदि भारत को मजबूत और अखण्ड रखना है तो तत्काल कुछ किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में हम सम्माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान फैजाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री अक्षय पंडित के शोक संताप की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिन्होंने १९५० में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान बाबरी मस्जिद को जबरन एक मन्दिर में परिवर्तित करना चाहने वाले कुछ हिन्दू कुविश्वासियों की जोर जबरदस्ती गुण्डागर्दी की ओर आकृष्ट किया था।

“राह-ए-फज्र पर” शीर्षक से उर्दू में श्री अक्षय पंडित का यह क्रन्दन इस ज्ञापन-पत्र के उपाबन्ध एक में वर्णित है।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, हम मुस्लिम सासद, आपसे निम्नांकित मांगों की पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय करने की प्रार्थना करते हैं—

(क) कि आप इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और बाबरी मस्जिद मुस्लिम समुदाय को पुनः सौंपने के लिये फौरन उपाय करें।

(ख) कि फैजाबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा १-२-१९८६ को पारित

आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाए।

(ग) कि जिला न्यायाधीश के रूप में १-१२-१९८६ के अपने आदेश में प्रेक्षण दिया गया कानून व व्यवस्था कायम करने के लिये अधिकारीगण स्वतंत्र रूप से उपाय कर सकते हैं अतः बाबरी मस्जिद की बाबत ३१-१-१९८६ को मौजूद यथास्थित बहाल की जाए।

(घ) कि, इस सम्पत्ति से सम्बद्ध सभी विनम्बित मुकदमों का निपटारा छः माह की अवधि के अन्दर किया जाए।

(च) कि, विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सासदों का एक शिष्ट मण्डल बाबरी मस्जिद का दौरा करने के लिये अयोध्या भेजा जाए तथा उसी शिष्टमण्डल को उक्त मस्जिद की मौजूदा असली हालत सामने लाने के लिये मस्जिद के फोटो लेने और नक्शा बनाने की सुविधा मुहैया की जाए।

(छ) कि, राजकीय माध्यमों को उक्त परिसर को राम जन्मभूमि के रूप में प्रचारित न करने का निर्देश दिया जाये।

लोकसभा

(१) काजी जलील अब्बासी, (२) अकबर जहाँ बेगम, (३) सरफराज अहमद, (४) आबिदा अहमद, (५) अचनर हसन, (६) अब्दुल हन्नान असारी, (७) इब्राहिम सुलेमान सेन, (८) गुलाम महमूद बनातवाला, (९) बशीर टी, (१०) हुसैन दलवाई, (११) अब्दुल रशीद काबुली, (१२) असलम शेर खान, (१३) मोहम्मद अयुब खाँ, (१४) महफूज अली खाँ, (१५) चौधरी रहीम खाँ, (१६) जुल्फिकार अली खा, (१७) सैयद शहाबुद्दीन, (१८) सलाद्दीन ओवैसी, (१९) फकीर मोहम्मद ई० एस० एम०, (२०) अहमद पटेल, (२१) अजीज कुरैशी, (२२) सलाहुद्दीन, (२३) पी०एम० सर्ईद, (२४) हाफिज मो० सिदीकी, (२५) सैफुद्दीन सोज, (२६) तारीक अनवर, (२७) गुलाम यजदानी, (२८) जैनुल बशर।

राज्य सभा

(२९) सैयद हाशिम रजा आबिदी, (३०) हमानूला असारी, (३१) अमरास्त हक, (३२) एफ० एम० खान, (३३) मो० हाशिम किदवाई, (३४) वी० वी० अब्दुल्ला कोया, (३५) असद मदनी, (३६) गुलाम रसूल मददू, (३७) मिर्जा इर्शाद बेग, (३८) रफीक आलम, (३९) गुलाम मोहिउद्दीन शाल, (४०) शमीम अहमद सिद्दीकी, (४१) राव बली उल्लाह।

७ फरवरी, १९८६ को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने संकल्प

अंगीकृत किया।

“इस मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पवित्र कुरान के विरुद्ध हाल में रिट याचिका दायर करने और शाहबानो केस में अपने आत्म-सम्मान को एक सीधी चुनौती मानकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर आक्रमण करने के बाद बावरी मस्जिद को मन्दिर में परिवर्तित करने का मामला उठाया और भारत सरकार से इन हालात को जल्द सुधारने की मांग की ताकि मुस्लिम युवक वही ऐसे तरीके अपनाने को मजबूर न हो जाए जो देश के लिए विनाशकारी हो। हम मांग करते हैं कि बावरी मस्जिद के मामले में यथापूर्व स्थिति कायम की जाए।”

“हम यह भी मांग करते हैं कि विधान के अनुच्छेद ४४ को निकालकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप का रास्ता सदा के लिये बन्द कर दिया जाए।”

वि०हि०प० द्वारा भारत सरकार को ६ अक्टूबर १९६६ को पेश किये गये दस्तावेजों पर बावरी मस्जिद समन्वय समिति ने की टिप्पणिया इस प्रकार थी।

विस्तृत उत्तर देने से पूर्व मेरा कहना है कि किसी भी दस्तावेज में अपेक्षया विशाल परिप्रेक्ष्य में देखे गये विवाद के दो बुनियादी मुद्दों पर एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है।

(१) क्या बावरी मस्जिद श्री रामचन्द्र जी के जन्मस्थल पर खड़ी है? यदि हाँ तो बावरी मस्जिद के निकट स्थित राम जन्मस्थान मन्दिर एवं बावरी मस्जिद की बाहरी चारदीवारी में स्थित राम चबूतरे का धार्मिक स्तर क्या है?

(२) क्या बावरी मस्जिद बनाने के लिये उस स्थान पर पहले से विद्यमान विशाल मन्दिर को नष्ट किया गया था?

(१) बाबर का इतिहास वृत (क्र०सं० १ व ४)

दोनो (लीडन व अस्किन या बीवरिज) में से कोई भी सस्करण इसका सकेत नहीं देता कि बाबर ने कभी अयोध्या को छुआ भी था। अपनी टिप्पणी में श्रीमती बीवरिज केवल फैजाबाद के उपायुक्त नेबिल का उदाहरण देती है अन्य कोई मौलिक स्रोत या प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती। इस्नाम के बारे में उनकी भ्रान्त धारणा पृष्ठ एल० एक्स० बी० आई० आई० आई० (परिशिष्ट) में नीचे दिये गये नोट से स्पष्ट हो जाती है। इसलिये वह १८१७ के उत्तरकाल के ब्रिटिश लेखकों की जानी-मानी पक्षपातपूर्ण व भ्रान्तधारणाओं को प्रस्तुत करती है।

(२) सरकारी प्रकाशनों से कुछ अंश (मद २ व ३)

प्रारम्भिक ब्रिटिश सफलन व गजट ज्यादातर स्थानीय अफवाहों पर आधा-

रित है और इतिहास के वक्तव्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं करते। बाद के राजपत्रों ने भी १८७० के कार्नेजी के ऐतिहासिकरे खाचित्र के मामले में पिछले प्रकाशनों का शब्दशः अनुसरण करने के अभाव में कुछ भी योगदान नहीं किया।

समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गये इतिहासों की तरह गजट भी राजनैतिक मकसद लिये होते थे; जो बांटो और राज करो की नीति का पोषण करते थे। इसके लिये वे तथ्यों के रूप में स्वीकार करते और विधिवत खोजबीन किये बिना स्वैच्छिक रूप से उन्हें प्रस्तुत करते थे। मकसद होता था हिन्दुओं और मुस्लिमों में मौजूद खाई को और गहरा करना।

लेकिन कार्नेजी के ऐतिहासिक रेखाचित्र ने, जिसकी गजट से अनुरूपता थी, सिद्ध किया है कि १८५५ से १८७० तक मुस्लिम बावरी मस्जिद में नमाज अदा करते थे जबकि हिन्दू राम चबूतरे पर धार्मिक रीति संस्कार सम्पन्न किया करते थे। इसके १९४६ तक आगे जारी रहने की बात सिद्ध करने वाले अन्य अभिलेख भी मौजूद हैं। पूछा जा सकता है कि यही स्थिति पुन कबो नही स्थापित हो सकती है ?

हिन्दू-बौद्ध मूल के कुछ स्तम्भों के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि निर्माण सामग्री प्राचीन खण्डहर के मलबे से लेकर दोबारा प्रयोग की गयी थी जैसा कि आज भी होता है। और केवल १४ स्तम्भ इस प्रकार प्रयोग कर भी लिये जाए तो बाकी का क्या हुआ ?

(३) जन्म प्रकाशन (क्र०सं० ३ (२रा भाग) तथा ६)

स्वाभाविक है कि अयोध्या के बारे में लिखते हुए यूरोपीय लेखकों ने महाराज राजपत्रों (गजटों) व पिछली पुस्तकों का अनुसरण किया होगा। श्री वेकर कोई भी मौलिक स्रोत प्रस्तुत नहीं करते हैं।

माइकल विवार का मामला वास्तव में चिन्तनीय है। वह हनुमानगढ़ी स्थित मस्जिद को बावरी मस्जिद समझ बैठे हैं। १८५५ में, विवाद की जड़ और विषय हनुमानगढ़ी की मस्जिद भी बावरी मस्जिद नहीं। यह उनके शोध का कृत्रिम स्तर प्रदर्शित करता है।

(४) कानूनी दस्तावेज (क्र०सं० ११ व १२)

इन दस्तावेजों का सम्बन्ध १९८३-८५ के राम चबूतरा मामले से है। इन अभिलेखों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि स्वयं बावरी मस्जिद पर किसी बिन्दु पर कोई दावा नहीं किया गया है।

(५) राजस्व अभिलेख (मद ७, ८ व १३)

इसमें न सिर्फ यह सिद्ध होता है कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व था बल्कि यह भी कि मुनाबली के जरिये मुस्लिम ममुदाय द्वारा उसका प्रवन्ध होना था और वह उनके कब्जे में थी और यह भी कि उसे राजस्व अधिकरण द्वारा मान्य व लागू धर्मस्व का समर्थन मिला था।

ज्ञातव्य है कि मस्जिदों का उनके स्थान के सदर्भ में जाना जाना है। तदनुसार बाबरी मस्जिद को १६वीं सदी के विभिन्न दस्तावेजों में अयोध्या जामा मस्जिद, जन्मस्थान मस्जिद, मस्जिद सीता रसोई, मस्जिद जन्मभूमि, चूंकि १६वीं सदी में रामपथ के उदय के बाद अयोध्या को रामचन्द्र जी का नगर व जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद स्थित है उस राजकोट को दशरथ का किला के रूप में मान्यता मिली थी। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि बाबरी मस्जिद का स्थान श्री रामचन्द्र जी का जन्मस्थान है या उसका निर्माण उस स्थान पर पहले से मौजूद मन्दिर को नष्ट करने के बाद किया गया था।

(६) वक्फ अभिलेख (मद ६ और १०)

यह अधिक विधिसम्मत तो नहीं है पर १९४६ में अयोध्या की स्थिति का कुछ जायजा देता है जब उम स्थान के मुस्लिमों को परेशान किया गया था और उन्हें बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करने में रोका गया था। रपट भी यह बताती है कि २२-२३ दिसम्बर १९४६ को बाबरी मस्जिद पर गैर कानूनी कब्जा कर्मे किया गया था। किन्तु इन्हीं दस्तावेजों से यह भी साबित होता है कि मस्जिद में १९४८ तक वदस्तूर नमाज अदा की जाती रही थी और यह कि उसका इन्जाम उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता था। इस बिन्दु पर हमारे पास पुलिम रिकाड मौजूद है मुकदमेबाजी के रिकाड और सबसे ऊपर श्री अक्षय ब्रह्मचारी का ज्ञापन है।

(७) पुरातात्विक अभिलेख (रिकार्ड) राम जन्मभूमि विवाद

(क्र०स० ५)

भारतीय पुरातत्व विज्ञान वार्षिकी १९७६-७७ निम्नलिखित खोज प्रस्तुत करती है :

- (१) अयोध्या में और विशेषकर रामकोट में प्रथम मानव निवास प्राय. ई० पूर्व० ७वीं शताब्दी में हुआ था।
- (२) ई० सन् ३री शताब्दी तक उस पर कब्जे के अनेक परवर्ती दौर आए।
- (३) इनमें से एक दौर जिसे प्राचीरोत्तर दौर कहते हैं ई० पूर्व ३री सदी

से पहली ईसवी सदी तक चला।

(४) स्थायी संरचना की दृष्टि से ई० सन् की ३री सदी व ई० सन् की ११वीं सदी के बीच उस पर स्थापित कब्जे में अन्तराल है।

(५) उस स्थान पर गुप्त काल का संकेत नहीं मिलता।

चूँकि रामचन्द्र जी का युग बहुत पहले का युग बताया गया है, पुरातात्विक खपट अयोध्या को दशरथ की नगरी मानने पर सन्देह करती है। दूसरे कहा जाता है अयोध्या में राम जन्मभूमि मन्दिर का निर्माण विक्रमादित्य ने किया है। यदि उसका सम्बन्ध गुप्त राजवंश से है तो यह दावा पुरातात्विक अभिलेखों से सरासर गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह जाता है कि क्या अयोध्या में कभी कोई उल्लेखनीय मन्दिर बना था या उसे बनाया किसने था और कब बना था। इस प्रकार पुरातात्विक खपट राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मूल तथ्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

निष्कर्ष-टीका

मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अयोध्या कन्नौज साम्राज्य का एक हिस्सा था जिसका सबसे कुशल शासक हर्य (६०६-६३६ ई० सन्) हुआ था। तदनन्तर ७वीं से ९वीं सदी तक कन्नौज पर प्रतिहारों का राज रहा। ११६४ में पठानों ने कन्नौज राज्य को पराजित किया और अयोध्या लेकर ११६४ से १५२६ तक ३०० वर्षों तक शासन किया तब बाबर सामने आया। ह्वान स्वाग या फहीद सहित अन्य चीनी यात्रियों ने सभी नगरों की विस्तृत खपट छोड़ी थी वस्तुतः ह्वान स्वाग ने अयोध्या को बौद्ध केन्द्र माना था। कन्नौज साम्राज्य के या प्रतिहारों के किमी भी उपलब्ध रिकार्ड से अयोध्या में ऐसे किसी मन्दिर के निर्माण की कोई पुष्टि नहीं होती। मजे की बात यह है कि कानोंगी तक ने कसौरी स्तम्भों को बौद्ध कला कौशल का नमूना बताया था।

पठान काल में ऐसे किसी मन्दिर के अस्तित्व या विनाश का कोई रिकार्ड नहीं है। सवाल उठता है कि यदि राम जन्मभूमि रामकोट में विद्यमान था, और मान लिया जाए कि ऐसा कोई मन्दिर गुप्त या प्रतिहारों ने बनाया था जो वह ३०० से अधिक वर्षों तक नष्ट क्यों नहीं हुआ या उस समय की लूटपाट में भी कैसे सलामत रहा जबकि कोई अन्य उल्लेखनीय स्मारक नहीं रह पाया था, इती-लिये ऐसे किसी मन्दिर का अस्तित्व सदेहास्पद है जो गुप्त काल, कन्नौज काल, प्रतिहार काल या पठान काल तक कायम रहा ताकि बाबर द्वारा नष्ट किया जाए।

इसका कोई साहित्यिक प्रमाण भी नहीं है १५२८ में जब बाबरी मस्जिद बनी थी तब तुलसीदास ३० वर्ष के थे वे अयोध्या में रहते थे और वही उन्होंने

रामायण लिखी थी। किन्तु श्री रामचन्द्र के जन्मस्थान में श्री रामचन्द्रजी को समाप्त किसी मन्दिर के अस्तित्व या विनाश का कही भी इल्का-सा संकेत नहीं दिया था।

अयोध्या का हिन्दू तीर्थ स्थान के रूप में महत्व बताने वाले आइन-ए-अकबरी के रचनाकार अबुल फजल से लेकर पाणिकर तक किसी भी इतिहासकार ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिये किसी मन्दिर को ध्वस्त करने का उल्लेख नहीं किया है।

विनष्ट (?) मन्दिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न अकबर के समय में नहीं उठाया गया था (जो केवल पीढी बाद आया था और इसलिये जनता के मान में ताजा था) और न ही दिसम्बर १६४९ तक किसी विख्यात धार्मिक या राजनैतिक नेता द्वारा उठाया गया था। बाबर की अपनी जीवनी हिन्दू वास्तुकला के प्रति उसके प्रशंसात्मक दृष्टिकोण व अन्य धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णुता की पुष्टि करती है। दरअसल उमने तो अपने बेटे को हिदायत दी थी कि यदि वह अपना साम्राज्य कायम रखना चाहता है तो हिन्दू के पूजन-स्थलों को हाथ न लगाए।

एक और दिलचस्प सवाल उठा है। दूसरा कोई भी मन्दिर जो विशेषकर श्री रामचन्द्र जी को समर्पित किया गया हो व भारत में १६वीं सदी में पहले था अब अस्तित्व में नहीं है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि उन सभी मन्दिरों को बाबर या किसी दूसरे शासक ने नष्ट किया था वस्तुतः सभी इतिहासकार प्रायः यह मानते हैं कि राम के पथ में उसकी उपस्थिति दर्शायी थी और तुलसीदास द्वारा स्थानीय भाषा में रचित रामायण की लोकप्रियता के फलस्वरूप जन सामान्य का ममयन प्राप्त कर लिया था।

इसलिये इन दस्तावेजों में इस पत्र के आरम्भ में चर्चित मूल मुद्दों के संबंध में कुछ भी मौजूद नहीं है और यह हमें कोई अगली जानकारी नहीं देते। जिम्मेदारी अब भी दावेदारों के ऊपर है।

ऐतिहासिक (कानूनी दस्तावेजों की सूची)

- (१) लेडन की बाबर की जीवनी
- (२) श्रीमती वीवरिज कृत बाबर की जीवनी (उपरोक्त दस्तावेज में बाबरी मस्जिद में प्राप्त शिलालेखों का उल्लेख है)
- (३) लगान मुक्त अनुदान (जून १८६०) प्रथम बन्दोबस्त के रजिस्टर की नकल-उर्दू प्रतिलिपि (पन्नें)
- (४) वी० कान्गी द्वारा फैजाबाद तहसील का ऐतिहासिक रेखाचित्र।
- (५) बन्दोबस्त अधिकारी न्यायालय का आदेश, फैजाबाद तारीख ३-१-

१८७०

(६) मुख्यायुक्त सचिव, अवध द्वारा आयुक्त फैजाबाद डिविजन को भेजे गये २५-८-१८६३ के पत्र

(७) फैजाबाद जिला न्यायाधीश का १८/२६-३-१८८६ का फैसला

(८) अवध न्यायिक आयुक्त का १-११-१८८६ का फैसला

(९) १९२८ का फैजाबाद गजट

(१०) बक्फ निरीक्षक (लखनऊ) मो० इब्राहिम की रपट दिनांक १०-१२-१९४०

(११) वही दिनांक २३-१२-१९४१

(१२) भारतीय पुरातत्व विज्ञान १९७१-७७

(१३) हम बेंकर कृत अयोध्या (इसमें मार्टीन १८३८, अक २/३३६ के अंश भी शामिल हैं)

(१४) माइकल विचार लिखित लेख

(स्रोत मुस्लिम इंडिया)

दावरी मस्जिद सघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष सैतद शहाबुद्दीन के अनुसार—

“मैं इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति मानता हूँ। मण्डल आयोग में पैदा हुई स्थितियों में खुद को बचाने के लिए भाजपा ने यह कदम उठाया है। इसके बहाने वह जनता को बरगलाना चाहती है। पिछले चुनावों में हिन्दू का इस्तेमाल करने के लिए राजीव ने लाला खुलवाया! भाजपा सोचती है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उसकी तैयारी का ही यह एक तरीका है।

आडवाणी जैसे समझदार व्यक्ति को इस तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था कि भाई-भाई में तनाव बढे।

उनका कहना है कि यह पदयात्रा सम्प्रदायिक सदभाव के लिए है ?

जब आप मस्जिद-मन्दिर के विवाद को लेकर चले हैं, तो नाजुक हालत में सदभाव कैसे बनेगा ? वैसे आडवाणी जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं आशा करता हूँ कि वे ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और मामले को दानचीन से हल करने की कोशिश करेंगे।

दावरी मस्जिद १५२८ में बनी, तब से १९४९ तक तो किसी ने दावा नहीं किया। अयोध्या में आधा दर्जन में ज्यादा ऐसी जगहें हैं जिनकी रामचन्द्र जी की जन्मस्थली के रूप में पूजा होती है। शुद्ध संन तुलसीदाम तक ने मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। रामचरित मानस में न मन्तही, अपने सामकालीनों से पत्र-व्यवहार में तो वे इस पर कुछ कह सकते थे। अब्दुल खानखाना स उनकी गाढ़ी दोस्ती थी। उनको भी तुलसी ने कुछ नहीं लिखा।

अगर इतना बड़ा मन्दिर था तो किसी ने उसे देखा होगा। किसी भी लेखक या विदेशी यात्री ने इसका कहीं वर्णन तक नहीं किया। मुसलमानों ने सन् ११६२ में अयोध्या पर कब्जा किया। और बाबर सन् १५२८ में शासक बना। यह ताज्जुब की बात है कि मुसलमानों ने सन् ११६२ से १५२६ तक मन्दिर रहने दिया और बाबर ने उसे आते ही तुड़वा दिया।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती। यह तथ्य है कि अयोध्या को बाबर ने हिन्दुओं में नहीं, मुसलमान पठानों से लिया था। ग्वालियर में हिन्दू राजा था। चन्देरी में था। उन्हें जीतने के बाद तो बाबर ने वहाँ के मन्दिर नहीं तोड़े बल्कि वहाँ की खूबसूरती के बारे में अपनी डापरी के कई पन्ने रंग दिए। जो आदमी अपनी बसीयत में बेटे को लिखे कि एक अच्छी सल्तनत वही है जो जनता का दिन जीते। जिस बाबर ने लिखा है कि राज्य में गोहत्या बन्द कर दो, दूसरों के धर्मस्थल पर हाथ न लगाओ उम्मी के बारे में ऐसा कहने का क्या औचित्य है? मन्दिर के होने या उसे तोड़ने का जिक्र तक किसी इतिहास की किताब में नहीं है।

इसकी जड़ में कुछ फ़ासिस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ हिन्दू राज्य हो। वे खुद को राष्ट्रप्रेमी कहते हैं पर उनके मसूवे और हैं। पहले मुसलमानों ने राज्य किया, उनका अपमान किया, अब तुम उनका करो। मन्दिर तो एक कहाना है। मैं कहता हूँ कि मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई ऐतिहासिक सबूत मिल जाए तो मैं पहला आदमी होऊँगा जो कहेगा कि गलत जगह पर, मस्जिद बनी है। इसीलिए यह मस्जिद नहीं है।

पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह विवाद भगवान राम की जन्मभूमि या उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने से नहीं जुड़ा है। वे हम सबके पूज्य हैं। बाबर का नाम इस विवाद से जोड़ दिया गया। मुसलमान तो उसे पीर भी नहीं मानते। वह एक राजा था। राम से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। मुसलमानों के लिए भी वे श्रद्धा के पात्र रहे हैं। विवाद रामचन्द्र जी बनाम बाबर नहीं है।

फिर विवाद किम पर है ?

एक विवाद तो अदालत में है। अदालत को यह फैसला करना है कि २२-२३ दिसम्बर १६४६ की रात से पहले वहाँ क्या स्थिति थी। इसका सामना करने में विश्व हिन्दू परिषद धबराती है कि हार जाएंगे। अदालत के सामने जाने में वे कतराते क्यों हैं? वे यह भी जानते हैं कि अदालत में बहस इस पर नहीं होगी कि रामचन्द्र जी वहाँ पैदा हुए थे या नहीं, वे अवतार थे या नहीं। वह यह भी नहीं कहेगी। कि अयोध्या ही रामचन्द्र जी की जन्मभूमि है या नहीं क्योंकि यह तो विश्वास का प्रश्न है। सवाल है कि बाबरी मस्जिद वाली जगह आज

विवादास्पद हो चुकी है और कुरान में ऐसी किसी भी जगह नमाज पढ़ने की मनाही है। फिर मुसलमान इस जगह को क्यों नहीं छोड़ देते ?

शरीयत में यह नहीं लिखा है कि मस्जिद बनने के ४५० वर्ष बाद आप विवाद खड़ा करें और कहें कि जगह विवादास्पद है और छोड़ दो। उसमें लिखा है कि मस्जिद बनाते समय ध्यान रखो कि वह जगह झगड़े की न हो या उसे जबर्दस्ती न लिया गया हो।

शाहबानो और इसमें बहुत अन्तर है। वहाँ मुद्दा यह नहीं था कि शाहबानो किसी की बीबी थी या नहीं। उसे तलाक दिया गया था नहीं। जबकि यहाँ मुद्दा है कि मन्दिर था या नहीं। वहाँ मामला शरीयत से जुड़ा था। हमारे यहाँ न्यायपालिका से ऊपर विधानपालिका है। उसी ने "मुस्लिम पर्सनल लॉ" को स्वीकारा।

मुलायम जो कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कामों की सराहना करता हूँ। जनता को बताना जरूरी है कि मामला धर्म का नहीं, राजनीति का है। जब तमाम पार्टियाँ इस पर एक होगी तो हजार सिधल या अवैद्यनाथ भी कुछ नहीं कर सकते।

इसका हल कानून और बातचीत के जरिए ही हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद को वही रहने दो। आप राम चबूतरे से लेकर सरयू नदी के किनारे तक रामचन्द्र जी का भव्य मन्दिर बनाइए। हमे खूशी होगी। मन्दिर मस्जिद एक साथ होंगे तो यह भारतीय गौरव का एक स्मारक होगा। आपसी भाईचारे और विश्वास का प्रतीक होगा।

"मन्दिर निर्माण रोकने में मैं क्या कर सकता हूँ? करना तो सरकार को है। मविधान की रक्षा करना उसका दायित्व है। यदि अदालत की मर्यादा और सविधान पर आँव आती है तो उसे बचाना किसी समुदाय की नहीं, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी है। उसे मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अवैद्यनाथ या सिधलो के मन्दिर बने और भारतमाता का मन्दिर टूट जाए, तो क्या यह राष्ट्रहित में होगा? विश्व हिन्दू परिषद या भाजपा की यह चुनौती मुसलमानों को बल्कि सविधान को है।"

७. पक्ष धर्मनिरपेक्षतावादियों का

भारत में धर्मनिरपेक्षतावादी गांधीजी को अपना सबसे महान आदर्श मानते आये हैं। यदि इस समय वे उपस्थित होते तो क्या कहते और करते ?

इस संदर्भ में हाल ही में हुई एक नाटकीय घटना उल्लेख योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कृष्णलाल शर्मा के कथित रूप से एक 'पाधी फार्मूला' प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास भेजा। टाइम्स आफ इंडिया के तथा अन्य शोधकर्त्ताओं ने समूचा गांधी वाइजम छान मारा किन्तु उन्हें वह कहीं नहीं मिला। सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार के संदर्भ में गांधी जी की कथित सम्मति का उल्लेख श्री शर्मा ने किया था। इस पर धर्मनिरपेक्षतावादी आलोचकों ने उन पर यह आरोप लगाया।

यह जीवनी लेखिका 'नवजीवन' के माध्यम से २३ जून १९५० को ही स्पष्ट कर चुके थे। लेकिन साम्प्रदायिकता और फासिज्म हमेशा झूठ के बल पर ही चलते हैं। वे झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि वह मच लगने लगता है। जहाँ झूठ सम्भव नहीं होगा, वहाँ अर्धसत्य का सहारा लिया जाता है मसलन यह बात पिछले दिनों बार-बार कही गई कि बंबरी मस्जिद में १९४६ में नमाज नहीं पढ़ी गई लेकिन यह बात खालाकी से छिपा ली गई कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई। प्रभाव यह पैदा किया कि मुसलमानों ने स्वयं इस मस्जिद का परित्याग कर दिया है। चूंकि इस इमारत का ४० वर्षों से मस्जिद के रूप में उपयोग नहीं हुआ है, अतः इसे मस्जिद कैसे कहें। यह तो एक जीर्ण-शीर्ण ढाँचा है। मच यह है कि यहाँ नमाज पढ़ना तभी बंद हुआ, जब १९४६ में यहाँ नमाज पढ़ना तो दूर, मुसलमानों के प्रवेश तक पर पाबंदी लगा दी गई। फिर मुसलमान यहाँ नमाज कैसे पढ़ते। जहाँ तक 'ढाँचे' के जीर्ण-शीर्ण होने का सवाल है, तो १९४६ से ही यह पूरी इमारत रिसीवा के कब्जे में है और आप जानते हैं कि रिसीवर विवादित संपत्ति की देखभाल का कितना ध्यान रखते हैं।

ऐसा नहीं कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल पर कोई वास्तविक

गांधी फार्मूला नहीं हो सकता। हिन्दु-मुस्लिम सवालो पर गांधी जी आजीवन सोचते रहे। भारत में साम्प्रदायिक सौहार्द को वे इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उसके बिना आजादी भी उन्हें मजूर नहीं थी। साम्प्रदायिक सौहार्द की बलिबेदी पर ही वे अतनः शहीद हुए। अतः राम जन्मभूमि के सवाल पर रोशनी पाने के लिए कोई उनके पास जाए, तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा।

गांधी जी के धार्मिक विचारों में एक बात बहुत बुनियादी है। वे धर्म को व्यवस्था और मगठन का नहीं, बल्कि व्यक्ति का निजी मामला मानते थे। २२-६-१९४६ के 'हरिजन' में वे लिखते हैं, मैं अपने धर्म पर अत्यधिक भरोसा रखता हूँ। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन यह मेरा निजी मामला है। राज्य को उसमें कुछ भी लेना-देना नहीं है। यानी धार्मिक विवादों में राज्य का जरा-सा भी हस्तक्षेप उन्हें पसंद नहीं था। विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका, तीनों राज्य के ही अंग हैं। गांधी जी का संदेश स्पष्ट है—धर्म चूक व्यक्ति का निजी मामला है, अतः किसी भी धार्मिक विषय को लेकर राज्य को किसी भी धार्मिक शाखा के पाम नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि उसे राजनीति का विषय भी नहीं बनाना चाहिए। गांधी जी ६-८-१९४२ के 'हरिजन' में बहुत साफ-साफ कहते हैं, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जिसके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

यदि किसी धार्मिक विश्वास के सवाल पर दो भिन्न धर्मावलंबियों में मतभेद हो जाए तो। वैसी स्थिति में गांधी जी का संदेश है, "हिन्दुओं और मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों तथा पारसियों को हिंसा का सहारा लेकर अपने मतभेद नहीं सुलझाने चाहिए। (यंग इंडिया, २४-१२-१९३१) मन्दिर और मस्जिद का सवाल तो दूर की बात है। यदि कोई मुसलमान गाय मारने जा रहा हो, तब भी गांधी जी नहीं चाहेंगे कि बल-प्रयोग के द्वारा उसे रोका जाए। अपने इसी लेख में गांधी जी कहते हैं, "अगर हिन्दू किसी गाय की जान बचाने के लिए मुसलमान को श्प्या कर डालते हैं, तो यह बल प्रयोग नहीं तो क्या है। यह तो किसी मुसलमान को जबरदस्ती, हिन्दू बनाने की इच्छा रखने जैसी बात हुई।" गांधी जी की यही सलाह मुसलमानों के लिए भी है, "इसी तरह यदि मुसलमान हिन्दुओं को मस्जिद के सामने बाजा बजाने या कीर्तन करने में जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, तो यह बल प्रयोग नहीं तो और क्या है।" खूबी तो इससे है कि तमाम शोर-गुल के बावजूद हम अपनी प्रार्थना में लीन रहे। दोनों का संयुक्त निष्कर्ष यह है, "अगर हम एक-दूसरे से अपनी-अपनी धार्मिक इच्छाएँ मनवाने की निरर्थक कोशिश जारी रखते हैं, तो आनेवाली पीढ़ियाँ हमें अघर्षी जगली करार देंगी।" (यंग इंडिया, २४-१२-१९३१)

कानून का सहारा नहीं, हिंसा का सहारा नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो फिर

विवाद का निपटारा कैसे हो। गांधी जी कहते हैं, एकमात्र प्रभावशाली और सम्मानित रास्ता है मुसलमानों को दोस्त बनाना और गाय की जान बचाने का काम उनकी निष्ठा पर छोड़ देना। अगर वे मुसलमानों के हाथ से गोवध नहीं रोक सकते, तो वे कोई पाप नहीं करते और गाय को बचाने के लिए जब वे मुसलमानों से झगड़ते हैं, तो वे महान् पाप करते हैं।" (यग इटिया, २४-१२-१६३१) इस विचार के अनुसार यदि अतीत में मन्दिर तोड़कर मस्जिदें बनीं हैं और मस्जिद तोड़कर मन्दिर बने हैं, तो इसमें साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा ही, यदि ऐसी सभी जगहों पर पूर्वस्थिति लागू कर दी जाए। लेकिन यह काम राजी-खुशी होना चाहिए। इसमें जोर-जबरदस्ती बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके लिए सत्याग्रह भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह भी दवाव डालने का एक रास्ता है। धर्म से जुड़े हुए किसी भी मामले में गांधी जी किसी भी प्रकार के दवाव की सलाह नहीं दे सकते।

प्रश्न किया जा सकता है कि कोई हिन्दू राजी-खुशी अपना मन्दिर गिराकर मस्जिद क्यों लौटाएगा या कोई मुसलमान अपनी मस्जिद गिराकर मन्दिर क्यों लौटाएगा। वह जरूर लौटाएगा, अगर उससे आपने सचमुच दोस्ताना रिश्ता बनाया है। अगर दोस्ताना रिश्ता नहीं बनाया है, तो वह अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। अगर आपने संख्या-बल के आधार पर उसे झुका लिया, तो वह हमेशा के लिए आपका शत्रु हो जाएगा। जो हिन्दू बावरी मस्जिद के स्थान पर राम-जन्मभूमि मन्दिर बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य अगर सचमुच धार्मिक है, तो उन्हें उच्चकोटि की मनुष्यता का परिचय देना होगा और प्रत्येक मुसलमान के हृदय में इतनी जगह बनानी होगी कि वह खुद व-खुद कहने लग कि आप मन्दिर बना लीलिए। इसके अलावा जितने भी उपाय हैं, उनका सच्ची धार्मिकता से कुछ भी लेना-देना नहीं हो सकता।

भीड़-बल से मस्जिद तोड़कर या हटाकर मन्दिर बनाने की बात छोड़िए, बने-बनाए मन्दिरों में भी जहाँ हरिजनों का प्रवेश प्रतिबन्धित था, वहाँ हरिजनों का जबरदस्ती प्रवेश गांधी जी को पसन्द नहीं था। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार है। यदि कुछ व्यक्ति हरिजन को अपने मन्दिर में नहीं धुमने देना चाहते, तो हरिजन को उन व्यक्तियों के धार्मिक विश्वास का सम्मान करना चाहिए और भगवान् को दूर से ही नमस्कार करके लौट आना चाहिए। गांधी जी अस्पृश्यता के सख्त खिलाफ थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध जैसा अभियान उन्होंने चलाया, उसकी कोई सानी नहीं है। फिर भी धर्म के मामले में वे इतने मद्देनशील थे कि हरिजनों को जबरदस्ती मन्दिर प्रवेश की सलाह नहीं देते थे।

गांधी जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जिसे धार्मिक साधना के लिए मन्दिर जाने

की जरूरत पड़े। उनके लिए मन्दिर, मस्जिद और चर्च सब समान थे। उनका कहना था, “मन्दिर, मस्जिद या चर्च... ईश्वर के इन तीनों स्थानों में से कोई भेदभाव नहीं करता।” (यग इडिया, २८-८-१९२४) उनका राम भी वह राम नहीं था, जिसे मन्दिर या प्रसाद की जरूरत हो। गांधी जी अपने एक अद्भुत लेख “मोक्षदाता राम” (पहले पहल, भीपाल मे प्रकाशित साप्ताहिक, २९ अक्टूबर ६० के अंक मे उद्धृत) मे कहते हैं, “ये तो देहधारी राम ही नहीं हैं जो हमारे हृदय मे बसते हैं। ये राम देहधारी हो ही नहीं सकते। अंगूठे के समान छोटा-सा तो हमारा हृदय और उसमे भी समाए हुए राम देहधारी क्यों कर हो सकते हैं। किसी साल चैत्र की नवमी को उनका जन्म हुआ ही नहीं होगा। ये तो अजन्मा हैं। वह मानने का कोई कारण नहीं कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईश्वर के रूप मे या ईश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुष के रूप मे अवतार लेता है। ऐसे राम के लिए कोई किसी से कर्मे क्षमण जा सकता है।

गांधी जी स्वयं मूर्तिपूजक नहीं थे। लेकिन वे मूर्ति-पूजा का बुरा भी नहीं मानते थे। हाँ, मूर्ति-पूजा के इस उत्साह का समर्थन वे कदापि नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हजारों लोगों को जेल जाना पड़े, दर्जनों को अपनी जान गंवानी पड़े, बड़े पैमाने पर सामाजिक अशान्ति पैदा हो तथा राष्ट्र के टूटने का खतरा पैदा हो जाए।

धर्मनिरपेक्षतावादियों के एक बड़े आदर्श डॉ० लोहिया रहे हैं। वर्तमान सकट के बारे मे उनके निम्न विचारों को वे चिन्तावनी के रूप मे प्रस्तुत करते हैं—

डॉ० लोहिया ने लिखा है, “मैं भारतीय इतिहास का एक भी ऐसा काल नहीं जानता, जिसमे कट्टरपंथी हिन्दू धर्म भारत मे एकता या खुशहाली ला सका हो। जब भी भारत मे एकता या खुशहाली आई, तो हमेशा वर्ण, स्त्री, संपत्ति आदि के सम्बन्ध मे हिन्दू धर्म मे कट्टरपंथी जोश बढ़ने पर हमेशा देश सामाजिक और राजनीतिक दृष्टियों से टूटा है और भारतीय राष्ट्र मे, राज्य और समुदाय के रूप बिखराव आया है मैं नहीं कहना कि ऐसे सभी काल, जिनमे देश टूट-टूट कर छोटे-छोटे राज्यों मे बंट गया, कट्टरपंथी प्रभुता के काल थे, लेकिन हममे कोई शक नहीं कि देश मे एकता तभी आई, जब हिन्दू दिमाग पर उदार विचारों का प्रभाव था।

आगे डॉ० लोहिया लिखते हैं—“कट्टरपंथी हिन्दू अगर सफल हुए, तो चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, भारतीय राज्य के टुकड़े कर देंगे, न सिर्फ हिन्दू मुस्लिम मे, बल्कि वर्णों और प्रान्तों की दृष्टि से भी। केवल उदार हिन्दू ही राज्य को कायम करा सकते हैं। (हिन्दू धर्म मे उदारवाद और कट्टरवाद की) पाँच हजार वर्षों से अधिक की लड़ाई अब इस स्थिति मे आ गई है कि एक राजनीतिक समुदाय और राज्य के रूप मे हिन्दुस्तान के लोगों की हस्ती ही इस बात पर

निर्भर है कि हिन्दू धर्म में उदारता की कट्टरता पर जीत हो।”

डॉ० लोहिया ने भी हिन्दुओं से जबरदस्त अपील की कि वे अपने मुस्लिम भाइयों से रागात्मक एकता स्थापित करें।

धर्मनिरपेक्षतावाद के पक्षधर हिन्दुओं में अधिक तथा मुस्लिमों में (यदि अनुपात से भी देखा जाए तो) कम पाये जाते हैं। पूर्व मन्त्री और आरिफ मोहम्मद खा एक हैं। शाहबानो प्रकरण में उन्होंने खुलकर मुस्लिम कट्टरपथियों का विरोध किया था तथा मन्त्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस सम्बन्ध में उनका कहना है कि “(धर्म को कुर्सी तक पहुँचने का माध्यम बनाया जा रहा है)” लोकसभा में ७ नवम्बर को उन्होंने अपने विचार इस प्रकार रखे—

पिछले कुछ दिनों में अयोध्या विवाद को लेकर जो कुछ हुआ, उसके कारण आज का राजनैतिक संकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत और विश्वास के अनुसार एक निर्णय किया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने सिद्धान्त और विश्वास के आधार पर यह जानते हुए भी कि सरकार के अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मत्तान्तर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और परिणामस्वरूप आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। परन्तु जैसा प्रधानमन्त्री जी ने कहा है, हमारे मन में यह आशा नहीं है कि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सरकार बच जाएगी। बुनियादी उद्देश्य सरकार को बचाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय आदर्शों, विशेषकर धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को किस तरह बचाया जाए उसका उपाय खोजने के लिए हम लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च सस्था में आए हैं। महाभारत में आता है कि पाण्डवों और कौरवों की शिक्षा जब प्रारम्भ हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने पहला पाठ दिया ‘सत्यवद धर्ममचर।’ पाठ देने के बाद जब राजकुमारों को सबक सुनाने के लिए कहा गया तो युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने रटी हुई लाइन सुना दी। युधिष्ठिर बहुत दिनों तक गुरु की डाँट खाते रहे लेकिन पहला पाठ न सुना सके। अपने जीवन के अन्त में उन्होंने कहा कि गुरु ने पहले दिन जो पाठ दिया था, उसको याद करने में पूरा जीवन लग गया क्योंकि इस पाठ को पढ़ना, सोते की तरह रटना नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना और उसके अनुसार आचरण करना है। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न संकट का मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय मोर्चा ने इस मामले पर दृढ़ स्टैंड लिया है और सिद्धान्तों की रक्षा के लिए कुर्सी को कुर्बानी पर लगा दिया है। आदर्शों और सिद्धान्तों की रक्षा के इस संघर्ष में क्या वह उचित नहीं था कि वे मभी दल और व्यक्ति जो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, एकजुट होकर

इस सकट का सामना करते ? लेकिन जैसा मैंने कहा, हम आदर्शों की बात करते हैं, अपने आचरण में उन आदर्शों को उतार नहीं पाते और राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता का राग उमी तरह अलापते हैं जैसे कौरवों ने 'सत्यवद धर्ममन्वर' का पाठ तेजी से सुना दिया था।

मैं मानता हूँ, चाहे अयोध्या विवाद हो, दूसरी जगहों पर होनेवाले दगे हों, या इलाहाबाद हो, यह सब केवल लक्षण हैं, अलामत हैं, उस बीमारी के जिसे साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक राजनीति कहते हैं। लडाई लक्षण से नहीं होती। इलाज लक्षण का नहीं होता, बीमारी का होता है। अब प्रश्न है कि यह साम्प्रदायिकता कहाँ से पैदा होनी है साम्प्रदायिकता जन्म लेती है उस मानसिकता से जहाँ समान धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को राजनैतिक संगठन का आधार बनाया जाता है, जहाँ राजनैतिक महत्त्व-काक्षाओं को प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है, जहाँ धर्म या मजहब जो बुनियादी तौर पर खुदा या परमेश्वर तक पहुँचने का माध्यम है, उसे कुर्भी तक पहुँचने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या के सम्बन्ध में मेरा निश्चित मत है कि इस विवाद से जुड़े दोनों पक्षों में—यदि वे धर्म या मजहब का प्रतिनिधित्व करते हैं तो—उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे शान्तिपूर्ण वातावरण में बैठकर इस विवाद का कोई समाधान निकालें। इसलिए कि धर्म नाम है कष्टनाश, वेदना का, शान्ति का, दूसरे के अधिकार के प्रति सचेष्ट रहने का, अपने दायित्व को पूरा करने का। धार्मिक काम में हिंसा या तनाव का स्थान नहीं हो सकता। यदि इसी बात को दूसरी तरह कहा जाए तो जहाँ हिंसा और तनाव हो, वहाँ धर्म का मजहब नहीं हो सकता। भारत की धार्मिक परम्परा यही है। डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ विभिन्न धर्मों, सस्कृतियों, भाषाओं इत्यादि का सम्मिश्रण हुआ है और उनके नजदीक आने और सह-अस्तित्व के सफल अनुभव से हम पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे। पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे कि विभिन्नता, टकराव या कमजोरी का नहीं बल्कि समन्वय और एकता का माध्यम बन सकती है। लेकिन आज इस प्रयोग, इस दर्शन, इस आदर्श के सामने गम्भीर चुनौती है जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपना जीवन बलिदान किया, जिसके लिए प० नेहरू ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने अनेको त्याग किए।

श्रीमान, मजहब क्या है ?

दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इनसान को

बर्ना ताअत के लिए कुछ कम न ये करोंबर्दा

मजहब वास्तव में यही दर्ददिल है, सिर्फ किसी खास तरीके से इबादन का

पूजा-पाठ का नाम नहीं है। जिसको हम सर्व शक्तिमान कहते हैं, सर्व व्यापी कहते हैं, रज्जुल आलमीन कहते हैं, उसमें यह ताकत भी है कि वह हम सबको एक जैसा बना देता या हमारी सोच एक जैसी बना देता। यह उसकी ताकत से बाहर नहीं था। लेकिन जो उमने नहीं किया, वह हम करना चाहते हैं, यह सोच हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। भारत का प्राचीन धार्मिक दर्शन क्या है? एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति:। सच्चिदाई एक है, हक एक है लेकिन जाननेवाले उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। हमारी प्राचीन परम्परा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परम्परा है। सम्पूर्ण जगत जो अनेक विविधताओं और विभिन्नताओं से भरा हुआ है, उसके लिए परिवार की भावना रखने का उपदेश हमारी प्राचीन परम्पराएँ देती हैं। श्री अरविन्द ने अपने एक भाषण में कहा था कि विष्णु का जितना अंश एक हिन्दू के अन्दर है, उतना ही एक मुसलमान में है, सिख में है, ईसाई में है, बल्कि किसी भी जीव में है। भारतीय धार्मिक मान्यता समन्वय की मान्यता है, अलगव की नहीं। मन्दिर या मस्जिद द्वादत के लिए हैं, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए हैं और उनसे भी बढ़कर जिस परमेश्वर या छुदा के सामने सर झुकाते हैं, उनके बन्दों का दर्द दिल में जगाने के लिए है।

अगर हम बात करते हैं दशरथनन्दन श्रीराम की, तुलसी, कबीर, और गाँधी के राम की, उन श्रीराम को जिन्हें अल्लामा इकबाल ने 'इमाने-हिन्द' कहकर पुकारा है तो वह तो घट-घट में बसते हैं। वह श्रीराम तो मर्यादा पुण्योत्तम थे। मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने न केवल सिंहासन छोड़ दिया बल्कि माँ-बाप, प्रजा और अयोध्या को भी छोड़कर चले गए थे। आज उनके नाम पर जो आन्दोलन चलाया जा रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन उनमें मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा के सामने गम्भीर प्रश्न-चिह्न लग गए हैं। सरकार कितनी की भी हो लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद क्या यह मेरा राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि मैं संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करूँ? क्या सरकार में रहते हुए यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं न्यायपालिका के किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करूँ। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करके यदि उसकी अवहेलना की जाए तो क्या यह संवैधानिक मर्यादा की रक्षा होगी या उसका उल्लंघन होगा? सरकार न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन करके क्या राष्ट्रीय मर्यादा की रक्षा करेगी या उस मर्यादा को तोड़ने की दोषी होगी? आपने इलाहाबाद के बारे में पूछा था—बहन मायावती ने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध किया। यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैंने पर्सनल लॉ का विरोध नहीं किया बल्कि उस भाषा और प्रवृत्ति का विरोध किया जिससे संविधान और न्यायपालिका की अवमानना

होती थी। जब यह भाषा उस सम्प्रदाय के लोगों ने बोली जिससे मेरा भी सम्बन्ध है, मैंने तब विरोध किया। आज अगर हमारे दूसरे भाई यह भाषा बोलते हैं तो उसका भी विरोध करना पड़ेगा। हमारी भाषा या भाषण यदि ऐसे हैं जिससे न्यायालय, या सविधान की अवमानना होती है तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, खास तौर से माननीय सदस्य श्री लोडा जी ने शाहदानो केस के बारे में कहा है। माननीय लोडा जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे देश के प्रमुख न्यायविदों में हैं, वह इस बात से सहमत होंगे कि ससद को यह अधिकार है कि वह ऐसा कोई कानून पास कर दे जिसमें अदालत द्वारा दिया गया निर्णय निष्प्रभावी हो जाए।

आप अदालती फैसले को बेअसर करने के लिए संसद में कोई भी कदम निश्चिन्त रूप से उठा सकते हैं। लेकिन फैसला आने से पहले ही यदि मैं चिल्लाता रहूँ कि मैं न्यायालय का फैसला नहीं मानूँगा तो यह न्यायालय, कानून और संविधान की मानहानि होगी।

लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि आपकी नीयत न्यायालय या सविधान की अवमानना करने की है। मैं यह आरोप किसी माननीय सदस्य या दल के ऊपर नहीं लगा सकता। हो सकता है कि धार्मिक श्रद्धा से विह्वल होकर आपने ऐसी बात कही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ठण्डे मन से इन सभी बातों को सोचेंगे तो इस सन्दर्भ में प्रयोग की जानेवाली भाषा, शैली तथा सरकार से आपकी अपेक्षा—इन सब पर अवश्य ही पुनर्विचार करेंगे।

श्रीमन, जैसा मैंने पहले कहा, समस्या तब पैदा होती है जब राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति या राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जाता है बरना बुनियादी तौर पर मजहब या धर्म तो प्यार-मोहब्बत का रास्ता दिखाने के लिए है। श्रीमन, तृतीये-हिन्द अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े मुरीद थे। इसी दिल्ली में महरोली के पास अपने साधियों के साथ जा रहे थे। सामने से गाँव वालों का एक जुलूस नजर आया जो देवी के मन्दिर जा रहा था। जुलूस के साथ बाजा था और कुछ लोग मस्त होकर नाच रहे थे। इन लोगों की श्रद्धा देखकर हजरत अमीर खुसरो से रुकान गया और वह भी नाचते-गाते हुए इस शोभायात्रा के साथ मन्दिर तक गए। जब वहाँ से लौटे तो साधियों ने कहा कि हजरत, यह बुतपरस्तों का जुलूस था, क्या आपके लिए हममें सम्मिलित होना उचित था? हजरत अमीर खुसरो ने कहा—

हर कौम रास्ता राहे, हम दीन किवला गाहे।

मन किवला रास्त करदम बरतजं कज कलाहे।

अर्थात् हर कौम और हर दीन भीचे रास्ते पर सहभावस्था है जिसमें इन्सान वण-वण में खुदा के बजूद को महसूस करता है जहाँ उसका सांस लेना भी इबादत

हो जाती है। उसके बाद कहा है कि यदि तुम्हारे लिए यह सम्भव नहीं हो तो ध्यान-धारणा के माध्यम से पूजा करो। वह भी न हो सके तो तीसरे दर्जे पर प्रतिभा पूजा है और यदि वह भी तुम्हारी श्रद्धा और भावना को न जगा सके तो फिर होम यात्रा अपनाओ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय धार्मिक दर्शन, धार्मिक मान्यताओं में विविधता का प्रावधान है, धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करने के तरीकों में विभिन्नता को मान्यता दी गई है। उसे लड़ाई का कारण नहीं बनाया जा सकता—यही अपने देश के धार्मिक दर्शन का सार है।

हम यदि धर्म का मर्म समझने का प्रयास करें और राजनीति के बाजार में धार्मिक भावनाओं के मोल-तोल को रोक दें तो फिर शायद अयोध्या जैसा विवाद का समाधान ढूँढने में आसानी हो जाएगी और वह समाधान प्रतिस्पर्धा की भावना के माध्य नहीं बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं के आदर, सह-अस्तित्व और माझी विरासत के आधार को मजबूत करने वाला होगा।

पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के साथ हमारा सीटों का तालमेल था। राष्ट्रीय मोर्चे का अपना चुनाव घोषणापत्र था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के घोषणापत्र अलग-अलग थे। कई मामले ऐसे थे जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा, भाजपा और वामपंथी दलों के घोषणापत्रों में समानता थी लेकिन कई मुद्दों पर हमारे मनो में अन्तर था। स्टैंड पॉइंट अलग थे। श्रीमन, मुझे याद है इसी माननीय सदन में कश्मीर सम्बन्धी चर्चा में जब विपक्ष की ओर से पूछा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा और भाजपा का स्टैंड क्या है तो माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि संविधान की धारा ३७० के सन्दर्भ में राष्ट्रीय मोर्चे और भाजपा के बीच मतान्तर चुनाव के बीच भी था जब भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का निर्णय किया और आज भाजपा यह अपेक्षा नहीं करती कि राष्ट्रीय मोर्चा भाजपा के स्टैंड को स्वीकार कर लेगा। श्रीमन, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि जिस तरह कश्मीर पर हमारे बीच मतान्तर था, उसी तरह अयोध्या विवाद पर भी था। यह मतान्तर बुनियादी तौर पर यह है कि सर्वैधानिक मर्यादा की रक्षा करना हम अपना दायित्व मानते हैं जिसका अर्थ यह है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने यह नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं, गलत है या दूसरा पक्ष गलत है। हमने केवल यह कहा कि या तो आप बातचीत से कोई समाधान निकाल लें और यदि यह न हो सके तो फिर जब तक मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब तक अन्तरिम आदेश को लागू करना हमारे सर्वैधानिक और नैतिक दायित्व होगा। कश्मीर के मामले पर जहाँ हजारों लोग विस्थापित होकर आ रहे थे, जहाँ देश की एकता और अखण्डता के लिए चुनौती थी, वहाँ आपने उदार दृष्टिकोण अपनाया और यह अपेक्षा नहीं रखी कि हम अपना स्टैंड

छोड़कर आपकी बात मान लें। लेकिन दूसरे मामले पर जहाँ कश्मीर की तरह हमारे-आपके बीच मतान्तर था, आपने हमारे ऊपर दबाव डाला कि हम आपकी बात मान लें—जिस तरह आप कह रहे हैं। वरना आप समर्थन वापस ले लेंगे।

श्रद्धा और अकीदत की भावना महत्वपूर्ण है। उमे किम तरह व्यक्त किया जाए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मन्दिर और मस्जिद उनी श्रद्धा को व्यक्त करने के स्थल हैं। यदि हम प्राचीन भारतीय धार्मिक दर्शन के अनुसार जाएँ और श्रीमन्, मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मेरी इन दर्शन में पूर्ण आस्था है, तो भारतीय धार्मिक दर्शन यह है कि धर्म एक है, पथ अलग-अलग हैं। यदि हम इस बुनियादी सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर देर में जिस सगुण परमेश्वर की पूजा होती है, मस्जिद में निर्गुण रूप में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। भारत का धार्मिक दर्शन यही है। भारतीय दर्शन यह नहीं कहता कि किमी खास तरीके से श्रद्धा व्यक्त करके ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उपनिषद् का एक श्लोक है—

उत्तम सहजावस्था, द्वितीय ध्यानधारणा।

तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुर्थ ॥

अर्थात् पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका।

श्रीमन्, मुझे आज खुशी है कि हमने राष्ट्रीय आदर्शों और कुर्सी के बीच आदर्शों की रक्षा का रास्ता चुना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम या हमारी राजनैतिक व्यवस्था के प्रति आस्था पर कोई सन्देह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबू नहीं तो कल, वह इस पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार करेगी और सोचेगी कि जो कुछ हुआ है, क्या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था। मैं कुछ और नहीं, केवल उनसे अपने स्टैण्ड पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ... (व्यवधान) • मैं वोट के लिए कठई नहीं कह रहा हूँ। सरकार बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बल्कि अपने राष्ट्रीय आदर्श और धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को बचाने की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, मैंने पहले ही वह दिया कि हमें यह खुशफहमी नहीं है कि सरकार बच जाएगी। हम यहाँ यह प्रस्ताव सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि सर्वधार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों और मान्यताओं के बचाव के लिए इस सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था के सामने लाए हैं। सरकार का गिरना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन हमारे सिद्धान्त, आदर्श और राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत बची रहे, इस पर यदि हम विचार कर सकें और इसके लिए मिलकर काम कर सकें तो यह वास्तविक उपलब्धि होगी। श्रीमन्, उर्दू का एक शेर है—

किस घड में कोई मकतल में गया,

वह शान सलामत रहती है।

यह जान तो जानी-जानी है,
इस जान का जाना खास नहीं ॥

थीमन, मैं मानना हूँ कि हमारी सरकार आज गिर जाएगी और सिद्धान्तों की रक्षा के लिए एक नहीं, दस सरकारें गिर जाएँ, उसका कोई महत्व नहीं। सरकार बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम अपने आदर्शों और सिद्धान्तों को बचाने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने बुनियादी आदर्शों को बचाने, धर्म-निरपेक्षता की रक्षा करने और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए हम अपने-आपको पूरी तरह समर्पित कर देंगे।

वामपथी और जनवादी बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षतावादियों की अगली पक्ति में लामबन्द है। विख्यात जनवादी कवि बाबा नागार्जुन का कहना है—

“भाजपा की रथयात्रा साम्प्रदायिकता का अश्वमेध घोड़ा है। उसमें धार्मिकता जरा-सी भी नहीं है। भाजपा ने अपनी रथयात्रा का जो भौगोलिक नक्शा तैयार किया है, उसे अगर आप गौर से देखेंगे, तो उसके भीतर देश के प्रमुख पूंजीपतियों और सेठों की पूंजी के विशाल पबंतों की शृंखलाएँ आपको नजर आएँगी। दरअसल भाजपा तो साम्प्रदायिकता की झील है। वह रथयात्रा के बहाने साम्प्रदायिकता की झग पैदा कर रही है।”

“इस सम्बन्ध में मैं बगला कथाकार मानिक बंदोपाध्याय की एक कहानी की चर्चा करना चाहूँगा। उसमें समाज के बड़े-बड़े बुद्धिजीवी एक जगह इकट्ठा होकर बड़ी-बड़ी समस्याओं पर बहस करते हैं। बीच बहस में एक आदमी आकर सयोजक से कहता है कि बाजार में शुद्ध सरसों के तेल की कीमत दो रुपये कम हो गई है। यह सुनते ही सभी बाजार की ओर दौड़ पड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि आम आदमी और खुद अयोध्या निवासियों को भी रथयात्रा, पथयात्रा से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सेठों के काले धन को लेकर साम्प्रदायिकता का काला घुआँ फैला रही है। वह साम्प्रदायिक राजनीति के घुएँ में आगामी चुनाव का भुट्टा सँक रही है।”

असल में लोगो में जो यह भ्रांति फैला दी गई है कि महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मन्दिर तोड़े थे, उसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है। के०एम० मुन्शी ने भी अपने उपन्यास 'सोमनाथ' में यही उल्टा-मीघा प्रचार किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सेठों को लूटने आया था। उस इलाके में प्रवेश करने के कई रास्ते थे। वह बड़ी नौकाओं पर लुटेरों के दल के साथ आया। उसे सूचना मिली थी कि वहाँ बड़े-बड़े मेठ हैं और उन्हें आतंकित करने से ढेर सारे सोने-हीरे, जवाहरात और अनेक सुन्दरियाँ मिलेंगी। सो वह लूटपात के छाल में आया था। उसी क्रम में उसे सोमनाथ के मन्दिर का पता चला। उसे जानकारी मिली कि भगवान की मूर्ति के पेट में ढेर सारे हीरे-जवाहरात और सोना है। पुराने

समय में देवताओं की मूर्तियों के पेट में जानबूझकर कीमती चीजें रखी जाती थीं ताकि वे वस्तुएँ सुरक्षित रहें। उस जमाने में भगवान की "मूर्ति ही 'लॉकर' थी। गजनबी ने बैंक के लॉकर की भाँति ही मन्दिर और मूर्ति तोड़े थे और सम्पत्तियाँ लूटी थीं। गजनबी आज फिर जिन्दा हो गया है। उसकी आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर गई है और आज वह लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को अपने कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी रख के लिए 'मौलाना मुलायम सिंह' की उपाधि विरोधकों से मिल चुकी है। उनके विचार में यह एक तरह से संतुलित धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी ऐसा स्थिति सापेक्ष दृष्टिकोण रखने वालों के विचार में मैंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता या किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की दकालत कभी नहीं की। मैंने हमेशा न्याय की बात की है। श्रीराम जन्मभूमि और वावरी मस्जिद के विवाद में मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। मैं लगातार एक ही बात दुहराता रहा हूँ कि इस मामले में अदालत का फैसला दोनों पक्षों को मानना चाहिए। यही न्यायपूर्ण रास्ता है। यही लोकतांत्रिक रास्ता है। एक और रास्ता है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर कोई समाधान निकाल लें।

विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि राम जन्मभूमि हिन्दुओं की आस्था से जुड़ी है, इसलिए यह स्थल अदालत के विचार अधिकार से परे है।

उस तरह की दलील देने वाले लोग दरअसल राम की मर्यादाओं को भी भूल गये हैं। जो लोग राम मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें याद करना चाहिए कि राम, मर्यादापुरुषोत्तम क्यों कहलाए। क्योंकि वे समस्त मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादा के पालन के लिए उन्हें अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा। क्या अब श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में ही सारी मर्यादाओं को तोड़कर मन्दिर का निर्माण किया जाएगा? कानून का उल्लंघन करनेवाले लोग मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते। मैं मन्दिर-निर्माण का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई गैरकानूनी काम नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुख नेता अदालत का फैसला मानने की बात कर रहे हैं। मेरी राय में विश्व हिन्दू परिषद को भी ऐसी ही घोषणा करनी चाहिए। अदालत के फैसले को मानने से इनकार करना लोकतंत्र के हित में नहीं है।

साम्प्रदायिकता तो कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकारों और प्रशासन की देन है। श्रीराम जन्मभूमि और वावरी मस्जिद के विवाद को कांग्रेस सरकारों ने ठीक से डील नहीं किया। कांग्रेस ने इसका हल ढूँढने की कोशिश नहीं की। १९८० में कांग्रेस सरकार की वापसी के बाद ही साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। इस

सनाय को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही हमारी सरकार इस समस्या का स्थायी और कानूनसम्मत हल निकालना चाहती है।

मेरी सरकार के दृढ़ रुख के कारण जनता दल से हिन्दू मतदाताओं के नाराज होने का खतरा बनाया जाता है।

कौन खुश होता है और कौन नाराज होता है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के हित में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैंने बोट की राजनीति कभी नहीं की। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में आया हूँ उसमें एक लाख ८२ हजार मतदाता हैं। इनमें सिर्फ ५ हजार मुसलमान हैं। इस क्षेत्र से मैं ५ बार जीत चुका हूँ। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद पर भी मेरी राय कोई नहीं है। सबसे पहले १६ मई १९८६ को इटावा में एक सभा में मैंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह इस्मानियत के लिए हैं। इनके नाम पर कत्लेआम होता है तो हमारी पार्टियों के कार्यकर्ता अपना खून बहाकर भी उसे रोकेंगे। हमने रामरथ रोकने की घोषणा की। कुछ लोगों ने हमारे कान्तिरथ पर हमला किया। रथ तोड़ दिया। चुनाव तो उसके बाद हुए। और हमारी जीत हुई। जनता साम्प्रदायिक नहीं है।

दरअमल यह धार्मिक विवाद है ही नहीं। इस आन्दोलन के पीछे सिर्फ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग नोट बटोरना चाहते हैं और कुछ लोग बोट की राजनीति कर रहे हैं। कोई हिन्दू मस्जिद गिराकर मन्दिर बनाने की बात नहीं कर सकता। मस्जिद गिराकर वननेवाला मन्दिर पवित्र हो ही नहीं सकता।

हम सद्भावना रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। हमारा मकसद दोनों सम्प्रदायों में सद्भावना, मित्रता और प्रेमभाव पैदा करना है। साम्प्रदायिकता तो वे फैला रहे हैं। हमारी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इससे साफ है कि लोग आपस में सद्भावना चाहते हैं। वे कृष्ण जन्मभूमि की बात भी करते हैं। हमसे ज्यादा कृष्ण को मानने वाला कौन हो सकता है। हम यदुवशी हैं। कृष्ण भी यदुवशी थे। कृष्ण के हितैषी हमसे उपादा वे कैसे हो गए ?

८. स्थिति सापेक्ष धर्मनिरपेक्षतावाद

धर्मनिरपेक्षतावादी कांग्रेस आज बहुसंख्यक हिन्दू समाज की अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण से जुड़ी भावनाओं के साथ हो गई लगती है। यह भाजपा की ही जीत है कि अब कांग्रेस को भी उसी की भाषा बोलनी पड़ रही है। अन्तर केवल इतना है कि कांग्रेस शिलान्यास स्थल पर मन्दिर का निर्माण बिना मस्जिद को तोड़े करना चाहती है और भाजपा मस्जिद को वहाँ से दूर स्थानान्तरित करने की माँग कर रही है।

“इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हिन्दुस्तान अपनी आपसी फूट के कारण बार-बार हारा और बिखरा, लेकिन हम समझते हैं कि लोग कोई और थे, जिन्होंने वे पुरानी देवकूफियाँ की। बीसवीं सदी में रहने वाले हम रोशनखयाल लोग मानते हैं कि इतिहास से हम इतना सीखा सबक ले चुके हैं कि जब हम उन गलतियों को दुहरा ही नहीं सकते, जो हमारे पुरखों ने एक अन्धेरे जमाने में की थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम वही हैं, जो हमारे पूर्वज थे। यदि उनकी दुम टेढ़ी थी, तो आज १९९० में सारी दुनिया की आँखों के सामने हमारी भी दुम टेढ़ी हो रही है। लेकिन हम इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कि अपनी आपसी फूट के कारण हिन्दुस्तान एक बार फिर बिखर रहा है। यदि हम मान भी रहे हैं, तो इस फूट का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं, और यह भूल रहे हैं कि हिन्दुस्तान के बिखरने के बाद यह प्रश्न वेमत्तलब हो जाएगा कि बिखराव के लिए ज्यादा दोषी कौन था।

जरा आसपास देखिए। पंजाब भारत के हाथ से जा रहा है। व्यास नदी के उस पार बन्दूकवालों का राज लगभग कायम हो गया है, और सरकारी मशीनरी तार-तार हो चुकी है। इतने हजार कत्ल पंजाब में हो चुके हैं, लेकिन न्यायालय में कोई मुकदमे नहीं चल रहे। स्कूलों में राष्ट्रगीत नहीं गाया जा सकता, और हिन्दी नहीं पढ़ाई जा सकती।

लेकिन जब दिल्ली के सिर के ऊपर यह सब चल रहा है, तब गंगा-यमुना वाले आर्यावर्त का ध्यान कहाँ है?

आर्यावर्त की सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि १५२८ में बाबर ने जिस मस्जिद को बनवाया था, उसका फँसला आज और अभी हो, क्योंकि यदि आज और अभी फँसला नहीं हुआ, तो शायद भगवान राम पराजित हो जाएंगे, और सन् १९९१ तक बाबर का राज सारे हिन्दुस्तान पर कायम हो जाएगा। यह कितना ग्लानिमय दृश्य है कि १५ अगस्त १९४७ को पहली बार मिला इम लम्बे चौड़े आजाद देश को हम अपनी नाक नहीं मानते, अपने अभूतपूर्व लोकतंत्र को हम इस पृथ्वी का सबसे दुर्लभ चमचमाता मन्दिर नहीं मानते, ४३ माल तक इस देश के एक और अखण्ड रहने को हम विश्व का आठवाँ आश्चर्य नहीं मानते, लेकिन १५२८ का एक भूला-विमरा मुकदमा जीतने के लिए हम राष्ट्रीय आन्दोलन की पौने दो सौ सालों की पुष्पाई को लुटाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि हम अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि १९९० की नई सयोगिता के लिए लड़ रहे हैं।

“आपको ऐसी कई कथाएँ याद होंगी कि जब हमलावर लाहौर आ गया, या पानीपत आ गया, तब भी दिल्ली के सुल्तान अपनी रगरेलियों में व्यस्त रहे। दिल्लीवालों को अपनी दिल्ली सोनीपत और गुडगाँव से भी हमेशा बहुत दूर लगती रही है। ऐसा अब भी हो रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री को अपना समय कश्मीर और पंजाब और असम और तमिलनाडु के लिए देना चाहिए, तब आर्यावर्त का फूटपरस्त समाज अयोध्या को समस्या नम्बर एक बनने पर अमादा है। लेकिन यदि लालकृष्ण आडवाणी ने देश को अयोध्या-केन्द्रित और वि० प्र० सिंह ने उसे जाति-केन्द्रित कर दिया, तो आर्यावर्त के इस सुन्न करने वाले हंगामे में हमें पता ही नहीं चलेगा कि भारत के अन्य राज्य कब हमसे कट कर अलग हो गए। यदि हम अपने आसको लकवा प्रसून कर लेंगे, तो माजूम ही नहीं होगा कि पड़ोस के कमरों में कौन आया था, जो घर का सारा सामान उठा ले गया।

“आडवाणी कहते हैं कि उनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं, नकली धर्मनिरपेक्षों से है। अर्थात् उन हिन्दुओं से है, जो अपने हिन्दू होने को हिंकारत से देखते हैं, और मुसलमानों की हर भोड़ पर ‘तुष्टि’ करते हैं। इस बहस को फिलहाल छोड़िए। लेकिन हमारा कहना यह है कि लालकृष्ण आडवाणी जिन हवाओं का विमोचन कर रहे हैं, उनके चलते भविष्य में खतरा यह है कि हिन्दुओं के हाथों ही यह हिन्दुस्तान टूट जाए। यदि अयोध्यावाद और जातिवाद के कारण देश बँटा रहा, और केन्द्र सरकार को साँस लेने और होश में आने तक की फुसंत नहीं मिली, तो कश्मीर और पंजाब हम खो देंगे।”

“इसके बाद यदि हिन्दू-बहुल भारत के हिन्दुओं ने इस देश की अखण्डता के प्रति अपना संकल्प खो दिया, तो वह कौन-सी डोरी है जो असम या तमिलनाडु के हिन्दुओं को भारत से बाँध कर रख सकेगी? पंजाब को अलग होते देख असम क्यों नहीं अलग होना चाहेगा? और असम को अलग होते देख... ! इस प्रकार

अयोध्या में मन्दिर हमें मिल जाएगा, लेकिन हम सचमुच १५२८ में जा पहुँचेंगे । और यह सब हिन्दुओं के हाथों होगा, क्योंकि कश्मीर के अलावा मुसलमान अब कहीं भी क्या कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वे आर्यावर्त को भी लेबनान की तरह छलनी कर दें । एक स्थिर और आश्वस्त हिन्दू राष्ट्र जब आर्यावर्त की धरती पर भी कायम करना मुश्किल है, और लालकृष्ण आडवाणी जब कोई धर्म-राज्य सचमुच चाहते ही नहीं, तो फिर यह सारा बखेडा हो किस लिए रहा है ?”

“नकली धर्म निरपेक्ष लोग हिन्दुओं को हिकारत से न देखें, और मुस्लिम सुस्टिकरण न करें, यह भी आन्दोलन का एक वैध मुद्दा हो सकता है, जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का ओबीसीवाद आन्दोलन का एक वैध मुद्दा हो सकता है । लेकिन जरा इन मुद्दों को समूची तस्वीर के अन्दर रखकर देखिए ! तब लगेगा कि लोकतंत्र की मन्दी आँच में लम्बे समय तक जूझ कर उनका समाधान खोजा जा सकता है । सारे देश को जलाकर आज और अभी उनका समाधान कौन उचित मानेगा ? संयोगिता के खातिर लड़ाई लड़ना भी सम्बद्ध पक्षों को उन दिनों जीवन और मरण का ही प्रश्न लगा होगा । लेकिन यदि हमारी दृष्टि आज भी संयोगितायुगीन है, तो फिर हममें और हमारे पूर्वजों में फर्क क्या रहा ? इतिहास की भूलों ने हमें क्या सिखाया ?

“३० अक्टूबर को अयोध्या में बावरी मस्जिद पर फहराए गए भगवे झण्डे के बाद अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में कुछ भी न हुआ होता तो यह एक असामान्य घटना होती । भारत में कोई भी भैरठ, मुरादाबाद या अलीगढ़ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ा-सा भारत विरोधी आन्दोलन प्रेरित करता रहा है । जब बावरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद उग्र नहीं था, तब भी मिथ में हिन्दू मन्दिरों को तोड़ा जा रहा था और हिन्दुओं को पाकिस्तान में निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा था । इसी तरह बांग्लादेश में चक्रमा लोपो के खिलाफ खूनी संघर्ष छिडा हुआ था और चक्रमाओं को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था । अब तो खैर भारत में मुस्लिम अस्मिता पर सबसे बड़ा हमला हुआ है जिसे अगर नाकाम न किया गया होता तो मुस्लिम देशों में उठनेवाले भारत-विरोधी आन्दोलन को ठण्डा कराने का कोई नैतिक आधार इस भारतीय राष्ट्र-राज्य के पास न होता । सतोष की बात यह है कि समूची कश्मीर घाटी एक तरह से सना के हवाने है और पाकिस्तान अभी चुनावों के नये से नहीं उबरा है ।

“बांग्लादेश के चट्टगाँव, ढाका आदि कई शहरों में हिन्दू मन्दिरों पर हमले हुए हैं और हिन्दू सम्पत्ति को भीषण नुकसान पहुंचाया गया है । कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बनने के बाद हिन्दुओं पर वहाँ सबसे बड़ा हमला हुआ है । इसकी तार्किक परिणति यह हो सकती है कि बांग्लादेश से हिन्दुओं का पलायन शुरू हो-

जाए। १९६३ में मू-ए-मुबारक काण्ड के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और हिन्दुओं को निशाना बनाया गया था जिसके कारण हिन्दुओं का भारत आना शुरू हो गया था। बांग्लादेश बनने के दौरान भी हिन्दुओं के खिलाफ माहौल था और लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे।”

“लेकिन जरा भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रशासन की तुलना कीजिए। भारत में वावरी मस्जिद पर झण्डारोहण को लेकर (जो निश्चय ही क्षणिक था), एक आधुनिक भारतीय के मन में अपराधबोध है। प्रशासन द्वारा सख्ती से पूरे किए गए अपने दायित्व के कारण झण्डारोहण स्थायी न हो सका। इसे आम भारतीय ने एक बड़ी राहत की तरह महसूस किया है और यह स्थिति तमाम मुमलमानों और उनकी अस्मिता के स्मारकों को सुरक्षा का एक कवच उपनब्ध कराती है। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी यह कहा जा सकता है ‘राष्ट्रपति इरगद कह रहे हैं कि बांग्लादेश में साम्प्रदायिक दंगे बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे। लेकिन उनकी पुलिस ११ हिन्दू मन्दिरों के तोड़े जानों को टुकुर-टुकुर देखती रहती है।”

इस स्थिति सापेक्ष धर्मनिरपेक्षतावाद की दृष्टि में श्री वि० प्र० सिंह की तथा कथित धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

“यह सम्भव है कि भारतीय जनता पार्टी उस हद तक आगे नहीं जाना चाहती थी, और ३० अक्टूबर की ओर उसे धकेलने वाले अगली मोहम्मद अली जिन्ना का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह ही है। अटलबिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि वि० प्र० सिंह ने भाजपा को आश्वासन दिया था कि वे ऐसा कोई रास्ता खोजने से सहायत हैं, जिससे आडवाणी की नाक भी रह जाए और वावरी मस्जिद भी न टूटे, और सबको कुछ महीनों की मुहलत मिल जाए। अटलबिहारी के अनुसार वि० प्र० सिंह तैयार थे कि ३० अक्टूबर को कोई छोटा-सा जश्न अयोध्या पहुँच जाए और आडवाणी के नेतृत्व में एक प्रतीकात्मक कारसेवा शिलान्यास-स्थल पर हो जाए, और अगला तूफान अगली तारीख तक टल जाए।”

“जब आडवाणी दिवाली पर दिल्ली रुके, तब कई फार्मूले हवा में घूम रहे थे। वे क्या थे? लगता है कि जिस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने वावरी मस्जिद और उसके आसपास की सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण किया, उसका मसौदा लालकृष्ण आडवाणी को बताया गया था, और उस पर उन्होंने अपने हाथों से सशोधन सुझाए थे। इस अध्यादेश का मन्दिर वाली ने सीमित स्वागत किया था। उसके तीन सूत्र थे। जमीन का राष्ट्रीयकरण, विवादहीन जमीन को मन्दिर के लिए उपलब्ध करना, और झगड़े की जमीन पर अदालत के फैसले का इन्तजार करना। क्या भाजपा सहमत थी कि यदि इस वार ३० अक्टूबर को प्रतीकात्मक

कार सेवा हो जाने दी जाए, तो वह विश्व हिन्दू परिषद को इन तीन सूत्रों के लिए मना लेगी ? लेकिन कारमेवा तभी हो सकती थी जब शिलान्यास की जमीन को विवादहीन माना जाए, जैसा कि राजीव गाँधी ने पिछले साल माना था, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी इस माल संमद में दुहराया था। जिसे वि० प्र० सिंह सरकार स्वयं विवादहीन बता चुकी थी उसे ३० अक्टूबर पास आते ही विवाद-ग्रस्त घोषित करके उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना, और उसे राष्ट्रीयकरण से मुक्त करने के वाद भी विवादग्रस्त मानना, इस सबके पीछे कौन सी दूरगामी समझ अथवा योजना थी ?”

“विश्वनाथ प्रनाथ सिंह को अपनी कुर्मी की ज्यादा परवाह नहीं है, यह तो सही है। वे लम्बे समय की राजनीति शायद तब से कर रहे हैं, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसलिए यह सम्भव है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि राम रघुयात्रा को रोकना आड़वाणी के लिए असम्भव हो जाए, और फिर जब वे सरकार से समर्थन वापस ले लें, तो देश से कहा जाए कि आज ऐतिहासिक सवाल यह खड़ा हुआ है कि हम धर्मराज्य बनाने वाले हैं या सहिष्णु राज। बताओ राजीव गाँधी, तुम किसके साथ हो ? बताओ अखबार वालो, तुम किसके साथ हो ? और जो धर्मराज्य का साथ देगा, उससे काला और कौन हो सकता है।”

“दो प्रमाण इस तर्क के पक्ष में और हैं। चन्द्रशेखर ने जब भारतीय जनता पार्टी को समझा कर रास्ता छोड़ना चाहा, और राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की एक उप समिति में जब आड़वाणी और बाजपेयी ने एक ऐसे मसौदे पर कोई एतराज नहीं किया, जिसमें लिखा था कि मसला अदालत से तय कर लिया जाए तो वि० प्र० सिंह की महान सरकार ने क्या किया ? उसने खबर तुरन्त लीक कर दी, ताकि भाजपा कहीं सचमुच नहीं रास्ते पर न आ जाए ! खबर छपी तो दोनों नेताओं को तुरन्त अपनी घोषित पटरी पर लौटना पड़ा।”

“महन्त अर्बुदनाथ आदि ने गिछले माल एक समझौता केन्द्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री नारायण दत्त के साथ किया था, जिसमें लिखा था कि शिलान्यास के अलावा हम अदालत के फैसले का इन्तजार करने को तैयार हैं। जब ३० अक्टूबर पास आई तो अखबारों में इस समझौते को विज्ञापन के रूप में छपा गया। लेकिन माल भर तक इस समझौते के इस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए विश्व हिन्दू परिषद में बातचीत शुरू क्यो नहीं की गई ? कारण यह तो था कि बूटा सिंह और त्रिवागी के किमी नेक काम को भी यह सरकार हाथ नहीं लगाना चाहती थी, अथवा कारण यह था कि सरकार को इस समझौते की जानकारी ही नहीं थी। अगर दूसरी बात सही है तो कितनी माशा अल्लाह हमारी सरकार है।”

“इन सब कारणों से हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को १६ अगस्त

१९४६ के कोने में धकेलने की जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह की है। वि० प्र० सिंह एक ऐसे नाटककार हैं, जो अपने पात्रों के हर सोए हुए अन्तर्विरोध को जगा कर, और उसे एक खन्जर में बदल कर ही कथानक को आगे बढ़ाते हैं। मसलन वे राजीव गांधी से पूछेंगे कि बताओ कांग्रेस पंजाब में विधान सभा चुनाव चाहती है या नहीं? अगर वे कह दें कि नहीं, तो पंजाब की नाराज़ी का ठोकरा राजीव के सिर फूटेगा, और सविधान-संशोधन में कांग्रेस के बोट बैठे-बिठाए मिल जाएंगे। अगर वे कह दें हाँ, तो चुनाव के खून खर्चर की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी और केन्द्र सरकार मासूमियत से कह देगी कि हम बग करे, कांग्रेस ने सविधान संशोधन ही नहीं होने दिया।”

कुल मिलाकर यह हिन्दी फिल्म के पटकथा लेखक का तरीका है, जिम्मे विलेन किमी पात्र की कनपटी पर पिस्तौल ताने खड़ा है, और मामले एक माँ है, जिसे चुनाव करना है कि वह बेटे की जिन्दगी को महत्व दे, या उन उमूलों को, जिनके लिए उसने फिल्म भर संघर्ष किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजनीति में क्या किसी सकट को इन कनपटी पर पिस्तौल वाले हाहाकार क्षण तक आने देना चाहिए? जैसा कि आर० के० लक्ष्मण ने एक कार्टून में बताया है, देश की जनता को उन्होंने आरक्षण और धर्मराज्य के चीने पर चड़ा दिया है, और खुद झाड़ी में खड़े देख रहे हैं कि देखें, अब यह किसे नीचे उतरनी है।”

लेकिन हम यह याद दिलाना चाहेंगे कि देश विश्वनाथ प्रताप सिंह का नहीं है। वह विश्व हिन्दू परिषद का भी नहीं है। वह राजीव गांधी या चन्द्रशेखर या देवीलाल का भी नहीं है। इसलिए नाटककार की पटकथा, किमी भी हो, पात्रों को कोई भी खेल इतना आगे बढ़ कर नहीं खेलना चाहिए कि देश की किस्मत ही दाँव पर लग जाए। इन्दिरा गांधी की पटकथा यदि भिड़रावाले को एक हृद तक मौका देती थी, इसका मतलब यह नहीं होता कि सारे भिन्न उप्रवादी खानिस्तान की माँग करने लगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कारमेवको को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि १९६० को १९४६ की तरह याद रखा जाने लगे। जिम्मेदार कौन था, और किस हृद तक था, इसमें हमें क्या फायदा होगा, यदि नतीजा यह हो कि महज एक जिद के खानिर, जिससे पीछे हटने के रास्ते भाजपा भी तनाशनी रही है, यह सारा हिन्दुस्तान ही विखर जाए और मिट्टी हो जाए।

जैसा कि हम कई महीनों पहले लिख चुके हैं १९४७ के बाद में जो राष्ट्र-राज्य हमारे बीच खड़ा है, वह हमारे इतिहास का सबसे अद्भुत मन्दिर है। इससे ज्यादा शानदार चीज तो हमने गौतम बुद्ध से आज तक रची ही नहीं। अब जनता दल चाहता है कि इस मन्दिर की नींव बदली जाए, और समानता पर आधारित एक नया-सा मन्दिर यहाँ बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस-

मन्दिर के खम्भे बदले जाए, और हिन्दुत्व से प्रेरणा लेने वाले स्तम्भों पर इस मन्दिर को टिकाया जाए। हमारा निवेदन यह है कि भारत के इतिहास का यह पहला और एकमात्र मन्दिर खण्डहर में बदल गया, तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भागत की जनता में यह प्रतिभा है कि इस किस्म का दूसरा मन्दिर वह खुद व खुद बना लेगी। यदि यह मन्दिर खण्डहर बन गया, तो अयोध्या के मन्दिर को लेकर क्या भाजपा चाटेगी ?

“भाजपा के लिए सोचने का मौका है। जन्मभूमि आन्दोलन के बाद देश के विभिन्न भागों में फैली हिंसा कैसे रहे। सरकार तो अपना काम करेगी ही, पर भाजपा के लिए मोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हिंसा सीधे-सीधे आन्दोलन के बाद हुई प्रतिक्रिया में जुड़ी है जिसमें पार्टियों को यश नहीं मिल रहा। अब तक उ०प्र०, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाडु में नई बड़ो लोग मर चुके हैं। जब आडवाणी रथयात्रा शुरू कर रहे थे तभी आशंका व्यक्त की गई थी कि इनमें मामूली तनाव फैल सकता है। आडवाणी और उनके साथी इनका इनकार करते रहे। और बाद के दिनों में प्रमाणबद्ध रूप में भी कहते रहे कि देखिए, जहाँ-जहाँ ने यात्रा गुजरी है वहाँ वही भी कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा तो कोई नहीं कह रहा था कि जहाँ ने यात्रा निकलती जाएगी, पीछे लाखों बिछा देने वाली तलवारों और तमचों में लैन होकर लोग मड़कों पर निकल आएंगे। वान तो उन माहौल की होती है जिनमें हिंसा किनी शीघ्रता की तरह नीके की तलाश में टिपी बैठ जाती है। जयपुर और दूसरे शहरों में वह गिरफ्तारों के बाद प्रकट हो गई। चूंकि हिंसा का सम्बन्ध तनाव भरे माहौल में होता है इसलिए पहले करनैलगज में हुए भयानक मामूली तनाव की भी उन्नी दातावरण की पैदाइश माना जाएगा जो रथयात्रा जैसे कार्यक्रमों की घोषणा मात्र में ही जनता शुरू हो जाता है। अलीगढ़, हैदराबाद, कानपुर इन्नी की पैदाइश है।”

‘तो अब भाजपा क्या करेगी ? गांधीजी में बड़ा अहिंसा दर्शन तो भाजपा का ही नहीं सकता और न ही उनका मन्दिर कार्यक्रम आजादी के आन्दोलन में बड़ा मिशन माना जा सकता है। गांधीजी ऐसे मौकों पर जो करते थे वही भाजपा के लिए आदर्श हो सकता है। नफूलता के शिखर पर पहुँचना चाह रहे किनी कार्यक्रम को गांधी तत्काल वापस ले लिया करते थे जिनमें अगर हिंसा का प्रवेश हो जाया करता था। भाजपा को नाज है कि आजादी के बाद पहली बार किनी कार्यक्रम के साथ इतना विराट जनसमूह आ जुड़ा है। अगर यह सच है तो भाजपा का दावेदार भी उन्नी मात्रा में बढ़ जाता है। हिंसा के उन नंगे नाच के बाद पार्टियों का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने समर्थकों व प्रधनकों के नाम एक चेतावनी जारी करे कि तत्काल हिंसा न रकी तो मन्दिर आन्दोलन वापस ले लिया जाएगा और न रके तो वापस ले ही लिया जाना चाहिए। उनका जरूरी कर्ष नहीं कि

भाजपा के लोग ही हिंसा कर रहे हैं। पर आज पहली जिम्मेदारी तो इसी पार्टी की बनती है। वैसे भी इस आन्दोलन से भाजपा को मनचाही राजनीतिक पूंजी मिल चुकी है, हालांकि अपयश भी कम नहीं मिला है। पर अगर हिंसा बदस्तूर जारी रही और भाजपा चुप रही तो इसका पूंजी का ग्राफ नीचे और अपयश का ग्राफ ही ऊपर जाएगा।

“मन् १९६६ तक जो जन्मभूमि-विवाद हिन्दुओं के लिए एक हाशिए का मुद्दा था, वह आज यदि एक केन्द्रीय मुद्दा बन चुका है, तो एक माने में यह विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। बाढ़ के कारण जल-स्तर को ऊँचा उठाने में उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन यह बाढ़ इतनी प्रलयंकर नहीं है कि आडवाणी या अशोक सिंघल को ही भारत के हिन्दुओं का एकमात्र प्रवक्ता मान लिया जाए। यदि हिन्दू-मुस्लिम गृहयुद्ध शुरू हो जाए तो नरमहार के ध्रुवीकरण के कारण आडवाणी हिन्दुओं के एकमात्र प्रवक्ता बन सकते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा, तब देश के देवनालीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वह भारतमाता जीविन नहीं बचेगी, जो भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद की ही नहीं, बल्कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू की भी भारतमाता है। स्वयं सालकृष्ण आडवाणी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या में मन्दिर तो बन जाए, लेकिन दिल्ली का वह मन्दिर ध्वस्त हो जाए, जो हजागे मालों के बाद आज हमारे सामने है। मुस्लिम वोट विश्वास जीतने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, उनसे 'मुस्लिम पुष्टिकरण' हुआ है, और मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है, यह मानने का आडवाणी जी को अधिकार है। लेकिन वे भी स्वीकार करेंगे कि मुस्लिम अविश्वास और भ्रमुरक्षा को हृद से ज्यादा बढ़ने देना खतरनाक है और मुस्लिम विश्वास प्राप्त करने की जरूरत स्वयं भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसलिए जन्मभूमि आन्दोलन का लक्ष्य राम मन्दिर बनाना हो सकता है, लेकिन मुस्लिम संवेदनाओं पर स्टीमरोलर चलाना उसका लक्ष्य नहीं हो सकता।”

“इस पृष्ठभूमि में क्या आम राय उभरती है? एक तो यह जाहिर है कि हिन्दू जन्मभूमि पर एक राम मन्दिर चाहते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को नष्ट भ्रष्ट करके वही एक मन्दिर बनाया जाए, क्या यह इस देश की हिन्दू सर्वानुमति है?”

“जन्मभूमि पर मन्दिर होना चाहिए, यह कामना इस विश्वास पर आधारित है कि बाबर के सेनापति मोर बाँकी ने जहाँ एक मस्जिद बनवाई, वहाँ पहले एक राम जन्मभूमि मन्दिर मौजूद था। यह विश्वास चाहे गलत हो, और इतिहास के अकाट्य प्रमाणों में चाहे वह साबित नहीं किया जा सके, लेकिन डेढ़ सौ सालों में जो विवाद अयोध्या में चल रहा है, वह इसी विश्वास पर आधारित है। हिन्दू

नहीं, बल्कि १९वीं सदी के मुसलमान और अंग्रेज लेखक भी प्रायः लिखते रहे हैं कि अयोध्या में एक जन्मभूमि मन्दिर था, जिसे मीर बाँकी ने नष्ट किया, हालाँकि वामपंथी इतिहासकारों का आजकल तर्क यह है कि १९वीं सदी के अंग्रेजों ने हिन्दू-मुस्लिम फूट पैदा करने के लिए इन किंवदंतियों को या तो जन्म दिया, या हवा दी, और मुसलमानों ने जो लिखा, वह अपनी बुतशिकन, मूर्तिभजन छवि को पुख्ता करने के उरसाह में लिखा। लेकिन जिस चीज को हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेज डेढ़ सौ साल से गढ़ते रहे हैं, इसके बारे में अब सन् १९६० में क्या किया जाए ?”

“मामला मुश्किल इसलिए भी हो गया कि १९३६ में वावरी मस्जिद का मस्जिद के रूप में कोई उपयोग मुसलमान नहीं कर रहे हैं। १९४६ से वावरी मस्जिद की इमारत के अन्दर राम की मूर्तियाँ स्थापित हैं। चालीस साल से भक्तजनों का आना जाना वहाँ चल रहा है। अर्थात् परित्यक्त इमारत में राम-मूर्तियाँ रख रखा कर हिन्दुओं ने उसे राम मन्दिर बना ही लिया है। ३७ साल किसी बाजू के दरवाजे से प्रवेश करके वहाँ राम की पूजा होती रही, लेकिन १९८६ में मजिस्ट्रेट ने अगला ताला खोला तबसे सामने का प्रवेश भी खुल गया है। इस ताजा इतिहास का अब क्या हो ? क्या १९३६ से पीछे जाकर इमारत को फिर एक सक्रिय और जीवित मस्जिद बन जाने दें ? क्या १९४६ से पीछे जाकर भगवान राम की जो मूर्तियाँ इमारत में स्थापित हैं, उन्हें हटवा दें ? ताकि वहाँ न मन्दिर रहे, न मस्जिद ? क्या १९८६ के पीछे जाकर आगे का ताला बन्द कर दें और बाजू से घुस कर राम-पूजा चलने दें ? या इस सबमें आगे जाएँ और जहाँ कुछ वेदगी हिन्दू मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ विश्व हिन्दू परिषद को एक नया राम मन्दिर बना लेने दें ? यह मन्दिर क्या वावरी मस्जिद की इमारत को छोड़ कर नहीं बन सकता ? बने तो क्या नाक कट जाएगी ? वावरी मस्जिद की हर ईंट और हर खम्भे को कहीं दूर ले जाकर क्या एक नयी वावरी मस्जिद बनाई जाए, और इस जगह नया राम मन्दिर बनने दिया जाए ? क्या इससे मुसलमानों की नाक कट जाएगी ?

“फिलहाल मामला टल जाए, और आज की सनातनी कम हो जाए, इस दृष्टि से कई लोगों की सलाह है कि अदालत के फैसले पर सब कुछ छोड़ दिया जाए। लेकिन यदि अदालत फैसला दे कि मस्जिद को पुनर्जीवित कर दिया जाए, और राममूर्तियाँ हटा दी जाएँ, तो क्या हिन्दुओं को इतने लम्बे आन्दोलनों के बाद स्वीकार्य होगा ? यदि वह फैसला दे कि वावरी मस्जिद को टूटने दिया जाए, तो मुसलमान इसे मान लेंगे ?

“दरअसल यह ऐसा मामला है, जिसे अदालतों के बजाय हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रामाणिक धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं को आपस में ही

निपटाना चाहिए। लेकिन यहाँ दो दिक्कतें हैं। एक तो हिन्दू और मुस्लिम मनो-वैज्ञानिक ग्रन्थियों की दिक्कत है। हिन्दुओं के पास ४३ माल से एक ऐसा हिन्दुस्तान है, जैसा पहले कभी नहीं रहा। इस कारण उन्हें उदार और आश्वस्त होना चाहिए, दीन और पराजित नहीं। लेकिन अगर आर०एस०एस० प्रभावित हिन्दू अपने पराजय बोध से उबर ही नहीं पा रहे, और वे इतिहास के सारे अतिक्रमणों का प्रतीकात्मक इलाज अयोध्या में खोज रहे हैं। वे इस बात में भी दुखी हैं कि जैसे समाज-रचना और राष्ट्रीयता की बहसों में ईसाई, मित्र या मुसलमान अपने धर्म की भूमिका की चर्चा सहजता से करते हैं, उम्मी महजना से भारत में हिन्दुत्व की भूमिका की चर्चा क्यों नहीं होनी? इसे साम्प्रदायिकता क्यों माना जाता है। दूसरी ओर भारत के मुसलमानों में भी पराजय बोध है। अपनी विजेता किबदन्ती के बाद यह पराजय बोध उन्हें अपनी खोन में लौटाना है। बावरी मस्जिद की जगह राम मन्दिर बन जाए, और हमेशा के लिए हिन्दू-मुस्लिम-चर्च खत्म हो जाए, तो अयोध्या की मस्जिद शायद बेकल छोड़ दे। लेकिन उन्हें भय है कि यह सिलसिला अनन्त है, और पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगा।

“इन हिन्दू और मुस्लिम ग्रन्थियों को लोकतान्त्रिक राजनीति कम नहीं करती, बल्कि बढ़ानी है और उनका इस्तेमाल करती है। यह हमारी दूसरी बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस दुर्गुण के बावजूद लोकतन्त्र में इतने फायदे हैं कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। लोकतन्त्र के दुर्गुणों को यदि हमें समझित रखना है, तो जाहिर है कि राजनीति से परे ऐसे सामाजिक नेता हमें चाहिए, जो राजनीति द्वारा तोड़े गए पुलों के विकल्प बन सकें और दरारों को जोड़ सकें।”

“लालकृष्ण आडवाणी और विपक्ष हिन्दू परिषद भी हिन्दू दिमाग की घुनावट को थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इसलिए उन्होंने भी मस्जिद की गिराने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मस्जिद को ईंट दर ईंट कहीं ले आया जाए और हिन्दुओं के खर्च से इमारत नई जगह खड़ी कर दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने हिन्दू साम्प्रदायिकता को इतने गर्म घरातल पर पहुँचाया है, क्या उनका कोई नियंत्रण अब अपने समर्थकों और कारसेवकों पर रह गया है? ३० अक्टूबर को कारसेवा शुरू करवाने में लालकृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल सफल हो गए। उन्होंने मुलायम सिंह के वायजूद जो करना था, करके दिखा दिया। क्या इस सफलता के बाद यह बहुत जरूरी नहीं हो गया है कि कारसेवा को जारी रखने का आह्वान रद्द कर दिया जाए? यह इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में आज कोई कारगर सरकार नहीं है और अगले कुछ महीनों तक एक कारगर सरकार उभर पाने की आशा भी नहीं है। एक सरकारविहीन देश पर हिन्दू जिद यदि हावी होना चाहेगी, तो इस देश में किस-किसमें के लोग काशिश करते

रहें कि देश प्रायः सरकार-विहीन ही रहे, ताकि सब अपनी-अपनी प्रायवेट जिद्दें पूरी कर सकें।" यदि इस देश के हिन्दू अपनी हिन्दू-बहुल सरकार का सम्मान नहीं करोगे और अपने ही बनाए हुए कायदे कानूनों की और संविधान की यो धजियाँ उड़ाएंगे, मानों किसी विदेशी आक्रान्त ने हमें तंग करने के लिए उन्हें बनाया है, तो बताइए कि और कोई इस सरकार और इस संविधान की क्यों इज्जत करेगा ?

"खास कर भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहेंगे कि उसके सभी लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं और अब मामले को ज्यादा तूल देकर वह भारत के आगामी बँटवारे का रास्ता ही साफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य दो थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर हिन्दू समाज को बोमियो जानिवादी खाँचों में बाँटना चाहा था, ताकि हिन्दू को एक करने का भाजपा का स्वप्न हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाजपा ने आरक्षण का जवाब आडवाणी के रामरथ से दिया। दूसरा लक्ष्य भाजपा का यह था कि जब आगामी चुनाव निकट आए, तब ऐसा कोई गर्म मुद्दा मौजूद हो, जो भाजपा के हिन्दुत्ववादी तैवर को अधिकतम वोट दिला सके। अतः यदि वि०प्र० सिंह आरक्षण के ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करते, तो भी भाजपा अपने हिन्दू ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कोई न कोई मौका देख कर करती ही। लेकिन आज जबकि भाजपा के दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, तब कारसेवा जारी रखने का अभियान वि०प्र० सिंह और उनकी जनता दल सरकार के शरीर पर तो कोई नया घात नहीं करता, लेकिन (कोई आड़ न होने के कारण) वह भारतमाता के शरीर पर अब सीधे और गहरे घाव करता है।

"दरअसल भाजपा का ऑपरेशन प्रतिशोध उसी समय पूरा हो गया, जब आडवाणी अपने रामरथ पर पूरे हिन्दुस्तान में घूम कर बिहार में गिरफ्तार हो गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह से सगर्भन वापस लेकर भाजपा ने जनता दल सरकार को एक लँगड़ी बतख बना दिया। यदि कोई कभी रह गई हो, तो वह ३० अक्टूबर की कारमेवा ने पूरी कर दी। अब तो कोई पार्टी ही शेष नहीं है, जिसने भाजपा बदला ले सके। इसलिए अब जो कारवाँई होगी, उसे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चीज इस कारवाँई से ढह रही है, उसका नाम भारतीय राष्ट्र-राज्य है।"

"हिन्दुओं को चिड़ा कर या नाराज करके भारत का राज नहीं चलाया जा सकता, यह ध्यान भाजपा को यदि रेखांकित करनी थी, तो वह उसने कर दिया है। लेकिन स्वयं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ जाए, तो भी वह भारत के मुसलमानों को जैन और आराम का माहौल दिए वगैर इस देश पर कैसे राज करेगी? जैसा कि हमने कभी लिखा था, भारत में किसी भी बड़े वर्ग का नाराज

करके यहाँ हुकूमत चल ही नहीं सकती। (यदि सारे गंजे लोग सरकार के दुश्मन हो जाएँ, तो वे भी यहाँ सरकार को असंभव बना सकते हैं।) जब ऐसा है, तो मुसलमानों को नाराज रख कर कैसे राज चल सकता है। और यदि एक बार हिन्दुओं ने इस अवधारणा पर मुहर लगा दी कि इस देश में राज्य, पुलिस, अदालत, संविधान आदि सब बेमतलब हैं और सिर्फ लाठी ही जायज है, तो मुस्लिम आतंकवाद को जन्म लेते यहाँ कितनी देर लगेगी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तब कितने लेबनान हमारे बीच होंगे? इस आगामी सभावना से निपटने के लिए भाजपा के पास कौन-सी दृष्टि है? जब बंगाल में गोरखों को नाराज करके ज्योति बसु काम नहीं चला पाए और असम में बोडो को नाराज करके प्रफुल्ल महत नहीं चला पाए हैं, तो भारत के हृदय-प्रदेशों में बसे मुसलमानों को दहशत में डाल कर भारत के हृदय का इन्तजाम कैसे किया जाएगा?

“लेकिन सब कुछ डूबा हुआ नहीं है। एक तरफ कारसेवकों की टोलियाँ हैं, तो दूसरी तरफ सेना और पुलिस हैं, जो एक खण्डहरनुमा मस्जिद की रक्षा में जुटी हैं। कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियाँ हैं, रामराव हैं करुणानिधि हैं, मुलायम सिंह यादव का जनता दल है, अर्थात् बहुसंख्य हिन्दू हैं, जो जानते हैं कि अन्ततः राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा मन्दिर है। यदि कोई हिन्दू राष्ट्र चाहें, तो यही हमारा हिन्दू राष्ट्र भी है, क्योंकि आखिर यह हिन्दुओं के बहिष्कार से बना राष्ट्र तो नहीं है। भाजपा के लोग नहीं पहचानते कि इससे अधिक हिन्दुत्व का आग्रह किया तो हम इसमें कम राष्ट्र रह जाएँगे।” दरअसल चालीस साल पहले यह पहचान पाना भी हिन्दू प्रतिभा का ही कमाल था कि इतना-इतना सशक्न राष्ट्र राज्य यदि हम बनाना चाहते हैं तो उसमें इतना-इतना हिन्दुत्व ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं।

“हमारा स्वतन्त्रता सपना मुहयतः गाँधी जी के नेतृत्व में लडा गया था, लेकिन तब भी अनेक तरह के भारत थे, जो आजादी के बाद अस्तित्व में आने के लिए मचल रहे थे। कम्युनिस्ट भारत था। समाजवादी भारत था। एक सामन्ती भारत भी था, जिसने अपने को स्वतन्त्रता सधर्प की लपटों से दूर रखने की भरमक कोशिश की। आजादी के ४३ साल बाद हम पाते हैं कि अनेक ऐसे भारत इतिहास के रोलर के नीचे दब कर लगभग अस्तित्वहीन हो चुके हैं। सामन्ती भारत (रियासतों) को तो आज लोकतान्त्रिक भारत ने पैदा होते ही खा लिया और कहीं तक नहीं हुई। कम्युनिस्ट और समाजवादी भारत एक-में चुके हैं और अब उन्होंने अपने को उस महासागर के हवाले कर दिया है जो सभी प्रकार के द्वीपों को शरण देते हुए भी अविचल तरंगित रह सकता है। बीच में एक स्वतन्त्र पार्टी का भारत भी उभरा था, पर उसने जल्द ही अपनी निरर्थकता को पहचान लिया। हिन्दू भारत के स्वप्न में जरूर कुछ ऐसी बात है कि वह न केवल नहीं मरता, बल्कि श्लथ भी नहीं होता और इतिहास के हर मोड़ पर हमसे बहम

करता हुआ उपस्थित हो जाता है। लालकृष्ण आडवाणी का रथ उसी स्वप्न में पुनरोदय है।

“लेकिन इस हिन्दू स्वप्न की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपना कोई ऐसा रूप नहीं बना पाया है जो व्यापक हिन्दू समाज को मजूर हो सके। इसलिए हम पाते हैं कि सोमनाथ के मन्दिर से आडवाणी का रथ आगे बढ़ता है, तो उससे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु का हिन्दू मन आलोडित नहीं होता। यह कुछ वैसी ही घटना है जैसे देवीलाल का गाँव सभी गाँव वालों को विचलित नहीं करता या मुलायम सिंह यादव का निज भाषा प्रेम दूसरों को अपनी भाषा से प्रेम करने की प्रेरणा नहीं दे पाता या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आरक्षण भारतीय समाज का एक खण्ड-स्वप्न बन कर रह जाता है। भाजपा को हिन्दू से प्रेम है, और वह हिन्दू को नये ढंग से परिभाषित भी करना चाहती है लेकिन यह परिभाषा कुछ इस तरह बनाई गई है कि वह हिन्दू समाज में ही उन्साह की अखिल भारतीय तरंगें नहीं पैदा कर पाती। भाजपा इस हद तक तो हमारी राजनीतिक सच्चाई है कि वह हमारे हिन्दू होने को उसी तरह रेखांकित करती है जिस तरह इसलाम मिश्र को और ईसाइयत यूरोप को, या साम्यवाद हाल तक सोवियत रूम को रेखांकित करता था, या अब भी चीन को करता है, लेकिन भाजपा इस हद तक एक मिथक भी है कि वह हिन्दू भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जिसके साथ हम आज तक परिचित नहीं रहे। आज से सौ साल पहले तक तो एक धर्मराष्ट्र तलवार के जोर पर बनाया जा सकता था और आज भी दुनिया में बहुत-से भूमिखण्ड हैं जहाँ इस तरह की कोशिशें सफल हुई हैं (मसलन ईरान, इस्त्राइल या पाकिस्तान), लेकिन जब तक भारत में लोकतान्त्रिक हवाएँ बह रही हैं और भारत को स्वाभाविक भारतीयता कायम है, तब तक भाजपा अपने घोषित उद्देश्यों के साथ एक नाराज और दुखी पार्टी के रूप में ही जीवित रह सकती है।

“श्री आडवाणी धर्म की राजनीति करने वालों पर बरसते हैं और ‘छद्म और विवृत’ धर्मनिरपेक्षतावादियों पर बरसते हैं। यानी जितना मुसलमानों पर बरसते हैं उतना ही हिन्दुओं पर भी बरसते हैं। वे कहते हैं कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी बीच में हट जाँएँ तो आज भी इस समस्या का समाधान संभव है। जाहिर है भाजपा का असली मधुपर्क हिन्दू बनाम मुसलमान नहीं, बल्कि हिन्दू बनाम हिन्दू है।” इसलिए जब आडवाणी कहते हैं कि यह मुद्दा बोट या चुनावी फायदे में ऊँचा तथा वही अधिक व्यापक तथा गम्भीर है, तो हमें उन पर यकीन करना चाहिए। लेकिन यकीन इस पर भी करना चाहिए कि जब तक हिन्दू का पूरा धर्मान्तरण नहीं हो जाता और वह सच्चे अर्थों में हिन्दू नहीं रह जाता, तब तक भाजपा गुस्सैल लोगों की पार्टी बनी रहेगी।

और इसीलिए यह मवाल भी उठता है कि जब तक भाजपा का गुस्सा देश के सभी हिन्दुओं का गुस्सा नहीं बन जाता, तब तक भाजपा को क्या इतना गुस्सा करने की छूट दी जा सकती है कि वह बेशकीमती ताना-बाना ही बिखर जाए कि जिसमें कोई भी खण्ड-स्वप्न अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आज स्वप्न है? विश्वनाथ प्रताप सिंह बिना पूरी सामाजिक राजनीतिक तैयारी किए अगर आरक्षण का आन्दोलन अचानक भीड़ में फेंक देते हैं, तो क्या आडवाणी भी अपना एक तीखा हिन्दू तीर लेकर एक ऐसे ही अभियान पर नहीं निकले हैं? उनके हिन्दू स्वप्न को अपनी उर्वर जमीन खोजने का पूरा हक है, लेकिन क्या उसे यह हक भी है कि वह उस खेत को ही चुनसा डाले जिनमें तरह-तरह के पौधे लहरा रहे हैं? वह भी ऐसे मौके पर, जब दूसरी कई आगें पहले से ही भभक रही हैं? और मरकार एक खोई हुई भ्रम की तरह लापना हो रही है।

“श्री आडवाणी को कम-से-कम अपने स्वप्न की खातिर ही अचूरे, अपर्याप्त भारत को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्हें हिन्दू राष्ट्र का स्वप्न देखने की छूट देता है। गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा, कानून-व्यवस्था के कवच में बचिन और लोकतांत्रिक उदारवाद के खून में मना हुआ भारत भिंसाए तानाशाही और अरा कतावादियों के और किसी के काम का नहीं हो सकता। चूँकि इतने बड़े और विविधना भरे देश में कोई तानाशाही चल नहीं सकती, अतः यहाँ अगर व्यवस्था चरभराती है, तो एकमात्र विकल्प अराजकता ही है। राम जन्म-भूमि अभियान के कारण यदि यह देश हिन्दू राष्ट्र तो बन नहीं पाए, लेकिन हिन्दू अराष्ट्र के अन्तर्गत अन्धकारमय अनीत की ओर हम लौट जाएँ तो अयोध्या में बने मन्दिर को लेकर आखिर हम क्या करेंगे। हम फिर दुहराना चाहेंगे कि जो भी हिन्दू मन्दिर इस देश में देखना चाहते हैं, वह हमारे बीच में है, और द्वारका के प्रागज्योतिषपुर तक वह एक राष्ट्र राज्य के रूप में फैला हुआ है। वह कगोड़ों मन्दिरों का एक मन्दिर है, जो पहली बार १९४७ के बाद होने लगी है। इस मन्दिर को यदि क्षति पहुँची तो किसी भी तीर्थ का कोई भी मन्दिर उसकी भरपाई हजारों मन्त्रों तक नहीं कर सकेगा। भाजपा को भी इस सचवाई का अहसास है। इसलिए हम पाते हैं कि कगार से छलाँग लगाने में पहले वह अक्सर शिक्षकता है, और चाहती है कि यदि हिन्दुत्वान नहीं रहा, और सिर्फ भाजपा की नाक रूढ़ गई, तो इस नाक का वह क्या करेगी? भाजपा को इस शिक्षक का भी सदुपयोग देश की राजनीति में होना चाहिए।

“आडवाणी के रथ को मिले समर्थन का इशारा यही है कि उन्हें सिर्फ भाजपा के वोटरो का नहीं, हिन्दू जनता का समर्थन मिल रहा है। इतने विराट समर्थन के बाद खुद आडवाणी के पाम मन्दिर निर्माण शुरू करने या उत्तर प्रदेश सरकार से टकराने के अलावा तीसरा विकल्प नहीं बचा क्योंकि तीसरा विकल्प भाजपा की

आत्महत्या ही हो सकता है।

आखिर दोनों समुदायों को रहना ही इसी देश में एक साथ है। हिन्दुओं की भावनाओं को रौंदकर देश को सामान्य बनाए रखना उतना ही मुश्किल है जैसे देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को अपमानित कर यहाँ शान्ति बनाए रखना सम्भव नहीं। इसलिए अब पराजय की भावना से ऊपर उठकर आज सोचा जाना चाहिए कि ऐसा कैसे हो कि मन्दिर भी बन जाए और मस्जिद के सम्मान की भी रक्षा हो जाए। एक धर्मनिरपेक्ष देश की प्रतिभा इतनी कुन्द तो नहीं हो सकती कि वह सभी धर्मों को अपने होने का बराबर सुख प्रदान न कर सके।

“भारत में इस बात को लेकर कोई बड़ी बहस प्रायः नहीं है कि अगर हिन्दू पुनरुत्थानवादी ताकतों ने अयोध्या में अन्नतः बावरी मस्जिद को ढहाकर राम मन्दिर का निर्माण वहाँ शुरू कर दिया तो अन्तरराष्ट्रीय जगत में और विशेषकर मुस्लिम देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। यह सही है कि कोई भी देश अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से डर कर अपने जरूरी फैसले एक हद तक ही पलट सकता है और राम मन्दिर का मामला आज ऐसे मुकाम पर है जहाँ से पीछे लौटने का मतलब है हिन्दू पुनरुत्थानवाद की आत्महत्या। लेकिन हिन्दू पुनरुत्थानवाद अगर वाकई राष्ट्र प्रेम से परिचालित है, तो उसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की भी परवाह करनी चाहिए।

“हिन्दू पुनरुत्थानवादी अवसर इस्त्राइल का उदाहरण देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि १९४८ में अपने आधुनिक अस्तित्व से लेकर आज तक इस्त्राइल ने किस तरह बार-बार अरबों का भुस भरा है। वे बताते हैं कि किस तरह एक बड़े देश मित्र को एक पिढ़ी देश इस्त्राइल से कैम्प डेविड समझौता करने को विवश होना पड़ा—सिर्फ इसलिए कि उसकी सीमाओं पर शान्ति रहे और १९६७ के युद्ध में छीना गया उसका मिनाई प्रायद्वीप उसे वापस मिल सके। वे बताते हैं कि किस तरह इस्त्राइल के डर से सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया, लीबिया, लेबनान, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, इराक और खाड़ी के तमाम देश कांपते रहे हैं। वे कहते हैं कि इस्त्राइल ने कोई एक दशक पहले किस तरह इराक के परमाणु ठिकानों पर हमले करके अरबों की कमर तोड़ दी थी। वे कहते हैं कि इस्त्राइल ने आज भी अरबों के कई इलाकों-गजापट्टी, जोर्डन नदी के पश्चिमी तट क्षेत्र और गोलान पहाड़ियों पर कब्जा किया हुआ है और १९८० में पूर्वी येरुशलम को येरुशलम में मिलाकर वह उसे अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। वे बताते हैं कि किस तरह इस्त्राइल ने फिलिस्तीनियों का बार-बार दमन कर उनके आन्दोलनों को कुचल दिया है और बदली हुई अन्तरराष्ट्रीय आवाहवा के बावजूद फिलिस्तीनी राष्ट्र का कागज से अमीन पर उतरना फिलहाल असम्भव है।

“इन तमाम बातों का अन्तर्निहित उद्देश्य यह समझना होता है कि जब ८३

प्रतिशत यहूदी 'आबादी वाला देश अपनी १६ प्रतिशत अरब आबादी के प्रति तुष्टिकरण की नहीं, बल्कि दमन की नीति अपनाता है और अपने चारों ओर अरब देशों को डराकर रखता है तो लगभग ८३ प्रतिशत हिन्दू आबादी वाला देश भारत ही करीब १२ प्रतिशत मुस्लिम आबादी के प्रति तथाकथित तुष्टिकरण की नीति क्यों अपनाता है। तर्क यह होता है कि सन् १९६३-६४ तक भारत में मुसलमान डर कर रहने थे लेकिन अब वे बहुसंख्यक हिन्दुओं को डराकर रखना चाहते हैं। तर्क यह होता है कि १९७१ में पाकिस्तान के अगभग होने और बांग्लादेश के बनने के बाद अब सीमाओं की ओर में भी पहले जैसा खतरा नहीं रह गया है।"

"इन तमाम तर्कों के जरिये यह समझाने की कोशिश की जाती है कि हिन्दुओं को निर्णायक राजनैतिक ताकत के रूप में अब उभरना चाहिए और यह कि राम मन्दिर निर्माण बरअमल उद्योग में एक उप अन्वेषण है। के० नरेन्द्र मरीचे पत्रकार १९६७ के अरब-इस्त्राइल युद्ध के बाद में भारत के इस्त्राइलीकरण के शानिर तर्क देने रहे हैं और हॉम्पोर्थो की दवा को तरह आज इन तर्कों ने श्रीमारी को उधाड़ दिया है। अन्दर की फुसियाँ और फफोले भारत की त्वचा पर फूट पड़े हैं।

"यह सही है कि मुस्लिम समस्या से जूझने वाला भारत कोई इकतीला देश नहीं है। सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी देशों को भी इस समस्या से आज दो-चार होना पड़ रहा है। लेकिन इस्त्राइल भारत का आदर्श नहीं हो सकता। कुछ बातों में भारत और इस्त्राइल में समानता हो सकती है। मसलन जैसा भारत हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख आदि कई धर्मों की जन्मस्थली है, वैसे ही यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म किसी न किसी स्तर पर इस्त्राइल में निकले हैं। लेकिन भारत में इन धर्मों के बीच उस तरह का खूनी टकराव नहीं रहा है जो पश्चिम एशिया के इन तीनों धर्मों के बीच रहा है और आज भी जारी है। हिन्दू धर्म ने बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को जिस तरह अपने में समाहित कर लिया (ऑपरेशन ब्लू स्टार के बावजूद हिन्दू और सिखों के बीच एकना के तन्तु नष्ट नहीं हुए हैं) वैसे यहूदी धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म को या इनमें से कोई एक धर्म दूसरे दो धर्मों को अपने में समाहित नहीं कर सका।"

"लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि सऊदी अरब तथा पाकिस्तान में भी सड़कों को चौड़ी आदि करने के नाम पर मस्जिदों को हटाया गया है।

"ही सकता है, यह ठीक भी हो। पर अयोध्या में मामला सड़क चौड़ा करने का नहीं है। मुस्लिम समुदाय के नेता बेशक तथ्य को नहीं पहचानना चाहते कि येरुशलम की तरह अयोध्या और राम मन्दिर हिन्दुओं के लिए पवित्र है लेकिन वे इसे भारत में अपनी प्रारम्भिक उपस्थिति के स्मारक के रूप में अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। इसलिए इन विवाद को वे अपनी अस्मिता पर हमले का रूप दे रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में मस्जिद का ध्वस्त भारत के बाहर भी भूकम्प के झटके प्रेरित करेगा। अभी कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान ने भारत को मुसीबत में डालना चाहा था और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद कश्मीर में हिन्दू मन्दिरों पर हमले हुए थे। इसलिए वक्त्र का तकाजा यह है कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं को मनाकर ही अयोध्या में राम मन्दिर बनाया जाए नाकि राष्ट्र मन्दिर अक्षुण्ण रह सके और कलश पर सीमा के उस पार से न तो हमलावर बादल भँडराएँ और न ही सुदूर देशों में कोई निंदा अभियान शुरू हो। वैसे भी भारत आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वे अभूतपूर्व हैं और भारत को धीरे-धीरे दुबला कर रही हैं।

“पूरे अयोध्या विवाद की भावना को दो सवालों के इर्दगिर्द लपेटा जा सकता है—एक, क्या यह हिन्दू धर्म का पुनर्जागरण है? दूसरा, मन्दिर निर्माण में हिन्दुओं को क्या हासिल होगा? अयोध्या प्रयोग को अपना समर्थन देने में पहले हर हिन्दू को खुद में ये सवाल पूछने चाहिए।”

“मन्दिर निर्माण करने वाले नेताओं का दावा है कि वे भारत में इस महान और प्राचीनतम हिन्दू धर्म को फिर से उसकी खोई हुई गरिमा दिलाना चाहते हैं। यह सपना वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानन्द का था। आम हिन्दू को भी यह बात जम रही है। उसका मानना है कि दुनिया में अन्याय-अत्याचार बढ़ रहे हैं, और यह धर्म के हास के कारण है। धर्म की प्रतिष्ठा से दुनिया का अधर्म समाप्त हो जाएगा।

लेकिन भारत में जो हलचल है, वह क्या वास्तव में हिन्दू पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का मतलब है क्या? इसी सदी के शुरुआत में देश ने एक पुनर्जागरण आन्दोलन देखा है। तब पुनर्जागरण और पुनर्व्यथन शब्द एक ही अर्थ में इस्तेमाल हुए हैं। अनुभव बताता है कि ऐसा आन्दोलन किसी धर्म के प्रवर्तन में नया जोश भरने, धर्म की समयानुकूल नई व्याख्या करने, धर्माचरण के नए मित्रात स्थिर करने, धर्म प्रचार व धर्माचरण में आ गई कुरीतियों को खत्म करने आदि का दौर होता है। यह एक नई बहार की तरह है।

“लेकिन भारत में इस समय क्या हो रहा है? धर्म की व्याख्या को कोई चेष्टा, धर्मप्रचार की कोई गतिविधि? हिन्दू समाज की सेवा का कोई अभियान? कुरीतियों के निवारण का कोई उपक्रम? नारी दाह, छूआछूत, भ्रष्ट आचरण को लेकर कोई चिंता?”

“नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, वह है—नारेबाजी, जुलूम, प्रदर्शन, मन्दिर-निर्माण, फसाद, चुनाव, बोट बैंक, टकराव और प्रतिशोध। ये महज राजनीतिक हलचल के लक्षण हैं।

“मस्जिद की जगह एक अदद मन्दिर बना देने से हिन्दू धर्म का भला हो

जाएगा, इस तर्क पर विश्वास करने की प्रवृत्ति पता नहीं भोलापन है या बेवकूफी। धर्म के प्रति आस्था जगाने का एक ही तरीका अब तक मानव जाति को आता था और वह यह कि धर्म के मूल सिद्धान्तों, उसकी कल्पना, उसके प्रेम का लोगो में प्रचार करना। विवेकानन्द से लेकर दयानन्द तक सभी सन्तोंने यही किया। दयानन्द कुछ विधार्मियों के प्रति बेहद कड़वे दिखाई देते हैं, लेकिन यह महान विचार उनको कभी नहीं सूझा कि मस्जिद ढहाने में धर्म का प्रचार छूटकिरी में हो जाएगा। आश्चर्य ! धर्म प्रचार का रास्ता एक ही है और उसका कोई शार्टकट नहीं है। सन्त के हृदय में मानव के लिए अपार प्रेम न हो तो वह दो कदम नहीं चल सके। आज जो नेता धर्म का मुद्दा भाँज रहे हैं, उनका हिन्दू धर्म के उत्थान में कोई उल्लेखनीय योगदान है? मन्दिर विवाद न हुआ होता तो इनमें में किसी का नाम इस देश में जाना हुआ होता? वे मत्र नेता एक झगड़े के चलने अचानक अखबारों की सुखियों में जगह पा रहे हैं। उनकी दयानन्द, विवेकानन्द और परमहंस से तुलना नहीं की जा सकती। मस्जिद गिरा कर अपना मन्दिर बनाने का आदेश उन्हें मपने में मिला है। अगर हिन्दू धर्म इतना गौरवशाली है, जिनना उनके अनुयायी बताते हैं, तो उसके पतन का दौर अब शुरू होता है। याद कीजिए, गीता प्रेम ने हिन्दू धर्म को जिनती सेवा की है मन्दिर बना कर उसकी प्रताप सेवा भी नहीं हो सकती।

“धर्म शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। आज हिन्दू समाज में वे सभी बीमर कम हो रहे हैं, जिनकी पिछले पुनर्जागरण काल में कल्पना भी नहीं की गई थी। एक समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जग लड़ी थी। आज क्यों नहीं कोई हिन्दू नेता सामाजिक उत्थान के मोर्चे पर आगे आता? क्या यह मान लिया गया है कि हिन्दू समाज में सुधार की जरूरत नहीं? या धर्म में उसके लिए क्षमता नहीं रह गई? हिन्दू नेताओं को इस सवाल में कतराने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

लेकिन इसमें विडम्बित सवाल है—मन्दिर बना से शामिल क्या होगा? मान लिया कि न सिर्फ बावरी मस्जिद को, बरन देश की तमाम मस्जिदों को हटा कर मन्दिर बन जाते हैं। तो भी इससे हिन्दू समाज या धर्म को क्या मिलेगा? कोई धर्मानुयायी कह सकता है कि इससे धर्म का उत्थान होगा। लेकिन अभी हमने विचार किया है कि यह तरीका धर्म के उत्थान में रती भर महयोग नहीं दे सकता। इसमें धार्मिक कर्मकाण्डों का शोर बड़ सकता है, लेकिन धर्म में आस्था नहीं बड़ सकेगी। इससे हिन्दू समाज की विकलांगता दूर नहीं हो सकती, बड़ जरूर सकती है।

“इस सवाल के जवाब में हो सकता है कि हिन्दू नेता सच्चाई स्वीकार लें और कहे कि यह एक लम्बी योजना का अग है। योजना दो तरह की हो सकती है।

एक यह कि मस्जिदें गिराने के बाद विधमियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए और भारत को हिन्दू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद ?

हिन्दुओं के सोच की आज अगर यही दिशा है तो उनके विवेक पर तरस आना चाहिए। क्या एक हिन्दू राष्ट्र में आपको बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, मूल्यवृद्धि, बाढ़, अकाल, विदेशी कर्ज, भुगतान संतुलन, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमले का भय और जिन्दगी के तमाम दुःख नहीं सताएंगे ? क्या धार्मिक हो जाना किसी देश की तमाम समस्याओं का हल है ?

“धर्मनिष्ठ कहेगा कि ये समस्याएँ आज भी हैं, तब भी रहेंगी, लेकिन हिन्दू राष्ट्र में हमें सतोप मिलेगा।” समस्याएँ वैसे ही कौन-सी खत्म हो रही है ?

“इस तरह के तर्कों का जवाब दुनिया का इतिहास खुद देता है। दुनिया के मजहबों में कोई भी ध्यान दीजिए—कोई भी पूरी तरह लोकतन्त्र नहीं है। लोकतन्त्र सिर्फ उन्हीं समाजों की विशेषता है जो धर्मनिरपेक्ष हैं। नेपाल जैसे देश को लोकतन्त्र के लिए अपनी धार्मिकता को खत्म करना पड़ रहा है।

धर्मनिष्ठ यहाँ यह जिद्द पकड़ सकता है कि उसे लोकतन्त्र की फिक्र नहीं है। हिन्दू राष्ट्र के लिए वह लोकतन्त्र की बलि दे सकता है।

“उसका जवाब भी बाहरी दुनिया से मिलता है। कोई भी गैर लोकतान्त्रिक देश आर्थिक रूप से खुशहाल नहीं है। जिस तरह लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषता है, उसी तरह औद्योगीकरण, आधुनिकता, प्रगति और पुशहाली लोकतान्त्रिक समाजों की विशेषताएँ हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, चीना के पार आप इस नियम पर अमल होता देख सकते हैं। धर्मवादी जिस समय लोकतन्त्र की अवमानना करेगा, वह अपने जीवन को शाश्वत वृष्ट और यन्त्रणा के नरक में धकेले जाने की राह खोल देगा।

“दूसरी योजना यह हो सकती है कि हिन्दू राष्ट्र न बनाया जाए, लेकिन एक हिन्दू वोट बैंक बन जाए। इससे सरकार पर हिन्दुओं का दबदबा बड़ जाएगा।

“यह काफी लोकप्रिय तर्क है। इसके पीछे एक भारी भ्रम काम कर रहा है। वह यह कि सरकार अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) को संतुष्ट करने की नीति पर चल रही है। जैसा कि भाजपा के नेता कहते हैं, सरकार हिन्दुओं के साथ सीतेला व्यवहार करती है और वे हिन्दू हैं, जो इस देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं।

“यह वास्तव में सिर्फ भावना और भाषा का एक चमत्कार है। आप मुसलमानों को मिलने वाली सरकारी रियायतों की सूची बनाने चलें तो आपको शमिन्दा होकर कलम नीचे रख देनी पड़ेगी। असल में आरक्षण जैसी सुविधा का भी लगभग सारा फायदा हिन्दू जातियों को मिल रहा है।

‘अगर आप मन्दिर निर्माण से वोट बैंक के सम्बन्ध को स्वीकार कर रहे हैं तो आप फस चुके हैं। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि मन्दिर निर्माण इस

तरह धार्मिक नहीं राजनीतिक बंदम हैं। बेहतर है अब हिन्दुत्व के उत्थान और ईश्वर के नाम के तमाम छद्मों को छोड़ दिया जाए, और सीधे सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए। हाँ, हम हिन्दू इस देश में अपना दबदबा चाहते हैं। यह बर्चस्व की लड़ाई है। ठीक है, इसी स्तर पर बहस करें। राजनीतिक बर्चस्व मुमकिन है हिन्दुओं को कुछ सुविधाएँ दिला दें। लेकिन कौन-सी सुविधाएँ? मन्दिरों के निर्माण के लिए सरकारी मदद? गोवध पर पाबंदी? इसके अलावा कौन-सी सुविधाएँ ले सकते हैं हिन्दू? वे हिन्दू होने के कारण अब तक किसी सुविधा में वञ्चित रहे हैं?

“हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों में जिसका दूर का वास्ता न हो, हिन्दू समाज की खुशहाली में जिसका कोई रिश्ता न हो, जो सिर्फ आतंक और अशांति पर पनप रहा हो, ऐसा छद्म पुनर्जागरण आज से पहले कभी नहीं देखा।

“एक विराट् त्रासदी करीब है। भौतिक रूप से वह घटे न घटे, इस देश की भावना में इमने ऐमे घाव पैदा किए हैं जो बरसों तक खून उगलते रहेंगे। अपने को दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे महान धर्म का अनुयायी मानने वाले हिन्दुओं के लिए फैमले का यह अंतिम क्षण है।

“क्या भारत को साम्प्रदायिकता की सुरगों का मनावन-प्रदेश बनाना भाजपा जैसे पार्टी का अभिप्रेत हो सकता है? निर्विवाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या माकमवादी कम्युनिस्ट पार्टी से कोई कम राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन अगर सत्ता पाने के तर्क से या हिन्दुओं को जोड़ने के तर्क से वह राम मन्दिर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस रथयात्रा का संचालन कर रही है, जिसको लेकर मुसलमानों में डर है और हिन्दुओं के ही एक बड़े वर्ग में उपेक्षा है तो उमे समय रहते अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

‘हिन्दू जिस राम को जानता है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हें राज्य की मर्यादाओं का इतना ध्यान है कि वनवास भोगते हैं और सीता को राज्य की खातिर त्याग देते हैं। वे तमाम पिछड़ी जातियों और वनवासियों के बीच काम करके इन्हें सगठित करते हैं। वे संघर्ष करके भी सत्ता के दावेदार नहीं बनते। इसलिए सत्ता उनके पास बेरी की तरह आ जाती है। स्वाभाविक रूप से राम-राज्य उनके बाद स्थापित होता है। दशरथ के पुत्र होने के तर्क से ही वे राम-राज्य की स्थापना नहीं करते। वे पहले समाज के सभी वर्गों का समर्थन अर्जित करते हैं।

“भाजपा अपने को हिन्दुओं की (स्वयम्भू) पार्टी मानकर एक राम-राज्य स्थापित करना चाहती है। भाजपा के राम भी दशरथ के राम हैं। अयोध्यावासी हैं। पर उन्हें आज के समाज के अनेक हिन्दुओं और मुसलमानों का समर्थन नहीं है। भाजपा रथयात्रा के जयघोषों को वोट समर्थन में अनूदित करना चाहती है।

उस तरह वह पारम्परिक राम की मर्यादा का हरण कर रही है। वह राम का अवमूल्यन कर रही है। महात्मा गांधी के महास्वप्न में भी कहीं राम राज्य था। उनके राम के बारे में कहा जाता है कि वे निर्गुण थे। ऐसे निर्गुण कि एक कोण में देखो तो अल्लाह लगें और दूसरे कोण में देखो तो ईश्वर लगें।

“अगर भाजपा अयोध्या में ऐसे राम मन्दिर की स्थापना करे जिसकी मूर्ति में ईश्वर और अल्लाह दोनों अवतरित हो तो किसी को क्या परहेज हो सकता है? तब तो भाजपा इस देश की एक बड़ी और प्रामाणिक पार्टी बन सकती है। लेकिन द्वन्द्व यह है कि भाजपा के राम का यह रूप उभरने में कई दशक लग सकते हैं जबकि भाजपा साठे सोने के अण्डे आज ही निकाल लेना चाहती है।”

“राम मन्दिर बनाने का रास्ता भाजपाई रास्ता नहीं हो सकता। वह गांधी-वादी ही हो सकता है। मौजूदा रास्ता तो एक और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता हो सकता है जबकि गांधीवादी रास्ता अततः मौजूदा पाकिस्तान को भी खत्म करने का रास्ता है। अन्तर्विरोध यह है कि आडवाणी भी मौजूदा पाकिस्तान को खत्म कर उसके भारत में विलय या किमी महासघ का स्वप्न देख रहे हैं जैसे कि ४५ वर्षों बाद अब दोनों जर्मनियों का विलय हुआ है। मगर वे यह भूल रहे हैं कि जर्मनी का विभाजन इसलिए समाप्त हुआ कि महाशक्तियों के निहित स्वार्थ समाप्त हो गए हैं जबकि अन्दरूनी ताना-बाना कभी नष्ट ही नहीं हुआ। वह इतिहास, भाषा, धर्म और संस्कृति के मरोकारों में मौजूद था। सरोकार वही समाप्त थे तो वही एक-दूसरे के पूरक। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसंग में भाषा, धर्म और संस्कृति के परस्पर विरोधी होने के तर्क अभी भी विद्यमान हैं जो राम मन्दिर अभियान से कम नहीं होने बल्कि और मजबूत होते हैं। (यहाँ इन कुतर्क को जरा छोड़ी देर के लिए अलग रखना होगा कि गांधी ने बंटवारे को अन्ततः मजूर कर लिया था।)

“भाजपाई रास्ता इनका पूर्वाग्रहपूर्ण और उतावली भरा है कि उसे सम्वाद में परहेज है। उसे अपनी ग्यापपालिका पर विश्वास नहीं है। उसे अपने होने पर यकीन नहीं है। उसे डर है कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है हालाँकि आबादी का अनुपात कमोवेश वही है जो आजादी के बाद था। वह रास्ता बार-बार यह रेखांकित करना चाहता है कि पाकिस्तान में विभाजन के बाद हिन्दू आबादी नाममात्र की ही रह गई है, बांग्लादेश से चक्रमाव अन्य हिन्दुओं को निकलने के लिए बिबश किया जाता रहा है जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। पर यह देखने की कोशिश नहीं की जाती कि अगर मुसलमान बढ़ें हैं तो उन अनुपात में हिन्दू भी तो बढ़ें हैं। बहरहाल मुसलमानों की बढ़ती आबादी और एक सीमित राजनैतिक शक्ति के रूप में उनका उभार भाजपा को अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके पीछे दर्शन यह

नहीं है कि राम का मन्दिर बन जाए बल्कि यह है कि हिन्दू एक राजनैतिक ताकत के रूप में अपने को उग्रता से रेखांकित करें। मवाल यह है कि तमाम पार्टियों के जरिए हिन्दू हो तो अपने को रेखांकित कर रहे हैं, फिर उग्रता की जरूरत क्या है? कांग्रेस, जनता दल, माकपा, भाकपा, अगप, द्रमुक, तेलुगू देशम्, व० ए० पा० तमाम धर्म निरपेक्ष राजनैतिक दल एक बड़े अर्थ में हिन्दू ही तो हैं। इन तमाम धाराओं से जो राजनीति बनती है, वह गैर हिन्दू कहां है? लेकिन इन तमाम राजनैतिक दलों का राम मन्दिर बनाने का रास्ता अलग है चूंकि उनके राम अलग हैं, इसलिए भाजपा बेतय बन गई है।

यह बेमती भाजपा को निर्णायक राजनैतिक शक्ति कम, अप्रासंगिक अधिक बना सकती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी मुस्लिम लोग जैसी पार्टी निर्णायक नहीं बन सकी है, इसलिए भारत में भी भाजपा वह नहीं बन सकती जहां मिजाज और भी अलग है। दूसरा कारण यह है कि पंजाब में हम देख चुके हैं कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाने से किस तरह के अराजक समीकरण बनते हैं। (इस कारण के साथ ही वज्र दल आदि के चित्र का परीक्षण अगर आप करें तो आपको चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं) क्या भाजपा चाहेगी कि शहरी धर्मभोर मध्यवर्ग की उसकी पहचान को भविष्य के अराजक तत्व दूषित करें?

आश्चर्य की बात यह है कि जिसे हिन्दुत्व को राजनीति कहा जा रहा है, उसने हिन्दू समाज के मामले अभी तक कोई आन्तरिक एजेन्डा नहीं रखा है। हिन्दू समाज एक हो जाए, अच्छी बात है। हिन्दू समाज जग जाए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन मवाल तो यह है कि वह जग कर और एक होकर करे क्या? इसी प्रश्न के उत्तर में निहित है कि राजनीति हिन्दुत्व की है या किसी और चीज की?

“अगर यह हिन्दुत्व की राजनीति है, तो वह जिन प्रश्नों से जूझना जरूरी समझेगी, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हिन्दू समाज का आन्तरिक ढाँचा क्या हो? जाति व्यवस्था का क्या किया जाए? अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए या नहीं? हिन्दू समाज में औरतों की स्थिति क्या हो? समाज का राज्य से क्या रिश्ता हो? हिन्दू जमात को किस तरह का राज्य चाहिए? हिन्दू निर्वाचन कानून में क्या-क्या परिवर्तन किए जाएं? पिता की सम्पत्ति में बेटियों का हिस्सा हो या नहीं? मन्दिरों के साथ क्या किया जाए? पूजा-पाठ को बनाए रखना चाहिए या निर्गुण ईश्वर की आराधना भी जाए? हिन्दू की पोशाक क्या हो? अन्य सभ्यताओं से हम क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं? उद्योगीकरण तथा आधुनिकता का क्या कोई हिन्दू संस्करण हो सकता है? हिन्दू साहित्य के प्रतिमान क्या होने चाहिए? क्या कोई हिन्दू उपन्यास हो सकता है? या, हिन्दू नाटक?

आदिवासियों का भी कुछ तुष्टिकरण हुआ है। पिछड़ी जातियों का तुष्टिकरण हुआ है। यहाँ तक कि राशनिंग, सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सस्ते दूध तथा हाउसिंग की विभिन्न योजनाओं के द्वारा शहरो में रहने वाले निम्न मध्य और मध्य वर्ग का भी तुष्टिकरण हुआ है। किसानों का भी तुष्टिकरण हुआ है।

जब आप किसी वर्ग के सम्पूर्ण कल्याण के लिए कुछ ठोस काम नहीं करना चाहते और फिर भी उसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो आप उसके तुष्टिकरण का प्रयास करते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण इसी तरह की कोशिश है। लेकिन यह आर्थिक या सामाजिक वर्गों के आधार पर नहीं कर घर्म के आधार पर है, इस लिए ज्यादा खतरनाक है। सभी को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मुसलमानों का तुष्टिकरण किया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि इस तरह का तुष्टिकरण गलत है। भाजपा द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध अखरता नहीं, यदि उसके सारे के सारे मौलिक मुद्दे मुसलमान विरोधी न होते। तब मुस्लिम तुष्टिकरण का उसका विरोध एक वैद्वान्तिक लोकतान्त्रिक मुद्दा माना जाना। लेकिन हम पाते हैं कि यह भाजपा का सामान्य तुष्टिकरण—चिन्ता का अंग नहीं, बल्कि मुस्लिम चिन्ता का अंग है, तो हमें बाध्य होकर उसके पीछे साम्प्रदायिक आप्रहृदय देखने पड़ते हैं।

हैरन की बात यह है कि हिन्दू राष्ट्रको तो एक अमम्भव स्वप्न करार दिया जाता है, लेकिन हिन्दू राष्ट्रीयता की बात जरूर की जानी है। यदि हिन्दू राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं है, तो हिन्दू राष्ट्रीयता का मतलब क्या हो सकता है? सगत मतलब एक ही हो सकता है कि हिन्दू दिमाग राष्ट्र की संरचना को नए ढंग से परिभाषित करें। क्या भाजपा या विरव हिन्दू परिषद ने इस दिशा में कोई मौलिक कोशिश की है? निश्चय ही भाजपा अन्य अनेक दलों की तुलना में ज्यादा राष्ट्रप्रेमी है। लेकिन वह अपने राष्ट्रप्रेम को किसी स्वस्थ या सगत राष्ट्रीयता में बदल नहीं पाई है। उनका राष्ट्र प्रेम एक बीमार किस्म का राष्ट्र प्रेम है। इसीलिए वह राष्ट्र के अन्य अंगों को आश्वस्त नहीं, आशंकित करता है। ऐसा राष्ट्र प्रेम, जिसमें राष्ट्र के सभी हिस्सों से सच्चा प्रेम न हो, अंततः राष्ट्रघातक सिद्ध होता है।

९. सम्यक् समाधान की दिशा

विख्यात साहित्यिक और चिन्तन श्री विद्यानिवास मिश्र इस समस्या के सम्यक् और संतुलित समाधान की खोज में बुद्धिजीवियों की भूमिका को रेखांकित किया है।

“आज सही अर्थ में उनकी अग्नि परीक्षा है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो विवेक के धरोहरी कहे जाते हैं, क्यों आज दिन सिद्धान्तों का समर्थन करना है, वे ऐसे आवरणों में बन्द हैं, जिन आवरणों को चीरना कठिन हो गया है क्योंकि वह सुविघ्नाजनक नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मूल्यों पर बात करते समय मूल्यों से अधिक मूल्यों के रखवारों की बात करते हैं और ये रखवारे ऐसे हैं कि उनमें जुड़ कर मूल्य सन्दिग्ध हो गए हैं। धर्म निरपेक्षता सुनते-सुनते कान पक गए हैं। एक ओर दूरदर्शन प्रचार करता है लोकमान्य तिलक के द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा का कि स्वदेश और विश्व से जो जोड़ता है, वह धर्म है, दूसरी ओर धर्म को छोटा कहा जा रहा है, राजनीति को धर्म से दूर किया जा रहा है। जिस देश में राजनीति धर्म पर आश्रित नहीं स्वयं धर्म रही है और राजधर्म धर्म का अंग रहा है। वहाँ विश्व की गति को मंगलमय दिशा में संचालित करने वाला धर्म उपेक्षणीय हो जाए, यह कितनी बड़ी विडम्बना है और उस धर्म के साक्षात् विग्रह राम इतिहास के मुखापेक्षी हो जाएँ, यह कितनी बड़ी ग्लानि का विषय है।

जिनके चरित्र में उदारता, नितिक्षा, सत्य, करुणा साकार होती है, उन्हीं को आज मतों की राजनीति से तोला जा रहा है, और बुद्धिजीवी इस राजनीति के समर्थन में बकनव्य दे रहे हैं, यह सुनकर बहुत गहरी चिन्ता होती है।

पिछले बीस वर्षों में ऐसी विचित्र उलटफेर हुई है कि राष्ट्र राज्य के नीचे चला गया है और राज्य कुर्सी के नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के भी ऊपर जिस माताभूमि का स्थान था, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, है तो हाशिये में।

भारत के बुद्धिजीवी ने शाहे वक्त की चिन्ता बस औपचारिक रूप से की है, वह सनातन प्रभु की वाप करना है, जो ऐसा है कि प्रभु से अधिक परिवारी है,

भाई, पुत्र, प्रिय, पिता, माता किसी न किसी निजी रिश्ते में बंधा है इसीलिए वह इतिहास नहीं है, वह वर्तमान नहीं है, वह दूर नहीं है, पास है पर आज बुद्धिजीवी शाहे वक्त से इतना सहमा हुआ इसलिए है कि वह आस्तिकता को मिछड़ापन मानता है, डोगी नास्तिकता को आधुनिकता और प्रगतिशीलता मानता है।

आज समय आ गया है कि बुद्धिजीवियों की जमात से खारिज होने का जोखिम उठा कर कुछ लोग आगे आएँ और कहे कि राजनेताओं, मूल्याँ से खिल-वाड न करो। साम्प्रदायिक सद्भावना के नाम पर, देश की अखण्डता के नाम पर जातीय इतिहास की रक्षा के नाम पर निरीह जनता को मोह में भ्रमित न करो। हिन्दू जानता है कि इतनी शताब्दियों में जो हमारे साथ है और विभाजन का वरण न करके जो हमारे साथ है, वह हमारा परिजन है, उसको छोटा समझना अपने कुटुम्बभाव को छोटा समझना है और मुसलमान भी जानता है कि डाल से बिछुड़ने की क्या पीडा होती है, अभी तक साखो-लापों लोग पाकिस्तान में मुसलमान होते हुए भी वेगाने बने हुए हैं। ऐसे परिजनों के बीच सद्भावना की बात करना बेमानी है, उन्हें तो सिर्फ यह बतलाना है कि परिवार में दो सदस्यों के विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, पर उनका घर एक होना है। घर का मोह छोड़ एक होता है। यह न बतला कर हम निरन्तर यही सुनते हैं कि हिन्दू मुसलमान दो सम्प्रदाय हैं, इनमें सद्भावना होनी चाहिए। जो दोनों के साथ जीने की ऐतिहासिक से अधिक मानवीय विवशता है, उस पर हम बल नहीं देते क्योंकि वह कहेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी। हम सेक्यूलरवाद के आराधक हो गए हैं, बिना जाने कि मेक्यूलरवाद मजहबी मस्यानों के अधीन राज्य मस्यानों के विरोध में जनमा, जबकि हमारे देश की बुनियाद ही इस पर है कि धर्म सभी मजहबों का, मतो का ध्यान रखता है, वह इनसे ऊपर है, इनके बीच का सवाद-सूत्र बनाए रखता है। आज भी गाँव का हिन्दू हो या मुसलमान, सच्चाई की वान आती है तो कहता है मेरा धरम कबूल नहीं करता, मैं यह काम नहीं करूँगा।

यह धरम न इस्लाम है न आस्तिक, न नास्तिक, न वैष्णव या बौद्ध, वह मानव धर्म है। ऐमे देश में मेक्यूलरवाद अर्चहीन है। मवका मगल चाहने वाले देश में एक दूसरे को सहने की बात छोटी है, एक दूसरे के लिए जीने की वान विधि रूप में सोची जानी चाहिए। भारतीय स्वभाव की इस उदारता को मंकीर्ण दृष्टि से देखने वाले ने कायरता माना और नकली प्राचीनता के गौरव की वान की। इसी कारण बुद्धि भेद भयकर रूप से पड़े-लिखे को प्रस रहा है।

एक ओर इतिहास की दुहाई देकर हम कहते हैं कि अगड़ा जानियों ने मिछडी जानियों को पहले मनाया, अब उन्हें इसका फन भोगना चाहिए, दूसरी ओर उसी तर्क को हम महमूद गजनी, मुहम्मदगोरी, बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसंग में इतिहास को भूलने के लिए कहा जाता है, जबकि

समीचीन यह है कि इतिहास के तर्क को थोड़ा माना जाए, आज जिस स्थिति में पूरा समाज है और ऊँच-नीच के भेद से अलग हो रहा है, समान देशवासी की भूमिका में प्रवेश कर रहा है, उसकी संगति में सब विधान हो। पर हम कहीं तो इतिहास की कमियों को पूर्ण मान कर पूजेंगे और कहीं प्रगतिशीलता की दुहाई देकर इतिहास को बदलने की बात करेंगे। सच्चाई से यह कतराना इस समय की सबसे भयकर बेईमानी है।

इस बेईमानी को उभारने में हमें अब सकोच नहीं करना चाहिए। हमें स्पष्ट कहना चाहिए कि पश्चिम से आयातित नेशनलिटी और सिक्पूलरिज्म कौड़ी काम की नहीं, यह वसुधैव कुटुम्बकम् से और सर्वभूत हित से बहुत छोटी चीजें हैं। यह भी हमें स्पष्ट करना चाहिए कि इतिहास से हर गति को नापना अधूरी और इसीलिए अर्धसत्य प्रक्रिया है, इसमें निहित खतरों से सावधान रहना चाहिए, यह सावधानी देश की सनातन वर्तमान दृष्टि को समझने से आएगी।

न इतिहास गौरव से आएगी, न सुनहले भविष्यत् के सपने से। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे लिए बराबरी से ज्यादा महत्व तादात्म्य का है, सम्पूर्ण जीवन की एकता का है और हमारी आचार संहिता को बराबरी और गौर बराबरी के प्रपंच में नहीं पडना चाहिए यह परस्पर अवलम्बिता दो सौ वर्ष के दौरान पूरी तरह आ गई थी। तभी हनुमानगढ़ी की रक्षा मुसलमान ने की, किमी मराठा शासक ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, फकीर ने हरि मन्दिर की अमृत्तर में नीव रखी, इसी कारण सन्त और फकीर एक दूसरे के मुरोद हुए और दोनों समान रूप से पूज्य हुए, मन्दिर की पूजा में मुसलमान गादक अपरिहार्य अंग बना और ताजिए उठाने में हिन्दू महयोगी बना। यह भाव केवल निरोहित हुआ लगता है, भीतर कहीं है।

एक दूसरे की जरूरत आज भी है इस जरूरत की बात रेखांकित करना अधिक प्रभावकारी होगा, वनिस्वत बराबरी या निर्गुण सिक्पूलरवादिता की बात।

उसी तरह अगड़ी-पिछड़ी के रूप में न सोच कर हम सोचना चाहिए इस रूप में किसकी कितनी कमी है और उसकी पूर्ण को किस प्रकार की बरीयता दी जानी चाहिए। वर्णाश्रम में लाख खराबी रही हो पर उसमें परस्पर साशेष भाव पर बल दिया गया था, पूरे समाज को एक शरीर जो माना गया था, आज सामाजिक मरचना की इस मूलभूत एकता को, अनदेखा किया जा रहा है ता इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

यह सब तभी सम्भव होगा जब बुद्धिजीवी सत्ता के ठीकेदारों का पल्ला छोड़ें और अपनी स्वायत्तता का परिचय दें यह स्वायत्तता एक बड़े स्व की पहचान से आएगी। उस स्व की पहचान में जिसे सशय होगा, वह स्वायत्त नहीं हो सकेगा।

बड़ी गहराई से पिछड़े शतक की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि मनुष्य को विश्व में अब यन्त्र नहीं रहना है, न उसे वेधे रहना है कुछ मान लिए गये मतवादों से, उसे समग्र जीवन को ध्यान रख कर अस्तित्व और सार्थक अस्तित्व का रास्ता बनाना है। इस प्रकार की सोच की शुरुआत आज के जैसे वातावरण में ही होती है और अब होनी चाहिए।

‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द की जिस प्रकार एक तरह से ‘मुद्रास्फीति’ हुई है, उसी प्रकार एक और शब्द है ‘साम्प्रदायिकता’ जिसका ‘अवमूल्यन’ या मुद्रा संकोच हुआ है। एक विचारक के अनुसार—

सम्प्रदाय क्या है? हिन्दू धर्म का इतिहास पलटें तो पाएंगे कि सम्प्रदाय का उमर में एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। सम्प्रदाय वहाँ एक ऐसे समूह को कहा गया है जिसमें एक विशेष प्रगतिशील विचार के अनुयायी होते हैं। सम्प्रदाय के साथ प्रगतिशीलता अनिवार्य रूप में जुड़ी हुई है। कहने हैं कि हिन्दू धर्म में जब जड़ता आ गई तो इसके ठहरे हुए पानी में फिर से धारा पैदा करने के लिए कई सम्प्रदाय हुए, जैसे—वैष्णव-सम्प्रदाय, शैव-सम्प्रदाय, शाक्त-सम्प्रदाय इत्यादि। इन सब सम्प्रदायों का विचार था कि जड़ता विध्वंसक है। आओ, हमारे प्रगतिशील विचारों को ग्रहण करो, कि मोक्ष का यही सही मार्ग है। इन सम्प्रदायों ने हिन्दू धर्म में जबर्दस्त आन्दोलन पैदा किया। महान सामाजिक परिवर्तन हुए और हिन्दुत्व को परावाष्ठा पर पहुँचाने की तीव्रतम प्रक्रिया शुरू हुई। जिन अछूतों और पिछड़ों पर हुए अत्याचार की कहानी कहते आज के राजनेता करुणा-विगलित होते हैं, उन्हीं अछूतों और पिछड़ों को इन सम्प्रदायों में आदरपूर्ण स्थान दिया गया। भक्ति के ममस्त द्वार उनके लिए खुले थे। बौद्धों के दो सम्प्रदाय-हीनयान और महायान तथा जैनो के भी दो सम्प्रदाय—श्वेताम्बर और दिग्म्बर हुए। इनके आपसी झगड़े वैचारिक थे। पर इनके युद्ध की चर्चा इतिहास नहीं करता। ये सब अपने रास्ते में धर्म के विकास में सलग्न थे। हरेक सोच को आदर देना भारतीय सस्कृति की विशेषता रही है।

अब बात यह उठनी है कि सम्प्रदाय यदि प्रगतिशीलता का प्रतीक है तो साम्प्रदायिक प्रगतिशील हुआ। और साम्प्रदायिकता का अर्थ प्रगति के प्रति कटिबद्धता हुई। आज भी हम जब स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय के विभिन्न समाजों की चर्चा करते हैं तो साफ-साफ पाते हैं कि मरचना और भायना में ये समाज पूरी तरह सम्प्रदाय ही हैं। हममें से कोई नहीं कह सकता कि ये समाज सुधारक प्रगतिशील नहीं थे। तो फिर यदि यह सम्प्रदाय शब्द इतने खूबमूरत अर्थ को अपने में ममेटे हुए है तो साम्प्रदायिकता क्यों बदनाम हुई? क्या हमारी सारी लड़ाई एक मही और अर्थवान शब्द के खिलाफ हो रही है? क्या साम्प्रदायिकता सचमुच नाक-भौं सिकोड़ने की वस्तु है?

इस समय बिन्दु पर गौर करने से प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिकता के अर्थ की विकृति कई चरणों में हुई है। पहला चरण है जब ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय तथा मुसलमानों में शिया और सुन्नी सम्प्रदाय हुए। अगर इस लेखक को मुसलमान और ईसाई तुरन्त 'साम्प्रदायिक' घोषित नहीं करें तो वह कहना चाहेगा कि सम्प्रदाय का अर्थ यही से विगड़ना शुरू हुआ है। कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों में तथा शिया और सुन्नी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जमकर लड़ाइयाँ हुई हैं। खूब खून बहा है। ताजा रिपोर्ट बनानी है कि दुनिया के कई देशों में शिया और सुन्नी की लड़ाई राज सत्ता के लिए है। कम से कम ऐसी लड़ाई हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सम्प्रदायों में नहीं देखी गई। अगर बौद्ध हर्षवर्द्धन हिन्दू पुलकेशिन से लड़ता या तो वह दो राजाओं की लड़ाई थी। चूँकि मुसलमान और ईसाई कमोवेश दुनिया के हर देश में हैं, इसलिए वे जहाँ भी हैं उनकी आपसी लड़ाई ने अन्य धर्मों को भी सशक्त किया है। यह और बीभत्स रूप में तब सामने आता है जब मुसलमान और ईसाइयों की आपसी लड़ाइयाँ हिन्दू-मुसलमान, मुसलमान-ईसाई की लड़ाइयों में तब्दील हो गईं। चीन में नया रूप मुसलमान-बौद्ध की लड़ाई है। इस तथ्य को झुठलाना सच्चाई से आँखें मूँदना होगा। और इसी सच्चाई से आँखें मूँदने की प्रक्रिया ने साम्प्रदायिकता के अर्थ को गन्दा किया है।

साम्प्रदायिकता के अर्थ को विकृत करने का दूसरा चरण है—सेक्यूलरिज्म (जिसका अनुवाद धर्मनिरपेक्षता है) का उदय। धर्मनिरपेक्षता शब्द प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं मिलता। यह सेक्यूलरिज्म का हिन्दी में रूपान्तरित शब्द है। भारत का संविधान अंग्रेजी में निर्मित हुआ है। अतः इसमें निश्चय ही वे शब्द लिए गए होंगे जो अंग्रेजी के अपने मौलिक शब्द हैं, जो भारत के किसी भाषा से जुड़े हुए नहीं हैं और जो भारतीय परिवेश के लिए बिल्कुल अजुबा हैं। 'सेक्यूलरिज्म' इनी अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ 'धर्म-निरपेक्षता' माना गया है।

यह धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। यह देश धर्म से अनुप्राणित है। अंग्रेजों का सेक्यूलरिज्म इसलिए चल सकता है क्योंकि धर्म उनके लिए हृदय की वस्तु नहीं है। उनके पास धर्म के सर्वश्रेष्ठ तत्व आत्मा की कल्पना भी उनके व्यापक रूप में नहीं। जब वे अपने धर्म प्रचारक विद्वानों में भेजते हैं तो साथ में पैसों का अजस्र खोत भी भेजते हैं। उनका धर्म लोभित करने की चीज है। वह धर्म की बीमाखी पर खड़ा है। आज अगर ईसाई मिशनरियाँ मद्याल-परगने में पैसा बहाना बन्द कर दें तो वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार रुक जाए। हमारे धर्म प्रचारक दयानन्द और विवेकानन्द पर पैसे देकर धर्म प्रचार करने का आरोप लगाने का साहस कोई नहीं कर सकता। धर्म ने सदैव अपना स्थान यहाँ प्रधान

धगाए रखा है ।

जिस देश की प्राणवायु ही धर्म-सापेक्षता है, वहाँ अगर एकाएक धर्म-निरपेक्षता राद दी जाए तो यह कितना बड़ा विरोधाभास होगा । इस शब्द ने इस देश की अगता को स्तम्भित कर दिया है । वह अभी तक सोच नहीं पाई है कि यह इस भयानक शब्दजाल से कैसे बचे । और जब 'धर्मनिरपेक्षता' की शक्ति बढ़ती है तो 'साम्प्रदायिकता' जो धर्म के विकास में वास्तव में सहायक रही है, गीण होने लगती है । फिर धर्मनिरपेक्षता धर्म पर आक्रमण करती है । इसमें हमारे देश का बहुगुण्यक आहत होता है । अल्पसङ्ख्यक चूँकि भयभीत होता है और भोड़ा-बट्टा लोभित भी, इसलिए वह धर्मनिरपेक्षता का पल्ला घामता है, इस बात में भित्तुस धेगधर कि वह इस सियासी शतरज का एक प्यादा भर है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों ने हैदर और टीपू के विरुद्ध युद्ध में अन्य हिन्दुस्थानी राजाओं को लोभ देकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया । बाद में वे उन्हें भी लीस गए । जैसे ही धर्म-निरपेक्षता को मरेगा कि अल्पसङ्ख्यक रूपी मोट धैक उसके हाथ से फिसल रहा है धैसे ही वह उसको दुस्कार देगा । १९८६ के शाय चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही किया । वह अचानक मुस्लिम वोट बैंक को लोडकर हिन्दू वोट बैंक की तरफ लपकी परिणाम सबको पता है ।

अब चूँकि सम्प्रदाय, जो धर्म की कोय से जन्मा है, अपने जन्मदाता पर भावमण नहीं देय सतता, इसलिए वह धर्म की रक्षा के लिए तनकर खड़ा हो जाता है । धर्मनिरपेक्ष की यह बात बुरी लगती है । तब वह दूरे वेग से आक्रमण करता है । वह तुलसी दास, मीपलीचरण गुप्त और जयसंकर प्रसाद जैसे मस्त्विति के उद्गाताओं को साम्प्रदायिक मानने लगता है । कबीर और निराला को छोडकर उनकी नजरों में हिन्दी साहित्य के सारे कवि शब्दों के बाजोगर हो जाते हैं । स्थिति अब ऐसी होती है तो समूचा जनमानस धबराने लगता है । इस धबरहट में वह धर्मनिरपेक्षता से भिड़ता है और बदनामी पाता है । धर्म-निरपेक्षता की यह

.. ता प्रवृत्ति ही समस्त दशे-फलाद की जड़ है । साम्प्रदायिकता केवल इसलिए होता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में स्थान मिल गया है ।

अब इन देश की अतता को ही नये सिरे से साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता बनानी पड़ेगी । उसे साम्प्रदायिकता जैसे प्रभावशाली शब्द पर जनी धुगा की पूस को ताक करना होता । साम्प्रदायिक [बादे भाज की शब्दावली में भी बहे, लो भी] होने का लोछा फलदा इन देश का रहे है । ज० स्व० नंद स्वदे अदुगानित लगउन है, भाजना सबसे अदुगानित इन है । इनके बकता राजमोरे के लईभोड इलाको के से है । किन्ती भी ननस्ता पर इनको नीक मिल्लुक ताक है और ये साम्प्रदायिको की तरह लकीर के फकीर कभी नहीं रहे । इनके नेशुद ने इडे कुषली सारकर कही बीडे है भारत, जो दिनेदिन अदेक से

अधिक इंडिया होता जा रहा है, उसको वे भारत माता और हिन्दुस्तान बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। हिन्दी उनकी भाषा है। क्या इतने सारे गुण केवल इसलिए धुंधला जाते हैं क्योंकि वे हिन्दुत्व की बान करते हैं या इसलिए कि हिन्दुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलो पर मन्दिर निर्माण की मांग करते हैं ?

जनता दल और मोर्चा सरकार के समर्थकों का बड़ा वर्ग वेहद खुश दिख रहा था कि वी०पी० सिंह ने काँग्रेस-भाजपा सबको मण्डल का दाँव लगाकर चित्त कर दिया है। अब राम जन्मभूमि मुद्दे पर भाजपा पूरे हिन्दू समाज को साथ न ले पाएगी।

पर सच्चाई विपरीत निकली। १९७७ के बाद देश में किसी मुद्दे पर फिर एक बार व्यापक जन-मैलाव उमड़ रहा है तो वह राम जन्मभूमि के मुद्दे पर ही ! मानववादियों के शिखर कगूरी को छोड़ दे तो उनका हिन्दू "मासेज" राम मन्दिर के प्रश्न पर उतना ही उत्साहित है, जितना अन्य कोई माघारण भारतीय उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मुसलमानों का उल्लेखनीय वर्ग राम-रथ यात्रा के कार्यक्रमों में उमड़ा। मण्डलवादी नेताओं के समर्थकों का उल्लेखनीय वर्ग भी बिहार में इस मुद्दे पर व्यापक हिन्दू समाज के साथ है। राम मन्दिर अभियान ने अगड़ा-पिछड़ा, हरिजन-सवर्ण, हिन्दू-मुसलमान सभी की सीमाएँ तोड़ दी हैं। क्या कोई आज मुसलमान भारत में राम-विरोधी है। राम-रथ यात्रा के बारे में लालकृष्ण आहवाणी का यह दावा अक्षरशः सच है कि इससे हिन्दू-मुसलमान-मद्भाव बढ़ा है और आगे भी बढ़ते जाने का रास्ता खुला है।

तो क्या भयभीत बौद्धिक कोई छली-कपटी लोग थे, जो डरा रहे थे कि देश भर में दंगे भड़क उठेंगे, बँटवारे का नया खतरा उभर उठेगा, गहरी खाई और चौड़ी हो जाएगी, वगैरह। असल में हमे दूसरों को पड़थन्त्रकारी मानते-बताते रहने की कूट-बुद्धि छोड़नी होगी। उचित यह है कि यदि आप किसी के बारे में नहीं जानते तो चुप रहिए और जानने की कोशिश कीजिए।

यह एक सच्चाई है कि काँग्रेस-भाजपा-रा० स्व० सघ-बिहिप के नेतृत्व के अतिरिक्त शेष दलों के शीर्षस्थ बौद्धिक और नेता सचमुच बहुत चिंतित और परेशान थे। वे मानकर चल रहे थे कि इससे हिन्दू-मुसलमान ननाव चरम स्तर तक जा पहुँचेगा। केवल काँग्रेस तथा भाजपा, इन दो दलों के नेतृत्व से ऐसा नहीं लगता था। काँग्रेस नेतृत्व यह भलीभाँति जानता था कि इस अभियान को व्यापक समाज का समर्थन प्राप्त है और होगा। उसकी रणनीति यह थी कि अभियान के लिए काम करता रहे, और मोडिया के स्तर पर काँग्रेस भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दे।

बजरंग दल-शिवसेना वगैरह की समस्या दूसरी है। वे देह-मन के स्तर पर

तो वर्तमान में जो रहे संगठन हैं किन्तु इतिहास-बोध, बौद्धिक विमर्श, मनन आदि के स्तर पर उनकी दशा करुण है। वे एक विचित्र बौद्धिक जगत में रहते हैं, जहाँ हिन्दुत्व का अर्थ उनके नेताओं के चित्र-विचित्र भाषण और कौशल है तथा जहाँ अधकचरी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एवं भावनात्मक स्तर पर संस्कृत के प्रति आकर्षित, उनके कुछ प्रिय नेता लोग ही सार्वभौम हिन्दुत्व के सनातन प्रतिनिधि हैं। लेकिन रा० स्व० सघ और भाजपा की स्थिति भिन्न है। अर्थशास्त्री जय दुवाशी की इस बात में सत्यांश है कि रा० स्व० सघ भारतीय अंतश्चेतना का प्रतिनिधि वाहक है। इस सत्यांश में केवल एकांगिता का दोष है, जो कि एक आधुनिक विशेषज्ञ के लिए स्वाभाविक ही है। पूरी सचाई यह है कि रा० स्व० सघ वर्तमान अर्द्ध-प्रसुप्त, अर्द्धजागृत भारतीय अंतश्चेतना की प्रतिनिधि संस्था है और आज के पराजित भारतीय समाज में फिलहाल उससे अधिक तथा बेहतर प्रतिनिधि संस्था और कोई नहीं है। काँग्रेस है जो उसकी ही तरह भारतीय बुद्धि के एक अन्य व्यापक पक्ष की प्रतिनिधि संस्था है। व्यावहारिक राजबुद्धि की प्रतिनिधि। पर व्यापक बुद्धि और विद्या की माधना को तैयारी से दोनों ही अभी विमुख हैं— काँग्रेस भी भाजपा भी।

अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद, रा० स्व० सघ भारतीय बुद्धि की मौजूदा दशा की सबसे बड़ी प्रतिनिधि अतिव्यक्ति है। विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा दोनों रा० स्व० सघ की ही संस्थाएँ हैं। अतः जब इन्होंने राम जन्म-मन्दिर को अपना एक मुख्य मुद्दा चुना ही था, तो बहुत सोच-समझकर। उसका पीछे पचास वर्ष से अधिक का व्यावहारिक अनुभव, व्यापक भारतीय समाज के स्पर्दन के जुड़ाव, भारतीय मुसलमानों के बारे में भी पर्याप्त जानकारी और भारतीय स्वभाव की गहरी समझ विद्यमान थी। अब सचाई यह है कि रा० स्व० सघ धीरे-धीरे एक परिपक्व संगठन होता गया है। मुसलमानों से उसका घोर अपरिचय था। डॉ० हेडगेवार की अनेक स्थापनाओं में इस अपरिचय की झलक है। गोलबलकर के विरोधों में भी इसकी झलक है। परन्तु राजनीति में जनसघ-भाजपा की क्रियाशीलता से रा० स्व० सघ के अनेक दिग्गजों को भारतीय मुसलमानों का मन समझने में कुछ सफलता मिली है। भारतीय मुसलमानों और मौजूदा मुस्लिम नेतृत्व के एक बड़े अंश में, आपस में एक गहरी दूरी है, यह भी वे जान गए हैं। उनका लक्ष्य मकीर्ण नहीं है और मुसलमानों के खून-खराबे में रचि हो, ऐसा एक भी प्रमुख नेता रा० स्व० सघ में नहीं है। जब उनका मन राज करने का है, पर उन्हें वी०पी० सिंह मार्का उतावली नहीं है। रा० स्व० सघ के शिघर नेतृत्व में वृद्ध गहरा धैर्य है और आत्मसमय है। वे एक वैचारिक-प्रभाव तथा सांस्कृतिक परिवेश के साथ राज करने को ही राज करना मानते हैं। यह उनका विवेक ही है कि लालकृष्ण आडवाणी आज समकालीन भारत के सबसे

बड़े राष्ट्रीय नेता दिख रहे हैं। न कहीं मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाई गई, न कोई झूठा ढोवा खड़ा होने दिया। न ही राम मन्दिर के प्रति जनोत्साह के साथ विश्वासघात किया गया। एक ऐसी पार्टी जिसके पास समर्थ दार्शनिकों का छोटा-सा समूह न हो, जिसे इतिहास का कोई गहरा ज्ञान न हो, जिसे न ही अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के बारे में जिसमें कोई बड़ी स्पष्टता हो और न ही भारतीय समाज की इकाइयों के बारे में जिसकी कोई साफ राय हो, ऐसी पार्टी में अयोध्या आन्दोलन के बारे में वह कर दिखाया, जो भारत के दिग्गज बौद्धिक की मण्डलियों वाले दलों के द्वारा हो पाने की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

बौद्धिकों की आशाएँ निर्मूल रहनी, तो इसमें उन पर कीचड़ उछालने की उनका उपहास करने की बतर्ई जरूरत नहीं है। आखिर वे भारतीय बुद्धि के ही एक प्रतिनिधि हैं। उनकी सीमाएँ वर्तमान भारतीय बुद्धि की सीमाएँ हैं। पराजित, दमित और अज्ञात। दलात रूपान्तरित समाजों में आरोपित राजकीय ढाँचों के आश्रय में चलने वाले बौद्धिक वर्ग की ये सीमाएँ स्वाभाविक ही हैं। उन बौद्धिकों के प्रति हमें मंत्री और करुणा की भावना से ही देखना चाहिए तथा उनकी कमजोरियों के प्रति करुणा। मिश्रित उपेक्षा का भाव पालना चाहिए। उनमें एक गहरी गुरुभक्ति है। जिन ब्रिटिश अथवा यूरोपीय अमेरिकी गुरुओं के वे प्रत्यक्ष या परोक्ष शिष्य हैं, उनके प्रति उनमें तीव्र आवेश मिश्रित श्रद्धाभाव और समर्पण वृत्ति है। अपने शिष्यदेव के प्रदर्शन में उनका उत्साह समझने योग्य है। परन्तु उनमें एक प्रशिक्षित बौद्धिक रज्जान तो है ही राम जन्मभूमि मुद्दे पर जैसा आघात उनकी बौद्धिक स्थिरता को लगा है, ऐसे कुछ आघात और लगने पर वे निश्चय ही वैकल्पिक चिन्तन की ओर प्रवृत्त होंगे। उनके हुनर का तब शायद समाज में सदुपयोग हो सके। अभी तो वे अपने प्रिय पार्टी-नेताओं की बौद्धिक शाखा भर चने हुए हैं।

एक हिन्दू—बुद्धि के गौर - हिन्दू जैसी कोई बौद्धिक अवधारणा अभी तक के पारंपरिक ज्ञान पर तो असम्भव है। हम मुसलमानों, ईसाइयों आदि को विशिष्ट सम्प्रदाय तो मान सकते हैं, परन्तु अपने से निरान्त भिन्न या विरोधी मानव-समूह नहीं मान सकते। किसी भी हिन्दू विचार में इसका कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर, मुसलमानों और ईसाइयों के अभी के नेता-अगुआ यह मानने की तैयार ही न होंगे कि वे शैबानों, वैष्णवों, लिगायतों, रामनेहियों, कबीरपथियों, रेदानियों, दाहपथियों, प्रणालियों सिखों, जैनों, बौद्धों, सतनामियों आदि-आदि की तरह भारतीय समाज के ही स्वाभाविक अंग के रूप में विशिष्ट सम्प्रदाय हैं। वे तो अपने को बिल्कुल अलग, विशिष्ट सम्प्रदाय माने जाने पर बल देते हैं, क्योंकि उनके धर्मप्रवर्तक वहाँ के नहीं थे। पर भारतीय परम्परा तो ज्ञान के स्तर पर बाहर-भीतर का ऐसा कोई विभाजन अमान्य करती है। तब जाहिर है, मुश्किलें

बहुत आएंगी। हिन्दू बुद्धि इसका क्या समाधान खोजेगी। ये सब बड़े सवाल हैं और बड़ी चुनौतियाँ हैं। हिन्दू बौद्धिकों को इनसे जूझना होगा और इनका समाधान सोचना होगा।

अयोध्या की ओर उमड़ता सैलाव

जो रथ लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से शुरू किया, उसकी स्वीकार्यता का दायरा यकीनन बढ़ जाता यदि उस पर आडवाणी की अगल-बगल मुलायमसिंह यादव, काशीराम, महेन्द्रसिंह टिकैत और करुणानिधि भी खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते। पट्टा तथा शेखावत के अलावा वीरेन्द्र पाटील, चेन्ना रेड्डी, राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अगर विभिन्न राजधानी केन्द्रों में इसकी आवभगत के लिए खड़े होते तो यकीनन पूरी मुहिम की शकल बदल जाती। अगर रथ के आस-पास आ जुड़ने वाले लोगों के 'सैलाव' में सिखों, जैनों, बौद्धों आदि की भागीदारी में भी वही उत्साह नजर आता, तो अयोध्या आन्दोलन की शकल में गुणात्मक बदलाव आ जाता। ऐसा नहीं हो पाया, तो जाहिर है कि विश्व हिन्दू परिषद इस मुख्यधारा-आन्दोलन को सही मायनों में मुख्यधारा बनाने में सफल नहीं हो पाई और पूरी मुहिम भाजपा की रथयात्रा बन गई। पर क्या इसमें आन्दोलन का महत्व खत्म हो जाता है, और रथयात्रा भारत को तोड़ने वाली या साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाली मान ली जानी चाहिए ?

यकीनन आडवाणी की रथयात्रा के दौरान जगह-जगह पर उमड़ने वाला सैलाव देश को तोड़ने के इरादे से इकट्ठा नहीं होता रहा है। खुद आडवाणी भी मानते होंगे कि यह सैलाव उनके डिब्बों में पड़ने वाली वोटों की सहस्र धारा नहीं है। मुलायमसिंह और लालू यादव को भी पता है कि मध्यम और सवर्ण जातियों को बाँटने की जितनी भी राजनीति वे कर लें, पर उनके तमाम वोटरों के मन में अयोध्या के राम जन्म-भूमि मन्दिर बनाने के प्रति उत्साह है। काशीराम बेशक अपनी हर जनसत्ता की शुरूआत सवर्णों को सभास्थल से उठकर चले जाने के धमकी भरे आह्वान से करें, पर अगर वे राजनीति में हैं तो उन्हें भी पता होगा कि देश के दलित समुदाय की निगाहें भी अयोध्या पर टिकी हैं और मन्दिर-प्रवेश निषेध की अन्यायपूर्ण सवर्ण व्यवस्था का जिकार होने के बावजूद वे एक नए समाज का नया मन्दिर अयोध्या में चाहते हैं। राजनीति की साम्प्रदायिक व्याख्या का मोहपाश उन्हें बेशक मुखर न बना रहा हो पर देश के तमाम द्रविड़ों, सिखों, जैनों, बौद्धों आदि की उत्सुकता इस वक्त अयोध्या पर केन्द्रित है। अगर ऐसा न होता तो सोमनाथ-अयोध्या रथ को हर गाँव और नुककड़ पर उस जन-समूह के दर्शन होते जिसे देखकर भी हमारे राजनेता और बुद्धिजीवी अपनी आँखें

बन्द किए हुए हैं। वह मैलाव अकेले सवणों का नहीं हो सकता क्योंकि सवर्ण अपने स्वभाव और संख्या के कारण सैलाब बनने या बनाने की क्षमता नहीं रखते। यह एक हिन्दू सैलाब है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।

आजादी के पहले के वर्षों से ही भारत को देखने के दो नजरिया आम लोगों में प्रसारित किया जा रहा था जो स्पष्ट था पर भारत को एक निश्चित शकल देने के इरादे से उस पर अमल करने वालों की मध्या भारत में बढ़ती जा रही थी। इसके मुताबिक भारत एक हिन्दू देश है। भारत की एकता और उन्नति का भविष्य इस बात पर टिका है कि यहाँ हिन्दू कितना जागरूक और राजनीतिक प्राणी बनता है। इस विचारधारा का निश्चित मत था कि अगर हिन्दू की सामाजिक और राजनीतिक चेतना कमजोर नहीं होती तो यहाँ इस्लामी (और ब्रिटिश) हमले को शक और हूणों के हमलों की तरह असफलता का मुँह देखा पड़ता और सफलता मिल जाने पर भी देश में मुसलमानों का वैसा ही हिन्दूकरण हो जाता जैसा कुषाणों आदि का हो गया। इसलिए यह विचारधारा हिन्दू को एकजुट करने, उसे सामाजिक चेतना देने और सामाजिक प्राणी बनाने में जुट गई। रास्ता चूँकि आसान नहीं था और इतिहास के कई सबक उनके ठीक अर्थों में नहीं समझे गये थे, इसलिए इस विचारधारा में वह बौद्धिक प्रखरता नहीं आ पाई जिसके बिना कोई विचारधारा अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती। पर चूँकि इस विचारधारा में सकल्प और प्रयास की निरंतरता थी इसलिए लोगों के बीच इसका असर बढ़ता गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, विश्व हिन्दू परिषद, राम राज्य परिषद, हिन्दू महासभा आदि कई तरह के संगठनों के जरिए इस विचारधारा का प्रसार किया जाता रहा। राजनीतिक स्तर पर सिर्फ भाजपा (पूर्व जनसघ) ने इसे अपनाया। इसलिए जहाँ मोमनाथ-अयोध्या रथ पर आपको अकेले आड़वाणों और उनकी पार्टियों के लोग बैठे नजर आ रहे हैं, दूसरा कोई नेता चाहकर भी उसके आसपास नहीं फटक रहा, वहाँ रथ का स्वागत करने वाला मैलाव उन लोगों का है जिन पर इस विचारधारा का असर है। असर जितना कम-ज्यादा है, उनकी भागीदारी भी उसी डिग्री तक मुखर है। पर भागीदारी है।

भारत को देखने का दूसरा नजरिया उन लोगों का था, जो देश को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे ढाँचों में फिट करके देखना चाहते थे और आज तक देख रहे हैं। यह विचार-टेक्नोलॉजी भारत को बँटा हुआ, सड़ी गली ब्राह्मण-व्यवस्था का प्रतीक और कई धर्मों, सस्कृतियों राष्ट्रीयताओं का सगम मानकर चलती थी। बुद्धिजीवी कितना समाजनिरपेक्ष और विचारकृपण हो सकता है इसका नमूना भारत में मिला। यहाँ हिन्दुओं के बीच राजनीतिक चेतना जग रही थी, वे इस प्रक्रिया को साम्प्रदायिता बता रहे थे। हिन्दुओं को भारत की एकता

की चिन्ता सता रही थी, पर बुद्धिजीवी बार-बार यही बनाने को उतावले हो रहे थे कि भारत कभी एक नहीं रहा, हमेशा बंटा-बटा रहा है। हिन्दुओं के बीच सामाजिक ममता का दर्शन तेजी से फँस रहा था पर बुद्धिजीवी पुरानी सामाजिक व्यवस्था की दुहाई देकर उसे तोड़ने में खुश हो रहे थे। हिन्दू छुद को जला रहा था, वे इसे साम्प्रदायिकता का प्रतीक बनाकर मुसलमानों को डरा रहे थे कि देखो यह हिन्दू तुम्हें खत्म कर देगा।

अयोध्या-सघर्ष को इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या सामने आता है? आम हिन्दू नहीं चाहता कि वावरी मस्जिद ढहाई जाए, बल्कि कहीं और ले जाई जाए। पर बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों का स्वयंभू ठेकेदार बनकर इस तरह का ब्रह्मचर किया कि हिन्दू इस मस्जिद को ढहाना चाहते हैं और एक नकली तक पैदा कर के मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर मंदिर निर्माण को हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक बनाने के बजाए दोनों के बीच सघर्ष स्थली बनाने लगे। बाबर हमलावर था, इसमें कौन इनकार करेगा? उसके किसी अवशेष को हटाकर अगर हिन्दू अपनी महत्वाकांक्षाओं को राजनीतिक और राष्ट्रीय सदर्भ देना चाहते हैं और एक हमलावर की कारगुजारियों में मशोधन चाहते हैं तो बुद्धिजीवी का फर्ज था कि वह मुसलमानों को इसके तमाम पक्ष समझाकर एक राष्ट्रीय सहमति और सहअस्तित्व की भावना पैदा करता। पर वह तक जुटाने लग गया कि बाबर हमलावर ही नहीं था, कि उसने मंदिर तोड़ा ही नहीं और यहाँ तक पूछा जाने लगा कि क्या प्रमाण है कि राम जन्म यहीं हुआ था? मुस्लिम शासकों ने इस देश में हजारों मंदिर तोड़े और जबरन धर्मान्तरण किया। भारत में हिन्दू-मुस्लिम बंभनस्य की माँग थी कि धर्मान्तरण के विरुद्ध कानून बनाया जाए और सभी नहीं, बल्कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के मन्दिर उन्हें लौटा दिए जाए। देश में हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव और नह-अस्तित्व रहे, इसके लिए क्या यह बड़ी कीमत थी? पर हिन्दू विरोध को अपनी बुद्धिजीविता का पर्यायवाची बना चुके बुद्धिजीवियों को इतनी-सी बात समझ नहीं आई। वे हजारों मन्दिरों के ध्वंस को इस मिथ्या तर्क से सही साबित करते रहे कि इस देश में मन्दिर तोड़ने की परम्परा गूँही है और वैष्णवों ने भी जैन मन्दिर तोड़े हैं। जहाँ-जहाँ हिन्दुओं का मुस्लिम धर्मान्तरण हुआ वहाँ-वहाँ ताली बजाई गई। अयोध्या-मथुरा-वाराणसी की माँग पर सीधे-सीधे हिन्दू-विरोध में खड़े होकर उन्हें साम्प्रदायिक और देश तोड़क कहा गया। सोमनाथ-अयोध्या रथ के साथ उमड़ते जनसमुद्र को और बुद्धिजीवियों की हिन्दू विरोधी प्रतिक्रिया को इस सदर्भ में समझना जरूरी है।

परिणाम भी नामनें है। जहाँ अयोध्या के राम-जन्मभूमि मन्दिर को लेकर हिन्दू लगातार एकजुट और सकलशील होता गया है वहाँ बुद्धिजीवी लगातार अकेले पड़ते गए हैं और अब तो उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है। पहले कहा

गया कि वहाँ मन्दिर था ही नहीं। फिर कहा गया कि वहाँ मन्दिर-मस्जिद दोनों को हटाकर कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। फिर हिन्दुओं को समझाया गया कि आपका धर्म बड़ा उदार है, सहिष्णु है, एक मन्दिर बनने न बनने से क्या होता है; इसलिए मन्दिर बनाने की हठ छोड़ दो। भावनाओं और राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले का हल अदालत से करवाने की पलायनवादी कोशिशों पर आज भी बल दिया जा रहा है। हास्यास्पद बनते हुए यह सीख दी गई कि कण-कण में राम हैं, एक मन्दिर के लिए जिद कैसी? नवीनतम सीख दी जा रही है कि राम मन्दिर के लिए ऐसा हठ राम के चरित्र की विशेषताओं से मेल नहीं खाना।

दिलचस्प है कि बुद्धिजीवियों ने हिन्दुओं के साथ सवाद करने की काफी कोशिशें की, पर मुसलमानों के साथ वैसा एक बार भी नहीं कर पाए हिन्दुओं के साथ भी उनका सवाद इतना सनहरी था कि वे उनकी आकांक्षाओं से कोई ताल-मेल ही नहीं बिठा पाए। इसीलिए वे उन्हें साम्प्रदायिक और देशतोडक कहने का विघ्नसंतोषी सुख अनुभव करते रहे। बुद्धिजीवियों की रटीन मोच का नवीनतम सबूत तब मिला जब अयोध्या की ओर उमड़ने मैनाव को समझने के बजाए वे आठवाणी को अपना रथ रोकने की सीखें छपवाने लगे। रथ रुकने से क्या यह संलाब रक जाएगा, जो अगली सदी के भारत का भाग्य-निर्माण करने वाला है?

विश्व हिन्दू परिषद ने मन्दिर निर्माण की घोषणा कर रखी है। इस संलाब को देखते हुए जाहिर है कि मन्दिर बनेगा। क्रमशः मुसलमान भी समझेंगे कि मस्जिद वहाँ से कहीं और ले जाना देश के साम्प्रदायिक मद्भाव के हित में है। पर अगर उनके साथ मथुरा और वाराणसी के कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ के मन्दिरों के बारे में भी फैसला हो जाए तो भारत उपमहाद्वीप में हिन्दू-मुस्लिम सह-अस्तित्व के बारे में इसकी भूमिका ऐतिहासिक होगी। अगर इस जन-उभार को तात्कालिक मानने की भूल कर सिर्फ अम्थाई या टुकड़ों में फैसले किए गए तो समस्या फिर उभरेगी जिससे इतिहास की अनदेखी करने वाली हमारी आत सीध पर से ही बार-बार पर्दा हटेगा।

दूसरी बात हिन्दू सगठनों की करनी है। सिर्फ मन्दिरों का महारा लेकर अगर बार-बार हिन्दू उभार किया गया तो अततः वह जड़ और फर्मकाण्डी हो जाएगा। आज देश का हिन्दूमानस पूर्ण परिवर्तन चाहता है। पूर्ण परिवर्तन क्या और कैसा होना चाहिए इस पर अगर ठोस विमर्श न हुआ तो यह उभार प्रतिघाती हो सकता है। आज के रथ पर सिर्फ भाजपाई बैठे हैं। कल को इस पर हिन्दुत्व के सभी जाति-पथ-उपराष्ट्रीय वर्गों का बैठा होना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब केन्द्र में हिन्दुत्व हो, सिर्फ मन्दिर नहीं, पूरा भारत हो सिर्फ वोट कामना नहीं। अयोध्या की ओर उमड़ा यह संलाब हिन्दुओं का है, वोटों का

नहीं, जिसकी महत्वाकांक्षाओं और परिवर्तनकामना असीम है। हिन्दू संगठन-कमी इस असीमता का प्रतिरूप नहीं बन पाए हैं। भारत के बुद्धिजीवियों की प्रासंगिता इससे जुड़ी है कि इन दो बातों पर वे कैसा सोचते हैं अन्यथा सैलाब में हरेक को साथ बहा ले जाने की शक्ति होती है, और पीछे जमीन को उर्वरा बनाने की भी।

सच्ची वनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता

गौर से देखा जाए तो साम्प्रदायिकता और देश को काँग्रेस द्वारा प्रदान की गई धर्मनिरपेक्षता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लोग भी काँग्रेसी विचारधारा का ही एक समूह है।

साम्प्रदायिकता और धर्म-निरपेक्षता क्या है, यह जानना आवश्यक हो जाता है। मोटे तौर से धर्म-निरपेक्षता का अभिप्राय सर्वधर्म सद्भाव की नीति से है अर्थात् सभी धर्मावलंबियों की भावनाओं का, हितों का समान संरक्षण परन्तु जैसे श्ठी सिद्धान्त में असमानता आती है, साम्प्रदायिकता का प्रारम्भ हो जाता है। यह निश्चित है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को त्यागकर यह देश आगे बढ़ना तो दूर, जीवित भी नहीं रह सकता। परन्तु धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुसंख्यक वर्ग की जायज भावनाओं की कीमत पर अल्पसंख्यक द्वै और उमका एकीकृत वोट बैंक है, इस सिद्धान्त पर भी हम राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकते।

आजादी के बाद तुष्टिकरण के ऐसे अनेक उदाहरण स्थापित हुए। परिणाम-स्वरूप बहुसंख्यक वर्ग की भावनाएँ आहत हुईं, परन्तु अपनी पारम्परिक उदारता "बसुधैव कुटुम्बकम्" के बशीभूत उसने इस पर ज्यादा महत्व न दिया। कानून की मर्यादा के शव पर शाहबानो प्रकरण, देशी की कीमत पर रुबिया प्रकरण और जगमोहन (प्रशासन) की कीमत पर कश्मीर में तुष्टिकरण के उदाहरण स्थापित हुए। अब शायद बहुसंख्यक वर्ग को लगा कि राम-जन्मभूमि मामले पर उसकी भावनाओं की कीमत पर तुष्टिकरण हो रहा है। तो हाल की उत्तेजना उमकी स्वाभाविक परिणति भर थी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं। विकृत धर्म-निरपेक्षतावादी तत्त्वों का यह विचार है कि आडवाणी की रथयात्रा से ही यह सब कुछ हुआ। पर वे जरा राम-जन्मभूमि मामले में लेकर अतीत के इतिहास के पन्नों में झाककर देखें तो यही कठोर मत्स्य उभर कर आएगा कि साम्प्रदायिकता तो इस देश की परिस्थितियों में ही निहित है। फिर भले ही आडवाणी या भारतीय जनता पार्टी हो या न हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ; आजादी के बाद इतना अवश्य हुआ है कि अब तक के सत्ताधीशों ने अपने-अपने स्वार्थ के अनुसार "साम्प्रदायिक के राजनीतिकरण" का भरपूर प्रयत्न किया है और वे अपने इस

कुत्सित प्रयास में एक हृद तक सफल भी हुए हैं। वरना क्या कारण था कि शिया सम्प्रदाय की बाबरी मस्जिद उनके द्वारा बाहने पर भी हिन्दू समुदाय को नहीं सौंपी गई। देश में व्याप्त यह नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, विकृत धर्मनिरपेक्षता, तुष्टिकरण की नीति इन्हीं सत्ताधीशों द्वारा साम्प्रदायिकता के राजनीतिकरण के प्रयास की उपज है।

साम्प्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का परिणाम है, यह विचार वास्तविकता में परे है। जब-जब बहुसंख्यक वर्ग ने किसी भी मंच से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया, अपनी जायज, तथ्यपरक मांगों को एकजुट होकर उठाने का प्रयास किया, तब-तब इन्हीं सत्ताधीशों ने उस विचार को, उस मंच को साम्प्रदायिक करार दिया। फिर भले ही वह मंच भारतीय जनता पार्टी का हो, विश्व हिन्दू परिषद का हो या कोई भी अन्य हो। ऐसा करना ही तो इन विकृत धर्मनिरपेक्षतावादी तत्वों के अस्तित्व की गारन्टी है। अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग में अनावश्यक रूप से आतंकित रखना, फिर स्वयं को उनकी रक्षा करने वाला ममीहा बनाकर उपस्थित करना इनकी इसी शैली का हिस्सा है।

एक धर्मनिष्ठ हिन्दू या मुसलमान होना साम्प्रदायिकता नहीं है परन्तु जब अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने की बजाय तथ्यों को नकारते हुए दूसरे की उपासना पद्धतियों, उसकी भावनाएँ आहत करने को अपने मजहब के प्रति निष्ठा मापदण्ड मानते हैं तो वह साम्प्रदायिकता हो जाती है। मौलाना आज़ाद एक मजहब परस्त मुसलमान थे, साम्प्रदायिक नहीं। दूसरी ओर मुहम्मद जिन्ना एक मजहब परस्त मुसलमान तो नहीं थे। परन्तु घोर साम्प्रदायिक अवश्य थे। गाँधी भी तो एक धर्मनिष्ठ हिन्दू थे। यहाँ तक कि भारत में राम-राज्य की स्थापना की कल्पना उन्हीं की थी। इसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष भी किया। तो क्या वे साम्प्रदायिक थे ?

आज देश की परिस्थितियों का नकाजा है कि अल्पसंख्यक समाज प्रदूषित, विकृत धर्मनिरपेक्षता को रथायकर एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाने का साहम दिखाएँ। अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण अतीत को शान में स्वीकार करने समय हमें उनके द्वारा की गई गलतियों को भी स्वीकार करने का साहम दिखाना होगा। बालकिला गौरव का प्रतीक है तो बाबर द्वारा निर्मित एक ढाँचे को नकारने से क्या हर्ज है ?

भारत के मुसलमानों का कर्तव्य

मुसलमान आज डरे हुए हैं। पचपन साल में जिस बाबरी मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा नहीं की, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र उन्हें नहीं है। १९४९ से जो

रामपूजा वहाँ चल रही है, उसका भी मुसलमानों ने लकनीकी विरोध ही किया है। कोई बखेडा उन्होंने खड़ा नहीं किया, जैसा कि बैण्डबाजो को लेकर किसी भी शहर में हो जाता है। फैजाबाद और अयोध्या के युगल-नगरों में इस बात को लेकर कोई हिन्दू-मुस्लिम तनाव नहीं रहा कि मुस्लिम गुम्बदों के नीचे हिन्दू पूजा चल रही है। लेकिन मुसलमान आज डरे हुए हैं, तो इसका कारण यह है कि बाबरी मस्जिद उन्हें एक स्याह सिलसिले की शुरुआत नजर आती है। विश्व हिन्दू परिषद ने यदि आज बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या हटा दिया (तोड़ने की वकालत करने वाले बाल ठाकरे जैसे नेता भी हमारे बीच हैं, ही), तो कल हज़ारों मस्जिदों को हटाने के लिए कहीं कस्बे-कस्बे में आन्दोलन शुरू न हो जाए। अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण का अर्थ कहीं यह न हो कि मुसलमानों को इस देश में अनिच्छा में एक नई जीवन-शैली स्वीकारनी होगी।

लेकिन असुरक्षित सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। १९४७ के बँटवारे के कारण, पाकिस्तान की शत्रुता के कारण और मध्ययुगीन इतिहास की अपनी समझ के कारण करोड़ों हिन्दू भी अपने को असुरक्षित पाते हैं। (करोड़ों मुन कर ज्यादा चिन्तित न हो, क्योंकि दसियों करोड़ हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हें शायद कोई असुरक्षा न आज है, न पहले कभी रही। लेकिन भारत के बारे में कोई भी आकड़ा इकट्ठा कीजिए, जैसे भारत में गजे लोगों की संख्या तो करोड़ आसानी से हो जाएगी। क्या करें, देश ही इतना बड़ा है। इन हिन्दुओं में इतने लम्बे चौड़े हिन्दुस्तान के राज से कोई आत्म-विश्वास पैदा नहीं हुआ। इन्हें इस बात से ज्यादा मतलब है कि बाबरी मस्जिद के ठीक नीचे एक नये राम मन्दिर का गर्भ गृह बने ताकि हज़ारों टूटे हुए मन्दिरों का एक प्रतीकात्मक प्रायश्चित्त हो सके। और क्योंकि मामला राम का है, इसलिए राजीव गाँधी को शिलान्यास की इजाजत देनी पड़ती है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह मस्जिद परिसर का राष्ट्रीयकरण करने वाला अध्यादेश निकालते हैं। मामला राम का है, और भाजपा सहयोग दल था, और हिन्दू-निन्दा के पुराने धर्म निरपेक्ष तर्कों से आजकल कोई प्रभावित नहीं होता, इसलिए न भाजपा को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है, न राम रथयात्रा पर पाबन्दी लगाई जाती है, न आडवाणी को हफ्तों तक गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि एक ऐसा समाधान खोजा जाता है, जो न राम के प्रतिकूल हो न मुसलमानों के।

इस माहौल का सुधारने में मुसलमानों का क्या योगदान हो सकता है, मान लीजिए यदि हिन्दू इस बार ज्यादा जिद पर चढ़े हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या अपने डर की खोल से निकल उन्हें मनाने का ऐतिहासिक काम नहीं कर सकते?

महात्मा गाँधी ने भारत लौटकर अपने आन्दोलन की शुरुआत हिन्दुओं की

दुखती रग को छू कर नहीं, बल्कि मुसलमानों की दुखती रग को पकड़ कर की थी। पहले महायुद्ध में तुर्की की हार के बाद तुर्की में खिलाफत (अर्थात् खलीफा का पद) खतम न हो, यह भारतीय मुसलमानों के लिए सन् १९१९ में सर्वाधिक चिन्ता का विषय था। महारमा गांधी जब भारत में खिलाफत के शिखर-नेता बने, तो इसका नतीजा यह हुआ कि स्वामी श्रद्धानन्द दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसलमानों के बीच भाषण देने लगे। क्या हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा एक दिन दुबारा नहीं आना चाहिए, जब कोई शकराचार्य जामा मस्जिद में भाषण दे सके और कोई मुस्लिम फकीर (अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की तरह) अयोध्या के नए राम मन्दिर की नींव रख सके।

यदि हिन्दुओं की आस्थाओं और उनकी (या उनमें से कुछ की) सही या गलत असुरक्षाओं को हमदर्दी में देखकर मुसलमान यह उदार और भव्य फैसला कर सकें कि वे बाबरी मस्जिद हिन्दुओं को सौंप देंगे, तो बीसवीं सदी के इन नब्बे वर्षों में इकट्ठा हुआ सारा हिन्दू-मुस्लिम जहर और मवाद एक क्षण में पलश होकर बह सकना है और एक विलकुल नया खून इस उपमहाद्वीप की धमनियों में बहना शुरू हो सकता है। गांधी इस जमीन पर जीतेगा, यह अब सिर्फ इस देश के हिन्दुओं का ही नहीं, बल्कि मुसलमानों का भी मिशन होना चाहिए, क्योंकि आखिर अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आजाद, डॉ० अन्सारी और हुकीम अजमल खाँ, जाकिर हुसैन और रफी अहमद किदवाई की विरासत भारत के मुसलमानों की भी विरासत है।

करोड़ों मुसलमान होंगे, जो मन में सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए, तो कितना अच्छा हो। कुछ लोग तो अब बोल भी रहे हैं। जैसे ऑल इन्डिया शिया कांफ्रेंस के अध्यक्ष अंजुम कादिर ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि हिन्दू लोग १९४७ से काफी पहले से यह मानते रहे हैं कि जहाँ आज बाबरी मस्जिद है, वही राम का जन्म-स्थान था, तो हम स्वेच्छा से मस्जिद हटा लेंगे, बशर्ते कि संसद में यह कानून पास हो जाए कि मथुरा और वाराणसी की मस्जिदों को, और देश की सभी धार्मिक इमारतों की यथास्थिति कायम रखने का भारत सरकार बचन देती है। लालकृष्ण आडवाणी ने पिछले दिनों जब एक पुस्तक का विमोचन इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर में किया था, तब उन्होंने भी कहा था कि अयोध्या के बाद पूर्ण विराम लगाने का समझौता हो जाना चाहिए।

इस अपील का मतलब यह है कि मुसलमान भी हिन्दुओं की भावुक जहरतें समझकर उनके साथ पुल बनाएँ। मसलन शाहवालों के मामले में स्वतंत्र विवेक इस बात का पक्ष ले रहा था कि मुसलमान औरतों को हक मिले लेकिन जब हमें लगा कि इस कदम को देश के मुसलमान अपने निजी मामले में राज्य का भयावह हस्तक्षेप मान रहे हैं, और गलत ही सही, एक गुबार उनके मन में इकट्ठा हो रहा

है, तो कांग्रेस ने राजीव गांधी के मुस्लिम पर्सनल ला संशोधन का समर्थन किया। मुस्लिम समाज सुधार से ज्यादा जरूरी उसने यह माना कि मुसलमान यहाँ अपना नागरिकता-बोध न खो दें। सलमान रसदी की किताब पर पाबन्दी लगाई जाए, यह स्वतन्त्र विवेक को गवारा नहीं था। लेकिन सारे मुसलमानों को नाराज करके एक किताब भारत में बिके, और फिर दंगे हो, जिनमें सैकड़ों जानें जाएं, इस भारी कीमत के लिए हम एक किताब के खातिर तैयार नहीं थे। तो मुस्लिम संवेदनाओं को समझे वगैर तो इस देश का काम ही नहीं चल सकता। लेकिन हिन्दू संवेदनाओं को समझे वगैर भी मुसलमानों का काम नहीं चल सकता इस बात को आज हमें रेखांकित करना होगा।

अब हमें देखना है कि समस्या के समाधान में अब तक कौन-कौन से विकल्प प्रस्तुत हुए हैं—

ज० ने० वि० वि० के इतिहासज्ञों ने अपनी विस्तृत व्याख्या के माध्यम से विवाद का हल ढूँढ निकालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार “रामजन्मभूमि की सीमा निश्चित कर दी जाय और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाय।” यह सत्य है कि यह मुस्लिम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं है। संयुक्त शहाबुद्दीन ने तो इस प्रस्ताव को सभी धर्मों का अपमान कहा है। जहाँ मावसंबादी और मुस्लिम सम्प्रदायवादी एक साथ हो जाते हैं वहाँ यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इससे प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं हो सकता जैसा कि ‘एल्सट’ का मत है।

“यदि हम उमर मस्जिद जेरुसलम की चर्चा करें तो मुसलमानों के लिए वावरी मस्जिद अर्घं विजय ही होगी जबकि हिन्दुओं के लिए यह एक भयानक पराजय होगी। इसलिए ज० ने० वि० वि० के इतिहासकारों को अपने आपको ही धोखा नहीं देना चाहिए...।”

एक सलाह यह दी गई कि जहाँ वावरी मस्जिद बनी हुई है इसे हिन्दुओं के संस्कृति के दो रूप में परिणित कर दिया जाय और इस स्थान पर राम-जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण की अनुमति दे दी जाय। वावरी मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर ठीक उसी प्रकार ले जाया जाय जैसे ‘आबू सिम्बेल’ मन्दिर को मिस्र में अश्वान डैम के रास्ते से दूर ले जाया गया था। भारत के पास भी ऐसी तकनीक है। यह हमसे सिद्ध होता है कि ८०० वर्ष पुराना कुदावनी सगमेश्वर मन्दिर (मेहवूवनगर आन्ध्रप्रदेश) को इस स्थान से ६०० मी० दूर ले जाया गया। इम

१. कोएनार्ड एल्सट—रामजन्मभूमि बनाम वावरी मस्जिद, हिन्दू मुस्लिम द्वन्द्व का विस्तृत अध्ययन।

सलाह का, भा० ज० पा०, शिवसेना और हिन्दू महासभा ने समर्थन किया है। उसी समय अनेक शिया मुस्लिम नेताओं ने इस योजना को मान लिया था। अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन के महासचिव अशगर अली अब्बास ने कहा—“हम उसे हिन्दुओं के सरलकत्व में देना चाहते हैं क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित है। हमें अपनी मस्जिद कुछ दूर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है जिसके लिए कि हिन्दुओं ने पहले से ही अपना मत व्यक्त कर रखा है।”

इकबाल अहमद, भा० ज० पा० उ० प्र० की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य ने घोषणा की है कि—

“राम हमारे पूर्वज थे और राममन्दिर का निर्माण हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों का ही नैतिक दायित्व है।”

भारतीय मुस्लिम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार से प्रार्थना की कि वैधानिक तरीके से वावरी मस्जिद को हिन्दुओं को दे दिया जाय।

बौद्धधर्म गुरु दलाई सागा ने, इस स्थान को हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिए पूजा और नमाज के लिए प्रयोग करने का मन व्यक्त किया।

परन्तु मुसलमान बावरी मस्जिद में मूर्ति प्रतिस्थापन के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हैं, हाँ जो छूट वे हिन्दुओं को देना चाहते हैं वह यह है कि हिन्दू यदि चाहे तो बावरी मस्जिद के पास राम मन्दिर बना लें।

जहाँ तक न्यायिक निर्णय का प्रश्न है हिन्दुओं का मन है कि इस मामले में न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता। इस विचारधारा के समर्थन में हिन्दुओं द्वारा अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं—

- (i) राममन्दिर को बनाकर जो 'अपराध' सुधार किया जा रहा है वह इसके पहले भी सोमनाथ में वर्तमान कानून और गणतन्त्र के अस्तित्व के गमक्ष किया जा चुका है।
- (ii) वर्तमान कानूनों के प्रावधानों में हिन्दुओं के तीर्थस्थानों की रक्षा का कोई महत्व नहीं है। यह तो तभी से सिद्ध हो गया था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने सगड़े पर यह निर्णय लिया था कि “ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कुछ प्रश्नों को न्यायिक प्रक्रिया से हल करने में सदेह है।”
- (iii) वावरी मस्जिद की न्यायिक स्थिति मुसलमानों और अंग्रेजी शासकों द्वारा स्थापित की गई थी जो हिन्दुओं के अधिकारों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। जैसा कि एल्सट्रु का मत है “प्रत्येक स्वतन्त्रता आन्दोलन विश्व में शक्ति ढाँचे को ही नहीं न्यायिक ढाँचे को भी प्रभावित करते रहे हैं। इस दृष्टि कोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायिक निर्णय तो सन १५२८ में उत्पन्न स्थिति पर ही अटल है।

इस सस्कृति में न्याय स्पष्टः केवल पिछले अभिलेखों पर आधारित रहता है।

- (iv) हिन्दू कानून की सरचना के अनुसार हिन्दुओं का यह एक वैधानिक मामला है। इस मामले में, भगवान राम की वैधानिक सम्पत्ति सन् १५२८ में छिन गई थी। और इल्सट् के अनुसार ईश्वर ही अपने मन्दिर का मालिक होता है और अब भगवान राम उस पर अपना अधिकार वापस माँग रहे हैं।

डॉ० गुप्त के शब्दों में "हिन्दू कानून में देवता एक ब्यक्तियता है, जो भूमि को कानूनी अधिकार से अपने पास रख सकता है।" इस प्रकार वेदी या रामजन्म स्थान पर (हिन्दुओं का) पूर्ण मालिकाना अधिकार है।

इल्सट् का कहना है कि—

"जैसा कि 'सैटेनिक वर्मोज' आदि के सम्बन्ध में हिन्दुओं ने अपना योगदान दिया है, हिन्दुओं को भी दुर्भाग्यपूर्ण विवाद में आशाजनक परिणाम मिलने चाहिए। एक मैत्रीपूर्ण उभयपक्षी निर्णय कि रामजन्मभूमि हिन्दुओं के लिए छोड़ दी जाय, हिन्दुओं के लिए एक शिक्षाप्रद पाठ यह होगा। और इससे मुसलमानों को भी यह शिक्षा मिलेगी कि वे अपनी तृतीय श्रेणी की भावना को, अन्य समुदायों के लिए अधिक महत्त्व और पवित्रता युक्त स्थान के लिए, त्याग सकते हैं। इससे मुसलमानों का अपना ही इतिहास उजागर होगा और यह शिक्षा भी मिलेगी कि वे भी दूसरों के लिए सम्मान रखते हैं।"

जैसा कि इन्फा के विख्यात स्तम्भ लेखक, पत्रकार इन्द्रजीत का विचार है कि आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष है क्योंकि यहाँ हिन्दुओं का बहुमत है। "इस बहुसंख्यक को इस्लाम में बदलते निश्चय ही अपना देश भी पाकिस्तान अथवा बंगलादेश की भाँति एक इस्लामी गणतन्त्र हो जाएगा और इन अल्पसंख्यकों का, जो धर्म-निरपेक्षता की जोर-जोर से शपथ लेते हैं कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा।

जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त पर बहुतेको आशा थी कि भारत हिन्दू राष्ट्र होगा। लेकिन हिन्दुओं ने, जिनका यहाँ अत्यधिक बहुमत था, उदारतापूर्वक भारतीय मुसलमानों की भूमिका को भुला दिया और गाँधी और नेहरू की युगो पुरानी नीतियों के आधार पर इसे धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। अतः सभी विचार धाराएँ अल्पसंख्यकों पर केन्द्रित हो गईं। राष्ट्रीय नेताओं ने विश्व के समक्ष पूर्ण विभाजन के समय हिन्दू और मुस्लिम को दो नहीं एक सिद्ध करने का प्रयास किया। अनायास हजारों वर्षों से क्रूरता के शिकार बने हिन्दुओं में भी कुछ आशा की किरणें आईं। लेकिन किसी ने भी हिन्दुओं की मनोस्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया। कही तक तो नई दिल्ली भी इस विषय में पीछे रही। आज भी

पंजाब के सम्बन्ध में निर्णय लेने में, जहाँ की ४६% जनता हिन्दू है, और जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में भी, वही स्थिति विद्यमान है।”

“हिन्दुओं ने विभाजन के समय धर्म निरपेक्षता की मर्यादा रखी तो मुस्लिम नेताओं को चाहिए था कि वे उनके शासकों द्वारा अधिग्रहीत विवादास्पद स्थानों का यथाशीघ्र निबटारा करा दे। उदाहरणार्थ अयोध्या में राम मन्दिर, काशी का विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा का कृष्ण मन्दिर हिन्दुओं के पवित्र एवम् सम्माननीय स्थल रहे हैं जिनके बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके प्रति दोनों सम्प्रदायों (हिन्दू और मुस्लिम) का अगाध स्नेह रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब-जब संघर्ष की घड़ियाँ आईं देश की धर्म निरपेक्षता हर बार भ्रष्टे आ गई। रामजन्मभूमि विवाद एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से विस्फोटित ज्वालामुखी अपूरणीय हानि का कारण बन सकती है।

“अयोध्या का राम मन्दिर मुसलमानों द्वारा स्वयमेव हिन्दुओं को दे देना चाहिए और उन्हें अपनी मस्जिद को अन्यत्र कहीं ले जाने के उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है।” जैसा कि अरब विश्व के संदर्भ में इन्द्रजीत का कहना है—“मैंने सउदी सरकार के आमन्त्रण में रियाद और जेद्दाह की यात्रा की है—जहाँ मस्जिदों को चाहे वे ऐतिहासिक हों या विशाल, स्थानापन्न या गिराई गई ही हैं जिनमें कोई धार्मिक और भावनात्मक प्रधानता नहीं है। इसी प्रकार वहाँ कब्रों में कोई भी बाधा नहीं आती। कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों को (सउदी राजधानी को पुनर्नियोजित एवम् आधुनिक और सुन्दर बनाने के लिए) दूमरी जगह ले जाया गया है।

मुसलमानों को हिन्दुओं की मनोदशा को समझना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्ष में हिन्दुओं के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। विवाद जहाँ आ कर अड़ गया है, वहाँ में सतुलित, सम्यक् और स्थायी समाधान तभी निकलेगा, जब वह दोनों पक्षों को अपनी विजय का एहसास दिलाए और किसी को पराजित होने का दुःख न पहुँचाए। ऐसे समाधान धार्मिक या आध्यात्मिक नेता ही दे सकते हैं। ऐसे नेताओं के विचारार्थ जन बल योगोद्योग विद्यापीठ के आचार्य अम्बिका प्रसाद ने एक सुझाव यह प्रस्तुत किया है :

एक : हिन्दुओं को विजय का एहसास दिलाने के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान उसे राम जन्मभूमि मान लें। मुस्लिमों को फतेह का एहसास दिलाने के लिए मूर्तियाँ वहाँ से हटा ली जायें तथा निकट ही प्रस्तावित मन्दिर में रख दी जायें। मस्जिद का ढाँचा ज्यों का त्यों बना रहे।

दो : उस ढाँचे को हिन्दुओं के ध्यान केन्द्र और मुस्लिमों की इबादतगाह के रूप में प्रयुक्त किया जाये। कबीर, गाँधी या किसी भी ध्यानयोगी की तरह वहाँ

हिन्दू श्रीराम की निर्गुण रूप में ध्यानोपासना कर सकते हैं, जब कि मुस्लिम अपने ढंग से वहाँ नमाज या इबादन कर सकते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से दोनों धर्मानुयाइयों के लिए, आवश्यकता हो तो अलग-अलग समयावधि निश्चित की जा सकती है।

तीन मन्दिर निर्माण में हिन्दू-मुस्लिम दोनों धर्मों के कारसेवक और आर्थिक योगदान हो। इसके प्रतिदान के रूप में हिन्दुओं द्वारा संलग्न भूमि में मन्दिर और सांस्कृतिक केन्द्र के साथ 'राम-रहीम' या पैगम्बरी अस्पताल का निर्माण कराया और उसे बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को सौंपा जा सकता है। तब यह पूरा परिसर न केवल एक धार्मिक बल्कि अध्यात्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक केन्द्र बन जायेगा और दोनों धर्मों के लोगों को शाश्वत विजय का एहसास दिलाता रहेगा।"

आज स्थिति यह है कि ६ दिसम्बर से शुरू कारमेवा कार्यक्रम भी सफल होने की उम्मीद नहीं है, अतः उसे सत्याग्रह और जेल भरो आन्दोलन का नाम दिया गया है। साफ है कि परिपद यह मान कर चल रही है कि उसकी मांग सरकार को मंजूर नहीं होगी। भ्यायालय से विश्व हिन्दू परिपद को कोई आशा नहीं है। परिपद का यह भी कहना है कि मामला जन विश्वास का है, अतः राम जन्मभूमि विवाद का न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता। सरकार राजी नहीं।

ऐसी सूत्र में दो ही रास्ते बचते हैं — (१) जोर-जबरदस्ती कर विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा कर लिया जाए और मन्दिर निर्माण शुरू कर दिया जाए। (२) मुसलमान समाज में सघन काम किया जाए और उसे राजी किया जाए कि वह बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा दे। पहला रास्ता व्यर्थ साबित हो चुका है। अतः दूसरा रास्ता आजमाने के अलावा चारा क्या है? एक सुझाव और है:

"प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर का कहना है कि वे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने को अपना नम्बर एक काम मानते हैं और इसके लिए सबसे बात करेंगे। कर भी गृहे हैं। यदि चन्द्रशेखर की मेहनत से समाधान निकल आता है तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? मुसलिम समुदाय और भाजपा के बीच जो ३६ का रिश्ता बन गया है, वह तो बना ही रहेगा। आज की सबसे कठिन चुनौती यही है कि इस रिश्ते को कैसे बदला जाए। भाजपा, विश्व हिन्दू परिपद, बजरंग दल आदि हिन्दूवादी संस्थाएँ यदि मुसलमानों से सीधा संवाद करती हैं तो न केवल राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त होगा, बल्कि ये संस्थाएँ जिस भारत का स्वप्न देखती हैं, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा।

यह भी स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद को हटाने का काम, जो भाजपा की मांग है, हिन्दुओं की ओर से नहीं हो कर मुसलमानों की ओर से हो, तो यह हिन्दू

मुस्लिम रिश्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हिन्दू यह काम करेंगे, तो मुसलमानों के दिल में कमक बनी रह जाएगी। मुसलमान करेंगे, तो हिन्दू उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करेंगे और गर्म जोशी दिखाएँगे। लेकिन मुसलमान बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए तभी तैयार होंगे, जब वे इस ओर में सचमुच आश्वस्त हो जाएँगे कि (१) यह साम्प्रदायिक सौहार्द के हित में जरूरी है। (२) इस अनुरोध के पीछे मुसलमानों के प्रति भाजपा की कोई दुर्भावना नहीं है। मुसलमानों में यह आश्वस्त पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद आदि के कार्यकर्ता मुस्लिम बस्तियों में काम करने के लिए समय निकालें, मुसलमानों के घरों में जाएँ तथा उन्हें अपने तर्कों में कायल करें। इस दिशा में हिन्दूओं के बीच काफी काम हो चुका है। जरूरत मुसलमानों को प्रबुद्ध करने की है। राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा का यह एक राजनीतिक कर्त्तव्य भी है। आखिर वह भारतीय जनता पार्टी है, हिन्दू जनता पार्टी नहीं।

भाजपा को यह महसूस करना चाहिए कि इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों की प्रतिनिधि मस्थाओं से बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब्बल तो ऐसी सस्थाएँ ही हो नहीं, जो अभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हो। यदि उन्हें प्रतिनिधि मान लिया जाए, तो भी सिर्फ कुछ मौलवियों या सामदों को राजी करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वह एक राजनीतिक सौदेबाजी होगी। सौदेबाजों से मुसलमान समाज के विचारों को नई दिशा नहीं दी जा सकती। उसमें आम मुसलमान का रख और कठोर होगा। इसके विपरीत यदि व्यापक मुसलमान समाज में काम किया गया और उसे 'बहुसंख्यक हिन्दू समाज' की भावनाओं से अवगत कराया गया, तो यह एक गहरा सांस्कृतिक राजनीतिक काम होगा। इसके परिणाम भी स्थायी होंगे। इतनी बड़ी संख्या में हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के नजदीक आएँगे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा।

भाजपा को शिकायत रही है कि उसके अलावा सभी दलों ने मुस्लिम तुष्टि-करण किया है। भाजपा मुसलमान समाज में इसके खिलाफ भी काम कर सकती है। वह मुसलमानों को समझा सकती है कि किम तरह उन्हें वोट बैंक बना दिया गया है तथा उनके अनुचित तुष्टिकरण के द्वारा उनका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। आखिर मुसलमान इतने बेवकूफ तो हैं नहीं कि जिस बात को भाजपा के लाखों कार्यकर्ता बरसों से समझ रहे हैं, उसे वे न समझ सकें।

फिर मुस्लिम निजी कानून का भी सवाल है। भाजपा का कहना है कि सबके लिए समान सिविल कानून होना चाहिए। संविधान का भी यही आदेश है। लेकिन समान सिविल कानून तभी लागू होगा, जब मुसलमान समाज की ओर से उसकी माँग उठेगी। भाजपा को मुसलमान समाज में यह माँग पैदा करने का

भी उद्योग करना चाहिए। कायदे में तो यह प्रबुद्ध मुसलमानों का कर्तव्य है। लेकिन जब वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो यह काम भी उनके हिन्दू शुभ-चिन्तकों को ही करना पड़ेगा। हो सकता है भाजपा को उस काम में बहुत कठिनाई आए। मुसलमान मर्द चार शादियाँ करने और 'तलाक' शब्द का तीन बार उच्चारण कर विवाह-विच्छेद की सुविधा से क्यों वंचित होना चाहेंगे? लेकिन जाहिर है कि चूँकि मुसलमान औरतों को चार शौहर रखने की छूट नहीं है और तलाक हासिल करना बहुत कठिन है, अतः वे मन-ही-मन इस कानून के खिलाफ होंगी। अतः भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद आदि की महिमा कार्यकर्तारों को मुसलमान औरतों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुसलमान समाज के प्रबुद्ध और आधुनिक पुरुषों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।”

१०. संभावना : कुछ पटकथाएं

यदि विवाद का ऐसा स्थायी समाधान नहीं होता है तो भविष्य को लेकर कुछ संभावनाएँ मन में उभरती हैं। इनकी कुछ पटकथाएँ (मिनेरियो) इस प्रकार होंगी :

एक : अखिल इस्लामवाद से टक्कर

भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री एव आर्यसमाजी नेता प्रो० शेरसिंह के अनुसार :

"इक्कीसवीं शताब्दी में जिस भयंकर त्रासदी की कल्पना से आज विश्व आतंकित व चिन्तित है वह आधी से ज्यादा दुनिया में फैली, कट्टरपन्थी मुल्लाओं द्वारा संचालित अखिल इस्लामवाद और उससे जनित अलगाववाद और आतंकवाद की मुहिम है। इसमें तनिक भी मन्देह नहीं कि इस्लामी कट्टरपन्थी का यह दम अणुबम से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकता है क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया में दूमरे मजहबों में भी कट्टरवाद फैलेगा और यह टकराव मानव समाज के विनाश के लिए उत्तरदायी होगा। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती थैंचर विश्व को यह चेतावनी दे रही थी कि इक्कीसवीं शताब्दी में इस्लामी कट्टरपन्थी मुल्ला ही विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे।

"अखिल इस्लामवाद के नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए जो साधन चाहिए थे, अरब देशों से वे मिलने लगे। छप्पर नहीं, पाताल फोड़कर, बेतहाशा पेट्रोल डालकर अरब देशों के हाथ लगे। इसके लिए न उनको कुछ तप करना पड़ा और न परिश्रम। इन देशों की भूखूमि के नीचे तेल निकल आया और उसके निकालने के लिए अन्य पश्चिमी देशों द्वारा विकसित यंत्र और तकनीक सेवा में उपस्थित हो गए। पहले लीबिया ने इस्लामिक परमाणु बम बनाने के लिए अरबों रुपये पाकिस्तान और उसके वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की और बाद में अमेरिका और लीबिया का विवाद छिड़ने के बाद वही काम सऊदी अरब ने किया। पाकिस्तान परमाणु बम बना पाया है या नहीं और यदि बना पाया है तो इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं, यह तो निश्चय से नहीं कहा जा सकता।

परन्तु अखिल इस्लामवाद द्वारा जनित अलगाववाद तथा आतंकवाद रूपी 'इस्लामिक वम' का विस्फोट तो जगह-जगह हो रहा है।

अखिल इस्लामवाद के चषिते अब ईरान, सऊदी अरब तथा अन्य मुस्लिम कट्टरवादिता में विश्वास रखने वाले देश, जिन-जिन देशों में मुसलमान रहते हैं उनके अन्दरूनी मामलों में दखल देना अपना अधिकार मान बैठे हैं, और उन देशों को अस्थिर करने और तोड़ने के लिए अलगाववादियों को सब प्रकार की सहायता पहुँचाने को हक बजानिब कहने में जरा भी सकोच नहीं करते। कुछ तो अरब देशों के नेताओं, सुल्तानों व अमीरों की महत्वाकांक्षाओं के कारण, कुछ आर्थिक स्वार्थों के टकराव में उपजे विवादों के कारण और कुछ पश्चिमी देशों की कूटनीति के कारण, अरब देश आपस में बँटे हुए हैं, नहीं तो अलगाववाद और आतंकवाद भारत, रूस और चीन में और भी विकराल रूप धारण कर लेते। इन देशों में जो खेल हो रहा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इनमें सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है, क्योंकि मध्य एशिया में वह फ्रंट लाइन देश माना जाता है और उसकी पीठ पर है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश।

पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही अपने आपको मुस्लिम देश कहते हैं। पाकिस्तान में हिन्दू तो नाममात्र ही रह गए, मिन्ध से वे भी पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश से भी बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू और बौद्ध निकल आए हैं। जो हैं, उनको बराबर के नागरिक का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में अहमदियों को कोई नागरिक अधिकार नहीं। मुहाजिर भी जैसे-तैसे दिन काट रहे हैं।

अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए अमेरिका ने जैसे ही पाकिस्तान को अफगान मुजाहिदीनों के लिए हथियार, पैसा और अन्य साधन दिए, वैसे ही पाक में मुजाहिदीन के साथ-साथ पंजाब के सिख नौजवानों और कश्मीर के पाक समर्थक जवानों को हथियार, प्रशिक्षण और दूसरे साधन देने शुरू कर दिए। जब भारत ये तथ्य दुनिया के सामने रखता है तो वह भारत को अस्थिर करने और तोड़ने के लिए दी जाने वाली प्रमाणित मदद से भी साफ इन्कार कर देता है और प्रतिक्रिया में और अधिक मदद देने लगता है। अब जब अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस चली गईं और मुजाहिदीन अफगानिस्तान की सरकार को नहीं उखाड़ सके, तब अमेरिका ने रूस से मिलकर सैनिकों की बजाय समस्या का राजनीतिक हल निकालने की सोची। परन्तु विल्ली के भागों छीका टूटा, इराक का द्वन्द्व अमेरिका और सऊदी अरब के साथ छिड़ गया। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रपति ने बेनजोर को चलता किया और सऊदी अरब में अमेरिकी सेना आ गई। फारस की खाड़ी में अमेरिका की सहायताय पाकिस्तान अग्रिम पंक्ति वाला देश बन कर खड़ा हो गया। अब फिर अमेरिका की नौसेना के तथा दूसरे आधुनिक हथियार और साधन उसके पास आ

गए और उनके राष्ट्रपति इसहाक पॉ ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाकर अपनी अधूरी क्रांति को पूरा करने की बात कह डाली ।

मुस्लिम अलगाववाद और अखिल इस्लामवाद का प्रहार विशेष रूप से तीन देशों को झेलना पड़ेगा । वे तीन देश हैं भारत, रूस और चीन । भारत में मुस्लिम आबादी करीब दस करोड़ है, रूस में सात-आठ करोड़ और करीब-करीब इतनी ही चीन में है ।

अफ़गानिस्तान, तुर्की, इरान, चीन आदि देशों से घिरे हुए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि रूस के रिपब्लिकों में जहाँ मुसलमानों का बहुमत है, रूस से अलग होने की बात चल पड़ी है । आर्मीनिया ने अपने आपको वास्तिकों के रिपब्लिकों की तरह स्वतन्त्र भी घोषित कर दिया है । उन रिपब्लिकों में कुछ जगहों पर फ़माद भी हुए हैं और लोग हताहत हुए हैं । चीन के प्रदेश सिक्कीम, जिनज्यांग में भी अवस्था बिगड़ रही है । मुस्लिम अलगाववाद और आतंकवाद ही मीनों देशों को अस्थिर करने और तोड़ने में लगा हुआ है । इसी कारण इस क्षेत्र में राजनैतिक परिवर्तन आया है और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के समीकरण बदल रहे हैं । अब रूस और चीन एक दूसरे के मित्र हैं, भारत और चीन के सम्बन्धों में भी सुधार आया है और आशा है कि उनमें उत्तरोत्तर सुधार होना जाएगा । इन तथ्यों में यह वास्तविकता विश्व के सम्मुख स्पष्ट हो गई है कि आतंकवाद जहाँ कहीं भी वार करता है उसके पीछे मुस्लिम अलगाववादियों का ही हाथ होता है ।”

इसी सम्भावना के तहत भारत में हिन्दुओं की घटती आबादी का भाजपा नेता विजय कुमार मलहोत्रा रेखांकित करते हैं .

“भारत में हिन्दुओं की जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर कम होता जा रहा है । कुछ लोग इसे चिन्ता का विषय समझते हैं और कुछ इसके लिए चिन्ता करना मूर्खता समझते हैं । जो इसे चिन्ता का विषय नहीं समझते ऐसे लोग जनसंख्या कम होने और जनसंख्या में प्रतिशत कम होने के अन्तर को नहीं समझते । इस्त्राइल की जनसंख्या कम है, परन्तु इस्त्राइल में यहूदियों की जनसंख्या में प्रतिशत कभी कम नहीं होता और न होने देते हैं । चीन में यदि एक दम्पति की एक मन्तान का नियम है तो वह चीन के मुसलमानों पर भी उन्हीं प्रकार लागू होना है जैसे कि अन्यो पर । रूस इस समय अपने देश के मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या प्रतिशत पर चिन्तित है ।

भारत में भी लोकतन्त्र, सर्व-धर्म-समभाव, सहिष्णुता, उदारता, समानता, यह सब हमारी प्रतिबद्धताएँ तब तक सुरक्षित हैं, जब तक हिन्दुओं का बहुमत इस देश में है । एक बार मुसलमानों का बहुमत किसी देश में हो जाए तो उस देश में ये सब विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं और गैर-मुस्लिम नगण्य स्थिति को पहुँच

इसके विपरीत उसी अनुपात से मुसलमानों की आबादी होनी चाहिए थी २८.७७ करोड़। परन्तु १९८१ में उनकी आबादी तीनो देशो मे इस प्रकार थी :

भारत	८.०० करोड़
	(अनुमानतः असम की जनसंख्या सम्मिलित करके)
पाकिस्तान	८.१५ करोड़
बांग्लादेश	७.७४ करोड़
कुल	२३.८९ करोड़

यानी इन पचास वर्षों मे इस क्षेत्र मे हिन्दुओं की आबादी जहाँ दुगुनी से कुछ अधिक हुई है वहाँ मुसलमानो की आबादी तिगुनी से कुछ अधिक हो गई है।

दो : हिन्दू धर्म की दिग्विजय

इसकी विलोम अथवा समानान्तर पटकथा की थीम यह है कि अन्तिम विजय हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति की ही होगी। पिछले दिनों विश्व हिन्दू परिषद ने एक पत्रक प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है 'भारत का समय आ रहा है।' इस पत्रक में विख्यात स्पेनी भविष्य वक्ता नोस्ट्रेडेमस की भारत, इस्लाम तथा इसाइयत से सम्बन्धित भविष्यवाणियों को बड़ी गम्भीरता से उद्धृत किया गया है।

वैसे नोस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों को पूरी दुनिया मे गभीरता से लिया जाता है। क्योंकि चार सौ वर्षों के दौरान उनमे से अधिकांश आश्चर्यजनक रूप से सत्य सिद्ध हुई हैं और ममय-ममय पर पत्र-पत्रिकाओं मे चर्चित रही। जैसे १६ अगस्त १९६० को नाइस, फ्रांस की डेटलाइन पर ए० एफ० प्रे० समाचार-संस्था का यह समाचार दुनिया भर के अखबारों मे छपा।

बीसवीं सदी का अंतिम सघर्ष प० एशिया में

नाइस, फ्रांस १६ अगस्त (ए.एफ.प्रे.)। फ्रांस के प्रसिद्ध ज्योतिषी नोस्ट्रेडेमस ने चार सौ साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि बीसवीं सदी का अंतिम अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष पश्चिमी एशिया मे शुरू होगा। नोस्ट्रेडेमस की रचनाओं के एक विश्लेषक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विश्वविख्यात प्राचीन ज्योतिषी ने इस दुनिया मे एक सभ्यता के ही खत्म होने की भविष्यवाणी की थी।

उक्त विश्लेषक ज्यो चार्ल्स फ्रान्ट्ज़ून ने १९८० मे एक अत्यधिक चर्चित पुस्तक 'नोस्ट्रेडेमस : इतिहासविद् और भविष्यवक्ता' लिखी थी जिसमे उन्होंने एक कम्प्यूटर की मदद से उनकी भविष्यवाणियों को आधुनिक फ्रांसीसी मे अनुवाद किया था।

नोस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों के विश्लेषक चार्ल्स फांटब्रून ने यह नवीनतम टिप्पणी कुर्वंत पर इराकी आक्रमण के सन्दर्भ में की है।

नोस्ट्रेडेमसकी एक भविष्यवाणी उल्लेखनीय है। मुसलमानों की ईसाई विरोधी जत्था इराक और सीरिया में उड़ेलित होगा और वह ईसाई कानून को अपना दुश्मन मानेगा।

नोस्ट्रेडेमस ने आगे कहा था 'इराकी लोग स्पेन के मित्र देशों के खिलाफ आक्रमण बोल देंगे जब कि वहाँ के लोग हर्षोल्लास में लिप्त होंगे। अरब का नेता इस राजशाही के खिलाफ युद्ध घोषित कर देगा और चर्च की सत्ता पर समुद्री आक्रमण में वह धाराशाही हो जाएगी। ईरान में दस लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे होकर तुर्की और मिश्र पर हमला बोल देंगे।

नोस्ट्रेडेमस ने कहा था कि अन्ततः जीत पश्चिम की होगी पर यह लड़ाई विभिन्न इलाकों में २७ सालों तक चलेगी। यह लड़ाई फ्रांस में भी तीन साल सात महीने तक चलेगी और इराक फ्रांस में लड़ाई हार बैठेगा।

नोस्ट्रेडेमस ने यह भविष्यवाणी सन १६५५ में की थी। इस ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि जुलाई १६६६ में एक महान नेता का उदय होगा जबकि उसके पहले और बाद में लड़ाई जारी रहेगी। विश्लेषक फांटब्रून के अनुसार नोस्ट्रेडेमस ने दुनिया के खत्म होने की बात नहीं की थी बल्कि कहा था कि बीसवीं सदी के इस अन्तिम लड़ाई के बाद एक हजार साल शान्तिपूर्ण रहेगा।

नोस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी चौपदियों तथा काव्यमय शैली में की गयी है। व्याख्याकारों ने उनके अपने-अपने ढंग से अर्थ लगाए हैं अतः उनके बारे में सौ फीसदी निश्चित तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी भविष्यवाणियों के अवनरण वि० हि० प० के प्रचार पत्रक में दिये गये हैं, उनका आशय यह है कि

उपरोक्त विश्वनेता का उदय भारत में ही होगा। 'महासागर के नाम वाले धर्म' (यानी हिन्दू) के अनुयायी उसके नेतृत्व में संगठित होकर इस्लाम पर धावा बोल देंगे। ईसाई आक्रमण से जर्जर मुस्लिम देशों को यहूदियों (यानी इस्त्राइल) के सहयोग से वे रोद डालेंगे। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जायेंगे तथा इस्लाम का बेड़ा सदा-सदा के लिए गर्क हो जायेगा। मागर के नामवाला (हिन्दू) धर्म फैलकर विश्व धर्म बन जायेगा। आदि-आदि।

इस भविष्यवाणी से उत्साहित हिन्दू पुनरुत्थानवाद की लहर अपने आपको राम जन्म-मन्दिर निर्माण के प्रतीक में चरितार्थ होती देखती है। उसकी मान्यता है कि जब उधर बर्लिन की दीवार के साथ भौतिकवादी यूरोप का साम्यवादी गढ़ ढह रहा था, तभी जन्मभूमि पर रामशिलान्यास हो रहा था। यह एक नाटकीय, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना है, जो हिन्दू-धर्म के विश्व-धर्म या भावी मानवता के धर्म बनने का प्रारम्भ सूचित करती है।

लेकिन बुद्धिजीवी नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी पर यह सवाल उठाते हैं, कि हिन्दू-मुस्लिम निर्णायक युद्ध हुआ तो उसमें अवश्य ही अणुबमों का प्रयोग होगा। यह नौस्ट्रेडेमस का युग नहीं, सर्वनाशी अणुबमों का युग है, जो किसी को विजयी नहीं बनाते। पाकिस्तान का इस्लामी अणुबम यदि दिल्ली पर गिरना है तो उसका प्रलयंकर विकिरण (फाल आउट) इस्लामाबाद तक पहुँचेगा और भारतीय अणुबम पेशावर पर गिराये जाते हैं तो उनकी जहरीली राख दिल्ली को भी शमशान बना देगी। ऐसी हालत में कैमो-विजय और किसकी विजय? अणुयुग ने निर्णायक युद्ध के विकल्प को सदा के लिए निरस्त कर दिया है।

किन्तु विजय का एक दूसरा रास्ता भी है। बिना छोटी रेखा को छुए अपनी बड़ी रेखा खींच देना। जैसी रेखा, दुनिया का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतांत्रिक देश बनकर भारत ने खींची। जैसी बांगला देश का युद्ध जीतकर और फिर उसे खुद-मुह्तार बन जाने के लिए छोड़कर भारत ने खींची। इस तीसरे तिनेरियो के अनुसार—हो सकता है कि नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी के अनुरूप भावी विषवनेता के नेतृत्व में भारत ऐसी कोई बड़ी रेखा खींचे। हो सकता है वह भावी नेता भारत की गरीबी के शिवघनुष्य को उठाकर तोड़ फेंके। फिर एक यूरोपीय महासंघ की तरह दक्षिण देशों का मध्य अफगानिस्तान और बर्मा के कोई दक्षिणियाई महासंघ बना दे और आपसी युद्धों की संभावनाओं को खत्म करके यह बड़ी रेखा खींच दे। मभव है, तब पाकिस्तान तीन चार स्वतंत्र मुल्कों में बंट जाये और स्वतंत्र कश्मीर एवं खालिस्तान भी वजूद में आ जायें तथा सभी उस महासंघ के देश बन जायें जिनकी मण्डी, रक्षा-व्यवस्था और विदेशनीति साक्षात् हो। यदि अणुबमों की विभीषिका रूस और अमेरिका का शीतयुद्ध खत्म कर सकती है, आर्क स्थितियों का दबाव यूरोप के एक समय के शत्रुराष्ट्रों को एकजुट कर सकता है, तो एशिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता ?

यही भारत की सच्ची विश्व-विजय होगी। तब पूरा विश्व राम की जन्मभूमि अयोध्या होगी—ऐसी बस्ती—जहाँ युद्ध नहीं हो सकता और जो युद्ध से नहीं जीती जा सकती ! जहाँ दोनों ही प्रतियोगी पक्ष जीतते हैं, और विजय के तीर पर एक नई दुनिया पा जाते हैं !

उभरता नव-हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद

जन्म-भूमि बनाम वावरी मस्जिद विवाद को एक जाति या धर्म का दूसरी जाति या धर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं सम्झना चाहिए। अपने भारतत्व में यह एक आदर्श के लिए युद्ध है। यह आदर्श मनुष्य जाति के बीच आगामी गताब्दियों में प्रतिष्ठित होना है और भारत जिसका प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसे मूल्य के लिए युद्ध है, जिसे उस अधिकार और असत्य के विरुद्ध, जो इसे जीतने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है।

एक तटस्थ निरीक्षक को उन शक्तियों को देखना चाहिए जो इस युद्ध के पीछे कार्य कर रही हैं, न कि इस या उस ऊपरी परिस्थिति या घटना को देखना चाहिए। हिंदू अथवा मुस्लिम जातियों की त्रुटियों और गलतियों को देखना निरर्थक है, क्योंकि सब में ही कोई न कोई त्रुटि है और सभी भयानक गलतियाँ भी करते हैं। परन्तु वास्तव में देखना यह है कि इस युद्ध में किस पक्ष को उन्होंने अपनाया है।

दरअसल यह युद्ध मनुष्य जाति के विकास की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है। उन परिस्थितियों के लिए लड़ा जा रहा है, जिनमें मनुष्य जाति को अपने अन्दर के प्रकाश के अनुसार सोचने व कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। यह युद्ध सत्य व आत्मा के विकास के लिए लड़ा जा रहा है। इसमें तिलमात्र भी मन्देह नहीं कि क्या अयोध्या में और क्या जम्मू-कश्मीर में, यदि मुस्लिम पक्ष विजयी होता है तो ऐसी सब स्वतंत्रता व प्रकाश की आशा का अन्त हो जायेगा जिसे दैवीय व आधुनिक दो शक्तियों के बीच संघर्ष में दैवीय पक्ष कहा जा सकता है। जो वस्तु देखनी है, वह यही है कि मनुष्य व संगठन किस पक्ष को अपनाते हैं। यदि वे सत्य का पक्ष लेते हैं तो वे अपनी सब त्रुटियों, गलतियों व उन मिथ्या हरकतों के बावजूद अपने-आप को ईश्वरीय उद्देश्य का माधन बनाते हैं। गलतियाँ, त्रुटियाँ व मिथ्या हरकतें मनुष्य प्रकृति व सामूहिक मानवीय सबंधों में नवस्था स्वभाविक है, लेकिन यहाँ हिंदू पक्ष की विजय विकास की शक्तियों के लिए मार्ग खुला रखेगी। मुस्लिम पक्ष की विजय भारत को ही नहीं, जगत् को पीछे धकेल देगी। वह इसका

भयानक रूप से अघ.पतन कर देगी, और बहुत संभव है कि एक राष्ट्र व एक जाति के रूप में जहाँ यह भारत की असफलता और विघटन का कारण बन जाये, वही समूचे विश्व-मानव परिवार की विफलता एवं विघटन का कारण बन जाये। यही सबसे मुख्य प्रश्न है। अन्य सब विचार या तो असंगत हैं, या गौण महत्त्व रखते हैं। हिंदू पक्ष मानवीय मूल्यों को लेकर खड़ा हुआ है, यद्यपि वह भी प्रायः अपने उच्च आदर्शों में गिर जाता है, जैसा कि मनुष्य प्रायः करता है। परन्तु मुस्लिम पक्ष आज राक्षसी आदर्शों का प्रतीक है। वह उन मानवीय मूल्यों के लिए खड़ा है, जो विपरीत दिशा में यहाँ तक आगे बढ़ गये हैं, कि वे राक्षसी हो गये हैं।

मुस्लिम राष्ट्र न आपस में शांति से रहते हैं, न दूसरों को शांति से रहने देते हैं। लोकतंत्र या तो वहाँ है ही नहीं या बुरी तरह अपाहिज है। भारत में मुस्लिम पक्ष परिवार नियोजन इसलिए नहीं अपनाएगा, क्योंकि अतत. अपनी सख्या बढ़ाकर यहाँ फिर राज करने का ख्वाब वह देखता है, या उसके अगुआ उसे दिखाते हैं। वह भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र और कश्मीर के चुनावों को चुनाव नहीं मानता और अपने लिए आत्मनिर्णय की रट जगाता है। वह पंजाब में आतंकवादी हिंसा की आग, पेट्रोडॉलर और नशीले द्रव्यों के जरिए भड़काने को जेहाद या धर्मयुद्ध का जायज अंग मानता है। भारत के आध्यात्मिक सत्यों में उसे मानों सरोकार ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र अपने ही पोथीबंद सत्य को वह समूची दुनिया पर लाशने योग्य समझता है।

इसीलिए हिंदू पक्ष का श्रीराम जन्मभूमि निर्माण के लिए मर्घर्ष में, अपनी परंपरागत शांतिप्रियता के विपरीत डट जाना, लालचौकपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जिद्द पकड़ना, और निःशस्त्र मुस्लिमों की घुसपैठिया भीड़ पर अपनी तोपों का मुँह तान देना एक उचित दिशा में उठाया हुआ कदम बन जाता है और एक दिव्य प्रतीक का महत्त्व प्राप्त कर लेता है। उसके आत्मबलिदानों का उचित परिणाम होगा, जैसा कि इजरायली राष्ट्र के निर्माण में हुआ है। अब वह तुर्की-व. तुर्की जवाब देने की स्थिति में है। उसे निःसंदेह ईश्वरी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त है, अतः वही विजैता होगा।

अब देखना है कि किस तरह हिंदू पक्ष के नेताओं ने अपने-आपको ईश्वरीय शक्ति का साधन बनाया है।

विद्वानों के अनुसार ईसा पूर्व की पहली सदी के मध्य तक दार्शनिक अवधारणाओं का एक विविध पुंजीभूत स्वरूप भारत में बन चुका था, जिसने भारतीय सभ्यता के ताने-बाने को एक विशेष बहुरंगी स्वरूप दिया। इस सभ्यता की विशिष्टता थी विभिन्न विचारों की बहुलता, जिसमें एकात्मवाद से अनेकात्मवाद तक, आस्तिकता से परम नाम्तिकता तक अनेक परस्पर ध्रुवीय विभिन्नताओं

वाले मत-मतान्तर हिन्दुत्व के भीतर सहज समेकित थे। क्लासिकी भारतीय समाज की यह आदर्शवादी वैचारिक उदारता उसके बहुस्तरीय सामाजिक ढाँचे में भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती थी। यह सामाजिक ढाँचा यो तो चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त पर टिका हुआ था, और पेशे के आधार पर एक क्रमिक परंपरा में समाज को चार जातियों में बाँटता था। पर कुल मिला कर यह पूरी दौढ़िक तथा सामाजिक व्यवस्था गंगा, यमुना तथा अन्य भारतीय नदियों की घाटियों में विकसित उस प्रौढ़ वैतिहर सस्कृति से भी घे जुड़ी थी, जिसका केन्द्रीय और विशिष्ट गुण था विकेंद्रित राजनीतिक अर्थव्यवस्था।

विजाल आकार के वावजूद इस समाज के हर घटक का अपना स्थानीय चरित्र था और उसकी ग्राम्य टकाइयों की अपनी मापेक्षित स्वतंत्रता थी। इसी वजह से इन लगभग अमूर्त सामाजिक व्यवस्था का स्थानीय स्तर पर बड़ी कुशलता में नवानन हो पाता था।

लगभग सभी स्रोत इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि मध्यकाल इस विकेंद्रित और स्वायत्त व्यवस्था में गहरे बदलाव ले आया। यहाँ हम मूलतः इस बदलाव के वैचारिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात करेंगे। इस दौर में जो सबसे स्पष्ट बदलाव दृष्टिगोचर होता है, वह है एक नई भक्तिधारा का प्रादुर्भाव जो अनेक भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे भक्ति साहित्य में उद्भूत हुई थी और एक बिलक्षण आध्यात्मिक तथा सामाजिक शक्ति से भोतप्रांत थी। इस भक्तिमार्गी उपामना का एक छोर हिन्दुत्व का मूल उदात्त दर्शन से जुड़ा था, तो दूसरा छोर स्थानीय ग्रामीण समाज द्वारा अरम में पूजित सम्पन्नित स्थानीय देवताओं में। वस्तुतः आज भी भारतीय समाज के मर्म में हम अस्तिन्ववादी हिन्दू दर्शन में जुड़ी भक्ति-धाराओं तथा उपासना पद्धतियों का जो विविधरंगी वाहुल्य देखने है, उसका जन्म इसी काल में हुआ था। यह धारा हिन्दुत्व के मूल स्वरूप के विपरीत कतई नहीं थी। यहाँ तक कि इस्लाम जब मध्यकालीन भारत के विभिन्न कोनों में जा पहुँचा, तो उसके ही कारण उसमें भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएँ हुईं। इस्लाम में एक उदारमना भूमी मत का उद्भव हुआ। यह भक्तिमार्गीय उपामना पद्धतियों के मस्पर्ज में ही सम्भव हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में सहज आदीननों के द्वारा भारतीय सभ्यता के भीतर एक ऐसी महिष्णु और करणामय समाज का गठन होता चला गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक महाकल्पों की स्त्री-पुरुष भी विना हिमालयक टकराहटा के बड़े आनन्द में समवेत रह सकते थे।

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में उपनिवेगवाद का झुठोटा लगाएँ आधुनिकता ने भारत में प्रवेश किया। यही में शुरू होती है हमारी त्रामदी। इन औपनिवेगिक आधुनिकता के साथ राजनीतिक प्रभुसत्तावाद और वैज्ञानिक-

तकनीकी तथा आधुनिक संयोजन क्षमता में लिपटा ईसाई धर्म भी भारत आया। भारतीय नैतिक विचारधारा के मूल संरक्षकों की दृष्टि में पश्चिम ने पूर्व को पहली चुनौती धार्मिक नैतिकता के घरातल पर दी। ईसाई धर्म की कुछ खास बातों, जैसे उसका चुस्त सागठनिक ढाँचा, मान एक ही धर्मग्रंथ पर आधारित एक आध्यात्मिक-नैतिक मजबूती, कठोर अनुग्रामनात्मक आदर्शवाद आदि, ने हिन्दू धर्म के कई नेताओं-प्रवक्ताओं को काफी प्रभावित किया। फलस्वरूप १९वीं सदी के उन मुद्धार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो अपने सागठनिक और व्यवहारगत स्वरूपों में ईसाई धर्म के तौर-तरीकों से काफी हद तक प्रेरित दिखते थे।

प्रचार-प्रसार के लिए एक चुस्त सागठनिक प्रचार ढाँचा बनाने तथा हिन्दुत्व के नाम पर एक खास ठोस विचारधारा को आकार देने की चेष्टाएँ सामने आने लगीं। ये चेष्टाएँ अभी हाल तक बहुत सफल होती न दिखती थीं। हिन्दुत्व के प्रचार-प्रसार के लिए ईसाइयत जैसे मुसलम प्रचार-प्रसार तंत्र का गठन संभव न हो पाना दरअसल हिन्दू सभ्यता के अपने केन्द्रीय चरित्र में जुड़ा हुआ था।

हिन्दू जीवन दर्शन आध्यात्मिक विचारों के एक दार्शनिक घरातल से जुड़ा हुआ है। पवित्र और अपवित्र की जो विशिष्ट हिन्दू अवधारणाएँ इस अनुप्राणित करती रही हैं, वे भी मूलतः अमूर्त भावनात्मक-अस्तित्ववादी अवधारणाएँ हैं, ठोस भौतिक आदेश या नियम नहीं, सामाजिक आचार-व्यवहार और मंगल की जरूरतें पूर्ण करने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था इस लक्षित अमूर्तता को एक स्थानीय जातिगत ढाँचा भर दे देती थी, जिसके सहाय्य में मजदूरी में समाज का दैनिक कार्य-व्यापार चलता जाता था।

लेकिन आज एक नए प्रकार के आधुनिक हिन्दुत्व का एक मुसलम सागठनिक प्रचार-प्रसार तंत्र (जो इतने दरमों तक न बन पाया) बनता दिख रहा है।

इस 'नव-हिन्दुत्ववाद' और राष्ट्रवाद के बढ़ते समीकरण में मामला केन्द्रीकृत मत्ता और राजनीति के गडों में भी मत्त ही जुड़ता गया। भारत में हिन्दुत्व और राजनीति के इस नए जुड़ाव को अतिरिक्त धार देने लगा है राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार माध्यमों का वह जान, जो प्रिंट तथा दृश्य-श्रव्य दोनों स्वरूपों में आज देश-भर में विद्यमान है। रामायण, महाभारत और अथ चाणक्य के अत्यंत लोकप्रिय धारावाहिकों ने नव हिन्दुत्ववाद एवं राष्ट्रवाद के ये समीकरण घर-घर पहुँचाने का काम किया है।

इस तंत्र के रहते देश के कोने-कोने में फैले हिन्दुओं की एकरस हिन्दुत्व का हिमायती बनाना आज पूरी तरह संभव हो गया है। हमारे देखते-देखते यह प्रक्रिया ऐसी गति पकड़ सकती है, इसकी कुछ दूर पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाजपा की रथयात्रा इसी हिन्दुत्व का वाहक थी या उसकी

सफलता के पीछे यही कारण थे, निश्चय ही उस रययात्रा के बृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्य वे थे, जो हिन्दुत्व की नई अवधारणा को एकीकृत करने का माध्यम भी बनाते चले गए हैं।

राजनैतिक परिदृश्य में राष्ट्रवाद और नव-हिन्दुत्ववाद के इन निर्माणाधीन समीकरणों का हम कांग्रेस और भाजपा के रिश्ते में प्रतिबिम्बित देख सकते हैं। कांग्रेस देश की उस अनेकान्तवादी आत्मा की प्रतिनिधि है, जिसमें सब समा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता रहा है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक मंच है, जिस पर राजनीति नामक माइक फिट है, जिसकी मार्फत हरेक को अपनी बात कहने और लोगों तक पहुँचाने का हक है। कहनेवालों के अदाज और व्यवहार पर निर्भर करना है कि उस मंच को गरिमा प्रदान करते हैं या कालिख, उसे स्वीकार्य बनाने हैं या अस्वीकार्य।

इस मायने में कांग्रेस हिन्दुत्व का ही दूसरा नाम है, कुछ फर्क के साथ। दोनों अनेकान्तवादी हैं। दोनों में एक वर्गा-वर्धी पक्षोब्ध विचारधारा होने के बजाय सब को समा, सहेज लेने का अद्भुत गुण है। दोनों को खत्म करने की कोशिशों को हमेशा असफलता मिली है। हिन्दुत्व को खत्म करने की कोशिशें सदियों से ही रही हैं और कांग्रेस को दशकों में। पर अपनी अमरिन्दन को खोए बिना, अपना नाम बदलने का खतरा उठा कर भी दोनों आज तक बने हुए हैं। मान लीजिए वह कांग्रेस खत्म भी हो गई, जिसने मानिया गांधी को अपना अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था और अतत जिसे नरसिंह राव को अध्यक्ष बनाना पड़ा, तो भी कांग्रेस दृष्टिकोण वाले लोग मिल कर फिर एक नया मंच बना डालेंगे, जिसका नाम कांग्रेस भी हो सकता है, कुछ और भी। इस मायने में कांग्रेस एक हिन्दू पार्टी है, जिसे नष्ट करना संभव नहीं और इस देश के मित्राज के मदभं में जो खत्म भी नहीं हुआ करती।

अगर कांग्रेस भी हिन्दू पार्टी है, तो फिर भाजपा क्या है? वह भी हिन्दू पार्टी है, जिसके चरित्र में कांग्रेस से बस थोड़ा ही अन्तर है। कांग्रेस एक व्यावसायिक हिन्दू पार्टी है, जबकि भाजपा शुद्धतावादी हिन्दू पार्टी है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकवाद को हिन्दुत्व के समानान्तर खड़ा करने की कोशिश की है, जबकि भाजपा एन किमी वाद को प्रथम देने को तैयार नहीं। कांग्रेस बिना घोषणा के हिन्दुत्व का प्रसार करती रही है और इसलिए वह मुसलमानों की हमसफर बन सकी है, जबकि भाजपा घोषणापूर्वक हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा चाहती है और इसलिए उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मुसलमानों के बीच भरोसा पैदा करे (शायद कभी सत्ता में आने पर अपने व्यवहार द्वारा ही वह वैसा कर पाए)। बिना हिन्दू राष्ट्र का नाम लिए कांग्रेस हिन्दू बोट चटोरती रही है, जबकि भाजपा यह काम हिन्दू

राष्ट्र का नाम लेकर करना चाहती है। चूँकि दोनों हिन्दू पार्टीया है, इसलिए दोनों रहेगी। यह हो सकता है कि सत्ता में आने के लिए या सत्ता में आने के बाद कभी भाजपा का ही कांग्रेसकरण हो जाए। तब भाजपा नया नामरूप ग्रहण कर लेगी। भारत नामक देश में किसी भी शासन प्रणाली या शासक वर्ग को प्रजारजन करना है, तो उसे अनेकान्तवाद यानी हिन्दुत्व का सहारा लेना ही होगा और उसके व्यावसायिक और शुद्धतावादी दोनों रूप एक-दूसरे के पूरक के रूप में रहने ही वाले हैं।

कांग्रेस का भावी रूप कैसा बनेगा, इसका सम्बन्ध इस बात से है कि आत्म-विश्वासहीनता के समुद्रतल से वह सतह पर कैसे आती है, आती भी है या नहीं। कांग्रेस स्वस्थ होती है, तो वह अपने भीतर जन मोर्चा, सजपा, जनता दल, वाम पार्टीया सभी को समा लेगी और अबाड़ी जैसा कोई अधिवेशन कर अपनी अनेकान्तवादी आत्मा को एक नया व्यावसायिक चोला पहना देगी। कांग्रेस का अकेला विकल्प चूँकि भाजपा है, इसलिए भाजपा का केन्द्र में सत्ता में आना इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपना भविष्य कैसा बना पाती है। पर इस सारे ऊहापोह में इतना तय है कि वाम दल चाह कर भी न तो कांग्रेस को हथिया सकते हैं न उसे मनचाहा चोला पहना सकते हैं। कांग्रेस का कुछ भी हो, पर वाम पार्टीयो ने जरूर दिखा दिया है कि उन्हें अब अपनी विकेट की मजदूती का भरोसा नहीं रहा।

इसलिए अब भाजपा और माकपा जैसी पवित्रबद्ध पार्टीया कांग्रेस के नजदीक जाने की कोशिश करती हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? जाहिर है कि ये पार्टीया उसके अनेकान्तवादी रूप को अपनी विचारधारा की पवित्रबद्धता के साथ बाधने की कोशिश करेंगी, इस उद्घोषणा के साथ कि वे कांग्रेस की ठीक कर रही हैं या कि वे भाजपा यानी हिन्दुत्व को (यानी जिसे वे साम्प्रदायिक कहकर अपने हिन्दुत्व अज्ञान का ऐतिहासिक परिचय बार-बार देती रहती हैं) मुकाबला करने के लिए कृतसकल्प हैं। पर ये दोनों उद्घोषणाएँ कितनी थोड़ी हैं। व्यावसायिक हिन्दुत्व की पुरोधा कांग्रेस को पवित्रबद्ध करने की फिराक में यहाँ होने वाला है कि छूट भाजपा और माकपा ही अपनी एकांगी विचारधारा का तम्बू अचानक उखड़ा हुआ पाएंगी। सोपा, प्रसोपा, ससोपा, लोक दल, जनता पार्टी और जनता दल की यात्राएँ करने के बाद हमारे देश के उद्भट समाजवादी किस कदर कांग्रेस के आगे बिना शर्त समर्पण को बेताब हो रहे हैं, इसका प्रतीक वह पत्र था जो मोहन धारिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा था। कम्युनिस्टों की हालत इससे अलग नहीं होनेवाली, इसका प्रमाण यह है कि अपनी एकांगी विचारधारा के नखदन्त किसी गहरे तालाब में फँक देने के बाद अब ये पार्टीया सिर्फ धर्मनिरपेक्षता

की रक्षा यानी भाजपा के सर्वनाश को अपना अकेला राष्ट्रीय कर्तव्य मान कर बिना धार की तलवार भाँज रही हैं। धार होती, तो कांग्रेस को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर चुकी ये पार्टियाँ नम्बूदिरिपाद या चतुरानन मिश्र की मार्फत कांग्रेस के आगे पत्र समर्पण न करनी। इन दोनों के पत्र मोहन धारिया के पत्र से एक ही कदम पीछे था और दोनों कदमों में फासला खास नहीं था।

भाजपा का सर्वनाश या कांग्रेस को अपने में रगना, ये दोनों ही नवीनतम कम्युनिस्ट आकाशा नामक मिक्के के दो पहलू हैं। न कांग्रेस खत्म होगी और न भाजपा। देश के राजनीतिक मानचित्र पर अनेकान्तवादी हिन्दुत्व के ये दोनों रूप ही एक-दूसरे के पूरक बननेवाले हैं और सघर्ष कर एक-दूसरे को निखारनेवाले हैं। इतिहास को कभी भी तरीके से न पढ़ पानेवाले भारत के कम्युनिस्ट किसी को खन्म करने या किसी को मँवारने के मिथ्यामोह में मुक्त होकर इस बात का शोध करें कि क्यों उनके गठ सिर्फ दो प्रदेशों तक सीमित रह गए हैं, क्यों वहाँ भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है और क्यों उनके अपने लोगों का मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस एक ऐसा शब्द है जो अपना अर्थ खुद-ब-खुद ढूँढ लेगा, ठीक वैसे ही जैसे हिन्दुत्व अपना अर्थ खुद-ब-खुद ढूँढ लिया करता है। इन शब्दों को अपना सीमित अर्थ देने का कम्युनिस्ट प्रयास कोई मतलब नहीं रखता। भाजपा को भी यह सच समझ में आना चाहिए।

अब उसका यह फर्ज बनता है कि अयोध्या आंदोलन को एक बड़ा राष्ट्र-व्यापी भक्ति आंदोलन बनाने की दिशा में अब नई पहल करे।

क्या भाजपा को इस बार केन्द्र में सरकार बनाने के लिए लोगों में वोट मांगना चाहिए था जबकि उसके पास आवश्यक वोट-आधार पहले से नहीं था? हमारा कहना है कि उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए था और वैसे कर पार्टी ने जबरदस्त राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके कई लाभ भाजपा को एक साथ हो गए हैं जो अन्यथा होने संभव नहीं थे। भाजपा के जन्मकाल यानी जनमघ काल में चली आ रही अखिल भारतीय दृष्टि को पहली बार अखिल भारतीय मैदान में उतरने का मौका मिला और सत्ता पाने की आकांक्षा पैदा हुई, जिसके बिना कोई भी राजनीतिक गतिविधि बन्ध्या होती है। अपने प्रचण्ड चुनाव अभियान के मार्फत भाजपा को सारे भारत में अपनी बात कहने का मौका मिला जो इससे पहले इस स्तर पर उसे नहीं मिला था। इसमें उसका वोट-आधार यकीनन बढ़ा है और इस बार पहली बार उसे करीब एक-चौथाई (प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर लगभग २५ प्रतिशत) वोट मिले हैं। उसे सारे भारत से वोट और सीटें मिली हैं और वह गैर-भाजपावाद के नाम पर इकट्ठा हो रही पार्टियों का अकेला अखिल भारतीय विकल्प बनकर उभरी है। अर्थात् अब देश

को स्पष्ट है कि अगर एक तरफ कांग्रेस (और उसके वर्तमान और संभावित साथी) हैं तो दूसरी तरफ भाजपा है। कांग्रेस असफल होती है तो लोग भाजपा को सरकार बना देंगे। ऐसा पहले नहीं था। इस चुनाव का वाद ऐसा हुआ है तो इसलिए कि भाजपा ने केन्द्र में सरकार बनाने के लिए पूरे भारत में वोट मांगा।

इस दृष्टि में भाजपा के लिए गत चुनाव उपलब्धियों में भरा हुआ माना जाएगा। अब तक भाजपा की छवि यह थी कि वह दूसरे दलों के साथ बने गठ-बन्धनों में रहकर ही काफ़ी सीटें पा सकती है, जबकि अकेले, सिर्फ अपने बूते पड़ने पर वह लुढ़क जाती है। अब तक का उसका चुनावी रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा। उसे सिर्फ दो बार चमत्कारी सफलता मिली है। एक बार १९७७ में, ६८ लोक-सभा सीटों के रूप में जब उसने जनता पार्टी में अपने पूर्वरूप अर्थात् जनसंघ घटक के रूप में चुनाव लड़ा। दूसरी बार उसे ८४ लोकसभा सीटों के रूप में १९८६ में सफलता तब मिली, जब उसने जनता दल के साथ बड़े गठबन्धन का हिस्सा बन चुनाव लड़ा। इसलिए इस बार अकेले लड़ने के उसके फैसले के बाद ऐसा कहनेवाले कम नहीं थे कि भाजपा का पता साफ हो जाएगा। पर अकेले बल सौ-सवा सौ सीटें पाकर भाजपा ने एक ठोस उपलब्धि इन चुनावों में हासिल की है।

दूसरी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चौबीस साल से चला आ रहा बगवास खत्म हुआ है। १९६७ तक भाजपा (अर्थात् तब जनसंघ) उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत थी और कांग्रेस का एक सशक्त विकल्प मानी जाती थी, जो गलत नहीं था। हालात यह थी कि जब कांग्रेस छोड़कर आए चरण सिंह ने प्रदेश में सविद सरकार बनाई, तो सबसे बड़ा घटक होने के कारण जनसंघ के रामप्रकाश गुप्त को चरण सिंह ने अपना उपमुख्यमंत्री बनाया। पर उसके बाद चरण सिंह ने पहले भारतीय क्रांति दल और फिर भारतीय लोक दल बनाकर जातिवादी राजनीति का सूत्रपात किया तो जाति-पराङ्मुख हिन्दुत्व की राजनीति करनेवाले जनसंघ की छुट्टी हो गई। लाख कोशिश करके भी जनसंघ/भाजपा न तो फिर कभी वहाँ पार्टी के रूप में उभर पाए और न ही कोई प्रादेशिक नेतृत्व उभार पाए। पर इन चुनावों में भाजपा ने पासा पलट दिया है। उसने न केवल कांग्रेस को दरिद्र तीसरे स्थान पर धकेल दिया है, बल्कि चरण सिंह के लोक दल (घटको) के नए उत्तराधिकारी वि० प्र० सिंह-नीत जनता दल को जिम्मे पिल्ले चुनावों के बाद प्रदेश में सरकार बनाई थी, दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर कर दिया है।

तीसरी उपलब्धि गुजरात की है। पश्चिम भारत में भाजपा का वर्चस्व अब तक राजस्थान में रहा है तो महाराष्ट्र में भी उसकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही

है। पर गुजरात की पहचान भाजपा-प्रदेश के रूप में नहीं रही। 'खाम' राजनीति करनेवाली कांग्रेस ने गुजरात में जनता पार्टी के अलावा किसी को घुसने ही नहीं दिया। पिछले चुनावों के माध्यम भाजपा का मवद्य सत्ता राजनीति में जुड़ना शुरू हुआ और थोड़े समय में ही प्रचण्ड विचारधारा अभियान की मदद में भाजपा आज लोकसभा सीटों की दृष्टि से ही नहीं, वोट मस्या के हिसाब में भी गुजरात की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

दक्कन भाजपा का चौथा उपलब्धि-स्थल रहा है। यानी कर्नाटक और आंध्र में भाजपा रही जल्द है, पर सिर्फ अपशकुन काटने के रूप में। उसकी पहचान हिन्दीभाषी या हृद में हृद महाराष्ट्र में एक हृद तक अमरदार पार्टी के रूप में रही है। पर उसे दक्कन की पार्टी कभी नहीं माना गया। पर इस बार भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस के अनेके विकल्प के रूप में उभरी है तो आंध्र में उसने कुछ सीटें जीती हैं। पर इन दोनों ही प्रदेशों में उसने जितने वोट लिए हैं, उससे उसकी इन प्रदेशों में कांग्रेस का जीवन विकल्प बनने की मान्यता अगले चुनावों तक ही हो पाएगी। कर्नाटक में तो भाजपा ने एक चौथाई से भी ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। इसके बाद भाजपा को हिन्दी भारत की या उत्तर भारत की पार्टी कहना परामित मानसिकता के अलावा कुछ नहीं होगा।

भाजपा की पाचवी उपलब्धि उन प्रदेशों को लेकर है जहाँ कभी उसके नाम-लेवा भी नहीं थे। केरल में वह पिछले कई साल से सक्रिय है और अभी तक इस लाख वोटों का ठोस आधार बना लेने के द्वावजूद वह इसे लोकसभा या विधान-सभा की सीटों में नहीं बदल पाई। पश्चिम बंगाल जनसघ/भाजपा के स्थापक अध्यक्ष ज्योत्सनाप्रसाद मुखर्जी का गृहप्रदेश रहा है और यही के जनसघ नेता देवप्रसाद घोष पार्टी के वरसों तक अ०भा० अध्यक्ष रहे हैं। इसके बावजूद जनसघ/भाजपा यहाँ कभी नहीं पनप पाए। असम में भाजपा का असर वारपेटा जैसे एकाध लोकसभा क्षेत्र में ही रहा है जहाँ कभी उसने फखरद्दीन अली अहमद को चुनौती दी थी। इसके अलावा बाकी पूर्वांचल में भाजपा निराकार रही है। उड़ीसा और तमिलनाडु में उसका कोई खास काम नहीं रहा। पर इन सभी प्रदेशों में, खासकर केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, भाजपा ने काफी वोट लिए हैं। केरल में तो उसे सतुलनकारी मानकर वाम मोर्चा अपना बैकलव्य कई बार दिखाता रहता है, जबकि प० बंगाल में उसकी वोट-मस्या वहाँ मीटिया और लोगों के बीच खबर और चर्चा का विषय बने हैं।

ये सभी उपलब्धियाँ भाजपा को एक नई अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा देती हैं। यह दर्जा इन चुनावों के पहले भाजपा के पास नहीं था। जैसा कि इन चुनावों से पहले भी कहा जा रहा था कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने

बेलाग सावका भाजपा राजनीति में पहली बार हों रहा है, इसलिए यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण घटना है।

निपाद, शबरी और वानरो में राम का जुड़ाव जितना उनके राजा बनने से पहले प्रकट हुआ है, उतना संभवतः राजा बनने के बाद नहीं। कम में कम शंभूक-वध, सीता त्याग आदि के विवादग्रस्त साहित्यिक प्रसंग तो यही संकेत देते हैं, कि राजा बनने के बाद उन्हें धर्मसंकट झेलने पड़े थे। यदि उनकी जन्मस्थली से उत्पन्न आन्दोलन ने पिछड़ी जाति को एक सदस्य को राज्य का सर्वोच्च पद दिलाया तो उसे उभरते 'नव-हिन्दुत्ववाद' का एक स्वस्थ लक्षण मानना होगा।

वी. पा. से पी. वी. तक

विख्यात पत्रकार एवं स्वतंत्र चिंतक श्री गिरिलाल जैन के अनुसार—“राम मन्दिर का निर्माण एक प्रतीकात्मक विजय का मकेत भर है, भाजपा के नेता स्वयं यह बात स्वीकार कर चुके हैं। मन्दिर निर्माण दो बातों का प्रतीक है। एक— बाबर के आक्रमण और मन्दिर ध्वंस के बाद उमी जगद्ग मन्दिर बनाना उस अपमान का बदला नहीं, बरन् हिन्दुओं की प्रतीकात्मक विजय है। मन्दिर-निर्माण के बाद इतिहास का एक पुराना अध्याय बन्द हो जाता है। दूसरा प्रतीक है भविष्य की नीति का।

कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विस्तार में पश्चिमी विचार या तकनालॉजी बाधक है। मेरे विचार में पश्चात्य विज्ञान और तकनीक में हमारा कोई झगडा नहीं है। वैज्ञानिक भावना से ईसाइयत और इस्लाम का विरोध था, क्योंकि ये दोनों मजहब 'बन्द व्यवस्था' में विश्वास करते हैं। जबकि विज्ञान खुली जांच पड़ताल का हामी है। यूरोप में विज्ञान और आधुनिकता में ईसाइयत का जवर्दस्त संघर्ष हुआ, विज्ञान और इस्लाम का संघर्ष तो जगजाहिर है ही। वैज्ञानिक विभाग को धर्म की भी खोजबीन कर सकता है। उसकी खांज की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस खोज के लिए ईसाइयत और इस्लाम तैयार नहीं है। हिन्दू धर्म तो खुलेपन में विश्वास करता है। इस धर्म की बुनियाद है योग, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भावना में विरोध न होने के कारण आधुनिक तकनीक में भी हमारा विरोध नहीं हो सकता।”

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का जन्मभूमि-विवाद की समस्या पर दोहरा रस्य अपनाते के कारण पतन हुआ। विश्वनाथ प्रताप गणेश गजनी की इंदिरा काप्रेम की बैसाखी लगाकर चन्द्रशेखर भारत की गजनीति के मिथुर पुरुष बने। उन्होंने समझौता वार्ता और सद्भावनापूर्वक समस्या का समाधान निकालने का दावा किया। तब तक अयोध्या हत्याकाण्ड (नरमहार) ही चुका था। मुलायम सिंह, विश्वनाथ प्रताप को छोड़कर चन्द्रशेखर के साथ आ चुके थे।

महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार और राजस्थान के भैरो सिंह शेखावत की पहल पर दोनों पक्षों को बैठके हुईं। बैठक का परिणाम किसी

ममाधान के रूप में नहीं, बैठक न होने के रूप में निकला। दोनों पक्षों का साथ-साथ बैठना बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया। इस 'महत्त्व' पर तत्कालीन केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री सुबोध कान्त सहाय बार-बार बल देते रहे थे। किन्तु श्री भानुप्रताप शुक्ल के अनुसार, परदे के पीछे सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर जो कार्य किया जा रहा था, वह ध्यान देने योग्य है। पक्ष में वार्ता और परोक्ष में भिन्नरघात का दौर चला। गृह मंत्रालय के अधिकारियों को सतों महामण्डलेश्वरों और शकराचार्यों के पास भेजा गया कि वे आंदोलन में अलग हो जाए। सतों में फूट पड़ जाए तो आंदोलन समाप्त हो जाए। यह कहा और कहलवाया गया कि विश्व हिन्दू परिषद्, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और श्रीराम कारनवा समिति हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कुछ सतों ने आंदोलन और परिषद् विरोधी वक्तव्य भी दिलाए गए। चन्द्रशेखर की सलाह में चन्द्रास्वामी देश के कोने-कोने में घूमे। घन वाटकर सतों का ईमान खरीदने का प्रयत्न किया। मकर सत्राति पर प्रयाग में चन्द्रास्वामी ने मत सम्मेलन करना चाहा, राजीव को आमंत्रित किया। निमन्त्रण स्वीकार करके भी राजीव बहा नहीं गए। सतों ने सम्मेलन का ही नहीं, जो सत और महामण्डलेश्वर चन्द्रास्वामी के साथ जुड़े उनका भी बाह्णकार किया। चन्द्रास्वामी की चाल विफल हुई। चन्द्रशेखर का मुँहौटा भी उतर गया।

बन्द कमरे में सर्वोच्च न्यायालय से हिन्दुओं के पक्ष में राय दिलाने की पैग-कण की गई, कमरे के बाहर गत चार दशक से चल रहे मुकदमे के निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया। न्यायालय में लम्बित मुकदमे का सार संक्षेप यह है कि सरकार इस मामले को लम्बे समय तक लटकाने रखना चाहती है। यदि ऐसा न होता तो मुकदमे के औचित्य के प्रारंभिक मुद्दे पर सर्वप्रथम निर्णय कराने के लिए उसके महाधिक्कता सहमत हुए होते। 'पूरे मामले का निर्णय पहले और प्रारंभिक मुद्दे पर विचार बाद में' की प्रक्रिया भी राजनीतिक सृष्टि की ओर ही संकेत करती है।

पहले कहा जाना था कि श्रीराम जन्मभूमि का मामला अयोध्या का स्थानीय मामला है। अयोध्या और फैजाबाद के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग एक साथ बैठकर इसको सुलझा लें। यह सलाह राजीव जी की भी थी और विन्दनाथ प्रताप की भी। अब इसकी बात कोई नहीं करता। तब कहते थे कि अयोध्या की जनता राम आंदोलन के विरुद्ध है। यदि वह आंदोलन के पक्ष में हों तो वे कम्युनिस्टों और काश्चित्‌सियों के उम्मीदवारों को न जितातीं। अब जबकि बहा की जनता राम आंदोलन के समर्थकों को जिता दिया तो ये लोग अपनी स्थाना से पीछे हट गए। क्यों?

मथुरा और काशी की जनता का निर्णय भी कृष्ण और शिवभक्तों के पक्ष में गया है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का जनादेश राम मन्दिर के पक्ष में है। जिस जनता ने अपनी प्रभुसत्ता ससद और विधान सभा को सौंपी है, उसी जनता का आदेश है कि अयोध्या में उसी स्थान पर श्रीराम लला का मन्दिर बने, जिमें माहे चार सौ वर्ष पूर्व तोड़कर मन्दिर के खम्भों पर बाबर के नाम पर मस्जिदनुमा कुछ बनाने का असफल प्रयास किया गया था।”

केन्द्र में पी० वी० नरसिंहराव के नेतृत्व में इका सरकार बनाने के बाद उसका लगभग पहला काम था ससद में उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) विधेयक पास करवाना। यह विधेयक लोकसभा में २३ अगस्त को पेश किया गया। इसकी मुख्य धाराएँ थी—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, १९६१ है।

(२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(३) यह ११ जुलाई, १९६१ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

२ इस अधिनियम में, जब तक कि सर्वभूमि में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'मपरिवर्तन' के अंतर्गत, उसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तब्दीली है,

(ख) 'उपासना स्थल' में किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग का, चाहे वह जिस नाम से जाना हो, कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर, मठ या लोक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है।

३ कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल में मपरिवर्तन नहीं करेगा।

४ (१) यह घोषित किया जाता है कि १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के मपरिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो वह समाप्त हो जाएगी और इसे किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात्

किमी न्यायालय, या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

परन्तु यदि इस आधार पर मस्थित या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के ऐसे स्थल के धार्मिक स्वरूप में १५ अगस्त १९४७ के पञ्चात् सपरिवर्तन हुआ है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर तन्वित है तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस प्रकार समाप्त नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का निपटारा उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष है।

(ख) उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिने इन अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निश्चित परिनिर्धारित या निपटा दिया गया है।

(ग) ऐसे किसी मामले के बारे में कोई विवाद जो पक्षकारों द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पूर्व आपस में तय हो गया है।

(घ) ऐसे किसी स्थल का कोई सपरिवर्तन जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया है।

(ङ) ऐसे किसी स्थल का ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई सपरिवर्तन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपणीय नहीं है।

५. इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतया ज्ञात स्थान या उपासना स्थल को और उक्त स्थान या उपासना स्थल से सम्बन्धित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

६. (१) जो कोई धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जब हिंदुत्ववादी अलोचकों की नजरों में यह विधेयक देश के "दूसरे

विभाजन की नींव डालने वाला था" उनके अनुसार—“इस विधेयक की अधिकतर शर्तें हिन्दुओं के स्वाभिमान व अस्मिता पर आघात है। मसलन जम्मू-कश्मीर राज्य को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखकर वहाँ के बहुसंख्यक मुसलमानों को मंदिर तोड़ने की खूली छूट दे दी गई है। सर्वाधिक खतरनाक बात तो यह है कि इस विधेयक द्वारा विश्व हिन्दू परिषद् की ‘कृष्ण जन्म भूमि’ व ‘काशी विश्वनाथ मन्दिर’ की मांग को दफनाने की कोशिश की गई है। जो भी व्यक्ति इसके उलट उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए आंदोलन छेड़ेगा, उसे अपराधी मानकर तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी।”

“इस विधेयक द्वारा हिन्दुओं के मूलभूत अधिकारों का हमन किया जा रहा है। यह रुढ़िवादी वट्टरपथी मुसलमानों के सम्मुख सरकार का आत्मसमर्पण है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा के आम चुनाव से पूर्व इका के घोषणा पत्र में इस तरह के विधेयक लाने की मुस्लिम लीग की मांग को शामिल किया गया था। कहा जा सकता है कि इका मुस्लिम लीग के आगे आत्मसमर्पण कर भले ही कुछ थोड़ा मुस्लिम वोट प्राप्त करने की व्यवस्था करने में सफल हो जाए, लेकिन इतना तय है कि इस विधेयक से विभाजन के लिए जिम्मेदार दूसरे ‘जिल्ला’ का उदय होगा।”

विधेयक के समर्थन में हुए भाषणों में देश के ऊपर मडरा रहे किन्हीं गभीर खतरो का हवाला दिया गया। कश्मीर, पंजाब और अमम की परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक को संप्रचाप पारित कर देने की आवश्यकता बताई गई। देश की विगड़ती साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने, अल्पसंख्यकों अर्थात् मुसलमानों के मन से असुरक्षा का भाव मिटाकर विश्वास उत्पन्न करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बचाने के लिए इस विधेयक को रामबाण उपाय बताया गया। भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने विधेयक के इन उद्देश्यों का भेजे धपधपा कर स्वागत किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी इतना अधिक उत्साहित थे कि उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तत्काल सर्वसमिति में पारित कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने जैसे कोई बहुत बड़ा मोर्चा जीत लिया है। जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के सासद बलियो उछलने की स्थिति में थे। कांग्रेसी सतुष्ट थे कि उन्होंने मुस्लिम लीग को दिया गया अपना एक आश्वासन पूरा कर दिया।

इस विधेयक के पीछे काम कर रहे राजनैतिक खेलों की मूल प्रवृत्ति भाजपा तथा नव हिंदुत्वनिष्ठ आलोचकों की नजर में है—“पहले समस्या उत्पन्न करना और फिर उसका समाधान करने के लिए एकजुट होने का जोर मचाना। देश की अखण्डता को खतरा पैदा करके उसकी रक्षा करने के लिए महयोग का हाथ

बढ़ाने का अनुरोध करना। पहले साम्प्रदायिकता और अल्पसंख्यकता को बढ़ावा देना, फिर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए कुर्बानी देने का अह्वान करना। पहले अपनी राजनीतिक मुविधा और सफलता के लिए अलगाववादियों और आतंकवादियों से गुप्त समझौता करना और बाद में उस समझौते की शर्तों को अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों में नीति और मिद्धान्त के रूप में शामिल करना, पहले देश को आर्थिक गुलामी और दिवालियापन की बेसहारा हालत में डाल देना, बाद में कर्ज लेने का औचित्य बताना और यदि कोई उनके इस इरादे को भापकर देश के भविष्य का अनुमान लगाकर इस खेमे की कारमुजारियों के प्रति देशवासियों को आगाह करे, इनकी भूलों को बताए, अतीत और आगत का विश्लेषण करके उसके दुष्परिणामों की ओर सकोत करें, देश की दुर्दशा और खतरों के लिए जिम्मेदार नेतृत्व और नीतियों को उन्हीं के कर्मों के कटघरे में खड़ा कर दे तो यह खेमा एकजुट होकर उस पर साम्प्रदायिक, सकुचित, दगाई असहिष्णु, नीतिहीन, दिशाविहीन और देश की एकता, अखण्डता को खतरा होने का आरोप लगाकर इसे बदनाम करने लग जाता है।”

धर्मस्थलों की १५ अगस्त, १९४७ की यथास्थिति बनाए रखने वाला विधेयक क्यों लाया गया और श्रीराम जन्मभूमि को इस विधेयक की परिधि से बाहर क्यों रखा गया? १५ अगस्त, १९४७ और ११ जुलाई १९९१ के बीच हुए समझौतों और न्यायानुयों के निर्णयों को यथावत बनाये रखने की धारा क्यों जोड़ी गई? भविष्य में तत्सम्बन्धी कोई विवाद उठाने के अधिकार को क्यों नकारा गया? यदि यह कार्य साम्प्रदायिक सद्भाव निर्माण करने की सद्प्रेरणा में किया गया होना, यदि इसकी प्रेरणा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय होती तो चिन्ता की कोई बात न होती। चिन्ता इसलिए है कि वह विधेयक इका, जनता दल, वाम-पक्षियों और दूसरे दलों की राजनीतिक विवशता के कारण लाया गया। राजीव ने मुस्लिम लीग और जनता जल, राष्ट्रीय मोर्चा तथा वाममोर्चा के घटकों ने अब्दुल्ना वृषारियों की शर्तें मानकर मुस्लिम वोटों का सीदा न किया होता तो १५ अगस्त, १९४७ की यथास्थिति बनाए रखने की धारा वे अपने-अपने घोषणा पत्रों में शामिल न करते।

“इसका अर्थ है कि देश की एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, दगा-मुक्त देश कठमुल्लों की किसी न किसी शर्त की सुली पर टगा है। राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति देश के अल्पसंख्यकों अर्थात् मुसलमानों की प्रतिबद्धता सशर्त है। यदि उनकी शर्तें मानी जाएंगी तो ही वे साम्प्रदायिक सद्भाव और एकजुट वाले ममरस सांस्कृतिक भारत राष्ट्र की सुस्थिर राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का आश्वासन देंगे अन्यथा देश को खून की नदी में डूबोने रहने की परिस्थिति पैदा

करते रहेंगे।

“यह विधेयक कागी विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बनाए गए अक्रमण एव अपमान के स्मारको का स्थायित्व प्रदान करने और उन पर मुसलमानों को कानूनी अधिकार देकर उनकी खुशी प्राप्त करने के उद्देश्य से लया गया। दमवी लोकसभा के चुनाव के पूर्व जनता दल, वामपंथियों और इन्दिरा काप्रेस के काप्रेसियों ने साम्प्रदायिक तथा मजहबी राजनीति करने वाले मुसलमान नेताओं को डाडस बधाया था कि राम जन्मभूमि तो उनके हाथ से गई किन्तु वे यह वायदा करते हैं कि कागी विश्वनाथ और कृष्ण जन्म स्थान के जिस भाग पर उनका अधिकार है, हर सम्भव प्रयास और व्यवस्था करके उसको उनके ही अधिकार में बनाए रखा जाएगा।”

पी० बी० नरसिंह राव के प्रधानमन्त्रित्व काल में हुई इस तुष्टीकरण की घटना पर वरसते हुए इन अनोचको ने बी० पी० मिह के प्रधानमन्त्रित्व काल का एक सनमनी लेख रहस्योद्घाटन किया। यह घटना जनता दल के शासन के समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमन्त्रित्व में जारी किए गए उस अध्यादेश का है जिसके अन्तर्गत श्रीराम जन्मभूमि के आसपास की भूमि अधिगृहीत कर ली उसे श्रीराम जन्मभूमि न्याय को सौंपा जाना था। वह अध्यादेश जारी तो हुआ किन्तु अडतालिस घण्टे में उसे वापस भी ले लिया गया था क्यों ?

वह घटना मन्त्रिमण्डल के कागजों में दर्ज है। ‘इस लखक ने मन्त्रिमण्डल में की गई टिप्पणियां देखी थी। किन्तु इसमें भी महत्वपूर्ण है उक्त मन्त्री द्वारा बताया गया मन्त्र। अध्यादेश जारी करने के पूर्व जनता दल के मंत्रियों ने अपने प्रधानमन्त्री से पूछा था कि क्या उन्होंने मुसलमानों से बात कर ली है ? क्या अब्दुल्ला बुखारी से पूछ लिया है ? क्या लखनऊ के अमी मिया जैसे मौलवियों की राय ले ली है ? क्या दावरी मस्जिद एक्शन कमिटी वालों का मन जान लिया है ? क्या यह अध्यादेश जारी होने के पश्चात् की परिस्थिति के मन्त्री पक्षों का विचार कर लिया है ? उस समय श्रीराम कार सेवा आंदोलन चरम सीमा पर था। श्री आडवाणी का रथ सोमनाथ में दिल्ली के पाम पहुच चुका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी मंत्रियों से कहा था ‘हू’ सबसे बात कर ली है। कोई कठिनाई नहीं आएगी। अभी मिया भी सहमत है और अब्दुल्ला बुखारी भी।’

विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस आश्वामन के पश्चात् मन्त्रिमण्डल ने अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। राष्ट्रपति को रात में नींद में उठाकर अध्यादेश जारी कराया गया। किन्तु दूसरे दिन ? दूसरे दिन हुआ यह कि प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप ने अपने सहयोगियों में सम्पर्क किया कि ‘मन्त्रिमण्डल की

आपात बैठक होती है, सभी उपस्थित मंत्री बैठक में आ जाए।" बैठक प्रारम्भ हुई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बोले "यह अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा!"

'क्यों?' सभी मंत्रियों ने एक साथ प्रश्न किया।

विश्वनाथ प्रताप सिंह का मामूम किन्तु विवश उत्तर था—'अब्दुल्ला बुखारी नहीं मान रहे हैं, अन्नी मिया भी मुकर गए हैं। उनको नाराज करके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते।' और वह अध्यादेश वापस हो गया था।

एक हिन्दुत्वनिष्ठ की नजर में "यही वह प्रवृत्ति है जिसने देश को तोड़ने में लीगियो की मदद की, यही वह राजनीति है जिसने कश्मीर को पाकिस्तान की दया का गुलाम बना रखा है। यही वह मानसिकता है, जो पीलीभीत में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में धरना देने का आधार प्रदान करती है, यही वह राष्ट्रीय सकल्पना' है जो राष्ट्र को मजहबों और सम्प्रदायों में बांटती है। यही वह चतुराई है, जो श्रीराम का प्रत्यक्ष निषेध तो नहीं करती किन्तु श्रीराम आन्दोलन को साम्प्रदायिक बनाकर भारत में बावरी बश को प्रोत्साहन देकर, उसका पोषण भी करती है, उसकी गर्तों पर देश का हितहित भी परिभाषित करती है।"

पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा पास कराये गये इस विधेयक की चिंताई करते हुए आलोचक आगे कहते हैं—"राजीव की इन्दिरा काँग्रेस की सरकार ने साम्प्रदायिक तत्वों, लीगियो, समाजवादी लोगों, वाममार्गी दलों और इन सबको मिलाकर बने 'धर्म निरपेक्ष बज' के सहयोग से एक बार पुनः देश के गाव-गाव तक साम्प्रदायिकता का बारूद बिछाने का काम किया। गली-गली में दंगे की जमीन जोन दी। प्रत्येक पूजा-स्थल को विवादास्पद बना दिया। इस खतरे का उल्लेख इमी स्तम्भ में गत दिनों किया जा चुका है। १५ अगस्त, १९४७ की स्थिति बनाए रखने के बहाने यदि भारत म्यित कोई अग्रज जार्जपचम और महारानी विक्टोरिया की हटा दी गई प्रतिमाओं को लगाने का पुनः अनुरोध करने लग जाए तो उसका क्या उत्तर देंगे ये तत्राकथित सेकुलरिस्ट? १५ अगस्त, १९४७ के बाद भारत सरकार के पुनर्वास मन्त्रालय ने जो मस्जिदों सिधो और शेष हिंदुओं को सौंप दी थी और जहाँ गुरुद्वारे एवं मंदिर बन गए हैं, उनका क्या होगा? माना कि सोमनाथ मंदिर को इस विधेयक की परिधि में बाहर रखा गया है, किन्तु श्रीराम जन्मभूमि को जिस विवशता के कारण इसकी सीमाओं से बाहर रखा गया है, क्या वह विवशता शेष पूजा स्थलों को भी विधेयक की सीमा से बाहर रखवाने के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित नहीं करेगी? जिस कारण श्रीराम जन्मभूमि को कानून की परिधि में बाहर रखा गया, कल वही कारण देश के कोने-कोने में उत्पन्न किया जाने लगे तो इसका दायित्व किसका होगा? जो मुस्लिम तुप्टीकरण भारत की राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता को आहत करता आ

रहा है, क्या इस विधेयक के माध्यम से किया गया कानूनी तुष्टीकरण यहाँ के हिन्दुओं को इस बात के लिए विवश नहीं करेगा कि वे इस कानून को रहीं कागज की तरह कचरों की टोकरी में फेंक दें? यदि देश के बहुमत ने समझ के बहुमत को अस्वीकार कर दिया तो समझ के सम्मान और केन्द्रीय शान्ति सत्ता का क्या होगा? ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा की जा रही हैं कि देश आन्तरिक अस्थिरता, आतंक और अराजकता का शिकार हो जाए? साम्प्रदायिक राजनीति को अपनी सत्ता की मूल धुरी बनाकर देश की ८५ प्रतिशत आवादी, अर्थात् यहाँ के राष्ट्रीय समाज के साम्प्रदायिक होने, मजहब और सम्प्रदाय के मद्दर्भ में सोचने एवं आचरण करने की परिस्थितियाँ पैदा करके क्या सबल, अस्थिर, ममरम और परस्पर विश्वास में परिपूर्ण राष्ट्र और समाज निर्माण कर पाना सम्भव है?

“धर्मसंस्थानों के १५ अगस्त १९४७ की क्यास्थिति मुरझित करने वाला यह विधेयक भी इसी राष्ट्रघाती साम्प्रदायिक प्रवृत्ति और राजनीति का विस्तार है। इस विस्तार का विश्लेषण बहुत ही भयावह है। इस विधेयक ने देश को १५ अगस्त, १९४७ के आस पास वाली उस स्थिति में पहुँचा दिया, जब देश खून में डूबा था, दंगों के कारण लोगों से पटा था और भारत के अभिन्न-अखण्ड भूगोल को काटकर एक मजहबी मुस्लिम राष्ट्र की नींव इन्हीं तथाकथित सेकुलरिस्टों द्वारा हिन्दू मुस्लिम समझौते और दंगामुक्त भारत का निर्माण करने के लिए रखी गई थी। वही अध्याय पुन खोला गया है। वही आलेख पुन लिखा गया है तो वही दुष्परिणाम पुन सामने आयेगे।”

केंद्र की इका सरकार ने वैधानिक मोर्चेवदी के तहत उक्त उपामना स्थल विधेयक पाम कराया तो इधर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राम जन्मभूमि के कथित विवादित ढाँचे से जुड़ी २.७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर उसका तुर्की-य तुर्की जवाब दिया। अधिग्रहण कर लेने के साथ ही मन्दिर निर्माण की एक वाधा दूर हो गई। अब राम जन्मभूमि न्यास शिलान्यास स्थल से निर्बाध गति से मन्दिर निर्माण प्रारम्भ कर सकेगा। इस समय विवादित ढाँचे को छोड़कर राम मन्दिर परिसर की पूरी भूमि या तो सरकार के कब्जे में है या राम जन्मभूमि न्यास के कब्जे में।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमन्त्रित्व काल में रामकथा पार्क के नाम पर जन्मभूमि में जुड़ी ५.८ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय श्रीराम लला के सामने की २.७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण राजनीतिक कारणों से नहीं किया था। इस २.७ एकड़ भूमि पर एक पुलिस चौकी की स्थापना के बाद रामभक्त जनता को श्रीराम लला के दर्शन हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुलायम के मुख्यमन्त्रित्व काल में तो

यह पुलिस चौकी भी निरकुश सी हो गई थी। अब इस २७ एकर भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद पुलिस चौकी को हटाये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस चौकी को हटाकर भूमि का राम जन्मभूमि न्यास को मॉने के बाद निर्माण की प्रारम्भिक बाधाओं का अन्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी वैधानिक कठिनाई के ऐसा कर सकता है। अधिग्रहित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास की सौंपने की तैयारी चल रही है।

राम जन्मभूमि में जुड़े अन्य स्थानों—जहा दुकानें, मंदिर आदि हैं—सभी राम जन्मभूमि न्यास के कब्जे में पहले ही आ चुके हैं। कथित विवादिन ढांचे के समीप उसकी बाहरी दीवार में सटी तीन दुकानों के स्वामियों ने उन्हें राम जन्मभूमि न्यास की सौंप दिया है। अभिराम कथा मण्डप तो पहले ही राम जन्मभूमि न्यास के पास है। यही विश्व हिन्दू परिषद् की प्रदर्शनो सर्गी है। साधो गोपाल का मंदिर, सकट मोचन हनुमान का मंदिर, पास-पड़ोस की झोपटिया अब राम जन्मभूमि न्यास के नाम दर्ज हो गई हैं। इस प्रकार लगभग सारी भूमि पर राम जन्मभूमि न्यास अपना दावा कर सकती है। चूकि प्रदेश में रामभक्तों की भाजपा सरकार है, वह भी मंदिर निर्माण के प्रति उत्सुक है, इसलिए सरकार अपने कब्जे वाली भूमि को राम जन्मभूमि न्यास की सौंपकर मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर देगी। सरकार ने जिन चार भूखण्डों का अधिग्रहण किया है उनका राजस्व खाता सख्या १५६, १६०, १७१ व १७२ है। सभी भूखण्ड अब राम जन्मभूमि न्यास का देने की तैयारी चल रही है।

विश्व हिन्दू परिषद् के महासचिव श्री अशोक सिंहल के अनुसार—प्रदेश सरकार का यह कदम सही समय पर उठाया गया सही कदम है। जिस बड़ी सख्या में पूरे देश से रामभक्त जन्मभूमि के दर्शन के लिए आने लगे हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए इस भूमि के अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता थी।

प्रदेश सरकार के इस फैसले के प्रति केन्द्र के विरोधी रवैए की मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने चुनौती दी। एक वयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को अयोध्या में मंदिर निर्माण में दखल देने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि वह राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का जनदेश केवल राम मंदिर के निर्माण के लिए मिला है।

विहिप महासचिव श्री अशोक सिंहल ने कहा कि अयोध्या में मंदिर के सवाल पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार वर्धास्त होने के लिए तैयार है। उन्होंने केन्द्र को चेतावनी दी कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को वर्धास्त करने से पहले राम मंदिर के सवाल पर गिरी पूर्व सरकारों का भी ध्यान कर ले। कहीं ऐसा न हो कि बावरी नेताओं को खुश करने के चक्कर में प्रधानमंत्री राव पूरी इंका के

अमित्व को ही दाव पर लगा दें। इसलिए केन्द्र हिन्दुओं के विरोध में कोई कदम उठाने में पहले कई सौ बार सोचे। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या की राम जन्मभूमि की एक इंच जमीन भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की नहीं है। विहिप महा-सचिव ने नेताओं को भी चेतावनी दी कि वे अपनी हकतों में बाज आए और अविवादित भूमि को विवादित बनाने का दुम्साहस करें क्योंकि वह भूमि शिलान्यास के समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन इका सरकार ने अविवादित घोषित की थी। इका सरकार के समय घोषित अविवादित भूमि अब भाजपा के ग्रासन में विवादित कैसे हो सकती है ?

देवोत्थानी एकादशी (१८ अक्टूबर) के दिन अयोध्या में जिलान्यास स्थल के पाम आरम्भ हुए रुद्रान महायज्ञ की शिखाओं ने मन्दिर निर्माण का जयघोष कर दिया। यह यज्ञ उन हृतात्मा कार भेवकों की स्मृति में हुआ जो पिछले वर्ष देवोत्थानी एकादशी (३० अक्टूबर) व कार्तिक पूर्णिमा (२ नवम्बर) को रामकाज हित शहीद हुए थे।

३० अक्टूबर १९९१ को 'शौर्य दिवस' मनाया गया। ठीक १२ वज्रकर ७ मिनट पर जिलान्यास स्थल पर प्रतीकात्मक ध्वजारोहण हुआ। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्षा-पीठाधीश्वर महत अर्चननाथ, राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष परमहंस रामचन्द्र दास व राम जन्मभूमि सघर्ष समिति के उपाध्यक्ष महत नृत्यगोपाल दास ने तीन भगवा पताकाए फहराकर ३० अक्टूबर १९९० को तीनों गुम्बदों पर विजय पताकाओं को फहराने वाले रामभक्तों व उनके सहयोगी रामभक्तों को शौर्य की याद दिलाई। अब ३० अक्टूबर का दिन एक पर्व है। पर्व उन वीर कारसेवकों के शौर्य की स्मृति का, जिन्होंने ३० अक्टूबर १९९० को विजय ध्वज फहराया था। जिस समय यह सब हो रहा था, रामभक्तों की आंखों में आसू आए हुए थे। प्रायः ऐसे सभी रामभक्तों का गन्ना भर आय, जो पिछले वर्ष इसी दिन इस परिवार में आए थे। अपने सक्षिप्त संबोधन में श्री मोरोपत पिंगले ने मंदिर निर्माण का आह्वान दोहराया— 'मंदिर बनेगा और बड़ी बनेगा जहां पहले था। यह मंदिर बनेगा शक्ति के आधार पर, न कि किसी की दया और कृपा पर। इसके लिए हिन्दू समाज को एकबद्ध होने की आवश्यकता है।' प्रायः सभी वक्ताओं के विचारों के केंद्र में राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता रही।

३० अक्टूबर को शौर्य दिवस का कार्यक्रम सफल न हो सके—इसके लिए वि०प्र० मिह, मुलायम सिंह तथा उनके समर्थकों द्वारा इसका पूरा प्रयास किया गया। अवाली नेता मिमरमजीत सिंह मान का अयोध्या आने का कार्यक्रम व शहाबुद्दीन की उनमें साठ-गाठ इसी शौर्य दिवस को ध्यान में रखकर की गई।

मान की गाजियावाद में हुई गिरफ्तारी से बाबर समर्थक मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए। बाराबकी के रामसनेही घाट पर वि०प्र० सिंह की गिरफ्तारी ने उनके जले पर नमक का काम किया। इधर मुलायम सिंह जगदल नगर में चुनाव में व्यस्त हैं, फिर भी उनके अनन्य साथी मुन्नन खाने अपनी करामत दिखा दी। २६ अक्टूबर को सरयू पुल पर सजपा के लगभर सौ कार्यकर्ता आ डटे और अयोध्या प्रवेश के लिए उद्यत थे। यह वही सरयू पुल है, जहाँ पिछले वर्ष २६-३० अक्टूबर को रामभक्तों का रेला आया था। वह भी प्रवेश का इच्छुक था। लेकिन मुलायम सिंह की पुलिस उस समय जो दरिन्दगी दिखाई उसकी याद मात्र ही कपा देती है। इस बार सजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तो रोका ही, पुल पर हजारों की तादाद में रामभक्तों का जमावडा हो गया और अन्ततः सजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस की शरण लेनी पड़ी थी।

३१ अक्टूबर को अयोध्या के विवादित ढाँचे पर भगवा ध्वज लहराने व मंदिर की उत्तरी दीवार में की गई मामूली तोड़-फोड़ ने वास्तव में रामभक्तों की मंदिर निर्माण की उत्कट इच्छा को अभिव्यक्त किया है। यह घटना न तो पूर्व नियोजित थी और न ही जानबूझकर की गई कार्यवाई। निकटवर्ती नगरों तथा पंजाब, कश्मीर जैसे सुदूर प्रान्तों से आए रामभक्तों द्वारा की गई यह कार्यवाई तकनीकी रूप में भले ही अनुशासनहीनता कही जा सकती है। लेकिन यह भी सही है कि इतिहास में भगवान व आस्था के आगे अनुशासन की सीमा पार हो जाती है और ऐसी अनुशासनहीनता क्षम्य है। पंजाब में आतंकवादियों का राज है, वैसे ही यहाँ भी आतंकवादियों का राज है। निःसंदेह उनका संकेत रामभक्तों की ओर था। जब यही सातो नेता जन्मभूमि परिसर में वापस आए, तो उनका विरोध किया व 'वापस जाओ' के नारे लगाए। जवाब में इनकी कार में रामभक्तों पर गोली चलाई गई। कहते हैं पूर्व गृहराज्य मंत्री सुबोध काव सहाय ने स्वयं भी गोली चलाई।

यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि उस दिन नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं में कुछ जनता दल के लडके पुजारी लालदास द्वारा शामिल करा दिए गए थे। जब विनय कटियार जन्मभूमि के द्वार पर कार्यकर्ताओं को वापस जाने के लिए कह रहे थे, तभी कुछ लडके विरोध पर उतारू हो गए। विनय कटियार ने कहा, 'यहाँ के कुछ पुजारी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके बहकावे में न आए। तभी बीच से आवाज आई, 'पुजारी लालदास का कोई दोष नहीं है। हम वापस नहीं आएंगे।' विहिप व वजरग दल जैसे लौह अनुशासन वाले संगठन के किसी कार्यकर्ता के मुह से अपने नेता के प्रति ऐसे शब्द निकल सकते हैं—ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निःसंदेह कुछ बाहरी तत्व

इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। ऐसे कुछ लड़कों को बिनय कटियार ने पहचान कर पुलिस के हवाले भी किया है।

इन सभी विरोधियों की यह रणनीति थी कि किसी तरह विश्व हिन्दू परिषद् के २७ नवम्बर तक होने वाले बन्नाग रुद्र महायज्ञ व उसके बाद ४० दिनों तक प्रस्तावित श्रीराम महायज्ञ के भक्तिमय कार्यक्रम को सफल न होने दिया जाए। रामभक्तों को उत्तेजित करके विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यक्रम के विपरीत कुछ करवाने की उनकी चाल के प्रति विहिप भी सतर्क थी और रामभक्तों को किसी बहकावे में न धाने का निर्देश दे दिए गए थे।

३१ अक्टूबर की घटना की जिम्मेदारी से राम विरोधी राजनेता व महा के पुजारी लालदास भी मुक्त नहीं किए जा सकते।

इस सवादृढता में बातचीत में कथित सुध्यान्वेपी दल के नेता एम०जे० अकबर ने यहाँ तक कहा कि ब्रावरी ढाँचे के परिमर में कानून का राज नहीं है। यहाँ आतंकवादियों का कब्जा है। जब उनसे पूछा गया कि कैसे आतंकवादी? तो जवाब था 'आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती।' उन्होंने फिर दोहराया कि जैसे कथित राष्ट्रीय एवता अभियान के दौरान तले दिल्ली में आए गैर भाजपा दलों के सात नेताओं—सर्वश्री एम०जे० अकबर, सुरेश कलमाडो (सामद) अनिल शास्त्री, व भुवनेश्वर कलिता (सभी कांग्रेस) अजय सिंह व के०मी० त्यागी (जद) तथा सुबोध कांत महाय (भजपा) द्वारा रामभक्तों पर की गई अमद्र टिप्पणियाँ उन पर की गई हिंसक कार्रवाई में रामभक्त उत्तेजित तो होंगे ही। हुआ यह कि इन सातों नेताओं ने जिला प्रशासन के मना करने के बावजूद मंदिर परिमर में माहौल को विपाकत करने की हर कोशिश की। यही नहीं, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इसका नेता एम०जे० अकबर जन्मभूमि परिमर में भी गए—जबकि न्यायालय के आदेश से किसी भी मुसलमान को राम जन्मभूमि के इर्द-गिर्द ३०० मीटर की परिधि में प्रवेश की इजाजत नहीं है। एम०जे० अकबर ने न्यायालय का अपमान कर रामभक्तों को उत्तेजित किया।

उ० प्र० सरकार द्वारा २७ एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा उसके खिलाफ वी०पी० सिंह द्वारा जारी अभियान की समीक्षा करते हुए गिरिलाल जैन ने लिखा कि इस अभियान के द्वारा एक बार फिर वी०पी० सिंह ने भाजपा की 'महात मेवा' की है।

"जब १९६० में भाजपा नेतृत्व वाफो परेशानी महसूस कर रहा था और जनता दल सरकार से अपना समर्थन वापस लेने में हिचक रहा था, उसी समय वी०पी० सिंह ने भाजपा को इस दुविधा और उसके बासी पड चुके कांग्रेसवाद-विरोधी रुख में उसे मुक्त कर दिया था। श्री लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा

का निशाना वास्तव में काग्र म से ज्यादा वी०पी० सिंह थे। यह रथ यात्रा मण्डल वी०भाजपा का जवाब था, जो कि चुनावी दृष्टि से काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ।

उसके बाद अत्र पून भाजपा नेतृत्व ने स्वयं को परेशानी से घेर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी योजना क्या है? यह तो अभी रहस्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादास्पद राम जन्मभूमि के आस-पास २३ एकड़ जमीन को अधिग्रहीत कर इस दिशा में आगे बढ़ने की अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। वल्कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है कि वह इस भूमि का उपयोग 'पर्यटन विकास' और 'तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएँ' उपलब्ध कराने हेतु करेगी। राज्य सरकार की उस समय निश्चित ही काफी आलोचना हुई होती अगर उसने 'पर्यटन विकास' और 'तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा प्रस्तावित राम मन्दिर के मात्र सिंहद्वार के निर्माण की बात को भी शामिल कर लिया होता। किसी भी तौर पर वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकती थी, जिसमें सरकार को भूमि के अधिग्रहण का अधिकार इस शर्त पर दिया गया है कि वह न तो इस स्थान को किसी को देगी और न ही इस पर स्थाई ढांचा खड़ा करेगी। इस आदेश की अवहेलना भाजपा के लिए अनेक दूरगामी समस्याओं का जन्म दे सकती है।

यह सामान्य ज्ञान की बात है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की उपस्थिति ने बावरी ढांचे पर अचानक हमले या उसे गिराने की आशंका को बढाने की बजाय घटाया ही है। क्योंकि ऐसा कोई बृद्ध विपक्षी दल के लिए भले ही आसान हो परन्तु सत्ताह्व दल के लिए नभव नहीं। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा उचित -स्ता यह होता कि वह अपने समर्थकों और मतदाताओं को यह ममज्ञानी कि 'राम मन्दिर का निर्माण एक अखिल भारतीय विषय है, जो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और जब तक लोकसभा में उसे बहुमत नहीं मिलता, तब तक वह इन बात का दावा नहीं कर सकती कि भारत के लोगों ने उन बावरी ढांचे के स्थानान्तरण और वही मन्दिर निर्माण के लिए जनादेश दिया है।'

इसी विश्लेषण को आगे बढाते हुए श्री गिरिलाल जैन ने वी०पी० और पी०वी० सरकारों के चरित्र का अन्तर रेखांकित किया। जहा वी०पी० स्वयं ही अपने पैरों पर कूल्हाडा चलाने में माहिर सिद्ध हुए, वही पी०वी० ने बेहतर ताल-मेल और दूरदेशी का परिचय देते हुए 'सरकार चलाने की अपनी क्षमता सिद्ध

कर दी। शायद प्रधानमंत्री ने यह महसूस कर लिया कि भाजपा ने खुद को एक कोने में फसा लिया है। इसलिए वह न तो उत्तेजित हुए और न ही उन्होंने उसे बर्खास्त करने की बी०पी० सिंह की मांग पर कोई ध्यान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण के कार्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। क्योंकि वह जानते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाबरी ढाचे के इर्द-गिर्द की जमीन के अधिग्रहण से ढाचे की रक्षा की संभावना पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। राजनैतिक मूझवज और तालमेल की चतुराई में भरा हुआ यही रख 'गङ्गा यात्रा' के बारे में भी पी० वी० नरसिंहराव ने अपनाया—कैसे ?

राम-रथ यात्रा से एकता यात्रा तक

२१ अक्टूबर को राम जन्मभूमि के शिलान्यास स्थल के निकट भूमिपूजन हुआ और राममंदिर के दूसरे पाए (दाहिना स्तम्भ) के निर्माण हेतु उत्खनन हुआ।

मंदिर के दाहिने पास के निर्माण हेतु हुए औपचारिक उत्खनन के साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। मंदिर के दोनो पायों के बीच की दूरी चालीस फुट है। इसी के बाद शुरू होगा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चन्द्रकान्त सोमपुरा का कहना है कि नृत्य मण्डप के निर्माण में लगभग एक वर्ष लगेगा। तदनन्तर रंग मण्डप आदि का निर्माण होगा। श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य में १५०० दक्ष कारीगरों को लगाया जाएगा। वे परिवार सहित अयोध्या आएंगे। वे यहाँ पांच वर्ष रहेंगे।

राम जन्मभूमि पर विहिप का कार्य जारी है। राम जन्मभूमि न्यास समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मकानों व मंदिरों के मलबों को हटा रही है। रामभक्त आने हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और इस मलबे को हटाने के कार्य में अपना थोड़ा योगदान देकर धन्य हो जाते हैं। मलबे का एक कण उठा लेना ही उनकी हार्दिक खुशी का कारण बन जाता है। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अखिल भारतीय मंत्री श्री महेश नारायण के अनुसार उ०प्र० सरकार द्वारा अधिग्रहीत २.७ एकड़ जमीन में साक्षी गोपाल मंदिर, सकट मोचन हनुमान मंदिर, सीता रसोई, राम चबूतरा, मुमित्रा भवन, सीतापुर तीर्थ, शिलान्यास स्थल, अभिरामदाम कथा मण्डप, अखण्ड मानस पाठ स्थल आते हैं। गत ४१ वर्षों में यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिन्दुओं के कब्जे में है। वैधानिक रूप में इन सभी स्थानों पर हिन्दू समाज का कब्जा है इसलिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या संस्था इन पर अपना दावा नहीं जता सकती है।

हिन्दू समाज के समस्त साधु-सत, विहिप के पदाधिकारी व पूरे देश से आ रहे कारसेवकों की उपस्थिति से अयोध्या का हृदय प्रफुल्लित है। धी के दिए व पटाखों की आवाज से हर रामभक्त का सीना गर्व से फूला हुआ है। राम कारसेवकपुरम् एकात्मता व समरसता का प्रतीक बन गया है। आयुर्वर्ग, आयुवर्ग का भेद नहीं,

अमीर-गरीब, अवाल-वृद्ध, नर-नारी समाहित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी व असम से लेकर कच्छ तक के इलाकों का प्रतिनिधित्व है यहाँ। जय श्रीराम का जयघोष भाषा भेद की दीवारों को तोड़ कर एकता व अखण्डता का संदेश बिखेर रहा है।

राम कार्सेवकपुरम् में भारत के महापुरणों के नाम पर आवासों का नामकरण किया गया है। 'श्री गुरुजी' सभा मण्डप की क्षमता दस हजार की है। यहाँ प्रतिदिन हजारों रामभक्तों, सतों-महात्माओं व विहिप के पदाधिकारियों से मार्गदर्शन व वचनमूल मिलता है। एकलव्य कुटी, दधीचि कुटी, भरत कुटी, शिवाजी कुटी को देखकर भारत की अखण्डता व सांस्कृतिक एकता के प्रतीक महापुरणों की वरबस याद आ जाती है। प्रतिदिन कम से कम छः हजार कारसेवकों के रहने व भोजन की व्यवस्था है, लेकिन यह संख्या बढ़ती जा रही है।

राम कार्सेवकपुरम् का कुल क्षेत्रफल ५ एकड़ है। करीब छ माह पूर्व इसे विश्व हिन्दू परिषद् ने खरीदा था। दरअसल इसका इतिहास शहीद रामभक्तों के इतिहास से जुड़ गया है। गाँवा से अयोध्या आने वाली सड़क के किनारे यह स्थान है। पिछले वर्ष इसी सड़क से करीब पचास हजार रामभक्तों ने अयोध्या में प्रवेश किया था। राम कारसेवकपुरम् में भारत के प्रत्येक प्रान्त का भवन होगा, जिसमें तन्मवधी प्रान्त से आने वाले लोग ठहरेंगे। चिकित्सालय, वाचनालय, पुस्तकालय, गौशाला, व्यायाम शाला का निर्माण होगा। इस प्रकार यहाँ लघु भारत का दर्शन हो सकेगा। श्रीराम कार्सेवकपुरम् के पास ही श्रीराम कार्यशाला है। यहाँ की पूरी व्यवस्था श्री बालचन्द्र सम्हाल रहे हैं। यहीं पर कारीगरों की व्यवस्था की जाएगी।

उधर इमी दौरान नवम्बर के प्रारम्भ में सिख नेता सिमरनजीत सिंह मान के साथ मयद शहाबुद्दीन और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इब्राहिम मुलेमान सेठ की अखबारों में फोटो छपी, जिसमें उन्होंने 'अल्पसंख्यकों की एकता' की तलवार धामी हुई थी। खालिस्तान के स्वयंघोषित समर्थक की मुस्लिम साम्प्रदायिकता के दो झण्डावरदारों के साथ छपी इस फोटो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और दंग-वामियों को भारतीय राष्ट्रीयत्व पर प्रहार का संकेत दिया।

शहाबुद्दीन ने अपनी पत्रिका 'मुस्लिम इंडिया' में द्विराष्ट्रवादी मिद्धान्त का पुन आह्वान किया है। यद्यपि पाकिस्तान एक वास्तविकता बन गया है, फिर भी भा-त में मुस्लिम अलगाववाद एक बड़ी ताकत के रूप में जारी है, भले ही उसमें कुछ रणनीतिज्ञ परिवर्तन किए जाने रहे हों। माग अब किसी इस्लामी देश के लिए नहीं रह गई है, बल्कि कोशिश है कि व्यवस्थित अभियान चलाकर टुकड़ों में बटे हुए विभिन्न वर्गों और 'मडलीकृत' भारत के स्वाभाविक साथियों के रूप में

सर्गाठित मुस्लिम समाज की छवि को प्रकट किया जाए। सिख पथिक विचार का हिन्दुत्व की रक्षक भुजा में अलगाववाद में परिवर्तन। इस काम में काफी मददगार साबित हुआ है। उदाहरण के लिए 'अयोध्या फैजाबाद के मुसलमानों' द्वारा राष्ट्र-पति को दिए गए एक ज्ञापन में मांग की गई है कि 'मस्जिद की सुरक्षा के लिए मित्र रेजिमेंट को (उपासना स्थल के चारों ओर) तैनात किया जाए।'

यह मात्र कोई संयोग नहीं है कि अलगाववाद के इन संरक्षकों को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आन्दोलन के विरोध में अपना ही उद्देश्य दिख रहा है, जबकि कम्युनिज्म के पूरे विश्व में समाप्त हो जाने और उसके नेहरूवादी सर्वानुमति पर प्रभाव के बाद अयोध्या पर केन्द्रीकृत राष्ट्रीय पुनर्जागरण देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए सब से मजबूत आह्वान है।

प्रथमतया, यद्यपि राम मंदिर के लिए आन्दोलन कर्मकांडीय पहलुओं से मुक्त नहीं है, फिर भी यह किसी भी अर्थ में कोई धार्मिक अभियान नहीं कहा जा सकता। भगवान राम के प्रतीक और उनसे अतीत के अपमान और पराजय की घटनाओं को जोड़कर यह आन्दोलन एक नए शक्ति शाली भारत की कल्पना को साकार करना चाहता है। सामान्यतः इस वारे में जैसी कि शक़ाए प्रकट की जा रही हैं—इस आन्दोलन का झंकाव एकेश्वरवादी और ईसाईयत या इस्लाम की तरह मेमेटिक मजहब के रूप में हिन्दुत्व को बदलना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य एक सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक जागृति पैदा करना है। यही कारण है कि पिछले साल कारसेवक में आर्य समाज, निहंग और जैन पथ के लोग भी शामिल हुए जो कि मूर्ति पूजक नहीं हैं और यही कारण है कि गत वर्ष श्री लाल कृष्ण आहवाणी की लोकप्रिय किन्तु विवादास्पद रथयात्रा के प्रति लोगों का इतना आकर्षण रहा।

दूसरे, अयोध्या आन्दोलन की अपार लोकप्रियता को भारतीय एकता और अखण्डता पर दवावों की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। एक ओर भारत राज्य की सत्ता पंजाब व कश्मीर में घटती जा रही है, तथा असम में भी ऐसी ही हालत है यद्यपि उनका परिमाण कुछ कम है। दूसरी ओर जनतादक्ष जातिवाद और अल्प-संख्यक साम्प्रदायिकता के साथ पीगे बढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में उन प्रतीकों की आवश्यकता बढ़ गई है जो भारत के साथ जुड़ने के लिए लोगों के मकल्प को अभिव्यक्त करते हों। अतीत में कांग्रेस और नेहरूवादी दृष्टि ने इस शक्तिवान राष्ट्रीयत्व की आकांक्षा को प्रकट किया था। दुर्भाग्य में आजादी के बाद जिन अवधारणाओं ने भारत को एक रखा था, वे विखर गईं प्रतीत हो रही हैं। परिणामतः राष्ट्रीय भटकाव और हताशा की भावना बढ़ रही है। इस पराजयवाद के स्पष्ट लक्षण सरकार की कश्मीर व पंजाब के प्रति नीतियों में अनिश्चितता में

प्रकट होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिजीवियों में व्याप्त निराशा भी बहुत साफ-साफ झलक रही है, जो एक ओर तो स्वदेश में सोवियत टूटन के दोहराए जाने में आशंकित है, दूसरी ओर उन विकल्पों को समझना भी नहीं चाहते, जिनकी जड़ भारतीय इतिहास और संस्कृति में पंठी हुई है।

अयोध्या आन्दोलन इसी विखराव का जवाब है, जिसने जनता की आकांक्षा को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तावित राम मंदिर बनाने में दस या बीस माल लग सकते हैं। लेकिन इस दिना में बढ रहे हर कदम में एक नए आत्मविश्वास में परिपूर्ण और आधुनिक भारत के इन्द्रधनुषी रंग निखरते जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मान और गृहबुद्धि इनके विरोध में हाथ मिलाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर बने, यह इच्छा अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रास्वसंघ) की नहीं है। जो लोग इस मुद्दे को सिर्फ पार्टी राजनीति का विषय मान कर अपनी राजनीति चर रहे हैं, उन्हें यह समझ में आना जरूरी है कि यह अब पूरे हिन्दू समुदाय की आकांक्षा बन चुकी है। इसलिए अगर भाजपा यह मानती है कि वह इस मुद्दे के भरोसे चुनाव जीती है या वह इस मुद्दे को उसके शिखर तक ले जा कर दिल्ली पर भी राज कर सकती है, तो वह गलतफहमी में है। गलतफहमी में वे लोग भी हैं जो ऐसा माने बैठे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाना भाजपा का दायित्व या विवशता है, या कि यह सिर्फ सवर्ण हिन्दुओं की इच्छा है, या कि यह सिर्फ उत्तर भारत के हिन्दुओं की इच्छा है। वेनाक इस समस्या को मतलब पर लानेवाली ताकत वही थी, जिन्हें हम भाजपा वर्गों के सैन्य में देखने रहे हैं। इसलिए मंदिर आन्दोलन का जितना भी राजनीतिक लाभ अगर किसी को मिला है या भविष्य में मिलने की उम्मीद है तो वह भाजपा ही है। पर अब यह मुद्दा भाजपा की किसी भावी विजय-पराजय का अकेला या निर्णायक कारण नहीं रह गया है। पिछले पांच माल के आन्दोलन का परिणाम यह हुआ है कि यह मुद्दा अगर कभी सवर्णों के मानस को उत्साहित करता होगा, तो अब वहाँ में आगे बढ़ कर सभी मध्यम एवं दलित जातियों, वनवासियों एवं गिरिजनो के हृदय की घड़कन बनता जा रहा है। अगर कभी यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के हिन्दुओं का आन्दोलन रहा होगा, तो अब त्रमश पूरे भारत के तमाम हिन्दू इसमें खुद का जुड़ाव महसूस करते जा रहे हैं।

इसलिए जो लोग या राजनीतिक दल अयोध्या आन्दोलन को यह कह कर खदान कर रहे हैं कि अरे, यह तो धार्मिक मुद्दा है, कि देखो, धर्म के नाम पर लोगों में फूट डलवाई जा रही है, कि जो लोग इस आन्दोलन के पीछे हैं वे कर्तव्य धार्मिक

नहीं है, या कि राम तो कण-कण में व्याप्त हैं—उनके लिए वही, एक खाम जगह पर मंदिर बनाने का आग्रह क्यों है, तो उनके लिए हमारा निवेदन यह है कि वेशक पूरा आन्दोलन एक खास मंदिर के निर्माण के लिए हो रहा है, पर यह एक धार्मिक आन्दोलन वैसे ही नहीं है जैसे यह किसी एक पार्टी विशेष का आन्दोलन नहीं रह गया है। यही कारण है कि कुछ निहित स्वार्थ धार-पाँच दशकों की एक निरर्थक शब्दावली के गुलाम हो कर इसे धार्मिक, साम्प्रदायिक या धर्मनिरपेक्षता का शत्रु कह कर बदनाम करने में लगे हैं, पर इन सब वेतरतीव आरोपों को नकारते हुए इस आन्दोलन की परिधि और प्रभाव फैलते जा रहे हैं।

अयोध्या के राम जन्मभूमि आन्दोलन को गुलामी-पूर्व परिस्थितियों को ठीक करने की राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में ही देखना चाहिए था। जितना इस्लाम इस देश में आना था, आ चुका और विभाजन के रूप में एक राष्ट्रीय त्रासदी भी वह दिखा चुका। जितने हिन्दुओं का इस्लामी धर्मान्तरण होना था, हो चुका। अब इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों को एकसाथ रहना है। इस सदर्भ में अयोध्या आन्दोलन पर हमारा राष्ट्रीय नजरिया क्या होना चाहिए था? देश के नेता अपने घनाए गारों के और बुद्धिजीवी जन इतिहास की अपनी वामपथी व्याख्या के दृष्टों में बाहर निकल कर देश के हिन्दुओं के बीच उभरती आकांक्षा का अध्ययन कर उसका सही समाधान देने के लिए सामने आते। हिन्दुओं की आकांक्षा, वेशक विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से सही (किसी न किसी को तो माध्यम बनना ही था), यह थी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिरों को, जिन्हें तोड़ कर मस्जिद बना दिया गया था, लौटा दिया जाए। इस आकांक्षा की पूर्ति में वे उस यात्रा पर निकले थे, जहाँ चल कर उन्हें अपने राष्ट्रदेह के अस्वस्थ उपकरणों को ठीक करना था। अगर देश के नेता और बुद्धिजीवी उनकी इस आकांक्षा का सम्मान करते, तो दो परिणाम निकलते। एक, हिन्दुत्व की विकास यात्रा को एक स्वस्थ मुकाम इसके जरिए मिलता। दो, इस दश की जनसंख्या के ८५ प्रतिशत हिन्दुओं और ११ प्रतिशत मुसलमानों को एक-दूसरे में टकराने के स्थान पर एक-दूसरे का सम्मान करने का स्वभाव मिलता। इसमें क्या हर्ज था?

नहीं था, इसलिए यह आज भी संभव है। हिन्दुओं को उनके पवित्रतम समझे जानेवाले तीन मंदिर देकर बदले में फिर किसी भी मस्जिद की माँग न करने का समझौता आज भी संभव है। जो हिन्दुओं को मुसलमानों से लड़वा कर साम्प्रदायिक राजनीति करने में मशगूल हैं, उन्हें छोड़ कर सारा देश इस समझौते का स्वागत करने के मूड में है। अगर साम्प्रदायिक राजनीति करनेवाली ताकते धावरी मस्जिद

के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के बजाय इस प्रस्तावित समझौते का महत्व समझाने का प्रयास करें तो तय मानिए कि देश का मुसलमान इस समाधान के विरुद्ध नहीं है।

पर ऐसा हो, इसके लिए साम्प्रदायिक राजनीति करनेवाले नेताओं और उन्हें नकली तर्क देनेवाले बुद्धिजीवियों को अपनी स्तब्ध और निम्पन्द विचार परिपाटी से बाहर निकलना होगा। लक्ष्य अगर राजनीति या बुद्धिछल नहीं है, तो इतिहास और वर्तमान की वास्तविकताओं से दो-चार हो कर नया रास्ता अपनाना होगा। हिन्दुत्व और राष्ट्रियता जिस तरह एक-दूसरे के पर्यायवाची बन कर लोगों के मानस में उभर रहे हैं, उसे देखते हुए अयोध्या में मंदिर बनने के बीच मात्र समय ही एक बाधा नजर आती है। यह लक्ष्य हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव के मंचार का महा कारण बने पी०बी० नरसिंहराव का मुलजा हुआ दिमागमभवत अब इसी दिशा में सोचने लगा है। भाजपा और उसकी एकता यात्रा के बारे में जो रवैया उन्होंने अपनाया, उससे तो यही संकेत मिलता है।

यह माना जा रहा है कि दोनों का रवैया एक दूसरे के प्रति नरम है। आडवाणी ने कहा है कि राव सरकार को गिराने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने राव को गत २१ वर्षों का सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री होने का प्रशंसा पत्र दिया है। भाऊसाहब देवरस ने सध परिवार के शक्तिशाली गुट के विचारों को अभिव्यक्ति देने हुए कहा है कि केन्द्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा को कांग्रेस में मिल कर संयुक्त सरकार बनानी चाहिए। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे राव सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि उनकी सरकार पूरे पांच साल चले। यदि कांग्रेस-भाजपा संयुक्त सरकार बनाना संभव न हो, तो भी भाजपा राव सरकार को मुद्दों के आधार पर बाहर से समर्थन देती रहेगी। तथापि श्री देवरस ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है और उन्होंने इस बारे में भाजपा नेताओं से परामर्श नहीं किया है।

एकता यात्रा के पक्ष और विपक्ष में चलना धुआँधार प्रचार इस सच की गवाही था। आगे लोकसभा चुनावों की तैयारी के रूप में भाजपा द्वारा आक्रामक एजेण्डा तैयार करना उसकी राजनीतिक रणनीति है उसमें एजेण्डा पर कभी अयोध्या में मंदिर निर्माण सबसे ऊपर आ गया था जो उसे अब तक की सबसे बड़ी चुनावी सफलता दिला गया। पर हर दूसरी पार्टी की तरह भाजपा भी जानती है कि एक ही मुद्दा दूसरी बार चुनाव नहीं जितवा सकता। इसलिए उसने एकता और अखण्डता को अपना अगला चुनावी मंचान बनाया। अयोध्या के मामले में

भाजपा के लिए आसानी यह थी कि देश की जनता को अलग मुद्दा समझाने के लिए उसे खास मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि अयोध्या में ढाँचा पहले से ही खड़ा है जिस पर मंदिर बनवाने की मुहिम चल ही रही थी। यानी अयोध्या मसले की मूर्ति प्रतिष्ठा उसके लाभार्थ पहले से ही हुई पड़ी थी। इस बार समस्या यह थी कि एकता-अखण्डता नामक मुद्दे की मूर्ति प्रतिष्ठा कहाँ और कैसे हो, क्योंकि बिना वैसी साक्ष्य प्रतिष्ठा के कोई तत्व भला लोगों के गले कैसे उतारा जा सकता है। मसलन १९८४ में कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकाता की चुनावी लड़ाई श्रीमती गांधी के गोलियों से छलनी हुए शरीर का शाब्दिक प्रदर्शन करके जीती थी। भाजपा ने अपने नए मुद्दे की मूर्ति प्रतिष्ठा २६ जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में तिरगा फहराने की घोषणा में कर दी। इसके बाद क्या करना सबसे आसान है, इसका नुस्खा वह सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा में आजमा चुकी थी। एकता यात्रा के जरिए वह इस नुस्खे को फिर से आजमा रही थी।

पर अगर वह आजमा रही थी तो इसमें दूसरे दलों को वैसी प्रतिस्पर्धा क्यों करनी चाहिए जैसी वे कर रहे थे? चूंकि अपनी-अपनी चुनावी तैयारी करने को हर दल और व्यक्ति स्वतंत्र है तो भला यह क्या माँग हुई कि इस एकता यात्रा पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाए? प्रधानमंत्री नरसिंह राव का यह प्रस्ताव समर्थन के लायक था कि अगर यात्रा देश की एकता के हित में है तो फिर इसे भाजपा की नहीं, बल्कि सर्वदलीय होना चाहिए। अगर भाजपा का मकसद इस यात्रा को चुनाव ब्रह्मास्त्र बनाना नहीं है तो उसे शुरू में ही इसे सर्वदलीय बनाने का प्रस्ताव खुद ही रखना चाहिए था। वैसा उसने नहीं किया। पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ललकारने जैसी मुद्रा में श्रीनगर चलने का आह्वान कर भाजपा ने साबित किया कि सक्षय सिर्फ एकता की तलाश नहीं है। कारवाँ चुनाव तक जा पहुँचता है।

राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए जहाँ पी०वी० नरसिंह राव ने सरकारी मोडिया में एकता-यात्रा को लगभग अछूता रखा, वहीं, 'एकता यात्रा' पर रोक लगाने की माँग उन्होंने अनसुनी कर दी। यही नहीं, इसका पूरा इतजाम किया कि डॉ० मुरली मनोहर जोशी, बिना किसी बड़े हादसे के—जिसकी पूरी सम्भावना नहीं थी—आगे, पकड़ते थे, कायदाद हूँ, १. भारत के, सुरक्षा-बलों के मरक्षण में उन्होंने लाल चौक में तिरगा फहराया। अब कांग्रेस का राष्ट्रवाद और भाजपा का नव-हिन्दुत्ववाद, एक ही राष्ट्रीय मुख्यधारा के दो किनारों को तरह जुड़े नजर आ रहे हैं। परजीवी वामपंथी एमानी उप्रवादी और

कथित मध्यमार्गी, हाशिये पर ठेल दिये गये है। सगठन और विघटन के इस महामथन मे उत्पन्न विप को पचानेवाली शिवशक्ति हमारी पहली जरूरत है। एकजुट राष्ट्रवाद ही वह शिवशक्ति है। फिर इस महामथन से उत्पन्न अमृत के वितरण हेतु एवं वैष्णवी शक्ति आवश्यक है। नव-हिन्दुत्व ही वह वैष्णवी शक्ति बनने की क्षमता रखता है।